



उपभोक्ता मामले विभाग

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सावर्जनिक
वितरण मंत्रालय, भारत सरकार



वार्षिक रिपोर्ट 2022-23



राष्ट्रीय उपभोक्ता हैल्पलाइन
1800-11-4000 (टोल फ्री)
or 1915



@consaff
@jagograhaakjago



वार्षिक रिपोर्ट

2022-23



सत्यमेव जयते

भारत सरकार
उपभोक्ता मामले विभाग
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सावर्जनिक वितरण मंत्रालय
कृषि भवन, नई दिल्ली-110001

विषय-सूची

अध्याय संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	विभाग और उसे दिया गया अधिदेश	1
2.	उपभोक्ता मामले विभाग : एक सिंहावलोकन	17
3.	उपभोक्ता हिमायत	33
4.	उपभोक्ता संरक्षण	43
5.	उपभोक्ता विवाद निवारण	53
6.	उपभोक्ता सहकारिताएं	63
7.	भारतीय मानक ब्यूरो	67
8.	राष्ट्रीय परीक्षणशाला	107
9.	बाट तथा माप	133
10.	मूल्य निगरानी प्रभाग (पीएमडी)	157
11.	आवश्यक वस्तु विनियम तथा प्रवर्तन	177
12.	बजट एवं वित्तीय पुनरीक्षा	185
13.	राजभाषा अधिनियम तथा उसके तहत बनाए गए नियमों का अनुपालन	191
14.	नागरिक केन्द्रित ई-गवर्नेंस पहलें	195
15.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग/भूतपूर्व सैनिक अधिकारियों की स्थिति	201
16.	दिव्यांगजनों के लाभ के लिए स्कीमें	205
17.	भारत की आजादी का अमृत महोत्सव @ 75 और अन्य पहल	209
18.	पूर्वोत्तर राज्यों में की गई पहलें	217

अध्याय-1

विभाग और उसे दिया गया अधिदेश

विभाग को निम्नलिखित के प्रशासन की जिम्मेदारी सौंपी गयी है :-

- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019
- आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (उन आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, मूल्य और वितरण से संबंधित कार्य जिनके संबंध में किसी अन्य विभाग द्वारा विशेष रूप से कार्रवाई नहीं की जाती है)।
- चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980
- विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009
- पैकबंद वस्तुओं का विनियमन
- बाट और माप के मानक
- मूल्य स्थिरीकरण कोष
- संप्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग निवारण) अधिनियम, 1952
- भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016
- उपभोक्ता सहकारिताएं
- मूल्यों और आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता की निगरानी
- राष्ट्रीय परीक्षणशाला।

1.1 विजन

विभाग के विजन इस प्रकार है :-

- समय पर और प्रभावी उपभोक्ता शिकायत निवारण प्रदान करना

- गुणवत्ता और माप के कदाचार की रोकथाम
- उचित मूल्य पर आवश्यक खाद्य वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना
- व्यापार को सुदृढ़ और संवर्धित करना
- उपभोक्ता संरक्षण से आगे उपभोक्ता समृद्धि की ओर बढ़ना

1.2 कार्यात्मक और संगठनात्मक ढाँचा

- श्री पीयूष गोयल, माननीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और वस्त्र मंत्री जी ने दिनांक 9 अक्टूबर, 2020 को कार्यभार ग्रहण किया।
- श्री अश्विनी कुमार चौबे, राज्य मंत्री
- श्रीमती रोहित कुमार सिंह, आईएएस, सचिव (उपभोक्ता मामले) ने 31 दिसंबर 2021 को पदभार ग्रहण किया।
- विभाग में दो संयुक्त सचिव और एक आर्थिक सलाहकार के अलावा एक अपर सचिव, एक सलाहकार (लागत) तैनात हैं।

विभाग का संगठन चार्ट अनुलग्नक-I पर है।

1.3 नागरिक अधिकार पत्र (सिटीजन चार्टर)

उपभोक्ता मामले विभाग का सिटीजन चार्टर, जो उपभोक्ताओं और जनता के हित में उपभोक्ता मामले विभाग की नीतियों और प्रक्रियाओं के प्रतिपादन और कार्यान्वयन में उत्कृष्टता हासिल करने के प्रति उपभोक्ता मामले विभाग की प्रतिबद्धता की घोषणा है, <http://consumeraffairs.nic.in> पर उपलब्ध है। इस दस्तावेज को वार्षिक रूप से अद्यतन किया जाता है।

1.4 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 के तहत नागरिकों को उपलब्ध कराई जाने वाली सूचना को विभाग की वेबसाइट < <http://consumeraffairs.nic.in> > पर उपलब्ध करा दिया गया है। अधिनियम के तहत जनता को सूचना प्रदान करने हेतु विभिन्न प्रभागों के लिए संबंधित प्रथम अपीलीय अधिकारियों के विवरण सहित केन्द्रीय जनसूचना अधिकारियों की सूची भी विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। विभाग में सूचना का अधिकार अधिनियम के

कार्यान्वयन की स्थिति और केन्द्रीय सूचना आयोग को भेजी गई रिपोर्ट के ब्यौरे आदि को भी वेबसाइट में सूचना का अधिकार खंड के अंतर्गत दर्शाया गया है। दिनांक 22 मई, 2013 से आर.टी.आई. वेब पोर्टल आरंभ होने के उपरान्त ऑनलाईन प्राप्त होने वाले आर.टी.आई. आवेदनों और प्रथम अपीलों पर ऑनलाइन कार्रवाई की जाती है। जनवरी, 2022 से जनवरी 2023 के दौरान विभाग में ऑनलाइन पोर्टलों के माध्यम से 1762 आर.टी.आई. आवेदन और 257 प्रथम अपीलें प्राप्त हुई। इनमें से 1703 आरटीआई आवेदनों और 244 प्रथम अपीलों का निपटान वर्ष के दौरान किया गया। आवेदकों द्वारा किये गये आर.टी.आई. आवेदनों और प्रथम अपीलों की ऑनलाइन फाइलिंग की सुविधा प्रदान करने के लिए, विभाग के तहत कार्य कर रहे अधीनस्थ कार्यालयों, जैसे राष्ट्रीय परीक्षणशाला और भारतीय मापविज्ञान, भारतीय मानक ब्यूरो जैसे स्वायत्त संगठन और राष्ट्रीय उपभोक्ता प्रतितोष आयोग जैसे अर्द्ध-न्यायिक निकायों को जनवरी, 2017 से ऑनलाइन आर.टी.आई., एम.आई.एस., नेटवर्क से जोड़ा गया है।

वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग द्वारा निर्धारित निर्देशों के अनुसार सार्वजनिक खरीद के सभी निविदा नोटिस और अन्य महत्वपूर्ण निर्णय जीईएम पोर्टल के माध्यम से किए जा रहे हैं।

1.5 सतर्कता

सतर्कता को सतर्कता और सावधानी के रूप में परिभाषित किया जाता है। सतर्कता प्रशासन, किसी भी संगठन में एक निरीक्षण तंत्र, यह सुनिश्चित करने के लिए कि अन्य खंड कुशलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं, प्रबंधन के किसी भी अन्य कार्य, जैसे वित्त, कार्मिक, प्रचालन आदि की तरह एक अभिन्न कार्य है। सतर्कता प्रशासन में अग्रसक्रिय सतर्कता, निवारक सतर्कता, भावी सतर्कता, जासूसी सतर्कता, दंडात्मक सतर्कता और सुधारात्मक सतर्कता शामिल हैं।

2. उपभोक्ता मामले विभाग का सतर्कता अनुभाग, केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी), जो भारत सरकार का शीर्ष संगठन है, जो भ्रष्टाचार विरोधी उपायों और सार्वजनिक जीवन में शुचिता को नियंत्रित करता है, के सामान्य अधीक्षण के तहत संगठन में सतर्कता गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है। यह उपभोक्ता मामले विभाग में तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों के संबंध में सतर्कता कार्यों को पूरा करता है। विभाग में एक अंशकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) है। श्री विनीत माथुर, संयुक्त सचिव को उनके पद के लिए सौंपे गए सामान्य कार्यों के अलावा मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) के रूप में नामोद्दिष्ट किया गया है। निदेशक (सतर्कता), अवर सचिव (सतर्कता) और सतर्कता अनुभाग जांच, अनुशासनात्मक कार्यवाही और अन्य अनुवर्ती कार्रवाई के संचालन में सीवीओ की सहायता करते हैं।

3. भारतीय मानक ब्यूरो, जो विभाग के तहत एक स्वायत्त संगठन है और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ, जो विभाग के तहत एक बहु-राज्य सहकारी संगठन है, सतर्कता मामलों में केंद्रीय सतर्कता आयोग को प्रगति रिपोर्ट भेजने के अलावा सतर्कता मामलों में विभाग के सीवीओ को रिपोर्ट करते हैं। राष्ट्रीय परीक्षणशाला (एनटीएच) और भारतीय विधिक मापविज्ञान संस्थान, रांची में सतर्कता अधिकारियों को भी नियुक्त किया गया है, जो कि सतर्कता संबंधी मामलों में सीवीओ के साथ समन्वय करने और सतर्कता निकासी जारी करने के लिए विभाग के अधीनस्थ संगठन हैं।

4. वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान निम्नलिखित कार्य किए गए :

सलाह के लिए यूपीएससी को भेजे गए मामलों की संख्या	1
प्रथम चरण की सलाह के लिए सीवीसी को भेजे गए मामलों की संख्या	1
दी गई सतर्कता निकासी की संख्या	283
दीर्घ शास्ति के लिए शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही	0
लघु शास्ति के लिए शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही	0
निलंबन	0
शास्ति अधिरोपित करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श के बाद पारित अंतिम आदेश	2
अचल संपत्ति में लेनदेन के संबंध में प्राप्त सूचनाएं	14
चल संपत्ति में लेनदेन के संबंध में प्राप्त सूचनाएं	3
अदालती मामले	1
अपील/पुनरीक्षण याचिकाएं	2
प्राप्त अचल संपत्ति विवरणी	105



(31.10.2022 को विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाते हुए सचिव (उपभोक्ता मामले)



(दिनांक 02.11.2022 को आयोजित निबंध लेखन प्रतियोगिता के प्रतिभागी)



(दिनांक 03.11.2022 को आयोजित नारा लेखन प्रतियोगिता के प्रतिभागी)



सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022 के दौरान आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेताओं के बीच अपर सचिव (सीए) और संयुक्त सचिव और सीवीओ, डीओसीए के साथ सचिव (सीए) प्रमाण पत्र वितरित करते हुए

1.6 राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी)

विभाग ने नागरिक केंद्रित सेवाओं को पारदर्शी तरीके से कुशलतापूर्वक प्रदान करने के लिए कई डिजिटल पहल की हैं। प्रोसेस री-इंजीनियरिंग को कई मानवीय कार्यों के लिए लागू किया गया है और व्यवसाय करने में सुगमता के लिए समाधान ऑनलाइन किए गए हैं। इसने जी से सी और जी से बी दोनों प्रक्रियाओं को कम समय प्रभावी ढंग से निपटाने में मदद की है।

- I. इनग्राम V3.0 का एक नया संस्करण जो की वेब पोर्टल <https://consumerhelpline.gov.in> है, विभाग द्वारा आरंभ किया गया है। अद्यतन वर्जन में शिकायत दर्ज करने के लिए क्षेत्र विशिष्ट सुविधा प्रदान की गई है। एनआईसी द्वारा बॉट आधारित चैट एप्लिकेशन का एक उन्नत संस्करण भी विकसित और कार्यान्वित किया गया है। यह पोर्टल उपभोक्ता शिकायत निवारण प्रक्रिया के विभिन्न हितधारकों को एकीकृत करता है और सभी के लिए एक प्रभावी और कुशल उपभोक्ता शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने के लिए एक सामान्य मंच प्रदान करता है। त्वरित और प्रभावी शिकायत निवारण के लिए लगभग 692 निजी कंपनियों को कनवर्जेंस भागीदार बनाया गया है। पहले के 5 अंकों के स्थान पर चार अंकों का शॉर्ट कोड 1915 आरंभ किया गया है।
- II. **कंज्यूमर ऐप** भारत सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग की एक पहल थी। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से मुफ्त में डाउनलोड किया जा सकता है।
- III. अनुमती, संप्रतीक और नाम अधिनियम के तहत विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा मंजूरी देने के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली शुरू की गई है। इससे प्रस्तावों को त्वरित रूप से जमा करने, जांच करने और निपटाने में सुविधा हुई है।
- IV. ऑनलाइन एप्लिकेशन '**प्राइस मॉनिटरिंग सिस्टम**' के माध्यम से पूरे भारत से विभिन्न मूल्य निगरानी केंद्रों से 22 आवश्यक वस्तुओं के दैनिक खुदरा और थोक मूल्य एकत्र किए जा रहे हैं। पूरे देश में कीमतों की बेहतर समझ के लिए केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 461 कर दी गई है।
- V. ई-कामर्स से संबंधित विवादों सहित उपभोक्ता विवादों का समाधान करने के लिए **@consaff** और उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता का सृजन करने के लिए **@jagograhakjago** नामक दो ट्विटर हैंडल प्रचलन में हैं। उपभोक्ताओं के बीच

- जागरूकता उत्पन्न करने के लिए की जा रही विभिन्न दैनिक गतिविधियों पर नियमित ट्वीट्स का प्रचार किया जा रहा है।
- VI. विभिन्न एजेंसियों (अर्थात् एफ.सी.आई, नेफेड, एस.एफ.ए.सी., एम.एम.टी.सी. और एस.टी.सी.) द्वारा मूल्य स्थिरीकरण कोश (पी.एस.एफ.) के अंतर्गत दालों की खरीद/आयात तथा निपटान और कृषि – बागवानी वस्तुओं के लिए एन.आई.सी.द्वारा एक ऑनलाइन पद्धति विकसित की गई।
- VII. देश में उपभोक्ता आयोगों का स्वचालन तथा नेटवर्किंग, विभाग की कॉन्फोनेट परियोजना द्वारा समर्थित है और जिसका डिजाइन विकसित और कार्यान्वयन एन.आई.सी. द्वारा किया जा रहा है। नवीनतम प्रौद्योगिकी के साथ गुणात्मक परिवर्तन लाने के लिए सॉफ्टवेयर के नवीनीकरण के लिए उपाय शुरू कर दिए गए हैं। उपभोक्ताओं को कहीं से भी, किसी भी समय विभिन्न उपभोक्ता आयोगों में शिकायतें दर्ज करने में सक्षम बनाने हेतु, edaakhil.nic.in पोर्टल का शुभारम्भ किया गया है।
- VIII. विधिक मापविज्ञान प्रभाग की मॉडल अनुमोदन, पैकबंद वस्तु पंजीकरण जैसी विभिन्न प्रक्रियाओं को ऑनलाइन करके भारत सरकार के डीपीआईआईटी विभाग के साथ एकीकृत कर दिया गया है ताकि व्यवसाय करना सुगम हो सके।
- IX. बाट तथा माप उपकरणों के लिए आयातकों के रजिस्ट्रेशन और विधिक मापविज्ञान के निदेशक नामांकन की प्रक्रियाओं को ऑनलाइन आवेदन और अनुमोदन के लिए स्वचालित कर दिया गया है।
- X. आवश्यक वस्तु अधिनियम पर अनुवर्ती कार्रवाई और विधिक मापविज्ञान (जी.एस.टी. तथा प्रवर्तन) पर अनुवर्ती-कार्रवाई रिपोर्ट के लिए सॉफ्टवेयर विकसित और कार्यान्वित किया गया।
- XI. विभाग द्वारा भरी जा रही विभिन्न रिक्तियों जैसे एनसीडीआरसी सदस्य रिक्तियां, युवा पेशेवर, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के विशेषज्ञों के लिए आवेदन को अब ऑनलाइन कर दिया गया है।
- XII. माननीय मंत्री और उच्च अधिकारियों के उपयोग के लिए विभिन्न डैशबोर्ड लगाए गए हैं जो नीतिगत निर्णय लेने में मदद करते हैं। सूचना के प्रसार के लिए वेबसाइट पर नागरिकों के लिए डैशबोर्ड भी डाला गया है।

- XIII. आवश्यक वस्तुओं की कीमतों की ऑनलाइन रिपोर्टिंग के लिए राज्य सरकार के नोडल अधिकारियों को प्रशिक्षित करने हेतु विभिन्न क्षेत्रीय कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।
- XIV. जवाबदेही, दक्षता और फाइलों के त्वरित निपटान के लिए ई-ऑफिस संस्करण 7.0 लागू किया गया।
- XV. विशेष स्वच्छता अभियान पर एक डैशबोर्ड आरम्भ किया गया।
- XVI. राष्ट्रीय परीक्षणशाला और भारतीय मानक ब्यूरो दोनों के कामकाज में सुधार के लिए विभिन्न आईटी पहल की गई हैं।

उपभोक्ता मामले विभाग की डिजिटल पहल



DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS

G20
WORLD LEADERS

Welcome!

Sabka Saath
Sabka Vikas
Sabka Vishwas
Sabka Prayas

75
Azadi Ka
Amrit Mahotsav

Log In

Log in to your account

Username: pmc

Password: *****

Enter Text shows below
wbQmpw

Go

Neutral Board

Pause | Scroll

Price Monitoring Cell
Price Monitoring Cell (PMC) monitors prices of retail and wholesale prices, and spot & future prices of selected essential commodities on a daily basis, and Mandi prices and wholesale price index on a weekly basis. Price Monitoring Cell analyses the price situation prepares reports for the policy makers and give advance feedback for taking preventive measures. Price Monitoring Cell also implements commodity-specific market intervention schemes to give temporary relief to the consumers.
Sources of Price Data: Prices are being collected through various State Civil Supplies Agencies

Retail and Wholesale Prices

- [List of Essential Commodities](#)
- [List of Reporting Centres](#)

Skip to main Content | A+ | A- | Screen Reader | Official login | User login

Government of India
Department of Consumer Affairs
Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution
National Consumer Helpline (NCH)

1800-11-4000
OR
1915

JAGO GRAHAK JAGO

INGRAM
INTEGRATED NATIONAL HELPLINE

About this Portal | Knowledge Partner | Knowledge Base | Standards for Products | Important Links | Convergence Partners | Consumer Corner | Contact


**NATIONAL CONSUMER HELPLINE (NCH) NUMBER
14404
HAS BEEN
CHANGED TO
1915**

Register your Grievance at consumerhelpline.gov.in

Online System For Clearance of Emblems and Names

Department of Consumer Affairs (Emblems and Names)

The general Assembly of the United Nations Organization recommended in 1968 that members of the United Nations should take necessary legislative or other appropriate measures to prevent the use, without proper authority, and in particular for commercial purposes, of the emblem, the official seal and the name of the United Nations and of the abbreviations of that name. A similar recommendation was also received from World Health Organization for prevention of the use of its name (and abbreviations) emblem and official seal. Emblematic use also come to light of the use in national annual of the Indian National Flag and emblem and of the names or personal representation of Mahatma Gandhi and other national leaders, for commercial and trade purposes and in the manner likely to offend the sentiments of the people.



वरिष्ठ अधिकारीगण

सचिव (उपभोक्ता मामले)	—	श्री रोहित कुमार सिंह
अपर सचिव (उपभोक्ता मामले)	—	श्रीमती निधि खरे
अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार	—	श्री शांतमनु
वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार	—	रिक्त
संयुक्त सचिव (एएम)	—	श्री अनुपम मिश्रा
संयुक्त सचिव (वीएम)	—	श्री विनीत माथुर
आर्थिक सलाहकार	—	डॉ. कामखेनथांग गुइटे
मुख्य लेखा नियंत्रक	—	श्री ध्रुव कुमार
सलाहकार लागत	—	श्री शशि भूषण

सलाहकार (लागत) / निदेशक / उप सचिव श्री / सुश्री	प्रभाग / अनुभाग / यूनिट श्री / सुश्री	संयुक्त निदेशक / अवर सचिव / उप निदेशक श्री / सुश्री	अनुभाग अधिकारी / सहायक निदेशक श्री / सुश्री
रिक्त	बाट और माप / विधिक मापविज्ञान	आशुतोष अग्रवाल, उप निदेशक मनोज कु. नाईक, उप निदेशक	दिनेश सागर, सहायक निदेशक
पी के साहू, उप सचिव	राष्ट्रीय परीक्षण शाला	जसबीर तिवारी, अवर सचिव	रिक्त
सुनील मिश्रा, उप सचिव	संप्रतीक और नाम अधिनियम	जसबीर तिवारी, अवर सचिव	धर्मेंद्र सिंह, अनुभाग अधिकारी
स्वरूप सरन, उप सचिव	उपभोक्ता कल्याण कोष	अनीता मीणा, अवर सचिव	रिक्त
पी के साहू, उप सचिव	भारतीय मानक ब्यूरो	देवी दयाल सिंह, अवर सचिव	के सुंदरम, अनुभाग अधिकारी

सलाहकार (लागत)/ निदेशक / उप सचिव श्री / सुश्री	प्रभाग / अनुभाग / यूनित श्री / सुश्री	संयुक्त निदेशक / अवर सचिव / उप निदेशक श्री / सुश्री	अनुभाग अधिकारी / सहायक निदेशक श्री / सुश्री
सुभाष चंद्र मीणा, निदेशक	आवश्यक वस्तु विनियमन और प्रवर्तन	अनीता मीणा, अवर सचिव	रिक्त
के सी सिंघा, निदेशक	एकीकृत वित्त	रोशन बर्मन, अवर सचिव	अरविंद कुमार, अनुभाग अधिकारी
एस के प्रसाद, उप सचिव	सतर्कता	जयलक्ष्मी कन्नन, अवर सचिव	अरविंद कुमार, अनुभाग अधिकारी
अमन जैन, उप सचिव	प्रचार	बालकृष्ण ठाकुर, अवर सचिव	रिक्त
जितेन्द्र अहलावत, उप सचिव	कान्फोनेट, एनसीएच, ई-गवर्नेंस	पी के त्यागी, अवर सचिव	सचिन कुमार, अनुभाग अधिकारी
सुभाष चंद्र मीणा, निदेशक	मूल्य निगरानी प्रभाग	लाल रामदिनपुरई रेन्थलेई, संयुक्त निदेशक सतिंदर कुमार, उप निदेशक संजय कौशिक, उप निदेशक बृजेश पटेल, उप निदेशक	रिक्त
टी आर सतीश चंद्रन, संयुक्त निदेशक	लागत प्रकोष्ठ	-	पंकज पहाड़िया (सहायक निदेशक)
सुनील मिश्रा, उप सचिव	संसद और समन्वय	जयश्री नारायण, अवर सचिव	अनीता मीणा, अनुभाग अधिकारी
सुनील मिश्रा, उप सचिव	सहकारिता	तमोघ्न चौधरी, अवर सचिव	रिक्त
संजय प्रसाद, निदेशक	स्थापना	बाल कृष्ण ठाकुर, अवर सचिव	के सुंदरम, अनुभाग अधिकारी धर्मेन्द्र सिंह, अनुभाग अधिकारी
आलोक कुमार वर्मा, निदेशक	सामान्य प्रशासन	जयलक्ष्मी कन्नन, अवर सचिव	एस महेश, अनुभाग अधिकारी
अमन जैन, उप सचिव	उपभोक्ता संरक्षण एकक	तमोघ्न चौधरी, अवर सचिव	राकेश कुमार रोशन, अनुभाग अधिकारी
रिक्त	राजभाषा	रिक्त	अशोक कुमार, सहायक निदेशक
एन नटराजन, तकनीकी निदेशक	एनआईसी प्रकोष्ठ	-	-



स्वर्ण आभूषणों पर हॉलमार्किंग अनिवार्य है

स्वर्ण आभूषणों को खरीदते
समय हालमार्क के

3 निशान
जरूर देखें...



बीआईएस लोगो



22K916

सोने की शुद्धता कैरेट में



AAAAAA

6 डिजिट अल्फ़ान्यूमेरिक एचयूआईडी कोड



हॉलमार्क का निशान - शुद्धता की पहचान

स्वर्ण आभूषण पर हॉलमार्क की जांच करें



BIS CARE

मोबाइल एप और शिकायत पोर्टल

के माध्यम से शिकायत दर्ज करें



जनहित में जारी:

उपभोक्ता मामले विभाग

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार
कृषि भवन, नई दिल्ली-110001 | www.consumeraffairs.nic.in



@consaff
@jagograhakjago



राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन
1915 या 1800-11-4000
(टोल फ्री)



www.consumerhelpline.gov.in



मार्क गुणवत्ता का प्रतीक

अध्याय-2

उपभोक्ता मामले विभाग : एक सिंहावलोकन

उपभोक्ता मामले विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले दो विभागों में से एक है।

विभाग का अधिदेश उपभोक्ता हिमायत करना है। 1986 में अधिनियमित और तत्समय पथप्रदर्शक कानून उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (सीपीए) के साथ उपभोक्ता हिमायत में अग्रणी था और 1997 में उपभोक्ता मामलों के लिए समर्पित एक अलग सरकारी विभाग की स्थापना की गई थी।

नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 भारत में 20 जुलाई, 2020 को लागू हुआ, जिसने वर्ष 1986 के पिछले अधिनियम का स्थान लिया। नया अधिनियम भारत में उपभोक्ता विवादों के प्रशासन और निपटान में परिवर्तन लाता है। इसमें मिलावट और भ्रामक विज्ञापनों के लिए जेल की सजा सहित सख्त दंड का प्रावधान है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह अब ई-कॉमर्स के माध्यम से माल की बिक्री के लिए नियम निर्धारित करता है। इस अधिदेश को कार्य रूप में परिणत करने की आवश्यकता है:

- उपभोक्ताओं को सुविज्ञ विकल्प चुनने में सक्षम बनाना
- उपभोक्ताओं के लिए निष्पक्ष, न्यायसंगत और सुसंगत परिणाम सुनिश्चित करना तथा
- समयबद्ध और प्रभावी उपभोक्ता शिकायत निवारण को सुकर बनाना

2.1 वर्ष एक नजर में

विधिक मापविज्ञान :

विधिक मापविज्ञान (बाट और माप) कानून किसी भी सभ्य समाज में वाणिज्यिक लेनदेन का आधार है। इस तरह के लेन-देन में माप की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए, सरकार

ने विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 (1 से 2010) नामक कानून बनाया है। उक्त अधिनियम दो निरस्त अधिनियमों अर्थात् बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 और बाट और माप मानक (प्रवर्तन) अधिनियम, 1985 का एकीकृत अधिनियम है। 1 अप्रैल, 2011 से विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 प्रभावी हुआ है। अधिनियम के बेहतर क्रियान्वयन के लिए नियम बनाए गए हैं। अधिनियम एवं नियम विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) :

विशेष उपलब्धियां

बीआईएस ने अगस्त 2022 में नालंदा डेयरी (बिहार राज्य दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेड की इकाई), बिहार को दूध और दुग्ध उत्पादों पर अनुरूपता मूल्यांकन स्कीम के लिए पहला अखिल भारतीय लाइसेंस प्रदान किया है। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिसंबर, 2021 में इस स्कीम का उद्घाटन में किया गया था।

दिसंबर 2022 में केएमई सोसाइटी के जीएम मोमिन महिला कॉलेज, ठाणे, महाराष्ट्र को आईएस/आईएसओ 21001:2018 के अनुसार शैक्षिक संगठनात्मक प्रबंधन प्रणाली प्रदान की गई।

बीआईएस ने आईएस 19000:2022 के अनुसार ऑनलाइन उपभोक्ता समीक्षा प्रक्रिया के लिए अनुरूपता मूल्यांकन स्कीम भी विकसित की है।

एमएससी गतिविधि के लिए लेखा परीक्षक

बीआईएस प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन ऑडिट करने के लिए आंतरिक अधिकारियों के साथ-साथ बाहरी स्वतंत्र कर्मियों को सूचीबद्ध करता है। बीआईएस के पास एमएससी गतिविधियां चलाने के लिए टीम लीडर, विशेषज्ञ, लेखा परीक्षक और प्रशिक्षुओं जैसी विभिन्न क्षमताओं में सूचीबद्ध 353 ऑडिटिंग कर्मियों का एक पूल है। इसमें विभिन्न प्रबंधन प्रणालियों प्रमाणन स्कीमों के लिए आंतरिक (177) और बाहरी (176) दोनों लेखा परीक्षक शामिल हैं।

सांख्यिकी की समीक्षा

बीआईएस के पास 25 दिसंबर 2022 तक विभिन्न एमएससी स्कीमों के तहत 1228 प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन लाइसेंसधारी हैं। इसमें से 63 लाइसेंस वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रदान किए गए।

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण

सीसीपीए ने अब तक विभिन्न कंपनियों को, भ्रामक विज्ञापनों और अनुचित व्यापार प्रथाओं के खिलाफ 154 नोटिस जारी किए हैं। केंद्रीय प्राधिकरण के निर्देश के आधार पर 5 कंपनियों ने सुधारात्मक विज्ञापन जारी किया है और 16 कंपनियों ने अपना विज्ञापन वापस ले लिया है और 3 कंपनियों पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है और 5 ई-कॉमर्स कंपनियों और 3 विक्रेताओं पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। उपभोक्ताओं को भ्रामक विज्ञापनों और अनुचित व्यापार प्रथाओं से बचाने के अधिदेश के साथ सीसीपीए, वाणिज्य के बढ़ते डिजिटलीकरण और उपभोक्ताओं पर इसके प्रभाव पर कड़ी नजर रखता है।

2.2 राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस समारोह :



उपभोक्ता मामले विभाग ने 24 दिसंबर, 2022 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस (एनसीडी) का आयोजन किया, जिसका मुख्य विषय 'उपभोक्ता आयोगों में मामलों का प्रभावी निपटान' था। एनसीडी, 2022 की अध्यक्षता श्री पीयूष गोयल, माननीय केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री ने की थी।



इस संबंध में, गुजरात राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के सुझावों को पढ़ने और मामलों के प्रभावी निपटान हेतु इस प्रकार के कदम उठाने पर विचार करने के लिए प्रत्येक राज्य आयोग को दिनांक 26 दिसंबर, 2022 का एक डीओ पत्र भेजा गया था।



2.2.1 स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन

सचिव (सीए) द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा का उद्घाटन और उसके बाद डीओसीए के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा वर्चुअली पूर्वाह्न 11:00 बजे स्वच्छता शपथ ली गई। इसका विभागीय वेबसाइट और सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार किया गया।

प्रमुख स्थानों पर स्वच्छता बैनर लगाए गए। विभाग की वेबसाइट पर कोविड-19 उचित व्यवहार को ध्यान में रखते हुए मास्क, सैनिटाइजर, साबुन और अन्य स्वच्छता संबंधी उत्पादों आदि का वितरण और बैनर पोस्ट किये गये।

सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) गतिविधि- कोविड-19 से संबंधित सार्स सीओवी-2 ऑमिक्रॉन वेरिएंट (बी.1.1.529) पर जागरूकता के संबंध में एक संक्षिप्त एफएक्यू वीडियो का प्रसार नीचे दिए गए लिंक के अनुसार किया गया।

<https://youtu.be/Sam2HjxiAko>

कार्यालय परिसर के मोडरेट आउटलुक के लिए वृक्षारोपण, सौंदर्यीकरण, अनुपयोगी झाड़ियों और छोटे पौधों की छंटाई की गई।

- (क) रिकॉर्ड रूम सहित सभी अनुभागों (21), अन्य कक्षों, गलियारों में सफाई अभियान। पुराने अभिलेखों की समीक्षा। (कागज के कचरे, प्लास्टिक के कचरे, बैटरी के कचरे और बिजली के कचरे का पृथक्करण और सुरक्षित निपटान)
- (ख) सभी प्रभागों को निर्देश दिया गया कि वे अपने-अपने अनुभागों में पेपर फोल्डर का उपयोग करें और भौतिक फाइलों के ढेर से बचने के लिए यदि संभव हो तो ई-फोल्डर के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाए।
- (ग) विभाग के सभी कर्मचारियों द्वारा स्रोत पर ही प्लास्टिक कचरे, तरल कचरे और ठोस कचरे का पृथक्करण।

श्री एस.के. कनोजिया, प्रमुख, सेवा क्षेत्र विभाग-II, भारतीय मानक ब्यूरो मुख्यालय, बीआईएस, नई दिल्ली, पेयजल के लिए बीआईएस मानक पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा अतिथि व्याख्यान दिया।

“स्वच्छ भारत” विषय पर निबंध लेखन व कविता प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

स्रोत पर ई-अपशिष्ट का पृथक्करण:— प्रारंभ में, दीवार घड़ियों, माउस, कीबोर्ड, रिमोट की सभी बैटरियों को उपयोग के बाद वापस एकत्र किया जाता है और ई-अपशिष्ट को जोखिम मुक्त निपटान के लिए लेने हेतु मान्यता प्राप्त रिसाइकलरों की व्यवस्था की जाती है।

ई-कचरे का निपटान:— स्वच्छता समिति द्वारा अनुभागों के दौरे से स्वच्छतम अनुभाग का निर्णय लिया गया। तदनुसार, पुरस्कार वितरण किया गया।

2.2.2 विशेष अभियान 2.0

उपभोक्ता मामले विभाग ने देश भर के कार्यालयों, कार्यालय परिसरों और संस्थानों में स्वच्छता से संबंधित विशेष अभियान 2.0 में भाग लिया। इस वर्ष मुख्य फोकस राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के बाहर स्थित कार्यालयों/परिसरों की सफाई से संबंधित था। विभाग ने 02.10.2022 से 3 नवंबर, 2022 तक इस अभियान को चलाने और इसमें भाग लेने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो, राष्ट्रीय परीक्षण शाला, राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ और राज्य उपभोक्ता आयोगों से संबंधित दिल्ली के बाहर स्थित 73 कार्यालय परिसरों की पहचान की।

1. विभाग ने प्राप्त 1516 लोक शिकायतों के निपटान का लक्ष्य रखा है। अतः विभाग द्वारा सभी लोक शिकायतों (पीजी) का संतोषजनक उत्तर दिया गया है और लक्ष्य प्राप्त किया है। विभाग ने पीजी निस्तारण का शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर लिया है।
2. 1 अक्टूबर, 2022 से पूर्व प्राप्त 901 पीजी अपीलों के निपटान का लक्ष्य था। अभियान के दौरान उनमें से 841 पीजी अपीलों का निपटान किया गया।
3. फाइलों की छंटाई और भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के प्रबंधन के संबंध में, विभाग और इसके सहायक संगठनों ने समीक्षा की जाने वाली 15285 भौतिक फाइलों की पहचान की गई। सभी की समीक्षा की गई है और 03-11-2022 तक 12335 फाइलों को डिजिटलीकरण के बाद पूरी तरह से छंटाई के लिए चिन्हित किया गया है। 12335 भौतिक फाइलों को उनके डिजिटलीकरण के बाद पूरी तरह से हटा दिया गया है। इस प्रकार पहचान किए गए 100% रिकॉर्डों को हटा दिया गया है। विभाग ने ई-ऑफिस श्रेणी के तहत बंद करने के लिए 945 ई-फाइलों की भी समीक्षा की है और तब से डीएआरपीजी और डीओपीटी दिशानिर्देशों के आधार पर 945 ई-फाइलों को बंद कर दिया है।

4. अभिलेखों की छंटाई के साथ, अभियान 2.0 की शुरुआत के बाद से स्वायत्त संगठन और विभाग में डिजीजन 7019 वर्ग फुट जगह मुक्त करने में सक्षम हुए हैं।
5. वे इलेक्ट्रॉनिक कचरे, छंटाई की गई फाइलों, पुराने फर्नीचर और कंक्रीट का निपटान करने में भी सक्षम हैं और छंटाई के लिए चिन्हित सामग्री की नीलामी करके 9,05,277 / – रुपये का राजस्व अर्जित किया है।
6. विभाग के अधीन स्वायत्तशासी संगठनों एवं अधीनस्थ संगठनों द्वारा देश भर में अपने कार्यालय परिसर में वृक्षारोपण के लिए विशेष अभियान चलाया गया। इसके परिणामस्वरूप, देश भर में आईआईएलएम, एनटीएच और बीआईएस परिसरों में 500 से अधिक पेड़ लगाए गए।
7. देश भर के सभी परिसरों में ऊर्जा कुशल प्रकाश व्यवस्था के उपयोग और एलईडी लाइट फिटिंग के साथ प्रकाश फिटिंग के प्रतिस्थापन के लिए एक विशेष अभियान भी चलाया गया। यह अभियान पूरे देश में एनटीएच और बीआईएस कार्यालयों में लागू किया गया।
8. विभाग और मंत्रालय ने देश भर में 60 से अधिक कार्यालयों, राज्य उपभोक्ता आयोगों एनसीसीएफ, बीआईएस, एनटीएच कार्यालयों, प्रयोगशालाओं और उचित मूल्य की दुकानों का दौरा करने के लिए इन स्थानों पर स्वच्छता अभियान का निरीक्षण करने के साथ-साथ प्रौद्योगिकी और व्यवसाय संचालन में सुधार की पहचान करने के लिए नई दिल्ली से अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की।
9. विशेष अभियान के बहुत उत्साहजनक परिणाम प्राप्त हुए और प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन और प्रक्रिया में किए जा सकने वाले सुधारों के लिए राज्य उपभोक्ता आयोगों और जिला उपभोक्ता आयोगों की सभी आवश्यकताओं की पहचान की गई।
10. अभियान और प्रारम्भिक चरण के दौरान 5वीं मंजिल पर एक रिमॉडल्ड अनुभाग बनाया गया है जहां पिछले अभियान में एक अनाज परीक्षण प्रयोगशाला स्थित थी और माननीय मंत्री के निर्देश पर अनाज परीक्षण प्रयोगशाला को कक्ष 545, एनटीएच, गाजियाबाद से स्थानांतरित कर दिया गया है और विभाग में युवा पेशेवरों और अन्य अधिकारियों द्वारा उपयोग के लिए पूरे कमरे का नवीनीकरण किया गया है।



(विशेष अभियान के पुरस्कार विजेता – अधीनस्थ कार्यालय)



(विशेष अभियान के पुरस्कार विजेता – अधीनस्थ कार्यालय)

2.2.3 सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन

उपरोक्त के अतिरिक्त दिनांक 31.10.2022 से 06.11.2022 तक विभाग के साथ-साथ इस विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सभी संगठनों द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022 बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। सप्ताह के दौरान, विभाग में निम्नलिखित गतिविधियाँ आयोजित की गईं :

- ☞ सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2022 के संबंध में विभाग में प्रमुख स्थानों पर बैनर लगाए गए। साथ ही, व्यापक प्रचार के लिए इस विभाग के आधिकारिक हैंडल के माध्यम से ट्विटर पर पोस्टर साझा किए गए।
- ☞ 31.10.2022 को विभाग के सभी कर्मचारियों ने अपने कार्य-स्थल पर सीवीसी की वेबसाइट से ई-सत्यनिष्ठा शपथ ली। साथ ही सचिव (सीए) ने विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को शपथ दिलाई। नागरिकों के बीच व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए सत्यनिष्ठा शपथ को विभागीय वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया।
- ☞ 02.11.2022 को विभाग के कर्मचारियों के बीच "एक विकसित राष्ट्र के लिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत" विषय पर निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
- ☞ 03.11.2022 को विभाग के कर्मचारियों के बीच "एक विकसित राष्ट्र के लिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत" विषय पर नारा लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
- ☞ सप्ताह के दौरान विभाग द्वारा की गई सभी गतिविधियों को इस विभाग के आधिकारिक हैंडल से ट्विटर पर पोस्ट किया गया।
- ☞ प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार राशि सीधे विजेताओं के बैंक खातों में भेजे गए।
- ☞ प्रतियोगिताओं के विजेताओं को उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव द्वारा प्रमाणपत्रों से सम्मानित किया गया।



(कृषि भवन, नई दिल्ली में सतर्कता जागरूकता सप्ताह के संबंध में बैनर लगाया गया)

2.2.4 संविधान दिवस समारोह

आजादी का अमृत महोत्सव के तहत संविधान दिवस के अवसर पर, सचिव (सीए) ने उपभोक्ता मामले विभाग के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ आभासी रूप से संविधान की प्रस्तावना पढ़ी। संविधान दिवस के उपलक्ष्य में सभी अधीनस्थ एवं संबद्ध कार्यालयों ने भी भाग लिया। सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के सभी स्टाफ सदस्यों और अधिकारियों ने भारत के संविधान की प्रस्तावना को पढ़ा है।

2.2.4 संप्रतीक और नाम

उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार संप्रतीक और नाम (अनुचित उपयोग निवारण) अधिनियम 1950 को लागू करता है।

उद्देश्य

- व्यापार व्यवसाय कॉलिंग या पेशे के उद्देश्य के लिए, या किसी पेटेंट के शीर्षक में, या किसी व्यापार चिह्न या डिजाइन में अधिनियम की अनुसूची में निर्दिष्ट कुछ नामों और प्रतीकों के दुरुपयोग को रोकने के लिए अधिनियम 1950 में अधिनियमित किया गया था।
- यदि किसी सक्षम प्राधिकारी (किसी कंपनी, फर्म, या व्यक्तियों के अन्य निकाय या किसी व्यापार चिह्न या डिजाइन को पंजीकृत करने या पेटेंट देने का अधिकार) के समक्ष कोई प्रश्न उठता है कि क्या कोई प्रतीक अनुसूची में निर्दिष्ट संप्रतीक है या उसकी रंगीन नकल है, तो सक्षम प्राधिकारी प्रश्न को इस विभाग को संदर्भित कर सकता है।
- विभाग को कुछ प्रस्तावित नामों के संबंध में मंजूरी या अन्यथा मांगते हुए रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज के कार्यालयों से पत्र प्राप्त होता है, जब भी वे प्रस्तावित नामों पर विचार करते हैं तो अधिनियम के प्रावधान का उल्लंघन हो सकता है। नाम और प्रतीकों पर विचार के लिए आवेदन हार्डकॉपी में प्राप्त हुए थे।
- मामलों पर विचार करने के लिए विभाग में एक समिति का गठन किया गया है। समिति का सामूहिक निर्णय तब सचिव (उपभोक्ता मामले) के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाता है। 1 जनवरी, 2021 से 31 दिसम्बर, 2021 तक विभाग में 541 मामले प्राप्त हुए, जिनमें से 348 मामलों को अनापत्ति प्रमाण पत्र, 54 मामलों को आपत्ति प्रमाण पत्र दिए गए और 139 मामलों को स्पष्टीकरण/टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए पंजीयकों, मंत्रालयों/विभागों को संदर्भित किया गया था।

2 दिसंबर, 2021 को, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार ने संप्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग निवारण) अधिनियम, 1950 के तहत व्यक्तियों, फर्मों/सोसाइटियों/कंपनी/सरकारी निकाय/अन्य निकाय के नाम और संप्रतीक के संबंध में विभाग से मंजूरी मांगने वाले प्रस्तावों को ऑनलाइन प्रस्तुत करने में सक्षम बनाने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है।

2.2.6 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह

विभाग द्वारा लोधी गार्डन, नई दिल्ली में 46 दिन शेष 06.05.2022 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (21 जून) के लिए योग दिवस का आयोजन किया गया था। प्रातः 7 से 8 बजे तक आयोजित कार्यक्रम में विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों ने उत्साह से भाग लिया।



विभाग द्वारा कृषि भवन, नई दिल्ली में 10.06.2022 को 46 दिन शेष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (21 जून) के लिए योग दिवस का आयोजन किया गया था।

प्रातः 7 से 8 बजे तक आयोजित कार्यक्रम में विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों ने उत्साह से भाग लिया।



दिनांक 31.10.2022 को सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के अवसर पर विभाग द्वारा राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर एकता दौड़ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के भाग के रूप में माननीय मंत्री (उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, वाणिज्य एवं उद्योग तथा वस्त्र) द्वारा सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता की शपथ भी दिलाई गई।



विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने प्रातः 9.30 बजे से आयोजित कार्यक्रम में उत्साह से भाग लिया और इस दौड़ का शुभारम्भ श्री पीयूष गोयल, माननीय, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, सी एंड आई और कपड़ा मंत्री द्वारा झंडी दिखाकर किया गया।

मनाएं...

अंतर्राष्ट्रीय
महिला
दिवस



8 मार्च



आज का दिन समर्पित है भारतीय नारियों को !

समझदारी से
करे जो खरीददारी
वही है
जागरूक नारी !



एम. आर. पी. से अधिक मूल्य
पर ना खरीदें । प्रत्येक खरीद
के लिए बिल मांगें ।



Nutrition Facts
100 gms

उत्पाद की मात्रा व वजन अवश्य जाँचें ।

हमेशा उत्पाद की गुणवत्ता प्रमाणन की जाँच
करें व ISI, FSSAI, Agmark, BIS
मार्क वाले उत्पाद ही खरीदें ।



खाद्य उत्पाद व दवाईयों को खरीदते
समय उसके निर्माण की तिथि व उपयोग
की अंतिम तिथि अवश्य देखें ।

ऑनलाइन खरीददारी के दौरान पूर्ण
डिजिटल सुरक्षा सुनिश्चित करें ।



घर पर गैस सिलेंडर को लेने से पहले
उसके वजन की जाँच करें ।



उपभोक्ताओं हेतु
उपभोक्ता
मोबाइल एप



उपभोक्ता मामले विभाग

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय,
भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली - 110001

www.consumeraffairs.nic.in

@consaff | @jagograhakjago

राष्ट्रीय
उपभोक्ता
हेल्पलाइन:
1800-11-4000
या 1915
(टोल फ्री)

“हमें उपभोक्ता संरक्षण
से उपभोक्ता समृद्धि की
ओर बढ़ना है”

- नरेंद्र मोदी

खरीदारी करते समय उपभोक्ता ध्यान दें :

वज़न और मात्रा की जांच करें।

MRP से अधिक भुगतान न करें।

☒ मार्क लगी वस्तुएं ही खरीदें।

सोने के आभूषण खरीदने से पहले
हॉलमार्क के चिन्ह को जांच लें।

गैस-स्टोव खरीदते समय सुनिश्चित
करें कि उस पर ☒ मार्क हो।

खाद्य पदार्थ पर USE BY DATE या
EXPIRY DATE जरूर जाचें।



उपभोक्ता शिकायत के लिए
राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन
1915 पर कॉल करें।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय भारत सरकार

अध्याय-3

उपभोक्ता हिमायत

3.1 उपभोक्ता कल्याण कोष

उपभोक्ता कल्याण कोष नियम, 1992 में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) के तहत वर्ष 1991 में इसके संशोधन के तहत तैयार और भारत के राजपत्र में अधिसूचित किए गए थे। सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के लागू होने पर, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) अधिनियम, 2017 की धारा 57 के तहत उपभोक्ता कल्याण कोष (सीडब्ल्यूएफ) का गठन किया गया है। सीडब्ल्यूएफ के उपयोग का प्रावधान सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 58 में किया गया है, जो यह प्रावधान करता है कि सरकार द्वारा निधि का उपयोग उपभोक्ताओं के कल्याण के लिए निर्धारित तरीके से किया जाएगा। तदनुसार, सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 97 में निधि के उपयोग के तरीके को शासित करने वाले प्रावधान निर्धारित किए गए हैं।

2. सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 97 के उप-नियम (7क) में प्रावधान है कि उप-नियम (4) के तहत गठित समिति माल और सेवा कर पर प्रचार या उपभोक्ता जागरूकता के लिए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड को 50 प्रतिशत उपलब्ध कराएगी, जो कोष में प्रत्येक वर्ष जमा होगी, बशर्ते उपभोक्ता मामले विभाग की उपभोक्ता कल्याण गतिविधियों के लिए धन की उपलब्धता पच्चीस करोड़ रुपये प्रति वर्ष से कम न हो।

3. जो धन विनिर्माताओं आदि को वापस नहीं किया जा सकता है, उपभोक्ता कल्याण कोष में जमा किया जाता है, जिसका उपयोग उपभोक्ताओं के कल्याण के लिए उपरोक्त नियमों और उसके तहत तैयार किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है।

4. स्थायी समिति के निर्णयों के आधार पर, सीडब्ल्यूएफ से वित्तीय सहायता डीओसीए के विभिन्न उपभोक्ता जागरूकता/प्रचार कार्यक्रमों, विश्वविद्यालयों/निगमों/शैक्षिक संस्थानों आदि

जैसे स्वायत्त संस्थानों, केंद्रीय/राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के विभागों/संगठनों, स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों, सरकारी निकायों और राज्य को दी जाती है ताकि देश में उपभोक्ता जागरूकता/संरक्षण उपभोक्ता अभियान को मजबूत बनाने के लिए उपभोक्ता जागरूकता/संरक्षण गतिविधियों में संलग्न उपभोक्ता के हितों का संरक्षण कर उसे बढ़ावा दिया जा सके।

5. डीओसीए द्वारा निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए सीडब्ल्यूएफ से वित्तीय सहायता दी गई है :-

- i. उपभोक्ता संबंधी मुद्दों पर अनुसंधान और प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रतिष्ठित संस्थानों/विश्वविद्यालयों में उपभोक्ता विधिक पीठों/उत्कृष्टता केंद्रों का सृजन।
- ii. उपभोक्ता साक्षरता और जागरूकता फैलाने के लिए परियोजनाएं।
- iii. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में शेयरिंग, समय-समय पर यथानिर्धारित केंद्र और राज्य का हिस्सा, आधार पर कॉर्पस फंड की स्थापना।

6. उपभोक्ता मामले विभाग देश में एक जिम्मेदार और उत्तरदायी उपभोक्ता आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाता है।

3.2 राज्यों में उपभोक्ता कल्याण (कॉर्पस) कोष :

संबंधित राज्य माल एवं सेवा कर अधिनियमों के अधिनियमन के बाद, इन अधिनियमों के तहत राज्य सरकारों द्वारा अपने राज्य में उपभोक्ता कल्याण कोष की स्थापना की गई है।

वर्ष 2003 में, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र को राज्य स्तर पर एक उपभोक्ता कल्याण कोष स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था, ताकि उपभोक्ता आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए अग्रसक्रिय प्रयासों को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा जमीनी स्तर पर सीडब्ल्यूएफ से वित्तीय सहायता के साथ मजबूत किया जा सके। अब तक केंद्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के बंटवारे का अनुपात 75:25 (विशेष श्रेणी के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में 90:10) है, जो 20.00 करोड़ रुपये (10.00 करोड़ रूपए से बढ़ाया गया है) के उपभोक्ता कल्याण (कॉर्पस) कोष की स्थापना के लिए है। सीडब्ल्यूएफ और सीडब्ल्यू(सी)एफ को एक राष्ट्रीयकृत बैंक में अलग-अलग ब्याज वाले खातों में रखा जाता है। भारत सरकार की मदद से 20 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों नामतः गुजरात, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार, नागालैंड, कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, केरल, हरियाणा, झारखंड, तेलंगाना, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, मेघालय, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मिजोरम में उपभोक्ता कल्याण कोष की स्थापना की गई है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 (31.12.2022 तक) के दौरान, 32.00 करोड़ रुपये की राशि निम्नलिखित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को जारी की गई है :-

क्र सं	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	राशि (करोड़ रुपये में)
1.	उत्तर प्रदेश	15.00
2.	झारखंड	3.00
3.	उत्तराखंड	10.00
4.	मिजोरम	2.00
5.	मेघालय	2.00

3.3 उपभोक्ता आयोग के सदस्यों हेतु क्षमता निर्माण कार्यक्रम

पूरे भारत के राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों में उपभोक्ता आयोगों के सदस्यों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करने हेतु उपभोक्ता कल्याण कोष से वित्तीय सहायता प्रदान की गई है:-

क्र सं	नेशनल लॉ विश्वविद्यालयों के नाम	राशि रुपये में
1.	धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जबलपुर	रु. 3,15,000 /-
2.	नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बंगलुरु	रु. 4,89,995 /-

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 6 जनवरी 2023 को धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जबलपुर में मध्य प्रदेश के उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के सदस्यों के लिए तीन दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम प्रायोजित किया गया।

उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा 6 से 8 जनवरी 2023 तक धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जबलपुर ने मध्य प्रदेश के उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के सदस्यों के लिए प्रायोजित तीन दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया। तीन दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के कुल 40 सदस्यों ने भाग लिया।

क्षमता निर्माण कार्यक्रम का उद्देश्य मध्य प्रदेश के जिला उपभोक्ता आयोग के सदस्यों की क्षमताओं को बढ़ाना और उनके कौशल में सुधार करना है। क्षमता निर्माण कार्यक्रम में प्रत्येक 90 मिनट के कुल 12 सत्र आयोजित किए गए, जिनमें उपभोक्ता कल्याण कानूनों को समझना, रजिस्ट्रार प्रशिक्षण शिकायत परीक्षा, बेंच प्रशिक्षण, निर्णय लेखन कौशल, नैतिकता की चर्चा और

अर्ध-न्यायिक कौशल विकसित करना, उपभोक्ता आयोग अधिकार क्षेत्र को समझना, उपभोक्ता मुद्दों के ऐतिहासिक निर्णयों पर चर्चा शामिल थी।

कार्यकारी सार

उपभोक्ता को सभी संगत जानकारी प्रदान करने का अधिकार है ताकि वह शोषण से बचने में सक्षम हो सके और उत्पाद खरीदते समय और बाजार से सेवाओं का लाभ उठाते हुए एक सुविचारित विकल्प चुन सके। उपभोक्ता जागरूकता उत्पन्न करना सरकार की जिम्मेदारी है, विशेषकर भारत जैसे कल्याणकारी राज्य में, क्योंकि इससे सामाजिक और आर्थिक लाभ होता है। इन अनिवार्यताओं को दर्शाते हुए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 6 में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद को उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए अधिदेश दिया गया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, गुणवत्ता, मात्रा, क्षमता, शुद्धता, मानक और वस्तुओं या सेवाओं की कीमत, जैसा भी मामला हो, के बारे में सूचित करने का अधिकार शामिल है, ताकि उपभोक्ता को अनुचित व्यापार प्रथाओं से बचाया जा सके। उपभोक्ताओं को अपनी व्यक्तिगत इच्छा और जरूरतों के अनुसार सूचित किए जाने के विकल्प चुनने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त जानकारी तक पहुंच, उपभोक्ता संरक्षण 2016 के लिए संयुक्त राष्ट्र दिशानिर्देशों में सूचीबद्ध सामान्य सिद्धांतों में से एक है।

उपभोक्ता जागरूकता को बढ़ावा देने के महत्व को स्वीकार करते हुए, 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एक अलग योजना के रूप में उपभोक्ता जागरूकता को मंजूरी दी गई थी। उपभोक्ता मामले विभाग, उपभोक्ता संरक्षण और उपभोक्ता कल्याण के लिए नोडल विभाग होने के नाते, इस योजना को लागू कर रहा है। विभाग द्वारा चलाया गया अभियान उपभोक्ता जागरूकता और उपभोक्ता सशक्तीकरण के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है।

इस स्कीम का उद्देश्य एक प्रभावी, निरंतर और गहन उपभोक्ता जागरूकता अभियान चलाना है, जिसका प्रभाव शहरी के साथ-साथ ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों तक पहुंचना चाहिए।

3.4 सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी)

उपभोक्ता मामले विभाग, उपभोक्ताओं और जनता के लाभ के लिए नीतियों को लागू करता है, जो इस प्रक्रिया में उपभोक्ता संरक्षण और जागरूकता को मजबूत बनाता है। उपभोक्ता मामले विभाग ने इस उद्देश्य से उपभोक्ता अधिकारों और सूचना गतिविधि को चलाने के लिए विभिन्न

पहलें की हैं। हालाँकि, इन पहलों के बारे में उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता पैदा करना, विशेष रूप से ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में, आवश्यक है ताकि उपभोक्ता इन पहलों से लाभ उठा सकें और उन्हें अपने विकल्पों के बारे में बेहतर जानकारी प्राप्त हो सके।

2. उपभोक्ता जागरूकता को बढ़ावा देने के महत्व को स्वीकार करते हुए, उपभोक्ता मामले विभाग देश भर में 'जागो ग्राहक जागो' शीर्षक से मल्टीमीडिया जागरूकता अभियान चला रहा है। सरल संदेशों के माध्यम से, उपभोक्ताओं को कपटपूर्ण प्रथाओं और समस्याओं और निवारण प्राप्त करने के लिए तंत्र से अवगत कराया जाता है। उपभोक्ता जागरूकता योजना के तहत आईईसी गतिविधियों की पूरी कार्यनीति को एक प्रभावी और गहन उपभोक्ता जागरूकता अभियान चलाने के लिए डिजाइन किया गया है ताकि शहरी, अर्ध-शहरी के साथ-साथ ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुँच बनाई जा सके।

3. उपभोक्ता मामले विभाग ने उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने और उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए एक शुभंकर 'जागृति' का शुभारम्भ किया है। जागृति शुभंकर लाकर, डीओसीए का उद्देश्य डिजिटल और मल्टीमीडिया में अपने उपभोक्ता जागरूकता अभियान की उपस्थिति को मजबूत करना है और एक युवा सशक्त और सूचित उपभोक्ता को उपभोक्ता अधिकार जागरूकता रिकॉल ब्रांड के रूप में मजबूत बनाना है।

4. उपभोक्ता जागरूकता अभियान केंद्रीय संचार ब्यूरो (भूतपूर्व बीओसी), दूरदर्शन (डीडी), ऑल इंडिया रेडियो (एआपूर्वी क्षेत्र), कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) आदि के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। उपभोक्ता जागरूकता फैलाने के लिए सोशल मीडिया की शक्ति का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है।

5. पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान बजट आवंटन और व्यय निम्नलिखित है:-

(रु. करोड़ में)

क्र सं	वर्ष	बी ई	आर ई	व्यय
1.	2019-20	62.00	40.00	33.89
2.	2020-21	60.00	42.50	42.25
3.	2021-22	44.50	25.00	25.00
4.	2022-23	25.00	17.50	13.82
				(31 दिसंबर, 2022 तक)

6. हाल के अभियानों के विषय हैं : उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण; उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित, सस्ते और परेशानी मुक्त पंजीकरण और निपटान के लिए ई-दाखिल य पैकबंद वस्तु नियमय राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबरय सही बाट और माप; आईएसआई चिह्न और स्वर्ण हॉलमार्किंग।

7. विभिन्न क्षेत्रों और भौगोलिक क्षेत्रों में उपभोक्ताओं तक पहुंचने के लिए प्रचार प्रभाग द्वारा किए गए विभिन्न अभियानों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है :-

3.4.1 दूरदर्शन (डीडी) के माध्यम से अभियान

एनसीएच के नए हेल्पलाइन नंबर 1915 और ई-दाखिल के प्रचार के लिए एक मीडिया अभियान लैपटॉप ब्रांडिंग, मग ब्रांडिंग, मौसम रिपोर्ट/समाचार रिपोर्ट कैंप्शन, डीडी न्यूज और डीडी किसान पर एनिमेटेड बग लोगो प्रविष्टि के माध्यम से चलाया गया/चलाया जा रहा है। दूरदर्शन के स्वराज एंड जर्नी ऑफ इंडिया कार्यक्रम के दौरान वीडियो स्पॉट चलाए गए हैं और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, बीआईएस मानकों, एमआरपी, समाप्ति तिथि की विशेषताओं के बारे में उपभोक्ताओं को शिक्षित करने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में दूरदर्शन के विभिन्न क्षेत्रीय चैनलों पर वीडियो स्पॉट चलाए जा रहे हैं।

3.4.2 ऑल इंडिया रेडियो (एआईआर) के माध्यम से अभियान

आकाशवाणी पर उपभोक्ता जागरूकता के लिए एड लिब्स (आरजे द्वारा लाइव संदेश) चलाए गए हैं। 13 प्रमुख चैनलों में ऑडियो स्पॉट और 5 सीमावर्ती राज्यों में क्षेत्रीय समाचार आकाशवाणी पर चलाए गए हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, हॉलमार्क, एमआरपी, समाप्ति तिथि आदि की विशेषताओं के बारे में उपभोक्ताओं को शिक्षित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से अजा-अजजा बहुल क्षेत्रों में ऑडियो स्पॉट चलाए जा रहे हैं।

3.4.3 सोशल मीडिया/विभागीय वेबसाइट

बढ़ते डिजिटलीकरण के कारण, सोशल मीडिया एक सशक्त माध्यम है और व्यक्ति या समाज को संवेदनशील बनाने में मदद करता है। उपभोक्ताओं को शिक्षित और सशक्त बनाने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 पर रचनात्मक और श्रव्य/दृश्य के रूप में नियमित पोस्ट और विभाग की अन्य पहलों को विभाग के सोशल मीडिया हैंडल पर अपलोड किया जा रहा है।

<https://twitter.com/jagograhakjago>, <https://twitter.com/consaff>,
<https://www.facebook.com/ConsumerAdvocacy/>, <https://www>.



instagram.com/consumeraffairs_goi/,
com/profile/jagograhakjago और
profile/6pfd8IXJydcXTivS6KYXN8SSLPm2

https://www.kooapp.
https://public.app/user/

इन ट्वीट्स का उद्देश्य उपभोक्ताओं को निवारण तंत्र सहित प्रासंगिक जानकारी प्राप्त करने में मदद करना है।

3.5 उपभोक्ता जागरूकता सामग्री का सृजन

उपभोक्ता जागरूकता के विभिन्न विशयों पर ऑडियो और वीडियो स्पॉट तैयार किए गए हैं। ये ऑडियो और वीडियो स्पॉट "संगठन और इकाइयां" टैब के तहत उपलब्ध "प्रचार" के तहत 'वीडियो और ऑडियो' लिंक के तहत उपभोक्ता मामलों के विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए हैं। वैकल्पिक रूप से, उन्हें <https://jagograhakjago.gov.in/ConsumerAwareness/video/index.html> पर देखा जा सकता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 पर प्रिंट क्रिएटिव और उपभोक्ता मामले विभाग की अन्य पहलों को "संगठन और इकाइयां" टैब के तहत उपलब्ध "प्रचार" के तहत "प्रिंट क्रिएटिव" लिंक के तहत डिजाइन और उपलब्ध कराया गया है। वैकल्पिक रूप से, उन्हें <https://consumeraffairs.nic.in/organisation-and-units/division/publicity/print-advertisements> पर एक्सेस किया जा सकता है। यह पूरी सामग्री (ऑडियो स्पॉट, वीडियो स्पॉट और प्रिंट क्रिएटिव) किसी भी व्यक्ति/संगठन द्वारा स्वयं की जानकारी के लिए और आगे प्रसार के लिए डाउनलोड किया जा सकता है।

3.6 आयोजनों/मेलों/त्योहारों में भागीदारी

विभाग देश भर में विभिन्न मेलों/त्योहारों/कार्यक्रमों में भाग लेता है ताकि विभिन्न उपभोक्ताओं विशेष रूप से देश के पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के बीच जागरूकता उत्पन्न की जा सके, जो उन कार्यक्रमों/मेलों/उत्सवों में एकत्र होते हैं। विभाग ने नई दिल्ली में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला (आईआईटीएफ) 2022 में मेले की अवधि के दौरान टिकट और होर्डिंग पर प्रचार करके भाग लिया है। साथ ही, विभाग ने कोहिमा, नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव में भाग लिया। विभाग नई दिल्ली में भारत पर्व कार्यक्रम 2023 और फरीदाबाद, हरियाणा में सूरजकुंड मेला 2023 में भी भाग ले रहा है।

3.7 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि ग्रामीण, दूरस्थ और पिछड़े क्षेत्रों में अभियान को आगे बढ़ाने के लिए जागरूकता अभियान में राज्य सरकारों की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण है, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें उपभोक्ता जागरूकता के क्षेत्र के विस्तार में सक्रिय रूप से जुड़ी हुई हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता/सहायता अनुदान का प्रावधान उपभोक्ता जागरूकता स्कीम के प्रमुख घटकों में से एक रहा है। जारी किए गए सहायता अनुदान के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	राशि (रु. लाख में)
1.	सिक्किम	40.00
2.	नागालैंड	40.00
3.	मिजोरम	40.00
	कुल	120.00



अब उपभोक्ता अधिक शक्तिशाली है

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम,
2019 को 20 जुलाई, 2020 से
लागू किया जा चुका है।



अधिनियम और नियमों की मुख्य विशेषताएं

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA)
अधिनियम के तहत स्थापित किया गया है



मिलावटी/नकली सामान के निर्माता
या विक्रेता को सक्षम न्यायालय द्वारा
सजा का प्रावधान है।



शिकायत दर्ज करना हुआ ज्यादा सुविधाजनक
—ग्राहक अपनी सुविधानुसार किसी भी जिला
उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कर सकता
है।



5 लाख रुपये तक का मामला दर्ज
करने के लिये कोई शुल्क नहीं
लगेगा।



सुनवाई के लिये कई उपभोक्ता आयोगों में
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की भी सुविधा।



हर ई-कॉमर्स इकाई ग्राहक की
शिकायत की पावती (Acknowledgement)
48 घंटे में देगी।



ई-कॉमर्स इकाई प्राप्ति से एक महीने के
अंदर समस्त शिकायतों का निवारण करेगी।



जनहित से जस्टी:
उपभोक्ता मामले विभाग
उपभोक्ता मंत्रालय, 2020 एवं राष्ट्रीयक विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार
एनो. बंगल, नई दिल्ली-110001 | www.consumeraffairs.nic.in



@consumer
@jagograhakjago



राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन
1915 या 1800-11-4000
(दोस जी)



www.consumerhelpline.gov.in

माक गुणवत्ता का प्रतीक

IS : xxxx

 CML - xxxxx
मार्क उत्पादों की
गुणवत्ता और सुरक्षा
का आश्वासन है

हमेशा
 IS : xxxx

 CML - xxxxx
मार्क
वाले ही उत्पाद
खरीदें




 **मोबाइल एप और**
 BIG CARE
शिकायत पोर्टल के माध्यम से
शिकायत दर्ज करें



जनहित में जारी:
उपभोक्ता मामले विभाग
 उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक क्लियरिंग मंत्रालय, भारत सरकार
 कृषि भवन, नई दिल्ली-110001 | www.consumeraffairs.nic.in

 @consaff
 @jagograhakjago

 राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन
1915 या **1800-11-4000**
 (टोल फ्री)



www.consumerhelpline.gov.in

 **मार्क गुणवत्ता का प्रतीक**

अध्याय-4

उपभोक्ता संरक्षण

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (नया अधिनियम) जिसे 9 अगस्त 2019 को अधिसूचित किया गया था, दिनांक 20.07.2020 से लागू हुआ। इसका उद्देश्य समयबद्ध और प्रभावी प्रशासन और उपभोक्ताओं के विवाद के निपटारे के लिए प्राधिकरण स्थापित करके उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करना है।

डिजिटल युग ने वाणिज्य और डिजिटल ब्रांडिंग के एक नए युग के साथ-साथ ग्राहकों की अपेक्षाओं के एक नए सेट की शुरुआत की है। डिजिटलीकरण ने आसान पहुंच, पसंद की एक विशाल विविधता, सुविधाजनक भुगतान तंत्र, बेहतर सेवाएं और सुविधा के अनुसार खरीदारी प्रदान की है। हालाँकि, विकास पथ के साथ यह उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित चुनौतियों को भी लेकर आया।

इसे ध्यान में रखते हुए और डिजिटल युग में उपभोक्ताओं के सामने आने वाली चुनौतियों के नए सेट को संबोधित करने के लिए और बाजारों में बदलाव के साथ तालमेल रखने के लिए, उपभोक्ताओं के लिए निष्पक्ष, न्यायसंगत और सुसंगत परिणाम सुनिश्चित करने और क्लास एक्शन के रूप में तेजी से कार्यकारी हस्तक्षेप को सक्षम बनाने के लिए उपभोक्ता की हानि को रोकने और उपभोक्ताओं के एक वर्ग को निवारण प्रदान करने हेतु, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 ने 3 (तीन) दशक से अधिक पुराने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (अधिनियम) को निम्नलिखित प्रावधानों से बदल दिया।

उपबंध	उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019
विनियामक	केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सी.सी.पी.ए.) की स्थापना
उपभोक्ता आयोग	शिकायत उस उपभोक्ता आयोग में दर्ज कराई जा सकती है जहां शिकायतकर्ता रहता हो अथवा कार्य करता हो।

उत्पाद देयता	उपभोक्ता उत्पाद अथवा सेवा से हुए नुकसान की क्षतिपूर्ण करने की मांग कर सकता है।
आर्थिक क्षेत्राधिकार	जिला आयोग – 50 लाख रुपये तक राज्य आयोग – 50 लाख रुपये से अधिक और 02 करोड़ रुपये तक राष्ट्रीय आयोग – 02 करोड़ रुपये से अधिक
ई-कॉमर्स	ई-कॉमर्स क्षेत्र में उपभोक्ता संरक्षण के लिए नियम बनाए गए
मध्यस्थता प्रकोष्ठ	उपभोक्ता आयोग मध्यस्थता के माध्यम से समझौते के लिए संदर्भित कर सकते हैं।

उपभोक्ता संरक्षण (सीपी) अधिनियम के तहत निम्नलिखित आवश्यक नियम और विनियम अधिसूचित किए गए हैं :-

नियम

- i. उपभोक्ता संरक्षण (सामान्य) नियम, 2020
- ii. उपभोक्ता संरक्षण (केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद) नियम, 2020
- iii. उपभोक्ता संरक्षण (उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग) नियम, 2020
- iv. उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020
- v. उपभोक्ता संरक्षण (नियुक्ति के लिए योग्यता, भर्ती की विधि, नियुक्ति की प्रक्रिया, पद की अवधि, इस्तीफा और राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाना) नियम, 2020
- vi. उपभोक्ता संरक्षण (मध्यस्थता) नियम, 2020
- vii. उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें) मॉडल नियम, 2020
- viii. सीसीपीए (वार्षिक रिपोर्ट) नियम, 2021
- ix. उपभोक्ता संरक्षण (केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा तलाशी और जब्ती और अपराधों की कंपाउंडिंग और जुर्माना जमा करना) नियम, 2021
- x. केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (खातों और अभिलेखों के वार्षिक विवरण का प्रपत्र) नियम, 2021
- xi. उपभोक्ता संरक्षण (प्रत्यक्ष बिक्री) नियम, 2021

- xii. उपभोक्ता संरक्षण (जिला आयोग, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग के क्षेत्राधिकार) नियम, 2021
- xiii. राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2022

विनियम

- i. उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग पर प्रशासनिक नियंत्रण) विनियम, 2020
- ii. उपभोक्ता संरक्षण (मध्यस्थता) विनियम, 2020
- iii. उपभोक्ता संरक्षण (उपभोक्ता आयोग प्रक्रिया) विनियम, 2020
- iv. केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (कार्य आवंटन और संचालन) विनियम, 2020
- v. सीसीपीए (विशेषज्ञों और पेशेवरों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2021
- vi. सीसीपीए (जांच खंड द्वारा जांच या अन्वेषण प्रस्तुत करना) विनियम, 2021

इसके अलावा, उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए एक नियामक निकाय, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) की दिनांक 24.07.2020 को स्थापना की गई है। सीसीपीए को उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन की जांच करने और शिकायत/अभियोग चलाने, असुरक्षित वस्तुओं और सेवाओं को वापस लेने का आदेश देने, अनुचित व्यापार प्रथाओं और भ्रामक विज्ञापनों को बंद करने का आदेश देने, भ्रामक विज्ञापनों के विनिर्माताओं/समर्थकों (इंडोर्सर)/प्रकाशकों पर दंड लगाने का अधिकार है।

इसके अलावा, नए अधिनियम के प्रावधानों के तहत, 34 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और एनसीडीआरसी में उपभोक्ता मामलों की ई-फाइलिंग शुरू की गई है। शेष राज्य/संघ राज्य क्षेत्र एनआईसी के सहयोग से ई-फाइलिंग शुरू करने की प्रक्रिया में हैं।

सरकार इसलिए उपभोक्ता सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए उपभोक्ता संरक्षण से सर्वोत्तम उपभोक्ता प्रथाओं और समृद्धि की ओर बढ़ रहा है। बदलते बाजार परिदृश्य के साथ, डिजिटल युग में उपभोक्ताओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक यथार्थवादी कार्य दृढ़ता से महसूस किया गया और नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 निश्चित रूप से विक्रेता जागरूकता से उपभोक्ता जागरूकता (कैविएट एम्टर के दिनों से कैविएट वेंडर होने) की दिशा में एक ठोस कदम है।

4.1 उपभोक्ता संरक्षण

उपभोक्ता आन्दोलन सरकार, व्यापार तथा उन स्वतंत्र संगठनों के व्यापक गतिविधियों का उल्लेख करता है जो उन नीतियों से व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान करने के लिए तैयार की गई हैं जो उपभोक्ता के रूप में उनके अधिकारों का अतिक्रमण करते हैं। समूचे विश्व में उपभोक्ता आन्दोलन स्थगित हो गया है। भारत कोई अपवाद नहीं है। सरकार उपभोक्ताओं के हितों का बेहतर तरीके से संरक्षित करने को उच्च प्राथमिकता देती रही है। सरकार यह सुनिश्चित करती है कि 33 साल पुराने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 को नए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के साथ बदलकर डिजिटल युग में उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा की जाए। इससे उपभोक्ता चालित व्यापार (जैसे खुदरा बिक्री, ई.कामर्स) कानूनी परिदृश्य में बदलावों से सतर्क रहने की और दंडात्मक कार्रवाई से बचने के लिए अनुचित व्यापार प्रथाओं और अनैतिक व्यापार प्रथाओं के विरुद्ध अतिरिक्त सावाधानियां बरतने के प्रयास की आशा की जाती है।

2. आज बाजार संसाधन तथा प्रभावों में वृद्धि हो रही है और उपभोक्ता अधिकारों की जागरूकता भी बढ़ रही है। इस दिशा में, सरकार उपभोक्ताओं को सशक्त करने के उद्देश्य से उनमें उचित जागरूकता पैदा करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपना रही है क्योंकि वह सरकार इस तथ्य को मानती है कि एक जागरूक उपभोक्ता समाज की सम्पत्ति है; वह अपने आपको न केवल शोषण से संरक्षित करता/करती है बल्कि कानूनी उपायों शिक्षा तथा जागरूकता कार्यक्रमों आदि से उपभोक्ता संरक्षण जैसे विभिन्न आयामों पर उपभोक्ता कल्याणकारी उपायों को आरंभ करते हुए समस्त प्रणाली में कार्यकुशलता, पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व को प्रेरित करते हैं।

3. उपभोक्ता संरक्षण कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं :-

- i. उपयुक्त प्रशासकीय एवं विधिक तंत्र बनाना जिस तक उपभोक्ताओं की पहुंच आसानी से हो सके और उपभोक्ताओं के कल्याण के संवर्धन एवं संरक्षण के लिए सरकारी तथा गैर-सरकारी संगठनों से सम्पर्क करना।
- ii. उपभोक्ता संगठनों, महिलाओं और युवाओं सहित समाज के विभिन्न वर्गों को इस कार्यक्रम में शामिल करना और इसमें भाग लेने के लिए प्रेरित करना।
- iii. उपभोक्ताओं में उनके अधिकारों तथा जिम्मेदारियों के प्रति जागरूकता पैदा करना, उन्हें अपने अधिकारों का प्रयोग करने और वस्तुओं तथा सेवाओं की गुणवत्ता और मानक के

संबंध में समझौता न करने के लिए प्रोत्साहित करना तथा यदि अपेक्षित हो तो प्रतितोष प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता आयोगों में जाने के लिए प्रेरित करना।

- iv. उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और सामाजिक दायित्वों के प्रति शिक्षित करना।
- v. उपयुक्त विधायन के माध्यम से लाभकारी उपभोक्ता संरक्षण का प्रावधान करना।

4.2 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 68) देश में सामाजिक-आर्थिक विधायन के इतिहास में एक उपलब्धि है। अधिनियम का मुख्य उद्देश्य मौजूदा कानूनों के विपरीत उपभोक्ताओं को बेहतर संरक्षण प्रदान करना था, जो प्रकृति में दंडात्मक या निवारक हैं। इस अधिनियम का उद्देश्य उपभोक्ता की शिकायतों का सरल, त्वरित और सस्ता समाधान प्रदान करना और साथ ही वस्तुओं या सेवाओं में कमियों और दोषों के खिलाफ उपभोक्ताओं के हितों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना और उन अनुचित या प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाओं जो विनिर्माताओं और व्यापारियों द्वारा व्यवहार में हैं, के विरुद्ध उपभोक्ता के अधिकारों को सुरक्षित करना है।

इस अधिनियम में एक त्रि-स्तरीय अर्धन्यायिक पद्धति जिसे “उपभोक्ता मंच” के नाम से जाना जाता है, के प्रावधान का उपबन्ध है। भारत ने उपभोक्ता विवादों को त्वरित तथा सरल प्रतितोष प्रदान करने की दृष्टि से जिला, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर विशेष न्यायालयों के नाम से एक त्रि-स्तरीय अर्धन्यायिक तंत्र की स्थापना की है।

इसमें, समूचे देश में क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र और 1.00 करोड़ रुपए से अधिक के दावों को शामिल करते हुए उपभोक्ता विवादों/शिकायतों पर विचार करने के लिए आर्थिक-क्षेत्राधिकार तथा राज्य आयोगों पर अपीलीय क्षेत्राधिकार के साथ शीर्ष स्तर पर राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (राष्ट्रीय आयोग) शामिल है। संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पर क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के साथ तथा 20.00 लाख रुपए से ऊपर और 1.00 करोड़ रुपए तक के दावों को शामिल करते हुए उपभोक्ता शिकायतों को स्वीकार करने के लिए वित्तीय अधिकार क्षेत्र और जिला मंचों पर अपीलीय अधिकार क्षेत्र के साथ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (राज्य आयोग) है। जिला पर क्षेत्रीय अधिकार और 20.00 लाख रुपए तक आर्थिक अधिकार क्षेत्र के साथ जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच (जिला मंच) है।

4.2.1 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :-

इस अधिनियम में उपभोक्ताओं के छह अधिकार नामतः सुरक्षा का अधिकार; सूचना का अधिकार चुनने का अधिकार; सुनवाई का अधिकार; निवारण प्राप्त करने का अधिकार और उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार दिए गए हैं। अधिनियम के प्रावधान तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून के उपबन्धों के अतिरिक्त थे और उनके उल्लंघन में नहीं थे। इसमें वस्तुओं और सेवाओं को शामिल किया गया था, लेकिन अधिनियम की परिधि में उपभोक्ताओं को शामिल न करने वाले संब्यवहार को बाहर रखा गया था। अधिनियम के उपबन्ध न केवल क्षतिपूर्ति प्रदान करने की प्रकृति के थे बल्कि यह प्रकृति में निवारक और दंडात्मक भी थे। इस अधिनियम में राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर त्रिस्तरीय उपभोक्ता विवाद निवारण तंत्र जिसे क्रमशः राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोग और जिला फोरम के रूप में जाना जाता है, को स्थापित करने का प्रावधान है। अधिनियम में केंद्र, राज्य, जिला स्तर पर उपभोक्ता संरक्षण परिषदों की स्थापना का भी प्रावधान है, जो उपभोक्ताओं के अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण और उनकी रक्षा करने के लिए परामर्शी निकाय हैं।

2. इस अधिनियम में उपभोक्ताओं की शिकायतों के सरल, किफायती और त्वरित निपटान का प्रावधान है। कोई भी उपभोक्ता खरीदी गई वस्तुओं और प्राप्त सुविधाओं के निमित्त किसी विनिर्माता और वस्तुओं/सेवा प्रदाता व्यापारियों के विरुद्ध शिकायत कर प्रतितोष प्राप्त कर सकते हैं। इस अधिनियम में साझा हितों वाले उपभोक्ताओं के समूह की ओर से क्लास एक्शन वाली शिकायतें दर्ज करने की अनुमति है।

4.3 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019

(क) संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने के पश्चात् भारत के माननीय राष्ट्रपति जी की स्वीकृति प्राप्त होने पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (नया अधिनियम) 9 अगस्त, 2019 को शासकीय राजपत्र में प्रकाशित हुआ था। यह अधिनियम दिनांक 20.07.2020 से लागू हुआ था। इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन 24.07.2020 को केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सी.सी.पी.ए.) की स्थापना की गयी। सी.सी.पी.ए. को निम्नलिखित के संबंध में अधिकार प्राप्त है :-

क) इस अधिनियम के अन्तर्गत एक वर्ग के रूप में उपभोक्ताओं के अधिकारों को संरक्षित करना, संवर्धित करना तथा प्रवृत्त करना और उपभोक्ता के अधिकारों के उल्लंघन पर रोक लगाना;

- ख) अनुचित व्यापार प्रथाओं पर रोक लगाना और यह सुनिश्चित करना कि कोई भी व्यक्ति अनुचित व्यापार प्रथाओं में शामिल न हो;
- ग) यह सुनिश्चित करना कि किसी भी वस्तु अथवा सेवा का कोई झूठा अथवा भ्रामक विज्ञापन न किया जाए जो इस अधिनियम के उपबन्धों अथवा इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों अथवा विनियमों का उल्लंघन करते हो;
- घ) यह सुनिश्चित करना कि कोई भी ऐसे किसी विज्ञापन में भाग न ले जो झूठा अथवा भ्रामक हो।
- i) केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सी.सी.पी.ए.) आवश्यकता पड़ने पर अनुचित व्यापार प्रथाओं से होने वाली उपभोक्ता क्षति को रोकने तथा उत्पादों को रिकॉल करने, धन-वापसी करने और उत्पादों को वापस लेने के लिए दबाव डालने के साथ क्लास कार्रवाई शुरू करने के लिए, हस्तक्षेपणीय उपाय करेगा। सी.सी.पी.ए. महानिदेशक के नेतृत्व में एक जांच पड़ताल विंग है जो पूछताछ कर सकता है अथवा उपभोक्ता कानून उल्लंघनों की जांच पड़ताल कर सकता है। यदि एक उपभोक्ता की शिकायत 1 (एक) से अधिक को प्रभावित करती है तो सी.सी.पी.ए. को स्व-प्रेरणा से कार्रवाई करने, उत्पादों का वापिस लेने, वस्तुओं/सेवाओं की कीमतों की प्रतिपूर्ति करने के आदेश करने, लाईसेंसों को रद्द करने और क्लास कार्रवाई वाद दायर करने के व्यापक रूप से अधिकार प्रदान किए गए हैं।
- ii) नए अधिनियम में इस को ध्यान में रखते हुए एन्डोर्सर पर देयता नियत की गयी है कि विगत समय में असंख्य दृष्टांत देखे गए हैं जहां उपभोक्ता अनुचित व्यापार प्रथाओं के शिकार हुए हैं। ऐसे मामलों में एन्डोर्सर के लिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि वह दायित्व ले और देयता दावों के खंडन के लिए विज्ञापन में किए गए दावों की सत्यनिष्ठा को सत्यापित करने के लिए उचित तत्परता का प्रयोग करे। सी.सी.पी.ए. एक विनिर्माता अथवा एक एंडोर्सर किसी झूठे अथवा मिथ्या विज्ञापन के लिए जुर्माना लगा सकता है। उचित सतर्कता न बरतने की स्थिति में 10-15 लाख रुपये का अर्थदंड लग सकता है और/अथवा 1-3 वर्षों के लिए आगे के एंडोर्समेंट पर प्रतिबन्ध लगा सकता है।
- iii) नए अधिनियम के अनुसार, अपमिश्रित वस्तु अथवा नकली वस्तु के कारण हुई कष्टदायक चोट अथवा मृत्यु को कारावास तथा जुर्माने के साथ दंडनीय अपराध में रखा गया है। यह अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती भी है।

(ख) त्वरित अधिनिर्णयन : अधिनियम, 2019 में इलेक्ट्रॉनिक रूप में शिकायतें दायर करने और वीडियो-कान्फ़ेसिंग के माध्यम से सुनवाई और/अथवा पक्षकारों की जांच करने हेतु उपभोक्ताओं के लिए प्रावधान को समर्थ बनाते हुए शिकायतों के त्वरित अधिनिर्णयन पर बल दिया गया है। इसमें उपभोक्ता को निवास-स्थान अथवा कार्य-स्थल पर स्थित आधिकारिक उपभोक्ता मंच में शिकायतें दायर करने की छूट का प्रावधान है। इसका उद्देश्य प्रक्रिया को सरल बनाना और उपभोक्ताओं की असुविधा तथा उत्पीड़न को कम करना है।

(ग) उत्पाद दायित्व : किसी भी उत्पाद से अथवा उसके परिणामस्वरूप हुई व्यक्तिगत क्षति, मृत्यु अथवा सम्पत्ति संबंधी क्षति के लिए अथवा उस "उत्पाद दायित्व" संबंधी प्रावधान आरंभ किया गया है। शब्द "उत्पाद विक्रेता" को उस व्यक्ति को परिभाषित करने के लिए शामिल किया गया है जो वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु उत्पाद की प्रस्तुत करने में शामिल है और इस प्रकार, ई-कॉमर्स मंचों को भी शामिल किया जाएगा। इसमें उत्पाद-दायित्व कार्रवाई के लिए आधार तथा दावाकर्ता के लिए विनिर्माता की देयता का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत किसी विनिर्माता या सेवा प्रदाता को एक उपभोक्ता की क्षतिपूर्ति करनी है यदि उनकी वस्तु/सेवा से उपभोक्ता को विनिर्माण दोष अथवा घटिया सेवा के कारण क्षति अथवा नुकसान होता है।

(घ) धन संबंधी अधिकार क्षेत्र में वृद्धि : नए अधिनियम के अन्तर्गत संशोधित धन-संबंधी सीमाएं नियत कर दी गई हैं। तदनुसार, जिला आयोग (पहले इसे जिला मंच के नाम से जाना जाता था) अब उपभोक्ताओं की उन शिकायतों को स्वीकार कर सकता है जहां वस्तु का मूल्य अथवा प्रदत्त सेवा 50 लाख रुपये से अधिक न हो। राज्य आयोग उन विवादों को स्वीकार कर सकता है जहां यह कीमत 50 लाख रुपये से अधिक हो और अधिकतम 2 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय आयोग उस अधिकार का प्रयोग कर सकता है जहां यह कीमत 2 करोड़ रुपये से अधिक हो।

(ङ) ई-कॉमर्स नियम : उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के तहत, उपभोक्ताओं के हितों और अधिकारों के संरक्षण के लिए ई-कॉमर्स में अनुचित व्यापार प्रथाओं को रोकने के लिए ई-कॉमर्स नियमों को अधिसूचित किया गया है। ये नियम ई-कॉमर्स संस्थाओं (मार्केट प्लेस और इन्वेंट्री मॉडल) और मार्केट प्लेस ई-कॉमर्स संस्थाओं के विक्रेताओं के कर्तव्यों और देनदारियों को निर्दिष्ट करते हैं। जैसे, ई-कॉमर्स नियम, 2020 के प्रावधानों के तहत, प्रत्येक ई-कॉमर्स इकाई को अपने प्लेटफॉर्म पर इसके बारे में विवरण प्रदान करना आवश्यक है। उनके लिए रिटर्न, रिफंड, एक्सचेंज, वारंटी और गारंटी, डिलीवरी और शिपमेंट, भुगतान के तरीके,

शिकायत निवारण तंत्र, भुगतान के तरीके, भुगतान विधियों की सुरक्षा, चार्ज-बैक विकल्प आदि से संबंधित जानकारी प्रदान करना आवश्यक है।

(च) प्रत्यक्ष बिक्री नियम : इन नियमों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के तहत अधिसूचित किया गया है। ये नियम उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण के संबंध में प्रत्यक्ष बिक्री संस्थाओं और प्रत्यक्ष विक्रेताओं के विनियमन का प्रावधान करते हैं।

(छ) 'मध्यस्थता' एक वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) तंत्र के रूप में पेश किया गया है जिसका उद्देश्य मध्यस्थता के माध्यम से उपभोक्ता विवादों के समाधान के लिए विधायी आधार प्रदान करना है जिससे प्रक्रिया कम बोझिल, सरल और तेज हो जाती है। यह उपभोक्ता अदालतों के तत्वावधान में किया जा रहा है।

(ज) अनुचित व्यापार व्यवहार : इस नए अधिनियम में अनुचित व्यापार प्रथाओं की एक विशिष्ट व्यापक परिभाषा आरंभ की गई है, जिसमें उपभोक्ता द्वारा विश्वास के रूप में दी गई व्यक्तिगत सूचना को साझा करना शामिल है जब तक कि इस प्रकार किया गया प्रकटन किसी अन्य कानून के प्रावधानों के अनुसार न हो।

(झ) अन्य उपबंध : उपभोक्ता आयोग में उपभोक्ता विवाद अधिनिर्णय प्रक्रिया को सरल बनाने की दिशा में कई उपबंध किए गए हैं इनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, – शिकायतों के त्वरित निपटान करने के लिए राज्य आयोगों के सदस्यों की न्यूनतम संख्या को बढ़ाना; राज्य और जिला आयोगों को अपने स्वयं के निर्णयों की पुनरीक्षा करने की शक्ति प्रदान करना; शिकायतों का त्वरित निपटान करने के लिए "सर्किट पीठों" का गठन करनाय उपभोक्ताओं को इलैक्ट्रॉनिक रूप से शिकायतें दर्ज करवाने और उन्हें ऐसे उपभोक्ता न्यायालयों, जिनके क्षेत्राधिकार में शिकायतकर्ता का निवास आता है, में शिकायत दर्ज कराने हेतु सक्षम बनाने के लिए समर्थकारी प्रावधान करना तथा स्वीकार्यता के प्रश्न के संबंध में 21 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर कोई निर्णय न होने की स्थिति में शिकायत का स्वतः स्वीकृत हो जाना शामिल है।



उपभोक्ता मामले विभाग
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली -110001
www.consumeraffairs.nic.in



“हमें उपभोक्ता संरक्षण
से उपभोक्ता समृद्धि की
ओर बढ़ना है”

- नरेंद्र मोदी

उपभोक्ता संबंधी शिकायतों के लिए
राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर कॉल करें।



1915

राष्ट्रीय टोल फ्री नंबर

शीघ्र और प्रभावी सहायता प्राप्त करें

www.consumerhelpline.gov.in
पर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं

NCH APP  **App Store** और
 **Google Play Store** **पर उपलब्ध है**



जागृति

अध्याय-5

उपभोक्ता विवाद निवारण

5.1 उपभोक्ता विवाद निवारण

राष्ट्रीय आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गई नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार, देश में उपभोक्ता आयोगों के सभी तीनों स्तरों में मामलों के निपटान का औसत प्रतिशत 89.50% है, जो कि प्रभावशाली है। राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोगों और जिला आयोगों में स्थापना के बाद से 31.12.2021 तक दायर और निपटाए गए मामलों की कुल संख्या नीचे दी गई है :-

क्र.सं.	एजेंसी का नाम	स्थापना काल से दायर किये गए मामले	स्थापना काल से निपटाए गए मामले	लम्बित मामले	कुल निपटान प्रतिशत में
1	राष्ट्रीय आयोग	145513	122553	22960	84.22%
2	राज्य आयोग	897181	780895	116286	87.04%
3	जिला आयोग	4649436	4172380	477056	89.74%
	कुल	5692130	5075828	616302	89.17%

5.2 उपभोक्ता संरक्षण को मजबूत करने के लिए योजनाएं

यद्यपि जिला और राज्य स्तरों पर उपभोक्ता आयोग (पहले उपभोक्ता मंच के रूप में जाना जाता था) की स्थापना की जिम्मेदारी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की है, केंद्र सरकार उपभोक्ता आयोगों के कामकाज में सुधार के लिए निम्नलिखित योजनाओं को लागू कर रही है :

5.2.1 उपभोक्ता आयोगों का सुदृढीकरण:- केंद्र सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उपभोक्ता आयोगों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है ताकि प्रत्येक उपभोक्ता आयोग को न्यूनतम स्तर की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें, जो उनके प्रभावी

कामकाज के लिए आवश्यक हैं। इस योजना के तहत प्रदान की जा रही बुनियादी सुविधाओं में उपभोक्ता आयोग के नए भवन का निर्माण, मौजूदा भवनों का परिवर्धन/परिवर्तन/नवीनीकरण करना और गैर-भवन संपत्ति जैसे फर्नीचर, कार्यालय उपकरण प्राप्त करना, सीसीटीवी कैमरे की स्थापना आदि शामिल है। जहां कोई जिला आयोग नहीं है वहां नया जिला आयोग स्थापित करने का भी प्रस्ताव है।

5.3 वर्ष 2022-23 के दौरान उपलब्धियाँ

5.3.1 उपभोक्ता आयोगों की राष्ट्रीय कार्यशाला

उपभोक्ता मामले विभाग ने 20.06.2022 को एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया जिसमें राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, राज्य आयोगों के अध्यक्ष और सदस्य और चयनित जिला आयोगों के अध्यक्षों के साथ-साथ राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के प्रधान सचिव और सरकारी अधिकारी शामिल हुए। कार्यशाला का उद्देश्य 4 तकनीकी सत्रों के माध्यम से प्रभावी, त्वरित और निर्बाध उपभोक्ता विवाद निवारण तंत्र पर चर्चा और विचार-विमर्श करना था :



- (1) राज्य और जिला आयोगों में रिक्तियों और लंबित मामलों की वर्तमान स्थिति और प्रभावी और त्वरित निवारण उपभोक्ता शिकायतों के लिए एक रूपरेखा निर्धारित करना।

- (2) राज्य और जिला आयोगों में ई-फाइलिंग की वर्तमान स्थिति और शिकायत निवारण के लिए उपभोक्ताओं हेतु ई-फाइलिंग को पसंदीदा विकल्प बनाने के लिए सुझाव।



- (3) राज्य और जिला आयोगों में मध्यस्थता की वर्तमान स्थिति और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में निर्धारित मध्यस्थता के लिए एक प्रभावी तंत्र स्थापित करने के लिए सुझाव।
- (4) राज्य और जिला आयोगों में बुनियादी ढांचे की वर्तमान स्थिति और इसमें सुधार के लिए सुझाव।



5.3.2 राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से मामलों का निपटारा

समझौतों के माध्यम से मामलों के त्वरित निपटान के लाभ को ध्यान में रखते हुए उपभोक्ता मामले विभाग उपभोक्ता मामलों को लोक अदालत प्रणाली के माध्यम से निपटाने के लिए संदर्भित करता है। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण (नालसा) अन्य कानूनी सेवा संस्थानों के साथ लोक अदालतों का आयोजन करता है। यह वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्रों में से एक है। राष्ट्रीय लोक अदालतें नियमित अंतराल पर आयोजित की जाती हैं, जहां पूरे देश में एक ही दिन लोक अदालतें आयोजित की जाती हैं। पिछली राष्ट्रीय लोक अदालत 12 नवंबर 2022 को आयोजित की गई थी। उपभोक्ता मामले विभाग ने राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से लंबित उपभोक्ता मामलों को संदर्भित करने के लिए सभी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों से पत्राचार किया था। इन लोक अदालतों में भाग लेने के लिए राज्य और जिला आयोगों को लगातार प्रोत्साहित किया जाता है। इसके परिणामस्वरूप, देश भर में लोक अदालत के माध्यम से 12 दिसंबर, 2022 को एक ही दिन में 5930 मामलों का निपटारा किया गया।

पूर्वोत्तर राज्यों के साथ कार्यशाला



उपभोक्ता मामले विभाग ने पूर्वोत्तर राज्यों में उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए असम सरकार के सहयोग से एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव श्री रोहित कुमार सिंह ने कार्यशाला की अध्यक्षता की। कार्यशाला के दौरान,

उपभोक्ता आयोगों में लंबित मामलों को कम करने, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए मध्यस्थता का उपयोग, बाधा रहित उपभोक्ता शिकायत निवारण आदि के लिए ई-फाइलिंग का उपयोग आदि पर पैनल चर्चा हुई। कार्यशाला में पूर्वोत्तर राज्यों के उपभोक्ता मामले विभाग के सचिवों/प्रधान सचिवों और उपभोक्ता आयोगों के अध्यक्षों/सदस्यों ने भाग लिया। एनसीडीआरसी के 4 सदस्यों ने भी कार्यशाला में भाग लिया।



अधिसूचित नियम/विनियम/दिशानिर्देश

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत 2022 के दौरान निम्नलिखित नियम/विनियम/दिशानिर्देश अधिसूचित किए गए हैं:

- I. भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम और भ्रामक विज्ञापनों का पृष्ठांकन मार्गदर्शी सिद्धांत, 2022
- II. राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2022
- III. उपभोक्ता संरक्षण (नियुक्ति के लिए योग्यता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, पद की अवधि, इस्तीफा और राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाना) (संशोधन) नियम, 2022
- IV. उपभोक्ता संरक्षण (उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग) संशोधन नियम, 2022

5.4 भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम और भ्रामक विज्ञापनों का समर्थन, 2022 के लिए दिशानिर्देश

सीसीपीए ने 9 जून, 2022 को भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम और भ्रामक विज्ञापनों का समर्थन, 2022 के लिए दिशानिर्देश अधिसूचित किए। इन दिशानिर्देशों में ये प्रावधान हैं कि; (क) किसी विज्ञापन के गैर-भ्रामक और वैध होने की शर्तें; (ख) लुभावने विज्ञापनों, मुफ्त दावा विज्ञापनों और बच्चों को लक्षित विज्ञापनों के संबंध में कुछ शर्तें; और, (ग) सरोगेट विज्ञापनों का निषेध।

बच्चों की संवेदनशीलता और अतिसंवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए और युवाओं के दिमाग पर पड़ने वाले विज्ञापनों के गंभीर प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, बच्चों को लक्षित करने वाले विज्ञापनों पर कई पूर्वव्यापी प्रावधान निर्धारित किए गए हैं। ये दिशानिर्देश उत्पाद या सेवा की विशेषताओं को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने वाले विज्ञापन, जिससे बच्चे ऐसे उत्पाद या सेवा की अवास्तविक अपेक्षाएं रखते हैं अथवा किसी मान्यता प्राप्त निकाय द्वारा पर्याप्त रूप से और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित किए बिना किसी भी स्वास्थ्य या पोषण संबंधी दावों या लाभों का दावा करने वाले विज्ञापनों को रोकते हैं।

विज्ञापनों में अस्वीकरण उपभोक्ता के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि एक तरह से यह कंपनी की जिम्मेदारी को सीमित करता है। इसलिए, दिशानिर्देश निर्धारित करते हैं कि अस्वीकरण ऐसे विज्ञापन में किए गए किसी भी दावे के संबंध में भौतिक जानकारी को छिपाने का प्रयास नहीं करेगा, जिसकी चूक या अनुपस्थिति से विज्ञापन को भ्रामक बनाने या अपने व्यावसायिक इरादे को छिपाने की संभावना है और विज्ञापन में किया भ्रामक दावे को सही करने का प्रयास नहीं करेगा। इसके अलावा, यह प्रावधान करते हैं कि, अस्वीकरण उसी भाषा में होगा जो विज्ञापन में किया गया था और अस्वीकरण में प्रयुक्त फॉन्ट वही होगा जो दावे में उपयोग किया गया था।

इसी प्रकार, विनिर्माता, सेवा प्रदाता, विज्ञापनदाता और विज्ञापन एजेंसी के कर्तव्यों के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश दिए गए हैं कि एंडोर्सिंग और अन्य कार्य से पहले उचित सावधानी बरती जानी चाहिए। दिशानिर्देशों का उद्देश्य विज्ञापनों को प्रकाशित करने के तरीके में अधिक पारदर्शिता और स्पष्टता लाकर उपभोक्ता के हितों की रक्षा करना है, ताकि उपभोक्ता झूठे आख्यानों और अतिशयोक्ति के बजाय तथ्यों के आधार पर सुविज्ञ निर्णय लेने में सक्षम हो सके।

दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर जुर्माने का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। सीसीपीए किसी भी भ्रामक विज्ञापन के लिए विनिर्माताओं, विज्ञापनदाताओं और एंडोर्सर्स पर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगा सकता है। बाद के उल्लंघनों के लिए, सीसीपीए 50 लाख रुपये तक का जुर्माना लगा सकता है। प्राधिकरण किसी भ्रामक विज्ञापन के समर्थनकर्ता को 1 वर्ष तक कोई भी समर्थन करने से रोक सकता है और बाद के उल्लंघन के लिए निषेध 3 वर्ष तक बढ़ा सकता है।

5.5 मध्यस्थता

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के तहत, प्रत्येक उपभोक्ता आयोग (जिला, राज्य और राष्ट्रीय) में एक मध्यस्थता प्रकोष्ठ होगा। उपभोक्ता मामले, जहां संबंधित पक्षों के बीच समझौते का एक तत्व मौजूद है, इन मध्यस्थता प्रकोष्ठों को अधिनिर्णय के लिए पक्षों की सहमति से भेजा जा सकता है। इसलिए यह एक वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र के रूप में कार्य करता है। वर्तमान में, देश में लगभग 418 मध्यस्थता प्रकोष्ठ हैं।

5.6 नकली समीक्षा

पिछले कुछ वर्षों में, देश भर में ई-कॉमर्स लेनदेन में लगातार वृद्धि हुई है। ऑनलाइन पोस्ट की गई समीक्षाएं खरीद निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और उपभोक्ता उन उपयोगकर्ताओं की राय और अनुभव देखने के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट की गई समीक्षाओं पर अत्यधिक भरोसा करते हैं जिन्होंने पहले से ही उत्पाद या सेवा खरीदी है। यह देखते हुए कि ई-कॉमर्स में उत्पाद को भौतिक रूप से देखने या जांचने के किसी अवसर के बिना एक आभासी खरीदारी का अनुभव शामिल है, यह आवश्यक है कि समीक्षा वास्तविक, प्रामाणिक और विश्वसनीय हो।

ई-कॉमर्स में नकली और भ्रामक समीक्षाओं के प्रभाव और उपभोक्ता हित की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, उपभोक्ता मामले विभाग ने ई-कॉमर्स में नकली और भ्रामक समीक्षाओं से उपभोक्ता हित की सुरक्षा और सुरक्षा के लिए कार्यवाही शुरू किया।

भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने भारतीय मानक (आईएस) 19000:2022 "ऑनलाइन उपभोक्ता समीक्षा – उनके संग्रह, मॉडरेशन और प्रकाशन के लिए सिद्धांत और आवश्यकताएं" शीर्षक से कार्यवाही शुरू किया। ये मानक हर उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लागू होंगे जो उपभोक्ता समीक्षाएं प्रकाशित करता है।

मानक शुरू में सभी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म द्वारा अनुपालन के लिए स्वैच्छिक होगा। मानक के मार्गदर्शक सिद्धांत अखंडता, सटीकता, गोपनीयता, सुरक्षा, पारदर्शिता, पहुंच और जवाबदेही हैं। यह मानक समीक्षा लिखने वाले और समीक्षा प्रशासक के लिए विशिष्ट उत्तरदायित्व निर्धारित करता है। समीक्षा लिखने वाले के लिए, इसमें नियम और शर्तों की स्वीकृति की पुष्टि करना, संपर्क जानकारी प्रदान करना और समीक्षा व्यवस्थापक के लिए निजी जानकारी की सुरक्षा और कर्मचारियों का प्रशिक्षण शामिल है।

यह मानक संगठन की जिम्मेदारियों का प्रावधान करता है जिसमें कार्य व्यवहार संहिता विकसित करना, और पहुंच, मानदंड जैसे नियमों और शर्तों के लिए आवश्यक शर्तें और सुनिश्चित करना कि सामग्री में वित्तीय जानकारी आदि शामिल नहीं है।

इस मानक में ईमेल पता के माध्यम से समीक्षा लिखने वाले के सत्यापन, टेलीफोन कॉल या एसएमएस द्वारा पहचान, एक लिंक पर क्लिक करके पंजीकरण की पुष्टि करने, कैप्चा सिस्टम आदि का उपयोग करके समीक्षा लिखने वाले की प्रामाणिकता की जांच करने के तरीकों का भी प्रावधान है।

मॉडरेशन के संबंध में, मानक में स्वचालित और मैन्युअल मॉडरेशन दोनों के लिए प्रावधान करता है और समीक्षा सामग्री का विश्लेषण करने के लिए चेक करा प्रावधान है। प्रकाशन के संबंध में, मानक में प्रकाशन प्रक्रिया के समय और प्रकाशन प्रक्रिया के बाद समीक्षा प्रशासक के विचार शामिल हैं। समीक्षा की सटीकता, डिफॉल्ट प्रदर्शन और रेटिंग के वेटेज को प्रकाशन प्रक्रिया में परिभाषित किया गया है।

5.7 यूनiform चार्जिंग पोर्ट

उपभोक्ता मामले विभाग उपभोक्ता कल्याण और परिहार्य ई-अपशिष्ट की रोकथाम के हित में यूनiform चार्जिंग पोर्ट की हिमायत कर रहा है। इस संबंध में, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के चार्जिंग पोर्ट में एकरूपता के मुद्दे की जांच के लिए एक केंद्रीय अंतर-मंत्रालयी कार्य दल का गठन किया गया है। विभाग ने वियरेबल्स के लिए यूनiform चार्जिंग पोर्ट की व्यवहार्यता की जांच के लिए एक उप-समूह बनाने का भी निर्णय लिया है। उप-समूह में उद्योग निकायों, शैक्षणिक संस्थानों आदि के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

चार्जिंग पोर्ट में एकरूपता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा सीओपी-26 में शुरू किए गए लाईफ (लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट) मिशन की दिशा में एक कदम है, जो दुनिया

भर के लोगों द्वारा “सचेत और व्यर्थ उपभोग” के बजाय “सचेत और विवेकपूर्ण उपयोग” का आह्वान करता है। लाईफ मिशन की योजना लोगों का एक वैश्विक नेटवर्क बनाने और पोषित करने की है, जिसका नाम है “प्रो-प्लैनेट पीपल” (पी3), जिनके पास पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को अपनाने और बढ़ावा देने के लिए एक साझा प्रतिबद्धता होगी।

5.8 एनटीएच में लोक शिकायत प्रकोष्ठ की स्थापना :

राष्ट्रीय परीक्षणशाला एक प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान है जो सामग्री और तैयार उत्पादों के परीक्षण, मूल्यांकन, गुणवत्ता आश्वासन और मानकीकरण में लगा हुआ है। उपर्युक्त सेवाओं और गतिविधियों के लिए नमूना जमा करने और नमूना परीक्षण शुल्क प्राप्त करने आदि से जनता के साथ सीधा संपर्क होता है। ये सेवाएं एनटीएच की सभी इकाइयों में कम्प्यूटरीकृत प्रणाली के माध्यम से उपलब्ध हैं और यह एक सिंगल विंडो “सैंपल रूम” के माध्यम से कार्य करती है। इसके बावजूद, पंजीकरण और शीघ्र निवारण हेतु लोक शिकायतों की निगरानी के लिए एनटीएच के प्रत्येक क्षेत्र में एक लोक शिकायत प्रकोष्ठ है। प्रत्येक क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रमुख इस प्रकोष्ठ की अध्यक्षता करते हैं।

उपलब्धि :

वर्ष 2022–23 के लिए 31 दिसंबर, 2022 तक लोक शिकायत पर रिपोर्ट निम्नानुसार है :-

क) 31.12.2021 को लंबित शिकायतों की संख्या	= शून्य
ख) 01.01.22 से 31.12.22 के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	= 8
ग) 01.01.22 से 31.12.22 के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	= 8
घ) 31.12.2022 को लंबित शिकायतों की संख्या	= शून्य



उपभोक्ता मामले विभाग
DEPARTMENT OF
CONSUMER AFFAIRS



“हमें उपभोक्ता संरक्षण से
उपभोक्ता समृद्धि की ओर बढ़ना है”

नरेन्द्र मोदी



e-Daakhil

www.edaakhil.nic.in



उपभोक्ता आयोगों में
उपभोक्ता मामलों की
ई-फाइलिंग के लिए मंच



5 लाख रुपये तक
के मामलों के लिए
शुल्क नहीं



उपभोक्ता स्वयं केस
दर्ज करा सकते हैं



शीघ्र, परेशानी मुक्त
और प्रभावी न्याय



उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार

अध्याय-6

उपभोक्ता सहकारिताएं

भारतीय राष्ट्रीय सहकारिता उपभोक्ता संघ मर्यादित, (एन.सी.सी.एफ.), नई दिल्ली एक राष्ट्र स्तरीय उपभोक्ता सहकारिता सोसायटी है, जिसका कार्यक्षेत्र संपूर्ण देश है। इसका पंजीकरण अक्टूबर, 1965 में हुआ था और यह बहु-राज्यीय सहकारिता सोसायटी अधिनियम, 2002 के तहत कार्य कर रही है। दिनांक 31.03.2022 तक की स्थिति के अनुसार, एन.सी.सी.एफ. के 152 सदस्य हैं, जिसमें भारत सरकार, राष्ट्रीय स्तर के तीन सहकारिता संगठन – नामतः भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ (एन.सी.यू.आई.), राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन.सी.डी.सी.) और भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड) हैं।

- क. दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार, एन.सी.सी.एफ. की कुल संदत्त शेयर पूंजी 15.01 करोड़ रुपये थी, जिसमें से भारत सरकार द्वारा दिया गया अंशदान 9.48 करोड़ रुपये (अर्थात् 62.78%) है।
- ख. एन.सी.सी.एफ. का मुख्यालय नई दिल्ली में है और देश के विभिन्न भागों में इसकी 24 शाखाएं हैं। इसके पास पूरे भारत में स्थित कार्यालय भवन और औद्योगिक इकाइयों सहित विभिन्न भौतिक संपत्तियां हैं।
- ग. वर्ष 2021-22 के दौरान 2295.92 करोड़ रुपये के मुकाबले 2309.63 करोड़ रुपये का बिक्री कारोबार वर्ष 2020-2021 के दौरान 2295.92 करोड़ रुपये के मुकाबले 2309.63 करोड़ रुपये रहा। अधिकांश बिक्री किराना और सामान्य व्यापारिक वस्तुओं की आपूर्ति से संबंधित है। एनसीसीएफ प्रतिस्पर्धी बोली और सरकार से सरकार को समझौतों के आधार पर विदेशों में कृषि बागवानी वस्तुओं का निर्यात भी कर रहा है।

घ. विगत पाँच वर्षों के दौरान एन.सी.सी.एफ. के कारोबार तथा इसकी लाभदेयता के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	श्रेणी	वर्ष 2019-20 (लेखा परीक्षित)	वर्ष 2020-21 (लेखा परीक्षित)	वर्ष 2021-2022 (लेखा परीक्षित)
1.	बिक्री	1392.06	2295.92	2309.63
2.	सकल मार्जिन	20.03	29.33	36.38
3.	अन्य रसीदें	12.59	11.61	11.44
4.	कुल लाभ (क्षति)	13.17	17.01	23.58



भारत में किसी भी स्थान से राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर कॉल करें



संघ में सभी
उपभोक्ता मामले विभाग

संयुक्त रूप से, सब से सम्बन्धित विभाग, भारत का संयुक्त
यूनिट का हिस्सा है। www.consumerhelpline.gov.in



@consumerhelpline
@consumerhelpline



संयुक्त संघीय हेल्पलाइन
1815 या 1800-11-0000
(24x7)



www.consumerhelpline.gov.in

मार्क गुणवत्ता का प्रतीक



सोने की शुद्धता
सुनिश्चित करेगा

BIS Care APP



अध्याय-7

भारतीय मानक ब्यूरो

भारतीय मानक संस्थान (आई.एस.आई.), जो वर्ष 1947 में अस्तित्व में आया, की परिसम्पत्तियों और देयताओं का अधिग्रहण करके भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस.) की स्थापना की गई थी। ब्यूरो का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके 5 क्षेत्रीय कार्यालय, 41 शाखा कार्यालय और 8 प्रयोगशाला और एक प्रशिक्षण संस्थान का नेटवर्क है।

भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) अधिनियम, 2016 दिनांक 12 अक्टूबर, 2017 को प्रवृत्त हुआ, तदन्तर अधिशासी परिषद का पुनर्गठन किया गया और इसकी तृतीय बैठक 01 मार्च 2021 को बीआईएस, मुख्यालय नई दिल्ली में आयोजित की गई।

भारतीय मानक ब्यूरो को वस्तुओं एवं सेवाओं की गुणवत्ता को बढ़ावा देने वाले मानक तैयार करने का अधिदेश प्राप्त है। ब्यूरो, मानकों को अद्यतन बनाकर, उभरते क्षेत्रों के लिए नए मानक विकसित करके और गुणवत्ता तथा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए माल और सेवा क्षेत्र को प्रमाणन प्रदान करके उद्योग और सेवा क्षेत्र को तकनीकी सहायत प्रदान करता है। इसी प्रमुख गतिविधियों और भारतीय मानक ब्यूरो का कार्य-निष्पादन नीचे दिया गया है:

7.1 मानकों का निर्माण

राष्ट्रीय मानक के रूप में बीआईएस तकनीकी समितियों के एक परामर्श तंत्र के माध्यम से भारतीय मानकों को विकसित करता है जिसमें संगत विषय में अभिरूचि रखने वाले विभिन्न हितधारकों को शामिल किया जाता है ताकि सभी के विचारों पर उचित विचार किया जा सके और एक मानक तैयार करते समय आम सहमति विकसित की जा सके। राष्ट्रीय मानकीकरण में शामिल हितधारकों को व्यापक रूप से उद्योग, उपभोक्ताओं/उपयोगकर्ताओं, प्रौद्योगिकीविदों (अनुसंधान एवं विकास और वैज्ञानिक संस्थानों, शिक्षाविदों, व्यक्तिगत विषय विशेषज्ञों, आदि) और सरकारी विभागों/विनियामकों के रूप में श्रेणीकृत किया जा सकता है। बीआईएस के मानकों के

विकास की प्रक्रिया स्वीकृत अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप है जो स्वतंत्र, पारदर्शिता, निष्पक्षता और आम सहमति के मूल सिद्धांतों पर आधारित हैं। प्रक्रिया दिए गए क्षेत्र या विषय की मानकीकरण आवश्यकताओं की पहचान के साथ शुरू होती है, जिसके बाद संबंधित तकनीकी समिति द्वारा मानक के विकास और योजना बनाई जाती है। तकनीकी समितियों में परामर्श के अलावा, मसौदा मानक भी जनता के विचारों/टिप्पणियों के लिए खुले हैं।

जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2022 के दौरान 1391 मानक (592 नए और 799 संशोधित) तैयार किए गए। साथ ही इस दौरान कुल 2218 मानकों की समीक्षा की गई। 25 दिसंबर 2022 तक लागू मानकों की कुल संख्या 21733 है। इस अवधि के दौरान प्रकाशित महत्वपूर्ण मानकों की सूची अनुलग्नक-I में दी गई है।

बीआईएस की मानक निर्माण गतिविधि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत सिद्धांतों और आईएसओ/आईईसी मार्गदर्शन 59 में निर्धारित सिफारिश की गई प्रथाओं का पालन करती है। डब्ल्यूटीओ-टीबीटी समझौते के आचार संहिता के अनुसार और एक नीति के रूप में, बीआईएस तकनीकी समितियां जहां उपलब्ध हो और जहां तक संभव हो, भारतीय परिस्थितियों और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए भारतीय आईएसओ और आईईसी के अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ मानक अनुरूपता बनाती हैं।

इस प्रक्रिया में, यदि अंतरराष्ट्रीय (आईएसओ/आईईसी) स्तर पर एक समान मानक मौजूद है, 1,116 भारतीय मानकों को छोड़कर, 7,838 आईएसओ/आईईसी मानकों के अनुरूप हैं। 8954 मौजूदा भारतीय मानक हैं जिनके लिए संबंधित आईएसओ या आईईसी मानक मौजूद हैं।

भारतीय मानक ब्यूरो ने भारतीय मानकों को अपनाने और कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के लिए वर्ष के दौरान पूरे भारत में कई वेबिनार, सेमिनार और बैठकें आयोजित कीं, जिसमें प्लंबिंग उत्पाद, अग्निशमन उपकरण, प्रीकास्ट सीमेंट कंक्रीट उत्पाद, फर्नीचर, खाद्य उत्पादों के लिए कागज आधारित पैकेजिंग, चीनी मिट्टी की चीजें, लिफ्ट और एस्केलेटर, चारा कटर, वीडियो निगरानी प्रणाली, बैलिस्टिक सुरक्षा उत्पाद, सीओ2 ट्रांसक्रिटिकल रेफ्रिजरेशन, छोटे, मध्यम और बड़े पैमाने पर बायोगैस संयंत्र, आवासीय, वाणिज्यिक और सार्वजनिक भवनों में विद्युत सुरक्षा, पर्यावरण के अनुकूल और बायोडिग्रेडेबल प्रिंटिंग स्याही, गैस सिलेंडर और वाल्व, पाइपड पेयजल आपूर्ति प्रणाली, जियोटेक्सटाइल्स, अंडरग्राउंड कोल गैसीफिकेशन (यूसीजी) और कोल बेड मीथेन (सीबीएम), स्ट्रक्चरल डिजाइन और प्रूफ चेकिंग कंसल्टेंसी सर्विसेज, लाइटनिंग प्रोटेक्शन सिस्टम, फिजिकल एक्टिविटीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में स्पोर्ट्स और कम्युनिटी स्पोर्ट्स, स्प्रिंग्स एंड

सस्पेंशन सिस्टम्स, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (जीएलओएफएस) और लैंडस्लाइड लेक आउटबर्स्ट फ्लड (एलएलओएफ) हिमालयी क्षेत्र में आपदा, मौसम संबंधी उपकरण, मेटल कटिंग बैंडसॉ ब्लेड कुछ नाम हैं, जिसमें विभिन्न हितधारकों जैसे विनिर्माताओं, आरएंडडी संगठन, सरकारी विभागों, शैक्षणिक संस्थानों ने भाग लिया।

अनुलग्नक I

महत्वपूर्ण मानक प्रकाशित

क्र.सं.	आईएस संख्या	शीर्षक
1.	आईएस 17943 : 2022	ई20 रेफरेंस ईंधन – निर्जल इथेनॉल और मोटर गैसोलीन का मिश्रण – विनिर्देश
2.	आईएस/आईएसओ 23897 : 2020	वित्तीय सेवाएं – उनीक ट्रांसकशन आईडेंटिफायर (यूटीआई)
3.	आईएस 13450 (भाग 2/धारा 70) : 2022 / आईएसओ 80601-2-70 : 2020	मेडिकल इलेक्ट्रिकल उपकरण भाग 2 बुनियादी सुरक्षा और आवश्यक प्रदर्शन के लिए विशेष आवश्यकताएं शेकशन 70 स्लीप एपनिया ब्रीदिंग थेरेपी उपकरण
4.	आईएस 17945 : 2022	शिशुओं के लिए लक्षित विशेष चिकित्सा प्रयोजन के लिए भोजन – विनिर्देश
5.	आईएस 17931 : 2022	पॉलिमर सामग्री की पैकेजिंग के लिए पॉलीथीन से बने फॉर्म फिल सील बैग – विनिर्देश
6.	आईएस 17941 : 2022	हैंडपंप सह सोलर पंपिंग सिस्टम – विनिर्देश
7.	आईएस/आईएसओ/आईईसी 10779 : 2020	सूचना प्रौद्योगिकी – कार्यालय उपकरण – वृद्ध व्यक्तियों और विकलांग व्यक्तियों के लिए अभिगम्यता दिशानिर्देश
8.	आईएस 17851 : 2022 / आईएसओ/टीआर 22696 : 2020	स्वास्थ्य सूचना विज्ञान – कनेक्ट करने योग्य व्यक्तिगत स्वास्थ्य देखभाल उपकरणों (पीएचडी) की पहचान और प्रमाणीकरण पर मार्गदर्शन
9.	आईएस 17852 : 2022 / आईएसओ/टीएस 21547 : 2010	स्वास्थ्य सूचना विज्ञान – इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य अभिलेखों के संग्रह के लिए सुरक्षा आवश्यकताएँ – सिद्धांत
10.	आईएस 17923 : 2022	शारीरिक गतिविधि, खेल और चोट प्रबंधन – शैक्षिक संस्थानों और सामुदायिक खेल अकादमियों में सुरक्षा के लिए दिशानिर्देश
11.	आईएस 17725 : 2022	प्रीकास्ट कंक्रीट सर्कुलर मैनहोल – विनिर्देश

12.	आईएस 17883 : 2022	सुरंगों के लिए भूवैज्ञानिक अन्वेषण – दिशानिर्देश
13.	आईएस 17892 (भाग 1) : 2022	पीपीई सूट पर सीम सीलिंग के लिए हीट-एक्टिवेटेड एडहेसिव कोटेड पॉलीमरिक टेप – विनिर्देश भाग 1
14.	आईएस 17912 : 2022	प्याज की आपूर्ति श्रृंखला – दिशानिर्देश
15.	आईएस 17913 : 2022	योग केंद्र – सेवा आवश्यकताएँ
16.	आईएस 17896 (भाग 1) : 2022 / आईईसी टीएस 62840-1 : 2016	इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी स्वैप सिस्टम भाग 1 सामान्य और मार्गदर्शन
17.	आईएस 17896 (भाग 2) : 2022 / आईईसी 62840-2 : 2016	इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी स्वैप सिस्टम भाग 2 सुरक्षा आवश्यकताएँ
18.	आईएस 17572 : 2022	बीडब्ल्यूपी ग्रेड बांस की चटार्ड-लिबास समग्र बोर्ड – विनिर्देश
19.	आईएस 17838 : 2022 / आईएसआ / टीएस 10797 : 2012	नैनोटेक्नोलॉजीज – ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का उपयोग करके एकल-दीवार कार्बन नैनोट्यूब का लक्षण वर्णन
20.	आईएस 17869 : 2022	लो-प्रेसर स्टीम कुकर – विनिर्देश
21.	आईएस 17899 टी : 2022	विभिन्न स्थितियों में प्लास्टिक की बायोडिग्रेडेबिलिटी का आकलन
22.	आईएस 17900 (भाग 6) : 2022	व्यक्तियों और सामानों के आवाजाही के लिए लिफ्टों के रखरखाव भाग 6 दिशानिर्देश
23.	आईएस 17873 : 2022	कॉटन योगा मैट – विनिर्देश
24.	आईएस 17880 : 2022	जियोसिंथेटिक्स तटीय और जलमार्ग संरक्षण के लिए – सिंथेटिक पॉलिमर रोप गेबियन – विनिर्देश
25.	आईएस 17785 : 2022	पर्यावासों का सतत विकास – रिजिलियन्ट शहरों के लिए संकेतक
26.	आईएस 17855 : 2022 / आईएसओ 12405-4 : 2018	विद्युत चालित सड़क वाहन – लिथियम-आयन ट्रैक्शन बैटरी पैक और सिस्टम के लिए विनिर्देश परीक्षण – कार्य-निष्पादन परीक्षण
27.	आईएस 17879 : 2022	वस्त्र – पॉलिएस्टर बनावट यार्न – विनिर्देश
28.	आईएस 17862 : 2022	ई-अपशिष्ट का भंडारण, संग्रह, भंजन और रिसाकलिंग – दिशानिर्देश
29.	आईएस 17738 : 2022	पर्यावासों का सतत विकास – स्मार्ट शहरों के लिए संकेतक

30.	आईएस 17870 : 2022	कमर्शियल प्रेशर कुकर – विनिर्देश
31.	आईएस 17907 : 2022	घरेलू मेथनॉल कुकस्टोव – कनस्तर प्रकार – विनिर्देश
32.	आईएस 14544 : 2022	डायरेक्ट मोल्डेड पॉलीमेरिक सोल के साथ लेदर सेफ्टी एंड प्रॉटेकटीव फुटवेयर – विनिर्देश (पहला संशोधन)
33.	आईएस 8035 : 2022	हैंडपंप-शैलो वेल – विनिर्देश (द्वितीय संशोधन)
34.	आईएस 1893 (भाग 6) : 2022	संरचनाओं के भूकंप प्रतिरोधी डिजाइन के लिए मानदंड – बेस आईसोलेटेड भवन
35.	आईएस 17803 : 2022	पीने योग्य पानी की बोतलें (तांबा, स्टेनलेस स्टील, एल्युमिनियम) – विनिर्देश
36.	आईएस 17681 : 2022	बोतलबंद पानी के डिस्पेंसर – विनिर्देश
37.	आईएस 19000 : 2022	ऑनलाइन उपभोक्ता समीक्षाएं – उनके संग्रह, मॉडरेशन और प्रकाशन के लिए सिद्धांत और आवश्यकताएं
38.	आईएस 17942 : 2022	पर्यटन और संबंधित सेवा – चिकित्सा पर्यटन – सेवा आवश्यकताएं
39.	आईएस 17496 : 2022	रिसाइकिल्ड रबर – वल्केनाइज्ड क्रम्ब पार्टिकुलेट विनिर्देश
40.	आईएस 17992 : 2022	सुपरएब्जॉर्बेंट पॉलिमर – स्वच्छता उत्पादों के लिए सोडियम पॉलीएक्रिलेट रेसीन – विनिर्देश
41.	आईएस 18112 : 2022	सैटेलाइट ब्रॉडकास्ट ट्रांसमिशन के लिए डिजिटल टेलीविजन रिसेवर – विनिर्देश
42.	आईएस 18064 : 2022	पवित्र तुलसी का तेल – विनिर्देश
43.	आईएस 18065 : 2022 / आईएसओ 17422 : 2018	प्लास्टिक – पर्यावरणीय पहलू – मानकों में शामिल करने के लिए सामान्य दिशानिर्देश
44.	आईएस 17897 : 2022	स्टोन-पॉलिमर कम्पोजिट फ्लोरिंग टाइल्स और प्लैंक – विनिर्देश
45.	आईएस 17631 : 2022	कार्य कुर्सियाँ – विनिर्देश
46.	आईएस 17632 : 2022	सामान्य उपयोग की कुर्सियाँ और स्टूल – विनिर्देश
47.	आईएस 17633 : 2022	मेज और डेस्क – विनिर्देश
48.	आईएस 17634 : 2022	भंडारण इकाइयां – विनिर्देश
49.	आईएस 17635 : 2022	बेड – विनिर्देश
50.	आईएस 17853 : 2022	पौष्टिक चावल के दानों के निर्माण के लिए उपकरण – विनिर्देश
51.	आईएस 17854 : 2022	पौष्टिक चावल के निर्माण के लिए उपकरण – विनिर्देश

7.1.1 सेवा क्षेत्र मानकीकरण (एसएसडी)

सेवा क्षेत्र में मानकीकरण को उचित महत्व और प्रोत्साहन देने के लिए, बीआईएस ने सेवा क्षेत्र (सेवा क्षेत्र प्रभाग परिषद, एसएसडीसी) के क्षेत्र में एक नई डिवीजन की स्थापना की है, जो वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा लाई गई मानकीकरण के लिए भारतीय राष्ट्रीय कार्यनीति (आईएनएसएस) अभिचिह्नित विशेष रूप से 12 चैंपियन सेवा क्षेत्रों में मानकीकरण से अलग से निपटने के लिए स्थापित की गई है।

एसएसडीसी के तहत चैंपियन सेवा क्षेत्र सहित विभिन्न सेवा क्षेत्रों से निपटने के लिए कुल 20 अनुभागीय समितियां स्थापित की गई हैं, अर्थात्,

- i) परिवहन सेवा अनुभागीय समिति, एसएसडी 01
- ii) यात्रा, पर्यटन और आतिथ्य सेवा अनुभागीय समिति, एसएसडी 02
- iii) बैंकिंग और वित्तीय सेवा अनुभागीय समिति, एसएसडी 03
- iv) उच्च शिक्षा, कौशल विकास और संबंधित सेवाएं अनुभागीय समिति, एसएसडी 04
- v) स्वास्थ्य, आरोग्य और खेल सेवा अनुभागीय समिति, एसएसडी 05
- vi) निर्माण और संबंधित इंजीनियरिंग सेवा अनुभागीय समिति, एसएसडी 06
- vii) पर्यावरण सेवा अनुभागीय समिति, एसएसडी 07
- viii) संचार सेवा अनुभागीय समिति, एसएसडी 08
- ix) व्यापार सेवा अनुभागीय समिति, एसएसडी 09
- x) आईटी और आईटी सक्षम सेवा अनुभागीय समिति, एसएसडी 10
- xi) खुदरा, ई-कॉमर्स और ई-भुगतान सेवा अनुभागीय समिति, एसएसडी 11
- xii) लेखा और वित्त सेवा अनुभागीय समिति, एसएसडी 12
- xiii) मीडिया और मनोरंजन सेवा अनुभागीय समिति, एसएसडी 13
- xiv) सार्वजनिक पेयजल आपूर्ति सेवाएं अनुभागीय समिति, एसएसडी 14
- xv) स्कूल शिक्षा और संबंधित सेवाएं अनुभागीय समिति, एसएसडी 15
- xvi) चिकित्सा मूल्य यात्रा सेवाएं और कल्याण सेवाएं अनुभागीय समितियां, एसएसडी 16

- xvii) विधिक सेवा अनुभागीय समिति, एसएसडी 17
- xviii) आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन अनुभागीय समिति, एसएसडी 18
- xix) सेवा के संबंध में बुनियादी मानक अनुभागीय समिति, एसएसडी 19
- xx) जैव विविधता अनुभागीय समिति, एसएसडी 20

एसएसडीसी के तहत कुल 143 भारतीय मानक प्रकाशित किए गए हैं।

एसएसडीसी के तहत प्रकाशित कुछ महत्वपूर्ण स्वदेशी भारतीय मानक इस प्रकार हैं:

1. आईएस 17482 : 2020 पेयजल आपूर्ति प्रबंधन प्रणाली के लिए पाइप से पेयजल आपूर्ति सेवा की आवश्यकताएं
2. आईएस 17736 : 2021 – सड़क मार्ग से ओवर डायमेंशनल कंसाइनमेंट का परिवहन – दिशानिर्देश
3. आईएस 17913 : 2022 योग केंद्र सेवा आवश्यकताएँ
4. आईएस 17923 : 2022 शारीरिक गतिविधि, खेल और चोट प्रबंधन – शैक्षिक संस्थानों और सामुदायिक खेल अकादमियों में सुरक्षा के लिए दिशानिर्देश
5. आईएस 17912 : 2022 प्याज की आपूर्ति श्रृंखला – दिशानिर्देश
6. आईएस 17942 : 2022 पर्यटन और संबंधित सेवाएं – चिकित्सा पर्यटन-सेवा आवश्यकताएँ

प्रकाशन के तहत अन्य स्वदेशी मानक इस प्रकार हैं:

1. जोखिमयुक्त माल का परिवहन – दिशानिर्देश
2. मीडिया और मनोरंजन सेवाएं – कौशल विकास सेवा प्रदाताओं द्वारा पेश किए जाने वाले कार्यक्रमों का वर्गीकरण

7.2 अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियां

अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी:

बीआईएस, भारत के राष्ट्रीय मानक निकाय के रूप में अपनी क्षमता में, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (आईएसओ) में और अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन (आईईसी) में आईईसी की भारतीय राष्ट्रीय समिति के माध्यम से भारत का प्रतिनिधित्व करता है। यह विभिन्न

तकनीकी समितियों और उप-समितियों में भाग लेने वाले (पी) सदस्य या पर्यवेक्षक (कों) सदस्य के रूप में अंतरराष्ट्रीय मानकों के विकास में सक्रिय रूप से शामिल है और इन संगठनों के विभिन्न कार्यकारी समूहों में तकनीकी विशेषज्ञों को नामित करता है। बीआईएस इन अंतरराष्ट्रीय मानक निकायों की विभिन्न नीति-निर्माण समितियों में भी भाग लेता है और कुछ आईएसओ समितियों, जो भारत के हितों से संबंधित विषयों को देखते हैं, का सचिवालय इसके पास है।

दिसंबर 2022 तक, बीआईएस आईएसओ परिषद (आईएसओ की शीर्ष शासन संस्था), आईएसओ काउंसिल स्टैंडिंग कमेटी ऑन स्ट्रैटेजी एंड पॉलिसी (आईएसओ सीएससी/एसपी) और आईएसओ टेक्निकल मैनेजमेंट बोर्ड (टीएमबी) का सदस्य है।

बीआईएस (इंडिया) आईईसी मानकीकरण प्रबंधन बोर्ड (एसएमबी) (आईईसी में तकनीकी मामलों के लिए सर्वोच्च निकाय) और आईईसी मार्केट स्ट्रैटेजी बोर्ड (एमएसबी) (प्रमुख तकनीकी रुझानों और बाजार की जरूरतों की पहचान और जांच के लिए जिम्मेदार निकाय) का भी सदस्य है।

बीआईएस (इंडिया) ने 2023–2025 की अवधि के लिए आईईसी उपाध्यक्ष और मानकीकरण प्रबंधन बोर्ड (एसएमबी) पद के अध्यक्ष के लिए सफलतापूर्वक चुनाव लड़ा है।

25 दिसंबर 2022 तक, बीआईएस आईएसओ (कैस्को, कोपोल्को और देवको) की तीन नीति विकास समितियों, आईएसओ की 500 तकनीकी समितियों/उपसमितियों और आईईसी की 111 तकनीकी समितियों/उपसमितियों में का प्रतिभागी (पी) सदस्य, और आईएसओ की 181 तकनीकी समितियों/उपसमितियों और आईईसी की 61 तकनीकी समितियों/उपसमितियों में एक ओ- सदस्य है। बीआईएस ने आईएसओ के 25 कार्यकारी समूहों/तदर्थ समूहों/सलाहकार समूहों और आईईसी के 12 कार्यशील समूहों/प्रणाली मूल्यांकन समूहों में संयोजकों को नामित किया है।

उद्योग और उन्नत प्रौद्योगिकी मंत्रालय – मानक और तकनीकी विनियम क्षेत्र (एमओआईएटी-एसटीआर) द्वारा 19–23 सितंबर 2022 के दौरान अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित 44वीं आईएसओ महासभा में सचिव (उपभोक्ता मामले) के नेतृत्व में और बीआईएस के महानिदेशक और बीआईएस के अन्य अधिकारियों के नेतृत्व में पांच सदस्यीय बीआईएस प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया। हाइब्रिड मोड में आयोजित आईईसी की यूएसए राष्ट्रीय समिति द्वारा आयोजित आईईसी आम बैठक में वर्चुअल मोड के माध्यम से डीजी बीआईएस के नेतृत्व में एक बीआईएस प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया। अन्य संबंधित बैठकों में भी भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया।

इस अवधि के दौरान, बीआईएस ने आईईसी के महासचिव और सीइओ, श्री फिलिप मेट्जगर और बीएसआई के निदेशक मानक, डॉ स्कॉट स्टीडमैन जैसे हाई-प्रोफाइल प्रतिनिधि ने भाग लिया।

महामारी की स्थिति में सुधार के बीच, कुछ तकनीकी बैठकें वर्चुअल रूप से आयोजित की जाती रहीं, जबकि अन्य हाइब्रिड या पूरी तरह से भौतिक मोड में आयोजित की गईं। भारतीय दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने के लिए भारतीय हित में तकनीकी बैठकों में 20 भारतीय प्रतिनिधिमंडलों ने भौतिक रूप से भाग लिया। अन्य मामलों में, बीआईएस ने आभासी रूप से भाग लेना जारी रखा।

7.2.1 द्विपक्षीय और क्षेत्रीय सहयोग कार्यक्रम:

बीआईएस मानकीकरण, परीक्षण, प्रमाणन, प्रशिक्षण आदि से संबंधित क्षेत्रीय और द्विपक्षीय सहयोग कार्यक्रमों में भी सक्रिय रूप से शामिल है और नियमित आधार पर भागीदार एजेंसियों के संपर्क में रहा है।

इस अवधि के दौरान, भारत ताइपे एसोसिएशन (आईटीए) और भारत में ताइपे आर्थिक सांस्कृतिक केंद्र (टीईसीसीआई) के बीच क्रमशः बीआईएस और मानक ब्यूरो, मेट्रोलोजी और निरीक्षण (बीएसएमआई) का प्रतिनिधित्व करने वाले एक बीसीए पर हस्ताक्षर किए गए।

वर्तमान में, बीआईएस के पास राष्ट्रीय मानक निकायों और अन्य देशों के अन्य मानक विकास संगठनों के साथ 32 समझौता ज्ञापन और 09 बीसीए पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

बीआईएस दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय मानक संगठन (एसएआरएसओ) और पैसिफिक एरिया स्टैंडर्ड कांग्रेस (पीएएससी) के तहत क्षेत्रीय मानकीकरण गतिविधियों के सृजन और कार्यान्वयन में भी सक्रिय भूमिका निभा रहा है। बीआईएस ने पैसिफिक एरिया स्टैंडर्ड कांग्रेस की वर्चुअल बैठक में हिस्सा लिया।

बीआईएस (भारत) अक्टूबर 2020 से अक्टूबर 2023 तक तीन साल के कार्यकाल के लिए दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय मानक संगठन (एसएआरएसओ) तकनीकी प्रबंधन बोर्ड की अध्यक्षता कर रहा है। जून 2021 तीन साल की अवधि के लिए या प्रक्रियाओं के नियम को अंतिम रूप देने तक, जो भी पहले हो, बीआईएस (भारत) अनुपालन बोर्ड का निर्वाचित अध्यक्ष भी है।

विश्व व्यापार संगठन टीबीटी से संबंधित मुद्दों पर बीआईएस ने वाणिज्य विभाग के साथ समन्वय बनाए रखा है।

7.3 अनुरूपता मूल्यांकन

(i) उत्पाद प्रमाणन

बीआईएस, बीआईएस अधिनियम 2016 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के तहत उत्पाद प्रमाणन स्कीम (स्कीम-1) का संचालन कर रहा है, जिसका उद्देश्य प्रासंगिक भारतीय मानकों के अनुरूप उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना और इस प्रकार उपभोक्ताओं को एक तृतीय पक्ष आश्वासन प्रदान करना है।

उत्पाद प्रमाणन स्कीम में, बीआईएस विनिर्माताओं को उनके उत्पादों पर आईएसआई चिह्न के उपयोग के लिए प्रमाणन प्रदान करता है। विनिर्माण परिसर के दौरे के माध्यम से प्रासंगिक भारतीय मानक के अनुसार लगातार उत्पाद का विनिर्माण करने के लिए फर्म की विनिर्माण क्षमताओं के आकलन के बाद प्रमाणन प्रदान किया जाता है। भारतीय मानकों के अनुसार परीक्षण करने के लिए परीक्षण उपकरण और सक्षम जनशक्ति की उपलब्धता सहित गुणवत्ता नियंत्रण सुविधाओं का भी दौरे के दौरान मूल्यांकन किया जाता है। प्रासंगिक भारतीय मानक में निर्दिष्ट आवश्यकताओं के साथ उत्पाद की अनुरूपता को कारखाने में परीक्षण के साथ-साथ एक स्वतंत्र तृतीय पक्ष प्रयोगशाला में पूर्ण परीक्षण के माध्यम से भी सत्यापित किया जाता है।

बीआईएस उत्पाद प्रमाणन स्कीम के संचालन की निगरानी के लिए कारखाने और बाजार दोनों में निगरानी दौरे भी करता है। निगरानी के दौरान लिए गए नमूनों का स्वतंत्र तृतीय पक्ष प्रयोगशाला में परीक्षण किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उत्पाद लागू भारतीय मानक के अनुरूप है। प्रमाणन स्कीम, उन 379 उत्पादों को छोड़कर, स्वैच्छिक प्रकृति की है, जिन्हें विभिन्न विचारों पर गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों (क्यूसीओ) की अधिसूचना के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा अनिवार्य बना दिया गया है।

01 जनवरी 2021 से 3 दिसंबर 2022 के दौरान, 5126 नए लाइसेंस प्रदान किए गए, जिसमें स्कीम के तहत पहली बार कवर किए गए 80 उत्पाद शामिल हैं। बीआईएस प्रमाणन चिह्न स्कीम के तहत कवर किए गए भारतीय मानकों की कुल संख्या 1163 है और घरेलू विनिर्माताओं द्वारा धारित संचालित लाइसेंसों की कुल संख्या 40415 है।

(ii) विदेशी विनिर्माताओं के प्रमाणन की स्कीम (एफएमसीएस)

बीआईएस विदेशी विनिर्माताओं के लिए अलग स्कीम संचालित करता रहा है। इस स्कीम के तहत, विदेशी विनिर्माता अपने उत्पादों पर बीआईएस मानक चिह्न के उपयोग के लिए बीआईएस

से प्रमाणीकरण प्राप्त कर सकते हैं। जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 के दौरान, एफएमसीएस के तहत 177 लाइसेंस दिए गए, जिससे 56 देशों में 140 भारतीय मानकों के मुकाबले ऑपरेटिव लाइसेंस की कुल संख्या 1143 हो गई। वर्ष के दौरान प्रदान किए गए लाइसेंसों में दुनिया भर के 32 देशों से विभिन्न उत्पाद जैसे खिलौने, व्हील रिम्स, सड़क परिवहन के लिए सेफ्टी ग्लास, केमिकल्स और पेट्रोकेमिकल्स, स्टील और स्टील उत्पाद; सीमेंट; इलेक्ट्रिक केबल; ऑटोमोबाइल वाहनों के लिए टायर; हार्मेटिक कम्प्रेसर प्लोट ग्लास, औद्योगिक हेलमेट, प्लग और सॉकेट, स्विटगियर आदि कवर किए गए हैं।

(iii) अनिवार्य पंजीकरण स्कीम (सीआरएस)

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने 03 अक्टूबर 2012 को इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी माल (अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण के लिए आवश्यकताएं) आदेश, 2012 अधिसूचित किया, जिसमें संगत भारतीय मानकों के अनुपालन के आधार पर, 5 इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी उत्पाद श्रेणियों के लिए बीआईएस से अनिवार्य पंजीकरण अधिदेशित किया गया है। अब तक विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी सामानों को सीआरएस के दायरे में लाया गया है।

अनिवार्य पंजीकरण स्कीम (सीआरएस) बीआईएस द्वारा बीआईएस (अनुरूपता मूल्यांकन) विनियम, 2018 की अनुसूची-II की स्कीम-II के अनुसार संचालित की जा रही है। यह स्कीम आईटी जैसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रों की वृद्धि को सुविधाजनक बनाने के लिए अनिवार्य प्रमाणीकरण का एक विकल्प है और उपभोक्ताओं को भारत या विदेश में निर्मित नकली और घटिया उत्पादों से संरक्षण प्रदान करना है। यह स्कीम मुख्य रूप से उत्पादों के सुरक्षा पहलुओं को कवर करती है।

इस स्कीम में यह परिकल्पना की गई है कि कोई भी व्यक्ति उन सामानों का विनिर्माण, आयात, बिक्री या वितरण नहीं करेगा जो निर्दिष्ट मानकों के अनुरूप नहीं हैं और पंजीकरण संख्या के साथ बीआईएस मानक चिह्न नहीं रखते हैं। सीआरएस के तहत कुल 79 उत्पाद श्रेणियां और 46 भारतीय मानक शामिल हैं। सीआरएस के तहत पहला लाइसेंस 12 जून 2013 को बीआईएस द्वारा प्रदान किया गया था।

31 दिसंबर 2022 तक, बीआईएस के पास भारत सहित 66 देशों में स्थित 20721 कार्यशील लाइसेंस थे।

01 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2022 के दौरान कुल 5539 लाइसेंस प्रदान किए गए और उनका विवरण नीचे दिया गया है।

- i. एमईआईटीवाई द्वारा अधिसूचित उत्पादों के लिए 5424 लाइसेंस प्रदान किए गए।
- ii. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित उत्पादों के लिए 109 लाइसेंस प्रदान किए गए (एमएनआरई)।
- iii. रसायन और पेट्रोरसायन विभाग द्वारा अधिसूचित उत्पादों के लिए 05 लाइसेंस प्रदान किए गए।
- iv. भारतीय विनिर्माता को भारी उद्योग विभाग (डीएचआई) द्वारा अधिसूचित आईएस/आईईसी 60947-3:2012 के अनुसार लो-वोल्टेज स्विचगियर और कंट्रोल गियर स्विच: उत्पाद श्रेणी के लिए पहला लाइसेंस प्रदान किया गया है।

दिनांक 20 जनवरी 2023 तक, रजिस्ट्रेशन विभाग में बीआईएस (अनुरूपता मूल्यांकन) विनियम, 2018 की अनुसूची-II की स्कीम-II के तहत कार्यशील लाइसेंसों की संख्या 20,881 है।

रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा 1 जनवरी 2022 से 3 दिसंबर 2022 के दौरान क्रियान्वित महत्वपूर्ण घटनाक्रम निम्नानुसार हैं।

- (1) इलैक्ट्रॉनिक उत्पादों के लिए समानांतर परीक्षण के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं जिससे परीक्षण में लगने वाले समय में कमी होगी और लाइसेंस/समावेशन के लिए प्रोसेसिंग समय में काफी कमी आएगी।
- (2) नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए, वर्ष 2021 में पीवी सौर पैनलों के लिए कुल 75 लाइसेंस दिए गए थे, जिनमें से 43 लाइसेंस भारतीय विनिर्माताओं को दिए गए थे। वर्ष 2022 में, कुल 77 लाइसेंस प्रदान किए गए हैं, जिनमें से 49 लाइसेंस भारतीय विनिर्माताओं को प्रदान किए गए थे, जो संबंधित वर्षों के दौरान दिए गए कुल लाइसेंसों में से भारतीय विनिर्माताओं के लिए दिए गए लाइसेंस 57% से बढ़कर 63% हो गए हैं।

सीआरएस पोर्टल (<https://crsbis.in>) हमारे हितधारकों के लिए नई सुविधाओं को शामिल करने के लिए भी अपग्रेड किया गया है। उनमें से कुछ नीचे सूचीबद्ध हैं—

1. नया डैशबोर्ड – डीजी, डीडीजी, एचओडी
2. बल्क ई-मेल प्रबंधन प्रणाली
3. बल्क एसएमएस प्रबंधन प्रणाली
4. जीईएम संगठन को स्वचालित रिपोर्टिंग
5. हेल्पडेस्क प्रबंधन प्रणाली (ईमेल और फीडबैक प्रबंधन प्रणाली)।

7.4 हॉलमार्किंग

क. स्वर्ण / चांदी के आभूषणों / कलाकृतियों की हॉलमार्किंग

स्वर्ण आभूषणों की शुद्धता अथवा उत्कृष्टता के संबंध में उपभोक्ताओं को तृतीय पक्ष का आश्वासन प्रदान करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा स्वर्ण आभूषणों की हॉलमार्किंग अप्रैल, 2000 को प्रारम्भ की गई थी। चांदी के आभूषणों / कलाकृतियों के हॉलमार्किंग की स्कीम अक्टूबर, 2005 में आरंभ की गई थी। इस स्कीम के तहत, ज्वैलों को हालमार्क किए गए आभूषणों को बेचने के लिए लाइसेंस प्रदान किया जाता है, तथापि, लाइसेंसी ज्वैलर द्वारा प्रस्तुत किए गए आभूषणों की घोषित उत्कृष्टता सहित शुद्धता के आकलन की घोषणा करने और संगत भारतीय मानक के अनुरूप पाये जाने वाले आभूषणों पर हॉलमार्क लगाने के लिए एसेइंग और हॉलमार्किंग केंद्रों को मान्यता प्रदान की गई है।

1 जनवरी, 2022 से 31 दिसंबर, 2022 की अवधि के दौरान हॉलमार्किंग पंजीकरण की संख्या 1,31,894 से बढ़कर 1,50,790 हो गई है, जबकि बीआईएस मान्यता प्राप्त एसेइंग और हॉलमार्किंग केंद्रों की संख्या 990 से बढ़कर 1351 हो गई है। इसी अवधि के दौरान, स्वर्ण और चांदी के आभूषणों / कलाकृतियों की 11.47 करोड़ वस्तुओं की हॉलमार्किंग की गई है।

(i) अनिवार्य हॉलमार्किंग

भारत सरकार द्वारा 23 जून 2021 को स्वर्ण आभूषणों / कलाकृतियों की अनिवार्य हॉलमार्किंग के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश जारी किया गया था, भारत देश के 256 जिलों, जहाँ कम से कम एक एसेइंग और हॉलमार्किंग केंद्र है, में हॉलमार्किंग को अनिवार्य कर दिया है। शासन द्वारा 04 अप्रैल 2022 को इस आदेश में संशोधन जारी किया गया है, जिससे देश के 288 जिलों में हॉलमार्किंग अनिवार्य कर दी गई है। उपरोक्त संशोधन के बाद अतिरिक्त 43 नए जिलों को एएचसी / ओएससी के साथ कवर किया गया है, जिससे एएचसी के तहत कवर किए गए कुल जिले बढ़कर 331 हो गए हैं।

(ii) एचयूआईडी आधारित प्रणाली

अनिवार्य हॉलमार्किंग आदेश के कार्यान्वयन के मद्देनजर, एएचसी में एसेइंग और हॉलमार्किंग गतिविधियों के स्वचालन के लिए एक नई ऑनलाइन प्रणाली को छह अंकों के एचयूआईडी (हॉलमार्किंग यूनिट आईडी) से युक्त नए हॉलमार्क के साथ कार्यात्मक बनाया गया है। हॉलमार्किंग की एचयूआईडी-आधारित प्रणाली आवश्यक महसूस की गई क्योंकि हॉलमार्किंग अनिवार्य होने के साथ, पूरी प्रक्रिया की वास्तविक समय की निगरानी की एक मजबूत प्रणाली के साथ-साथ आभूषण के हर टुकड़े पर हॉलमार्क की विश्वसनीयता सुनिश्चित की जानी थी। इसे उपभोक्ताओं के हित में पेश किया गया है। 1 जुलाई, 2021 हॉलमार्किंग के लिए एचयूआईडी आधारित प्रणाली

की शुरुआत के बाद से 31 दिसंबर 2022 तक सोने के आभूषणों/कलाकृतियों के 16.6 करोड़ वस्तुओं की हॉलमार्किंग की गई है।

मोबाइल बीआईएस केयर ऐप में एक प्रावधान किया गया है जिसमें एचयूआईडी को डालकर उपभोक्ता गहनों की शुद्धता, आभूषणों के प्रकार, एएचसी का विवरण जिसने आभूषणों का परीक्षण किया है, ज्वैलर्स का नाम जिसने आभूषणों की पहचान की है, हॉलमार्किंग की तारीख आदि जैसे विवरणों को सत्यापित कर सकता है। इससे उपभोक्ता को खरीदारी के समय हॉलमार्क की प्रामाणिकता की जांच करने में मदद मिलेगी।

(iii) स्वर्ण बुलियन की हॉलमार्किंग

आई.एस. 1417 : 2016 के अनुसार 999 और 995 की शुद्धता में स्वर्ण बुलियन की हॉलमार्किंग अक्टूबर, 2015 में शुरू की गई थी। इस स्कीम के तहत, उन रिफाइनरियों/ टकसालों को लाइसेंस प्रदान किए जाते हैं जो इलेक्ट्रॉलिटिक अथवा एक्वारेजिया प्रक्रिया द्वारा स्वर्ण को परिशुद्ध करती हैं और जिनके पास पूर्ण परीक्षण सुविधा है तथा एन.ए.बी.एल. द्वारा प्रत्यायित प्रयोगशालाएं हैं। अभी तक, 31 दिसम्बर, 2022 तक की स्थिति के अनुसार, स्वर्ण बुलियन और सिक्के के लिए रिफाइनरियों/भारत सरकार टकसाल को अभी तक 44 लाइसेंस प्रदान किए गए हैं।

(iv) स्वर्ण मौद्रीकरण स्कीम

भारत सरकार ने 5 नवंबर, 2015 से स्वर्ण मौद्रीकरण स्कीम की शुरुआत की है। भारतीय मानक ब्यूरो ने आर्थिक कार्य विभाग और भारतीय रिजर्व बैंक के सहयोग से स्वर्ण मौद्रीकरण स्कीम को अंतिम रूप देने और उसके क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस स्कीम के तहत भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा मान्यता प्राप्त एसेइंग और केन्द्रों को संग्रहण और शुद्धता परीक्षण केंद्रों (सी.पी.टी.सी.) की तरह कार्य करने के योग्य बनाया गया है। अभी तक 49 एसेइंग और हॉलमार्किंग केंद्रों तथा एक ज्वैलर को सी.पी.टी.सी. के रूप में कार्य करने के योग्य बनाया गया। सी.पी.टी.सी. द्वारा एकत्रित किए गए स्वर्ण को भारतीय मानक ब्यूरो से लाइसेंस प्राप्त रिफाइनरियों द्वारा शुद्ध किया जाना होता है।

(v) हॉलमार्किंग को प्रोत्साहन देना

स्वर्ण आभूषण व्यापार में प्रभावी उपभोक्ता संरक्षण के लिए देश में हॉलमार्किंग को प्रोत्साहित करने के लिए, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा देश भर में स्थित अपने विभिन्न क्षेत्रीय और शाखा कार्यालयों के जरिए ज्वैलरों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। 1 जनवरी, 2022 से 31 दिसंबर, 2022 की अवधि के दौरान, 243 ऐसे ज्वैलर जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

(vi) योजनागत स्कीम

भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा केंद्रीय सहायता से भारत में स्वर्ण एसेइंग और हॉलमार्किंग (ए एंड एच) केंद्रों की स्थापना के लिए एक योजनागत स्कीम का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस स्कीम के घटक निम्नलिखित हैं :

- क) अवसंरचना निर्माण – एसेइंग और हॉलमार्किंग (ए एवं एच) केंद्रों की स्थापना करना।
- ख) क्षमता निर्माण
 - i) कारीगरों का प्रशिक्षण
 - ii) प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण (भारतीय मानक ब्यूरो लेखापरीक्षक)
 - iii) एसेइंग और हॉलमार्किंग केंद्रों के कार्मिकों का प्रशिक्षण।

इस अवधि के दौरान, हॉलमार्किंग की योजनागत स्कीम के तहत, क्षमता निर्माण के लिए, कारीगरों के प्रशिक्षण हेतु, एसेइंग और हॉलमार्किंग कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए और भारतीय मानक ब्यूरो के अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए आयोजित कार्यक्रमों की संख्या क्रमशः 12, 07 और 03 थी।

7.5 प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन (एमएससीडी)

बीआईएस ने गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन (आईएस/आईएसओ 9001) के साथ वर्ष 1991 में प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन शुरू किया। इन वर्षों में, इसने धीरे-धीरे अपनी गतिविधियों का विस्तार विभिन्न अन्य प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन स्कीमों में किया है।

बीआईएस की प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन स्कीमों में निम्नानुसार हैं :

एमएससी स्कीमों की सूची			
क्र.सं.	प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन स्कीम	संगत भारतीय मानक (आईएस)	कार्यान्वयन का वर्ष
1.	गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (क्यूएमएस)	आईएस/आईएसओ 9001	1991
2.	पर्यावरणीय प्रबंधन प्रणाली (ईएमएस)	आईएस/आईएसओ 14001	1997
3.	जोखिम विश्लेषण महत्वपूर्ण नियंत्रण बिंदु (एचएससीसीपी)	आईएस 15000	1998
4.	पेशेवर स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (ओएचएसएमएस)	आईएस/आईएसओ 45001	2003

5.	खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (एफएसएमएस)	आईएस/आईएसओ 22000	2006
6.	सेवा गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (एसक्यूएमएस)	आईएस 15700	2007
7.	ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली (एनएमएस)	आईएस/आईएसओ 50001	2013
8.	सामाजिक उत्तरदायित्व प्रबंधन प्रणाली (एसएएमएस)	आईएस 16001	2016
9.	चिकित्सा उपकरण प्रबंधन प्रणाली (एमडीएमएस)	आईएस/आईएसओ 13485	2016
10.	सड़क यातायात सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (आरटीएसएमएस)	आईएस/आईएसओ 39001	2018
11.	तैयार मिश्रित कंक्रीट (आरएमसी)	आईएस/आईएसओ 9001 + आईएस 4926	2018
12.	एडवेंचरस ट्यूरिज्म सेफ्टी मैनेजमेंट प्रणाली (एटीएसएमएस)	आईएस/आईएसओ 21101	2018
13.	एकीकृत दुग्ध प्रमाणन स्कीम (आईएमसीएस)	आईएस 13688 और आईएस/ आईएसओ 22000	2018
14.	रिश्वत-रोधी प्रबंधन प्रणाली (एबीएमएस)	आईएस/आईएसओ 37001	2019
15.	सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (आईएसएमएस)	आईएस/आईएसओ/आईईसी 27001	2019
16.	शैक्षिक संगठन प्रबंधन प्रणाली (ईओएमएस)	आईएस/आईएसओ 21001	2019
17.	सुरक्षा और कार्यनिष्पादन के आवश्यक सिद्धांतों वाली चिकित्सा उपकरण गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (एमडीएसपीएमएस)	आईएस 23485	2020
18.	पाइपड पेयजल आपूर्ति प्रबंधन प्रणाली (पीडीडब्ल्यूएसएमएस)	आईएस 17482	2020
19.	तैयार मिक्स्ड कंक्रीट प्रक्रिया प्रमाणन	आईएस 4926	2021
20.	दूध और दुग्ध उत्पादों के लिए अनुरूपता मूल्यांकन स्कीम (सीएसएमएमपी)	डेयरी क्षेत्र के लिए भारतीय मानक, आईएस/आईएसओ 22000 और प्रक्रिया प्रमाणन (एनडीडीबी के गुणवत्ता चिह्न दिशानिर्देश)	2021
21.	ऑनलाइन उपभोक्ता समीक्षा प्रक्रिया	आईएस 19000	2022

7.6 प्रत्यायन की स्थिति

गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (क्यूएमएस-25 स्कोप सेक्टरों के लिए), पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली (ईएमएस-7 स्कोप सेक्टर) खाद्य सुरक्षा प्रबंधन सिस्टम (एफएसएमएस स्कोप सेक्टर), पेशेवर स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (ओएचएमएसएस-17 स्कोप सेक्टर) और बीआईएस की ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन स्कीमें (ईएनएमएस-8 स्कोप सेक्टर) प्रमाणन निकायों के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीसीबी), क्यूसीआई से मान्यता प्राप्त हैं।

7.7 प्रयोगशाला (एलपीपीडी)

संगत मानकों के अनुरूप उत्पादों की अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए उत्पाद का परीक्षण करना, अनुरूपता मूल्यांकन के मुख्य आधारों में से एक है। भारतीय मानक ब्यूरो ने अनुरूपता मूल्यांकन स्कीम के जरिए उत्पादित नमूनों की परीक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सन् 1962 में साहिबाबाद में केंद्रीय प्रयोगशाला की स्थापना से आरम्भ करते हुए देश में आठ प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। इसके उपरांत, मोहाली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में चार क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं तथा पटना, बंगलौर और गुवाहाटी में तीन शाखा कार्यालय प्रयोगशालाएं स्थापित की गईं। भारतीय मानक ब्यूरो की प्रयोगशालाओं में रसायन, माइक्रोबायोलॉजिकल, इलैक्ट्रिकल और मैकेनिकल विधाओं के क्षेत्र में आने वाले उत्पादों का परीक्षण करने की सुविधाएं हैं। उत्पाद परीक्षण के अतिरिक्त, बी.आई.एस. ने अपनी 07 प्रयोगशालाओं और 02 शाखा कार्यालयों में स्वर्ण एसेईग प्रयोगशाला स्थापित की है। चेन्नई में स्थित स्वर्ण एसेईग प्रयोगशाला एक रेफरल प्रयोगशाला है और यह चांदी के आभूषणों का परीक्षण भी करती है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारतीय मानक ब्यूरो की प्रयोगशाला सेवाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुए विकास के साथ गति बनाये रखें, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, मोहाली, बंगलुरु, पटना और गुवाहाटी स्थित प्रयोगशालाओं को परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एन.ए.बी.एल.) द्वारा आई.एस.ओ./आई.ई.सी. 17025 के अनुसार प्रत्यायित किया गया है। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा बाहरी प्रयोगशालाओं को मान्यता प्रदान करने के लिए प्रयोगशाला मान्यता स्कीम (एल.आर.एस.) भी संचालित की जाती है। यह स्कीम, राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड द्वारा अंगीकृत, आई.एस.ओ./आई.ई.सी. 17025 के मानदंडों पर आधारित है।

भारतीय मानक ब्यूरो से मान्यताप्राप्त प्रयोगशालाओं की संख्या 293 है, जिनमें प्रतिष्ठित अनुसंधान एवं विकास संगठन, तकनीकी संस्थान, सरकारी प्रयोगशालाएं और निजी क्षेत्र की प्रयोगशालाएं शामिल हैं। ऐसी प्रयोगशालाओं की सेवाओं का उपयोग उन स्थानों पर किया जाता है जहां यह किफायती है और भारतीय मानक ब्यूरो की प्रयोगशालाओं में वैसी परीक्षण सुविधाएं विकसित करना व्यवहार्य नहीं है।

विकसित की गई परीक्षण सुविधाएं:

- केंद्रीय प्रयोगशाला, साहिबाबाद और पूर्वी क्षेत्रीय प्रयोगशाला, कोलकाता में फुटवियर
- केंद्रीय प्रयोगशाला, साहिबाबाद में हेलमेट वाइजर और सीलिंग फैन
- गुवाहाटी शाखा कार्यालय प्रयोगशाला में सीमेंट
- पूर्वी क्षेत्रीय प्रयोगशाला, कोलकाता में एलपीजी सिलेंडर और सिंचाई उपकरण
- पटना शाखा कार्यालय प्रयोगशाला (पीबीएल), बंगलुरु शाखा कार्यालय प्रयोगशाला (बीएनबीएल), पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय प्रयोगशाला (पश्चिम क्षेत्रएल), हैदराबाद शाखा कार्यालय (एचवाईबीओ) और जम्मू और कश्मीर शाखा कार्यालय (जेकेबीओ) में आरएएल परीक्षण सुविधा सृजित की गई है।

7.8 नई पहलें

1. बीआईएस प्रयोगशाला द्वारा स्कूलों, कॉलेजों और उद्योग-जगत के साथ संवाद सत्र आयोजित किए गए हैं। इस संवाद में उस उत्पाद/उत्पाद समूह के लिए परीक्षण आवश्यकताओं को शामिल करते हुए किसी विशेष विषय या क्षेत्र पर व्यापक चर्चा/प्रस्तुति शामिल थी। इसमें प्रयोगशाला/अनुभाग का सामान्य दौरा भी शामिल है।
2. एलआरएस की शुल्क संरचना को संशोधित किया गया है और एमएसएमई और महिला उद्यमियों के लिए मान्यता शुल्क को रु. 1,00,000.00/- से घटाकर रु. 60,000.00/- कर दिया गया है। मान्यता के दायरे में अधिक से अधिक भारतीय मानकों/उत्पादों को शामिल करने के लिए प्रयोगशाला को प्रोत्साहित करने के लिए समावेशन आवेदन और प्रोसेसिंग शुल्क को समाप्त कर दिया गया है।
3. खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण पर संसदीय स्थायी समिति का अध्ययन दौरा 27-28 अप्रैल 2022 को पश्चिम क्षेत्र, मुंबई में आयोजित किया गया था। समिति के सामने बीआईएस की समग्र गतिविधि पर एक प्रस्तुति दी गई और देश के गुणवत्ता पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित विभिन्न सामाजिक और आर्थिक मुद्दों की समीक्षा की गई। समिति ने बीआईएस प्रयोगशालाओं द्वारा की जाने वाली परीक्षण गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए डब्ल्यूआरएल प्रयोगशाला का भी दौरा किया।
4. क्षमता वृद्धि की पहल के साथ बीआईएस प्रयोगशालाओं ने दिसम्बर, 2022 में 6056 पूर्ण परीक्षण रिपोर्ट जारी की हैं।

5. माननीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री ने 27 जून 2022 को केंद्रीय प्रयोगशाला का दौरा किया और महानिदेशक, बीआईएस की उपस्थिति में खिलौना, फुटवियर, खाद्य, विद्युत उपकरण और हेलमेट प्रयोगशालाओं के लिए पुनर्निर्मित परीक्षण सुविधाओं का उद्घाटन किया। बीआईएस केंद्रीय प्रयोगशाला में विकसित नवीनतम आधुनिक परीक्षण सुविधाओं का माननीय मंत्री जी द्वारा अवलोकन किया गया और दौरे के दौरान बीआईएस प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण के लिए भविष्य के रोडमैप पर चर्चा की गई।
6. स्कूल/कॉलेज के छात्रों और उद्योग-जगत के कार्मिकों के लिए बीआईएस प्रयोगशालाओं में 70 अनुभव दौरों (एक्सपोजर विजिट) का आयोजन किया गया है।
7. वर्ष 2022-23 के दौरान, बीआईएस द्वारा 27 बाहरी प्रयोगशालाओं (ओएसएल) को मान्यता दी गई है।
8. विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने और भविष्य के रुझानों को अपनाकर प्रयोगशालाओं को "आत्म निर्भर भारत" की ओर ले जाने के लिए, 3 नवंबर, 2022 को एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन भारत में उन्नत परीक्षण बुनियादी ढांचे के महत्व और आवश्यकता को दर्शाने के लिए किया गया था। इससे भारत सरकार की डिजिटल इंडिया, मेक इंडिया और स्किल इंडिया परिसंस्कीर्णों को भी समर्थन मिलेगा।
9. गुणवत्ता नियंत्रण कार्मिकों के लिए कौशल विकास :
 - क) हॉलमार्किंग पेशेवरों के लिए बीआईएस प्रयोगशालाओं में सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया गया।
 - ख) बीआईएस प्रयोगशालाओं में उत्पाद प्रमाणन के लिए सर्टिफिकेट कोर्स संचालित किया गया।

7.9 अनुसंधान एवं प्रशिक्षण

7.9.1 कार्य अनुसंधान परियोजनाएं

अनुसंधान मानकीकरण प्रक्रिया की आधारशिला है। अनुसंधान उस ज्ञान का उत्पादन करता है जो एक शोध स्थान के बाहर आवेदन के लिए उपयुक्त बनाने के लिए मानक निर्माण की प्रक्रिया के दौरान विश्लेषण और अद्यतन किया जाता है। अनुसंधान संरचित तरीके और विश्वसनीय डेटा प्रदान करता है जो साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने में सहायता करता है। अनुसंधान और गतिशील नीति निर्माण के ऐसे जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र को स्थापित करने के लिए, बीआईएस ने कार्य अनुसंधान परियोजना की स्थापना की है।

बीआईएस की विभिन्न गतिविधियों में अधिकारियों द्वारा कार्य अनुसंधान परियोजनाएं शुरू की जाती हैं। इसके अलावा, भारतीय मानकों को अधिकारियों को एक्शन रिसर्च मोड के माध्यम से समीक्षा शुरू करने के लिए, आशोधन/संशोधन/पुष्टिकरण या वस्तुनिष्ठ साक्ष्य के साथ वापसी का सुझाव देने के लिए आवंटित किया गया था। अब तक, बीआईएस अधिकारियों को कुल 2259 एक्शन रिसर्च परियोजनाएं (चरण I में 142, चरण II में 335, चरण III में 317, चरण IV में 409, चरण V में 392, चरण VI में 332 और चरण VII में 332) आवंटित की गई हैं। इन परियोजनाओं की प्रगति पर प्रमुखों, उप महानिदेशकों और महानिदेशकों के स्तर पर कड़ी निगरानी और समीक्षा की जाती है। इन एआरपी में अधिकारियों द्वारा की गई सिफारिशों को संबंधित खंड समिति को उनके विचारार्थ अग्रेषित किया जाता है।

7.9.2 मामला अध्ययन पर बुकलेट

भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) गुणवत्ता पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और इसके पास इस क्षेत्र में अपार अनुभव है। केस स्टडीज और सक्सेस स्टोरीज गुणवत्ता पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार के लिए ब्यूरो द्वारा किए गए विभिन्न उपायों के लाभों को साझा करने के अनुभव को साझा करने में अमूल्य संपत्ति के रूप में काम कर सकते हैं। विफल या दोषपूर्ण उद्यमों पर केस स्टडीज आवश्यक सुधारात्मक उपायों की पहचान और कार्यान्वयन करके प्रणाली में सुधार के अवसर प्रदान करता है। कुल मिलाकर, केस स्टडीज महत्वपूर्ण प्रशिक्षण और प्रचार उपकरण के रूप में काम कर सकते हैं जो अनुभव साझा करने के माध्यम से ज्ञान पोर्टल को समृद्ध करने में मदद कर सकते हैं।

इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए, बीआईएस ने आईआईएम (लखनऊ) के संकाय के साथ एनआईटीएस में केस स्टडी पर दो प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए और 11 केस स्टडी तैयार की गईं। इन केस स्टडीज पर एक पुस्तिका तैयार की गई है और ऑडियो-विजुअल संसाधनों के तहत बीआईएस की वेबसाइट पर अपलोड की गई है।

7.9.3 एसेइंग और हॉलमार्किंग पर सर्टिफिकेट कोर्स

एसेइंग और हॉलमार्किंग पर एक सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया गया है, जिसे राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) द्वारा मान्यता प्राप्त है और जो भारत सरकार की कौशल भारत पहल और सोने की अनिवार्य हॉलमार्किंग को प्रोत्साहन देने के लिए एसेइंग और हॉलमार्किंग कार्य में शामिल कार्मिकों की क्षमता के अंतर को भरने के लिए है। बीआईएस की केंद्रीय प्रयोगशाला (सीएल), दक्षिणी क्षेत्रीय प्रयोगशाला (एसआरओएल) और पूर्वी क्षेत्रीय प्रयोगशाला (ईआरओएल) को इस पाठ्यक्रम के लिए प्रशिक्षण केंद्र के रूप में मान्यता प्राप्त है और अब तक 137 उम्मीदवारों ने इस पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा किया है।

7.9.4 वरिष्ठ अधिकारियों का नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम

बीआईएस की प्रशिक्षण नीति के अनुसरण में, आईआईएम अहमदाबाद प्रमुख और वरिष्ठ स्तर पर कर्मचारियों के लिए आवासीय नेतृत्व विकास प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए लगा हुआ था ताकि उन्हें एक कुशल और उत्पादक तरीके से अपनी पर्यवेक्षकीय भूमिका का निर्वहन करने में मदद मिल सके। 40 बीआईएस अधिकारियों ने 26 से 30 सितंबर 2022 तक प्रशिक्षण लिया है।

7.9.5 बीआईएस इंटर्नशिप योजना

बीआईएस ने अपनी 148वीं बैठक में कार्यकारी समिति (ईसी) द्वारा अनुमोदित बीआईएस की इंटर्नशिप योजना के अनुसरण में, आईआईटी, एनआईटी और एनआईटीआरए आदि के अट्टाईस छात्रों को सस्टेनेबिलिटी प्रोजेक्ट में बीआईएस में इंटर्न के रूप में नियुक्त किया गया है और एक छात्र को इंटर्नशिप के ग्रीष्मकालीन सत्र के दौरान डेटा संरक्षण विधेयक, सूचना सुरक्षा आदि जैसे प्रौद्योगिकी विनियमन के क्षेत्र में मानकीकरण की भूमिका का अध्ययन करने के लिए परियोजना में शामिल किया गया है।

इंटरनशिप के शीतकालीन सत्र के लिए 152 विद्यार्थियों को ऑफर लेटर भेजे जा चुके हैं, जिनमें से 56 छात्रों ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है और 43 छात्र अब तक इंटरनशिप में शामिल हो चुके हैं।

7.9.6 बीओएस, टीसीएस और तकनीकी विशेषज्ञों का फेलिसिटेशन

मानक विकास में तकनीकी समितियों, तकनीकी विशेषज्ञों के योगदान को स्वीकार करने के लिए और अनुरूपता मूल्यांकन गतिविधि में बीआईएस के शाखा कार्यालयों के कार्यनिष्पादन की सराहना करने के लिए, तकनीकी समितियों, तकनीकी विशेषज्ञों और शाखा कार्यालयों को माननीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरणय और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, राज्य मंत्री द्वारा 14 अक्टूबर 2022 को बीआईएस मुख्यालय, नई दिल्ली में विश्व मानक दिवस समारोह के दौरान सम्मानित किया गया।

7.9.7 वैज्ञानिक संवर्ग के अधिकारियों के लिए अनुभव दौरे (एक्सपोजर विजिट)

मानकीकरण, अनुरूपता मूल्यांकन और प्रयोगशाला परीक्षण प्रणाली के क्षेत्र में बीआईएस के सीईएन-सीईएनईएलईसी और एएफएनओआर के वैज्ञानिक संवर्ग के अधिकारियों की अच्छी परिपाटियों का अध्ययन करने के लिए 27 जून 2022 से 6 जुलाई 2022 तक अनुभव दौरा (एक्सपोजर विजिट) सह प्रशिक्षण आयोजित किया गया था, ताकि बीआईएस की इन गतिविधियों के सुदृढीकरण के लिए इनका उचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। वर्ष 2023 की पहली तिमाही में डीआईएन/डीकेई के लिए बीआईएस के वैज्ञानिक संवर्ग के अधिकारियों के लिए इसी तरह के अनुभव दौरा (एक्सपोजर विजिट सह प्रशिक्षण) की योजना बनाई गई है।

7.9.8 प्रशिक्षण

मानकीकरण और अनुरूपता मूल्यांकन संबंधी प्रशिक्षण के लिए उद्योग-जगत की बढ़ती जरूरतों और अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए 1995 में भारतीय मानक ब्यूरो के तत्वावधान में राष्ट्रीय मानकीकरण प्रशिक्षण संस्थान (निट्स), की स्थापना की गई थी। निट्स अच्छी तरह से अनुभवी, योग्य और प्रशिक्षित संकाय की एक टीम द्वारा आयोजित मानक निर्माण, अनुरूपता मूल्यांकन, प्रयोगशाला सेवाओं, प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता है।

निट्स विश्व स्तर के प्रशिक्षण अवसंरचना से सुसज्जित है जिसमें एक सभागार, अत्याधुनिक कंप्यूटर प्रयोगशाला, आधुनिक कान्फ्रेंस कक्ष, विभिन्न बैठने की क्षमता वाले कई प्रशिक्षण हॉल और एक आवासीय छात्रावास शामिल है।

इस अवधि के दौरान, निट्स ने उद्योग, बीआईएस अधिकारियों और तकनीकी समिति के सदस्यों के लिए 130 कार्यक्रमों का आयोजन किया। 3452 से अधिक प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया गया है।

7.9.9 एसएमई के लिए कैप्सूल कोर्स

गुणवत्ता नियंत्रण कार्मिकों की तकनीकी विशेषज्ञता की कमी को बीआईएस लाइसेंस प्राप्त करने/संचालित करने के दौरान उद्योग के समक्ष आने वाली बाधाओं में से एक के रूप में इंगित किया गया है। कई नए उत्पादों के अनिवार्य बीआईएस प्रमाणीकरण के तहत आने से यह अंतर बढ़ रहा है। इस अंतर को पूरा करने के लिए, बीआईएस पूरे भारत में एनआईटीएस और इसके शाखा कार्यालयों के माध्यम से गुणवत्ता नियंत्रण कार्मिकों के लिए अल्पावधि कैप्सूल पाठ्यक्रम (2-दिवसीय) आयोजित कर रहा है। ये कैप्सूल पाठ्यक्रम प्रतिभागियों के लिए निःशुल्क आयोजित किए जा रहे हैं। वर्ष 2022-23 में 165 कैप्सूल कोर्स संचालित किए जाने की संभावना है। अब तक 112 कैप्सूल कोर्स कराये जा चुके हैं। इन कार्यक्रमों में 2200 से अधिक व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया है।

अवधि के दौरान नई पहल

1. पाठ्यक्रम के लिए कोई शुल्क लिए बिना ही उद्योग-जगत के गुणवत्ता नियंत्रण कार्मिकों के लिए कैप्सूल कोर्स शुरू किए गए।
2. बैठक आयोजित करने के लिए आधुनिक सम्मेलन कक्ष का निर्माण।

7.10 सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं (आईटीएस)

भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस), भारत सरकार के डिजिटल इंडिया के विजन के अनुरूप अपने कार्यकलापों को डिजिटाइज करने की प्रक्रिया में सक्रिय है। इस प्रयास के एक भाग के रूप में निम्नलिखित पहलें आरंभ की गई हैं :-

- मानकीकरण गतिविधि से संबंधित सभी प्रक्रियाओं का प्रबंधन करने के लिए बीआईएस में एक मानक पोर्टल संचालन में है। इस पोर्टल को 'अपने मानक को जानिए', 'नए मानक', 'संशोधित मानक', 'मानकों की समीक्षा' आदि जैसी नई विशेषताओं को जोड़ने के लिए बढ़ाया गया था। 'अपने मानक को जानिए' सभी मानकों से संबंधित डेटा और दस्तावेजों तक पहुंचने के लिए वनस्टॉप समाधान प्रदान करता है। मानक खोज बॉक्स में भारतीय मानक (आईएस) संख्या या एक कीवर्ड (जैसे उत्पाद का नाम) दर्ज करके खोजा जा सकता है। उपयोगकर्ता न केवल मानक से संबंधित बुनियादी दस्तावेजों जैसे आईएस के पीडीएफ, संशोधन, राजपत्र अधिसूचना, परीक्षण और निरीक्षण की स्कीम तक पहुंच सकते हैं बल्कि लाइसेंस की सूची, प्रयोगशालाओं की सूची जैसे विवरण भी प्राप्त कर सकते हैं, संबंधित आईएस के लिए परीक्षण, वर्गीकरण विवरण और समिति की संरचना को भी ऐप के माध्यम से देखा जा सकता है।
- पोर्टल में भारतीय मानकों की समीक्षा के लिए नई सुविधा विकसित की गई, जो हितधारकों को समीक्षा विवरण लॉग करने और समीक्षा के लिए टेम्पलेट भरने के लिए एक इंटरफेस प्रदान करती है। इसमें संबंधित समिति के सदस्यों को उनकी टिप्पणियों के लिए समीक्षा दस्तावेज परिचालित करने का भी प्रावधान है। विचार-विमर्श पूरा होने के बाद, इंटरफेस समीक्षा के परिणामस्वरूप लिए गए निर्णय को लॉग करने का प्रावधान भी प्रदान करता है। इंटरफेस समीक्षा प्रक्रिया की लाइफ साइकल को ट्रैक करता है और चल रहे कार्यों और लक्ष्यों की कुशल ट्रैकिंग और निगरानी के लिए कई रिपोर्ट भी तैयार करता है। इसके अतिरिक्त, मानकों से संबंधित डेटा को विभिन्न पोर्टलों जैसे मानक ऑनलाइन, प्रयोगशाला सूचना प्रबंधन प्रणाली, बीआईएस-केयर ऐप, प्रयास और एसेइंग पोर्टल आदि से साझा करने के लिए एपीआई विकसित किए गए थे।
- मार्च 2022 में एक आम उपभोक्ता को अपने बिना हॉलमार्क वाले सोने के आभूषणों की शुद्धता की जांच बीआईएस से मान्यता प्राप्त एसेइंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर (एएचसी) में कराने का प्रावधान शुरू किया गया था। इसके तहत एएचसी सोने की शुद्धता की जांच करेगा और आम उपभोक्ताओं से सोने के आभूषणों को प्राथमिकता के आधार पर प्राप्त कर उपभोक्ता को जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराएगा। उपभोक्ता को जारी की गई परीक्षण रिपोर्ट उपभोक्ता को उनके आभूषणों की शुद्धता के बारे में आश्वस्त करेगी।

- 31 मार्च 2022 से पहले सोने के नमूने ऑफलाइन मोड में एकत्र किए जा रहे थे। अब 01 अप्रैल 2022 से बीआईएस रिपोर्ट ऐप में सॉफ्टवेयर जोड़ा गया है और अब सभी निगरानी फील्ड में ऑनलाइन की जा रही है। इसने निगरानी गतिविधि को कागज रहित और आसान बना दिया है। इसमें दुकान पर ही हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन (एचयूआईडी) का उपयोग करके सोने की कई वस्तुओं की जांच और सत्यापन करने का भी प्रावधान है।
- रेफरल और एसेइंग लैब मॉड्यूल को 16 नवंबर 2022 को लाइव किया गया, यह हॉलमार्किंग सर्विलांस गतिविधियों के ऑनलाइन वर्कफ्लो को एंड टू एंड तक पूरा करता है, जैसे कि फील्ड में एकत्र किए जा रहे नमूनों को लैब में भेजा जाता है और ऑनलाइन मोड में प्रविष्टियां की जाती हैं, उसके बाद आरएएल टेस्ट और देखे गए मान दर्ज किए जाते हैं। इसके बाद परीक्षण रिपोर्ट तैयार की जाती है और आवश्यक कार्रवाई के लिए स्वचालित रूप से बीओ और हॉलमार्किंग अधिकारियों (एचएमओ) को भेजी जाती है।
- अनुरूपता मूल्यांकन पोर्टल से विनिर्माता अपने उत्पादों पर मानक चिह्न (आईएसआई) के प्रयोग के लिए लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन करने, ऐसे लाइसेंसों के नवीनीकरण, सरलीकृत ऑनलाइन साधनों के माध्यम से शुल्क के भुगतान/जमा में सक्षम हो जाते हैं और उन्हें भुगतान के अनेक विस्तार क्षेत्र उपलब्ध हो जाते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो इन अनुरोधों को प्रक्रियायित कर अपने निर्णय ऑनलाइन संसूचित कर सकता है और हमारे पणधारियों के आवेदनों की वास्तविक समय के अनुसार ट्रैकिंग कर सकता है। स्तरोन्नत डैशबोर्ड से पणधारी प्रत्येक क्षेत्र जैसे प्रमाणन के अधीन मानक, उत्पाद मैनुअल प्रचालन करने वाले लाइसेंसधारी, नए आवेदन पत्र, प्रदान किए गए लाइसेंस, विलम्बित लाइसेंस आदि जैसी सूचनाएं प्राप्त करने में सक्षम हो जाते हैं। पोर्टल को स्वचालित नवीनीकरण, डेफरमेंट और एक्स्पायरी, मानक रिपोर्ट, मोबाइल ऐप आधारित निगरानी मॉड्यूल, डिजिटाइज्ड लॉट निरीक्षण आदि जैसी सुविधाओं के साथ बढ़ाया गया है और निरंतर आधार पर इसका उन्नयन किया जा रहा है।
- बीआईएस नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम (एनएसडब्ल्यूएस) पोर्टल पर भी शामिल हो गया है और अपनी हॉलमार्किंग योजनाओं, ज्वैलर्स के पंजीकरण के साथ-साथ हॉलमार्किंग केंद्रों की मान्यता, दोनों को एकीकृत किया है, जो उपयोगकर्ताओं को एक ही स्थान पर बीआईएस अनुमोदन के साथ विभिन्न मंजूरी और अनुमोदन के लिए सिंगल विंडो के माध्यम से आवेदन करने की सुविधा प्रदान करती है।
- एक आधुनिक, गतिशील और उपयोगकर्ता के अनुकूल डिजाइन के साथ बीआईएस वेबसाइट (www.bis.gov.in) का नया रूप लॉन्च किया गया था। बीआईएस वेबसाइट का नया रूप 'सतत विकास के संबंध में मानक', 'हितधारकों को शामिल करना – मानक मंथन', 'बीआईएस

केयर ऐप', 'गुणवत्ता नियंत्रण पर उत्पाद विशिष्ट कैप्सूल पाठ्यक्रम', 'शैक्षणिक संस्थानों में मानक क्लब', 'हितधारक की संलग्नता पर अधिक केंद्रित होना', 'उभरते क्षेत्रों में मानक', 'बीआईएस के साथ इंटरनशिप', 'अपने मानक को जानिए', 'तकनीकी और पेशेवर संस्थानों के साथ साझेदारी', 'गुणवत्ता अनुपालन संस्कृति बनाना' 'उपयोगकर्ता के अनुकूल मानक सूची', 'जीआईएस', आदि पर ध्यान केंद्रित करता है।

- बीआईएस केयर ऐप हितधारकों को अनिवार्य पंजीकरण योजना (सीआरएस) के तहत आईएसआई चिह्न, पंजीकृत ज्वैलर्स और चिह्नित इलेक्ट्रॉनिक सामानों की प्रामाणिकता को सत्यापित करने की सुविधा प्रदान करता है, साथ ही उनकी शिकायतें प्रस्तुत करने की सुविधा भी देता है। ऐप को आईफोन और आईपैड के लिए भी रोल आउट किया गया था जिसमें एंड्रॉइड ऐप में उपलब्ध सभी सुविधाएं थीं।

- जिस उद्देश्य के लिए पोर्टल विकसित किया गया था, उसके सार को सही मायने में दर्शाने के लिए कंज्यूमर इंगेजमेंट पोर्टल का नाम बदलकर मानक संवर्धन पोर्टल कर दिया गया। इसे अगले स्तर पर ले जाते हुए, बीआईएस द्वारा की जा रही गतिविधियों के मानक प्रचार के संपूर्ण बुफे को पूरा करने के लिए सुविधाओं का एक व्यापक सेट पेश किया गया। गतिविधियों की मुख्य विशेषताएं प्रदर्शित करने के लिए, एक फोटो गैलरी जिसे मानक मंच नाम दिया गया था, को भी पोर्टल में शामिल किया गया था। पोर्टल को मानक क्लबों को पंजीकृत करने, उनके जिओ लोकेशन कोर्डिनेट्स कैप्चर करने, मेंटर प्रशिक्षण स्थिति, साइन-बोर्ड की स्थापना की स्थिति, सदस्य विवरण और पूर्व छात्रों के विवरण प्राप्त करने के लिए सुविधाओं के साथ आगे बढ़ाया गया था। रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक व्यापक प्रणाली भी शामिल की गई थी।

- देश भर में युवा स्वयंसेवकों द्वारा गुणवत्ता कनेक्ट अभियान को सुविधाजनक बनाने के लिए, स्वयंसेवकों के लिए उनके द्वारा की गई बातचीत के विवरण को कैप्चर करने के लिए एक गुणवत्ता कनेक्ट मोबाइल ऐप विकसित किया गया था। ऐप ने उन लोगों से फीडबैक प्राप्त करने की सुविधा भी प्रदान की जिनके साथ बातचीत हुई थी। इसके अलावा, स्वयंसेवकों का एक केंद्रीकृत पूल बनाने के लिए, स्वयंसेवकों के पंजीकरण के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली शुरू की गई थी।

- बीआईएस की प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन योजना के वर्कफ्लो अर्थात आवेदक द्वारा आवेदन जमा करने से लेकर उन्हें लाइसेंस प्रदान करने तक, को स्वचालित करने के लिए एक पोर्टल विकसित किया गया है। इसके अलावा, यह पोर्टल संभावित लेखा परीक्षकों को स्वयं को बीआईएस के साथ सूचीबद्ध करने की सुविधा प्रदान करता है।

- राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बीआईएस आउटरीच और सेवाओं में सुधार के लिए, सभी गतिविधियों की वास्तविक समय की निगरानी के लिए बिजनेस इंटेलिजेंस सिस्टम विकसित किया गया है। इसके भाग के रूप में, सभी बीआईएस शाखा कार्यालयों और अधिकारियों के समग्र कार्यनिष्पादन प्राप्त करने और तदनुसार उनकी समीक्षा करने के लिए उत्पाद प्रमाणन योजना में दक्षता सूचकांक लागू किया गया है।

7.11 उपभोक्ता मामले और जनसंपर्क

भारतीय मानक ब्यूरो में थिंक नज और मूव विभाग बीआईएस की संचार कार्यनीति का नेतृत्व करता है और उपभोक्ताओं, उद्योगों, सरकारी कर्मचारियों आदि जैसे इसके विविध हितधारकों के साथ जुड़ाव का नेतृत्व करता है। यह विभिन्न उपभोक्ता संबंधित गतिविधियों जैसे जागरूकता कार्यक्रमों, उपभोक्ता संरक्षण, बीआईएस के हितधारकों के साथ बातचीत, विश्व मानक दिवस, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस और प्रचार से संबंधित गतिविधियों को संभालता है।

निम्नलिखित श्रेणियों के तहत कार्यक्रम और गतिविधियां आयोजित की गई हैं:

उपभोक्ताओं के साथ आयोजित मानक संवर्धन गतिविधियाँ : मानकीकरण, प्रमाणन की अवधारणा को बढ़ावा देने और उपभोक्ताओं के बीच गुणवत्तापूर्ण जागरूकता पैदा करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो के क्षेत्रीय कार्यालयों और शाखा कार्यालयों के नेटवर्क के माध्यम से नियमित आधार पर जागरूकता कार्यक्रम और अन्य गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। 01 जनवरी से 31 दिसंबर 2022 के दौरान देश भर में क्षेत्रीय कार्यालयों/शाखा कार्यालयों द्वारा ऐसे 473 कार्यक्रम आयोजित किए गए थे।

उद्योग-जगत के साथ आयोजित मानक संवर्धन गतिविधियाँ : उद्योगों के बीच मानकीकरण, उत्पाद प्रमाणन, प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन और अन्य बीआईएस गतिविधियों की अवधारणा का प्रचार करने के लिए, ज्वेलर/कारीगरों के लिए जागरूकता कार्यक्रमों सहित 772 गतिविधियां 01 जनवरी से 31 दिसंबर 2022 के दौरान आयोजित की गई थीं। कार्यक्रमों में व्याख्यान और चर्चाएं शामिल थीं। ऐसे कार्यक्रमों के दौरान क्षेत्र में उद्योगों की केन्द्रीकरण के आधार पर विशिष्ट औद्योगिक क्षेत्रों से संबंधित मानकों पर भी प्रकाश डाला गया था।

शैक्षणिक समुदाय के साथ आयोजित मानक संवर्धन गतिविधियाँ : भारतीय मानक ब्यूरो युवा छात्रों के बीच मानकीकरण की अवधारणाओं और लाभों को विकसित करने के लिए कॉलेजों और तकनीकी संस्थानों के छात्रों और संकाय के लिए कार्यक्रमों का आयोजन करता है। भारतीय मानक ब्यूरो ने 01 जनवरी से 31 दिसंबर 2022 के दौरान 2032 गतिविधियों का आयोजन किया था।

सरकार के साथ आयोजित मानक संवर्धन गतिविधियाँ : 01 जनवरी से 31 दिसंबर 2022 के दौरान, भारतीय मानक ब्यूरो ने प्राथमिक हितधारक के रूप में सरकार के साथ 854 गतिविधियों का आयोजन किया। गतिविधियों में सरकारी विभागों के साथ बैठकें, जिला उद्योग केंद्रों के साथ बैठकें, जागरूकता कार्यक्रम और अन्य कार्यक्रम शामिल थे।

उपभोक्ता संगठनों के साथ बैठक :

- i. विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस – टीएनएमडी ने 16 मार्च 2022 को 'भारतीय उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा – बीआईएस गतिविधियाँ' पर महानिदेशक, बीआईएस की अध्यक्षता में एक वेबिनार का आयोजन किया गया। वेबिनार में पूरे देश में 200 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया और मानकों के विकास में उपभोक्ता संगठन और गैर सरकारी संगठन की भूमिका के बारे में बताया और यह बताया गया कि कैसे ये संगठन सरकार, नियामकों और आम उपभोक्ताओं के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करते हैं।
- ii. एनआईटीएस, नोएडा में 10 जून 2022 को 'मानकीकरण और गुणवत्ता नियंत्रण में वीसीओ की भूमिका' पर कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया (सीसीआई) द्वारा एक राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला आयोजित की गई थी। 'बीआईएस गतिविधियों और बीआईए' द्वारा की गई पहलों पर प्रमुख (टीएनएमडी) द्वारा एक तकनीकी सत्र लिया गया और विभिन्न बीआईएस गतिविधियों आदि में उपभोक्ता संगठनों की संलग्नता की प्रक्रिया की व्याख्या की गई।
- iii. 05 अगस्त 2022 को बीआईएस के साथ मिलकर कार्य करने के लिए महानिदेशक, बीआईएस की अध्यक्षता में उपभोक्ता संगठन/एनजीओ/स्वैच्छिक संगठन के साथ एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें देश भर के 25 प्रमुख उपभोक्ता संगठन/एनजीओ/स्वैच्छिक संगठनों ने भाग लिया।

विशेष अवसरों को सेलीब्रेट करना:

विश्व मानक दिवस : भारतीय मानक ब्यूरो ने 14 अक्टूबर 2022 को विश्व मानक दिवस मनाया। यह दिवस राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों को विकसित करने के लिए दुनिया भर के हजारों विशेषज्ञों के सहयोगी प्रयासों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण निकायों अर्थात् आईएसओ, आईईसी और आईटीयू द्वारा तय किए गए समारोहों के लिए विषय 'एक बेहतर दुनिया के लिए हमारा साझा दृष्टिकोण' था। भारतीय मानक ब्यूरो, जो अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण निकायों में भारत का प्रतिनिधित्व करता है, ने इस विषय पर पूरे भारत में कार्यक्रम

आयोजित किए। 14 अक्टूबर 2022 को बीआईएस ऑडिटोरियम, दिल्ली में हाइब्रिड मोड में विश्व मानक दिवस 2022 मनाया गया। श्री अश्विनी कुमार चौबे, माननीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री ने समारोह की अध्यक्षता की।

माननीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, और वस्त्र मंत्री, श्री पीयूश गोयल ने विश्व मानक दिवस के विषय पर एक वीडियो संदेश, अर्थात् मानकों और सतत विकास पर ध्यान देने के साथ एक बेहतर दुनिया के लिए भारत का दृष्टिकोण, कार्यक्रम के दौरान प्रदर्शित किया गया।

कार्यक्रम के दौरान मानक राष्ट्रीय कार्य योजना (एसएनएपी) 2022–27 पर दो सत्रों का आयोजन किया गया और शैक्षिक संस्थानों के प्रतिनिधियों ने तकनीकी शिक्षा में मानकों के महत्व को रेखांकित किया।

स्टैंडर्ड्स क्लब के मेंटर्स ने दिन के दूसरे पहर में डब्ल्यूएसडी 2022 थीम पर आधारित तकनीकी सत्र के बाद बीआईएस के साथ अपने अनुभव और जर्नी को साझा किया।

उपरोक्त घटना के दौरान फर्स्ट इन बीआईएस, मानक राष्ट्रीय कार्य योजना (एसएनएपी) 2022–2027 और मानक क्लब पर लघु वीडियो भी प्रदर्शित किए गए।

सभी क्षेत्रीय और शाखा कार्यालयों में भी विश्व मानक दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम 13 अक्टूबर 2022 को शुरू हुए और 16 अक्टूबर 2022 को संपन्न हुए।

प्रत्येक बीओ ने एक 'मानक महोत्सव', मानक कॉन्क्लेव का आयोजन किया, जिसमें उद्योग-जगत, सरकार, उपभोक्ताओं और शिक्षा जगत के विभिन्न हितधारकों ने भाग लिया। विश्व मानक दिवस की थीम 'बेहतर दुनिया के लिए साझा दृष्टिकोण' पर तकनीकी सत्र आयोजित किए गए। इसके अलावा, बीओ ने आज तक लाइसेंस रखने वाले सबसे पुराने लाइसेंसधारी और ऑल इंडिया फर्स्ट लाइसेंसधारियों को भी मान्यता दी और सम्मानित किया।

सभी आरओ/बीओ द्वारा आयोजित एक अन्य कार्यक्रम मानक और गुणवत्ता के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए शहर के प्रमुख स्थान के आसपास 2 से 5 किलोमीटर की गुणवत्ता यात्रा थी। इन कार्यक्रमों को प्रख्यात हस्तियों द्वारा झंडी दिखाकर रवाना किया गया और सामान्य रूप से 200 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।

आरओ/बीओ ने आम उपभोक्ताओं के बीच मानकों और गुणवत्ता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए युवा स्वयंसेवकों (कॉलेज के छात्रों आदि) द्वारा घर-घर जाकर एक "क्वालिटी कनेक्ट" कार्यक्रम भी आयोजित किया। बीओ ने कम से कम 100 युवा स्वयंसेवकों की नियुक्ति की जिन्हें मानक मित्र नाम दिया गया। अभियान के दौरान प्रत्येक मानक मित्र ने कम से कम 25 घरों को कवर किया। इन परिवारों के साथ बातचीत के दौरान, स्वयंसेवकों ने बीआईएस के बारे में पैम्फलेट वितरित किए, उन्हें अनिवार्य प्रमाणीकरण के तहत बीआईएस और सामान्य घरेलू वस्तुओं के बारे में सूचित किया और बीआईएस वेबसाइट, बीआईएस केयर ऐप और नो योर स्टैंडर्ड फीचर का प्रदर्शन किया। स्वयंसेवकों ने अभियान के दौरान कवर किए गए परिवारों से ऐप-आधारित फीडबैक भी एकत्र किया। पूरे देश में इस दो दिवसीय अभियान के दौरान 1 लाख से अधिक परिवारों को कवर किया गया।

डब्ल्यूएसडी 2022 के अवसर पर उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए प्रत्येक बीओ ने प्रमुख रेजीडेंशियल वेलफेयर संघों से संपर्क किया। इन कार्यक्रमों के दौरान, रेजीडेंट्स को विश्व मानक दिवस, बीआईएस और इसकी गतिविधियों के महत्व, सूचित उपभोक्ताओं के रूप में रेजीडेंट्स की भूमिका, बीआईएस केयर ऐप और शिकायत निवारण प्रणाली, आदि के बारे में सूचित किया गया। डब्ल्यूएसडी 2022 उत्सव के दौरान कुल 86 आरडब्ल्यूएस कार्यक्रम आयोजित किए गए और कुल 3500 से अधिक रेजीडेंट्स ने भाग लिया।

कई बीओ में, उद्योगों में मानकों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए और उपभोक्ताओं के रूप में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रमुख उद्योगों द्वारा अपने स्वयं के परिसर और कार्यालय में डब्ल्यूएसडी 2022 भी मनाया गया। विभिन्न बीओ के तहत कई स्टैंडर्ड क्लबों द्वारा भी इसी तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए थे।

डब्ल्यूएसडी 2022 का उत्सव शुरू करने के लिए 13 अक्टूबर 2022 की शाम से प्रत्येक बीआईएस कार्यालय भवन को रोशन किया गया था। कार्यालय के सामने एक डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड स्थापित किया गया था जिसमें विश्व मानक दिवस के उत्सव के बारे में संदेश और अनिवार्य प्रमाणन के तहत उत्पादों पर प्रचार सामग्री, बीआईएस केयर ऐप आदि दिखाई गई थी।

स्टैंडर्ड्स क्लब में छात्रों के लिए प्रथम मानक लेखन प्रतियोगिता – सर्वोदय विद्यालय, सेक्टर-3, रोहिणी, दिल्ली-85 के स्टैंडर्ड क्लब में 21-23 मार्च 2022 तक प्रथम मानक लेखन प्रतियोगिता आयोजित की गयी थी। प्रतियोगिता में 9 छात्र टीमों ने भाग लिया, शीर्ष 3 टीमों को सम्मानित किया गया। इस अवधि में देश भर में इस तरह के कुल 1056 कार्यक्रम आयोजित किए गए।

विशेष कवर – भारतीय मानक ब्यूरो ने 06 जनवरी 2022 को देश भर में अपने कार्यालयों में अपनी स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने की प्लेटिनम जयंती मनाई। डाक विभाग द्वारा इस विशेष अवसर को मनाने के लिए एक विशेष कवर जारी किया गया।

भारतीय मानक ब्यूरो का स्थापना दिवस : भारतीय मानक संस्थान (आईएसआई) 6 जनवरी 1947 को अस्तित्व में आया। भारतीय मानक संस्थान (आईएसआई) 06 जनवरी 1947 को प्रभाव में आया। आम उपभोक्ताओं को मानकीकरण के लाभ प्रदान करने के लिए, भारतीय मानक संस्थान ने भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) अधिनियम, 1952 के तहत प्रमाणन चिह्न योजना का संचालन शुरू किया। यह योजना, जिसे औपचारिक रूप से 1955-56 में आईएसआई द्वारा शुरू किया गया था, ने इसे भारतीय मानकों के अनुरूप उत्पादक वस्तुओं के विनिर्माताओं को लाइसेंस प्रदान करने और उनके उत्पादों पर आईएसआई चिह्न लागू करने में सक्षम बनाया। भारतीय मानक ब्यूरो ने अपने कार्यालयों अखिल भारतीय के साथ 06 जनवरी 2022 को अपने अस्तित्व के 75 वर्ष पूरे होने की प्लैटिनम जयंती मनाई। डाक विभाग द्वारा इस विशेष अवसर को मनाने के लिए एक विशेष कवर जारी किया गया था।

मानकीकरण पर राज्य स्तरीय समितियां (एसएलसीएस) : देश में एक सुदृढ़ गुणवत्ता पारिस्थितिकी तंत्र के सृजन के साधन के रूप में भारतीय मानकों के उपयोग को बढ़ावा देने और मानकों के निर्माण और उपयोग में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करके उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने की दृष्टि से 15 राज्यों में 01 जनवरी से 31 दिसंबर 2022 तक राज्य स्तरीय समितियों का गठन किया गया है। ऐसी समितियों के कार्य की देखरेख भारतीय मानक ब्यूरो के शाखा कार्यालयों द्वारा की जा रही है, जिसमें राज्य के मुख्य सचिव और राज्य के उपभोक्ता मामले विभाग के प्रभारी सचिव क्रमशः एसएलसीएस के अध्यक्ष और सदस्य सचिव के रूप में क्षेत्र के उप महानिदेशक पदेन क्षमता में सदस्य के रूप में हैं। संरचित एजेंडा राज्य की स्थानीय जरूरतों को पूरा करने और सामान्य गुणवत्ता वाले पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार के लिए तैयार किया गया है। इन बैठकों से राज्य सरकार के विभागों के साथ बेहतर समन्वय होता है और सरकारी खरीद में भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणित उत्पादों की खरीद के माध्यम से भारतीय मानकों को बढ़ावा मिलता है।

आजादी का अमृत महोत्सव – भारत @75 : भारतीय स्वतंत्रता की 75 वीं वर्षगांठ का जश्न मनाने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो अप्रैल 2021 से 15 अगस्त 2022 तक प्रत्येक सप्ताह अपने आरओ/बीओ/प्रयोगशालाओं में देश भर में कई अभिनव गतिविधियों का आयोजन कर रहा है। इस संबंध में भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा शुरू की गई कुछ गतिविधियां विषय आधारित संगोष्ठियां/वेबिनार, स्कूलों/कॉलेजों में स्टैंडर्ड क्लब गतिविधियां, उद्योग बैठकें आदि हैं।

एकम के तहत, भव्य सप्ताह उत्सव का आयोजन 14 से 20 मार्च 2022 तक 8 विभिन्न आरओ/बीओ/प्रयोगशाला स्तर पर किया गया था। बीआईएस के सभी बीओ द्वारा 14 मार्च 2022 को भव्य सप्ताह उत्सव के दौरान 41 आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए गए।

मानक क्लब :

मानकीकरण के आधार पर गुणवत्ता चेतना, त्वरित आर्थिक विकास के स्तंभों में से एक है और गुणवत्ता, मानकों और मानकीकरण के महत्व की सराहना करने के लिए छात्रों को इन विषयों पर सामाजिक जागरूकता में सुधार के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम कर सकता है। भारतीय मानक ब्यूरो का उद्देश्य शैक्षिक संस्थानों में मानक क्लबों के रूप में पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग के माध्यम से गुणवत्ता और मानकीकरण के क्षेत्र में युवा प्रतिभाओं को सीखने के अवसर प्रदान करना है। इस संबंध में दिशानिर्देश जारी किए गए हैं और क्षेत्रीय और शाखा कार्यालयों ने मानक क्लबों के गठन के लिए उच्च और उच्च माध्यमिक विद्यालयों, कॉलेजों, व्यावसायिक संस्थानों और ऐसे संस्थानों से संपर्क किया है जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं। 01 जनवरी से 31 दिसंबर, 2022 तक पूरे देश में 4014 मानक क्लब बनाए गए हैं।

हितधारकों तक पहुंच स्थापित करना :

श्री रोहित कुमार सिंह, सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार की अध्यक्षता में राज्य उपभोक्ता मामले सचिवों और जिला कलेक्टरों के साथ 14 दिसंबर 2022 को एक वेबिनार आयोजित किया गया था, जिसमें भारतीय मानक ब्यूरो की हालिया पहल और देश में गुणवत्ता पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ाने और उपभोक्ता सशक्तिकरण में राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों और जिला अधिकारियों की भूमिकाओं जो वे निभा सकते हैं, पर चर्चा की गई थी। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस अर्थात् 24 दिसंबर 2022 के अवसर पर सभी जिलाधिकारियों/जिला कलेक्टरों को उनके जिलों कार्यक्रम आयोजित करने के लिए में संवेदनशील बनाने हेतु ईमेल भेजे गए थे।

महानिदेशक, बीआईएस के हस्ताक्षर के तहत सभी मुख्य सचिव, उपभोक्ता मामले विभागों को जिला कलेक्टरों को आवश्यक निर्देश जारी करने के संबंध में पत्र भेजे गए थे ताकि 24-12-2022 को इस पर बीआईएस को विभाग के जिला प्रमुखों की उपस्थिति सुनिश्चित करके संवेदीकरण/सुदृढीकरण कार्यक्रम आयोजित करने में आवश्यक समर्थन दिया जा सके।

24 दिसंबर 2022 अर्थात् राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के अवसर पर, देश भर के विभिन्न जिलों में 40 संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित किए गए। श्री रोहित कुमार सिंह, सचिव,

उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा वेबिनार और महानिदेशक, बीआईएस के पत्र के परिणामस्वरूप, लगभग 100 की संख्या में इस तरह के कार्यक्रम दो सप्ताह की समयावधि में अर्थात् 19 दिसंबर 2022 से 03 जनवरी 2023 तक, आयोजित किए गए।

मानकों और अन्य सामग्रियों का प्रकाशन

बीआईएस, अपने प्रकाशनों के माध्यम से, भारतीय मानकों के इलेक्ट्रॉनिक प्रकाशन और उनके संशोधनों को और भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित मानकों और संशोधनों की अधिसूचना का कार्य देखता है। 01 अप्रैल 2022 से 31 दिसंबर 2022 के दौरान, बीआईएस ने 760 मानक तैयार किए, जिनमें से 337 नए थे और 423 संशोधित किए गए थे। इसके अलावा, बीआईएस ने 163 संशोधन तैयार किए हैं। इस दौरान कुल 403 मानक वापस लिए गए हैं। 31 दिसंबर 2022 की स्थिति के अनुसार लागू मानकों की कुल संख्या 21733 है, और 31 दिसंबर 2022 तक प्रभावी संशोधनों की कुल संख्या 1876 है।

बिक्री

बीआईएस मुख्यालय (एचक्यू), क्षेत्रीय और शाखा कार्यालयों में स्थित 25 विभिन्न बिक्री आउटलेट्स के माध्यम से भारतीय मानक (आईएस) और विशेष प्रकाशन (एसपी) की बिक्री करता है। बिक्री भारत के प्रमुख शहरों में फौले पंजीकृत पुस्तक विक्रेताओं के माध्यम से भी की जाती है। बीआईएस भारत में बीआईएस मुख्यालय (एचक्यू) से विदेशी मानक (आईएसओ, आईईसी, बीएसआई लंदन, डीआईएन जर्मनी, जेआईएस जापान) भी बेचता है। इसके अलावा, भारतीय मानक और विशेष प्रकाशन ई-पोर्टल (www.standardsbis.bsbedge.com) के माध्यम से भी बेचे जाते हैं। भारतीय मानक अब ई-पोर्टल के माध्यम से गैर-वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए डाउनलोड करने योग्य संस्करण में निःशुल्क उपलब्ध हैं।

कैशलेस लेनदेन के लिए भारत सरकार के निर्देशानुसार, प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) टर्मिनल पर कैशलेस लेनदेन को सक्षम करने के लिए क्रेडिट/डेबिट कार्ड के माध्यम से भुगतान स्वीकार करने की सुविधा सभी बीआईएस बिक्री काउंटरों पर उपलब्ध कराई गई है।

भारतीय मानक डीवीडी में एक पूर्ण सेट या सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल आदि जैसे विभिन्न विभागक्षेत्र विशिष्ट सेट के रूप में सदस्यता के आधार पर भी उपलब्ध हैं। इसके अलावा, भारतीय मानक भी ऑनलाइन सदस्यता के माध्यम से उपलब्ध कराए गए थे। नेशनल बिल्डिंग कोड (एनबीसी) 2016 डीवीडी/ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन पर भी उपलब्ध है।

शिक्षा और अनुसंधान क्षेत्र के लिए – बीआईएस ने शैक्षिक संस्थानों, वैज्ञानिक और अनुसंधान प्रयोगशालाओं, कनसोर्टिया के माध्यम से संचालित केंद्र और राज्य सरकार की प्रयोगशालाओं/अनुसंधान संस्थानों को डीवीडी/ऑनलाइन सदस्यता के आधार पर भारतीय मानक उपलब्ध कराए हैं।

कॉर्पोरेट/उद्यम क्षेत्र के लिए – बीआईएस ने डीवीडी/ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन पर भारतीय मानक भी उपलब्ध कराए हैं जिसमें बहु-स्थानों से संचालित एकल कॉर्पोरेट इकाई के लिए डब्ल्यूएन (वाइड एरिया नेटवर्क) के माध्यम से भारतीय मानकों तक पहुंच शामिल है।

चुनाव आयोग की 152वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, सभी स्वदेशी भारतीय मानक निःशुल्क उपलब्ध हैं।

सतर्कता गतिविधियाँ

भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) की सतर्कता स्थापना मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) की अध्यक्षता में है और इसमें बीआईएस मुख्यालय में सतर्कता विभाग और समूह ख और ग कर्मचारियों के लिए प्रत्येक अनुषासनात्मक प्राधिकरण के सचिवालय (संबंधित उप महानिदेशक) में एक सतर्कता अनुभाग शामिल है।

सतर्कता विभाग केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी), केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के साथ घनिष्ठ समन्वय में कार्य करता है। इसे केंद्रीय सतर्कता आयोग/डीओपीटी आदि द्वारा इस विषय पर जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार ब्यूरो की सभी सतर्कता संबंधी गतिविधियों के प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित से संबंधित गतिविधियां शामिल हैं :

- निवारक सतर्कता (उदाहरण के लिए – प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना, प्रशिक्षण, 'सहमत सूची' तैयार करना और 'संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले अधिकारियों की सूची', आदि)
- दंडात्मक सतर्कता (उदाहरण के लिए – प्राप्त शिकायतों की जांच, अन्वेषण, गलती करने वाले अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई आदि)
- निगरानी करना और पता लगाना (जैसे सतर्कता ऑडिट, वार्षिक संपत्ति रिटर्न की जांच, निगरानी, समीक्षा बैठकें आदि)

भारतीय मानक ब्यूरो के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों, शाखा कार्यालयों और प्रयोगशालाओं में 31 अक्टूबर से 06 नवंबर, 2022 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। सतर्कता

जागरूकता सप्ताह की थीम 'एक विकसित राष्ट्र के लिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत' बढ़ावा देने के लिए, विभिन्न प्रतियोगिताएं, संगोष्ठी, जागरूकता कार्यक्रम आम जनता में जागरूकता फैलाने और सप्ताह के दौरान अनुशासनात्मक कार्यवाही पर संगोष्ठी आयोजित की गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाने और सतर्कता जागरूकता सप्ताह को बढ़ावा देने के लिए मुख्यालय के सभी कर्मचारियों के लिए 31 अक्टूबर 2022 को बीआईएस मुख्यालय से राजघाट तक वॉक/रन का आयोजन किया गया। संगठनों द्वारा रिश्वतखोरी रोधी प्रबंधन प्रणाली (एबीएमएस) के कार्यान्वयन पर चर्चा करने के लिए सीवीओ और विभिन्न संगठनों के सतर्कता पदाधिकारियों के साथ एक ऑनलाइन बैठक आयोजित की गई।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों, शाखा कार्यालयों और प्रयोगशालाओं का निवारक सतर्कता लेखापरीक्षा की गई। इन लेखापरीक्षाओं के परिणामस्वरूप, बीआईएस की प्रमुख गतिविधियों से संबंधित विभिन्न व्यवस्थित सुधारों का सुझाव दिया गया था। इसके अलावा, लेखापरीक्षित कार्यालयों के कामकाज में पाई गई विसंगतियों के संबंध में अनुवर्ती सुधारात्मक कार्रवाई की सलाह दी गई थी।

लोक शिकायत

बीआईएस को बीआईएस प्रमाणित उत्पादों की गुणवत्ता, बीआईएस मानक चिह्न के अनधिकृत उपयोग, गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों के उल्लंघन आदि से संबंधित कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इन सभी शिकायतों को अच्छी तरह से स्थापित शिकायत निवारण प्रक्रिया के अनुसार निपटान किया जाता है। बीआईएस केयर मोबाइल ऐप और बीआईएस का मानक संवर्धन पोर्टल पहले से ही कार्य कर रहा है जो शिकायतों की बेहतर निगरानी की सुविधा प्रदान करता है और उपभोक्ताओं को बिना किसी परेशानी के आसान और त्वरित तरीके से अपनी शिकायतें दर्ज करने में सक्षम बनाता है। बीआईएस केयर ऐप उपयोगकर्ताओं को केवल विनिर्माता के लाइसेंस/पंजीकरण संख्या दर्ज करके लाइसेंस प्राप्त विनिर्माताओं/पंजीकृत विनिर्माताओं के विवरण को सत्यापित करने में सक्षम बनाता है। वर्ष के दौरान, बीआईएस प्रमाणित उत्पादों की गुणवत्ता, बीआईएस मानक चिह्न के अनधिकृत उपयोग और गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों के उल्लंघन से संबंधित 393 शिकायतें प्राप्त हुईं और 371 शिकायतों का निपटान किया गया। दिनांक 01.01.2023 तक, विभिन्न क्षेत्रीय और शाखा कार्यालयों के तहत इन श्रेणियों की 226 शिकायतों की विभिन्न स्तरों पर जांच की जा रही है। इसके अलावा, बीआईएस ने वर्ष के दौरान सीपीजीआरएमएस पोर्टल के माध्यम से प्राप्त 151 शिकायतों का भी निवारण किया।

प्रवर्तन

बीआईएस मानक चिह्न गुणवत्ता और विश्वास के प्रतीक हैं। क्षेत्रीय और शाखा कार्यालयों के अपने नेटवर्क के माध्यम से, बीआईएस बेईमान विनिर्माताओं द्वारा बीआईएस मानक चिह्न के अनधिकृत उपयोग को रोकने के लिए प्रवर्तन गतिविधि संचालित करता है। वर्ष के दौरान, भारतीय मानक ब्यूरो ने बीआईएस मानक चिह्नों का दुरुपयोग करने वाले निर्माताओं के परिसरों में 123 तलाशी और जब्ती अभियान चलाए और नकली बीआईएस मानक चिह्नों वाली सामग्री को जब्त किया। इसमें गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों का उल्लंघन करने वाले विनिर्माताओं के परिसरों में की गई तलाशी और जब्ती भी शामिल है। व्यापक प्रचार करने और उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता पैदा करने की दृष्टि से प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी। भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए संबंधित न्यायालयों में समय पर अभियोजन शुरू करने के भी प्रयास किए गए थे।

पुस्तकालय सेवाएं

बीआईएस मुख्यालय में स्थित बीआईएस तकनीकी पुस्तकालय मानकों और संबंधित मामलों की जानकारी के लिए एक राष्ट्रीय संसाधन केंद्र है और उद्योग, व्यापार, सरकार, शोधकर्ताओं और उपभोक्ताओं की सेवा करता है। यह 1,000 वर्ग मीटर के फर्ष क्षेत्र के साथ दक्षिण एशियाई क्षेत्र में मानकों का सबसे बड़ा पुस्तकालय है। इसके संग्रह में दुनियाभर से लगभग 4 लाख मानक और लगभग 73,400 पुस्तकें शामिल हैं। 2022-23 की अवधि के दौरान, बीआईएस लाइब्रेरी की सेवाओं का उपयोग विभिन्न हितधारकों द्वारा किया गया और पुस्तकालय विभागने लगभग 5385 मानक और पुस्तकें जारी की गईं। पुस्तकालय नियमित रूप से प्राप्त प्रकाशनों (पुस्तकें और मानक) के माइकेनाइज्ड डेटाबेस को अद्यतन करता है।

पुस्तकालय अभिलेखों का डिजिटलीकरण : डिजिटल इंडिया के राष्ट्रीय मिशन में, बीआईएस, पुस्तकालय सेवा केंद्र रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण की प्रतिस्पर्धा में है। लाइब्रेरी की किताबों और मानकों की स्कैनिंग और डिजिटलाइजेशन से संबंधित कार्य एनआईसी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नई दिल्ली के तहत भारत सरकार के उद्यम, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इनकॉर्पोरेटेड (एनआईसीएसआई) के माध्यम से, मैसर्स एनहिरा सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट लिमिटेड को सौंपा गया है। अब तक 75 लाख से अधिक पृष्ठों को स्कैन किया जा चुका है। कार्य पूर्ण होने पर पुस्तकालय अभिलेख (पुस्तकें एवं मानक) ऑनलाइन उपलब्ध होंगे।

आजादी का अमृत महोत्सव : पुस्तकालय सेवा केंद्र, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव— (भारतीय स्वतंत्रता और स्वतंत्रता सेनानियों से संबंधित) की थीम के तहत 05 अगस्त –10 अगस्त 2022 को मुख्यालय नई दिल्ली में एक पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। प्रदर्शनी से संबंधित कुछ चित्र इसके साथ संलग्न हैं।

विशेष अभियान : विशेष अभियान के दौरान, एलएससी द्वारा पौधरोपण अभियान का आयोजन किया गया।



परियोजना प्रबंधन

बीआईएस में परियोजना प्रबंधन का कार्य परियोजना प्रबंधन और निर्माण विभाग द्वारा देखा जाता है। इसे मुख्य रूप से जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं, जिन्हें आमतौर पर निम्नलिखित के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है :

- बीआईएस के कार्यालयों और प्रयोगशालाओं के लिए नए भवनों/परिसरों के निर्माण, भूमि की खरीद और इसके कार्यालयों और प्रयोगशालाओं के लिए निर्मित स्थान, बीआईएस के मौजूदा भवनों/परिसरों के नवीनीकरण के माध्यम से पूंजीगत व्यय करना।
- बीआईएस के मौजूदा भवनों/परिसरों की प्रमुख मरम्मत, बीआईएस के मौजूदा भवनों/परिसरों में स्थापित नागरिक संपत्तियों और सेवा उपयोगिताओं के नियमित संचालन और रखरखाव के माध्यम से राजस्व व्यय करना।

उपरोक्त श्रेणियों के तहत 01 जनवरी – 31 दिसंबर 2022 की अवधि के दौरान की गई विभिन्न पहलों में, किए गए उल्लेखनीय कार्यों में देश भर में विभिन्न स्थानों पर स्थित बीआईएस की प्रयोगशालाओं में सिविल, इलेक्ट्रिकल और आईटी बुनियादी ढांचे का उन्नयन और सुदृढीकरण य बीआईएस के विभिन्न क्षेत्रीय और शाखा कार्यालयों के आधुनिकीकरण और उन्नयन के लिए कार्यों की शुरुआत, अग्निशमन प्रणाली, एचवीएसी प्रणाली, लिफ्ट आदि जैसी मौजूदा सेवा उपयोगिताओं के नए या उन्नयन के प्रावधान शामिल है।

किए गए अन्य उल्लेखनीय पहलों में विभिन्न भवनों/परिसरों का एक्सेस ऑडिट शामिल है, जहां से बीआईएस के क्षेत्रीय कार्यालय, शाखा कार्यालय और प्रयोगशालाएं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तत्वावधान में एक्सेसिबिलिटी इंडिया अभियान में परिकल्पित दिशानिर्देशों और निर्देशों के अनुसार कार्य कर रही हैं, साथ ही बीआईएस मुख्यालय में राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) की स्थापना के लिए विभिन्न सिविल, इलेक्ट्रिकल और आईटी कार्य करती हैं।

01 जनवरी – 31 मार्च 2023 की अवधि के दौरान की जाने वाली प्रमुख पहलों में बीआईएस के स्वामित्व वाले भवनों/परिसरों से संचालित होने वाले विभिन्न कार्यालयों और प्रयोगशालाओं में सोलर रूफटॉप पैनल स्थापित करना और साथ ही सभी वैधानिक और नियामक भवन मानदंडों का अनुपालन, बीआईएस के स्वामित्व वाले सभी भवनों/परिसरों के लिए जहां भी लागू हो, स्थानीय अधिकारियों से फायर एनओसी, संरचनात्मक स्थिति का आकलन आदि शामिल है।

स्थापना

1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक की अवधि के लिए समूह क (प्रशासनिक, वित्त और अन्य पद), ख और ग के संबंध में आवश्यक जानकारी और 01 जनवरी – 31 मार्च 2023 की अवधि के लिए प्रदत्त प्रॉजेक्शन या अनुमान निम्नानुसार दिया गया है :

समूह	जन शक्ति स्थिति (31.12.2022 तक)		स्ट्रेंथ प्रॉजेक्शन या अनुमान (31.03.2023 तक)	
	मौजूदा स्ट्रेंथ	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ पीएच/भूतपूर्व सर्विसमेन का प्रतिनिधित्व	स्ट्रेंथ	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ पीएच/भूतपूर्व सर्विसमेन का प्रतिनिधित्व
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
क (प्रशासनिक, वित्त और अन्य पद)	33	15	35	16
ख	349	154	446	208
ग	238	151	372	213
कुल	620	320	853	437

बीआईएस में गतिविधि वार कर्मचारी (31.12.2022 तक)

गतिविधि	कुल कर्मचारी
प्रशासन और वित्त	109
प्रमाणीकरण	173
कारपोरेट	74
प्रयोगशाला टेस्टिंग	185
मानक फोर्मूलेशन	19
तकनीकी सहायता सेवा	60
कुल	620

बीआईएस ने मानव संसाधन के विकास में अपने प्रयास को जारी रखा है। मानव संसाधन के विकास के एक भाग के रूप में, बीआईएस कार्मिकों को एनआईटीएस, नोएडा में इन-हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान किया जाता है, और उन्हें समय-समय पर विभिन्न एजेंसियों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भेजा जाता है।

छोटे बैंक जमाकर्ताओं के लिए बड़ी राहत!

जमा बीमा कवर को
1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया गया



यदि कोई बैंक प्रतिबंध या अचिस्वगन के आवीन होने के कारण अपने जमाकर्ताओं के प्रति अपने दायित्वों को पूरा करने में अस्थाई रूप से असमर्थ है तब भी जमाकर्ताओं को अपनी जमा राशि (जमा बीमा की सीमा तक) सुलभता एवं समयबद्ध तरीके से निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम से अंतरिम भुगतान के माध्यम से उपलब्ध।

- खाताधारकों को कोई प्रीमियम देने की आवश्यकता नहीं
- अगर बैंक विफल हो तो भी जमा बीमा की सीमा तक आपकी जमा राशि आपको वापस कर दी जाएगी
- आपके नामांकित व्यक्ति भुगतान के हकदार हैं
- अंतरिम भुगतान के लिए 90 दिनों की स्पष्ट समय सीमा

जमा बीमा कवर लेना सभी बैंकों के लिए अनिवार्य है



जनहित में जारी
उपभोक्ता मामले विभाग
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001
www.consumeraffairs.nic.in




राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन
1915 या 1800-11-4000
(टोल फ्री)



**निक्षेप बीमा और प्रत्यय
गारंटी निगम**
अधिक जानकारी के लिए <https://dicgc.org.in> पर जाएं

NEW YEAR के लिए ऑनलाइन,
SNACKS और SOFT DRINKS
पर बहुत अच्छे ऑफर थे,
इसलिए खरीद लिए

पर क्या इनकी USE BY DATE
या BEST BEFORE DATE की
जाँच की ?



खरीदारी ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, पैकबंद
खाद्य पदार्थ खरीदते समय उस पर
USE BY DATE या **BEST BEFORE** डेट अवश्य जाँचे

अध्याय-8

राष्ट्रीय परीक्षणशाला

राष्ट्रीय परीक्षणशाला उपभोक्ता मामले विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत एक अधीनस्थ कार्यालय ने एक लम्बा सफर तय किया और वर्ष 2022 में राष्ट्र के प्रति 110 वर्षों की समर्पित सेवा पूरी की।

एनटीएच सेवाओं का ब्यौरा और एनटीएच की अन्य प्रमुख विशेषताओं का ब्यौरा एनटीएच की वेबसाइट <http://www.nth.gov.in> पर उपलब्ध है।

दिनांक 31.12.2022 तक स्टाफ की स्थिति

मंत्रालय/विभाग का नाम : उपभोक्ता मामले कार्यालय/संगठन : राष्ट्रीय परीक्षणशाला

	राजपत्रित	अराजपत्रित	कुल
संस्वीकृत	201	514	715
वास्तविक	140	230	370

8.1 कार्य:

राष्ट्रीय परीक्षणशाला विभिन्न इंजीनियरिंग सामग्री तथा तैयार उत्पादों के परीक्षण, मूल्यांकन तथा गुणता नियंत्रण के क्षेत्र में, माप-उपकरणों/उपस्करों तथा यंत्र आदि के प्रभार आधार पर अंशांकन के क्षेत्र में कार्य करता है। सही मायनों में कहें तो राष्ट्रीय परीक्षणशाला, राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय विनिर्देशों या उपभोक्ता मानक विनिर्देशों के अनुरूप वैज्ञानिक तथा इंजीनियरिंग क्षेत्र में परीक्षण प्रमाणपत्र जारी करने का कार्य करता है।

छोटे उद्यमियों और ग्राहकों के बीच गुणता मानक के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए विविध राष्ट्रीय सम्मेलनों तथा संगोष्ठियों के समायोजन में राष्ट्रीय परीक्षणशाला भाग लेता

है। वैज्ञानिकों अधिकारियों को उनके ज्ञान को अद्यतन करने के लिए विविध विशिष्ट परीक्षण पाठ्यक्रमों के लिए प्रायोजित किया जाता है।

8.2 राष्ट्रीय परीक्षणशाला द्वारा दी जाने वाली सेवाएं:

व्यापक रूप में राष्ट्रीय परीक्षणशाला के कार्य एवं गतिविधियां:

- I. राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार औषधियों, शस्त्रों तथा गोला बारुद को छोड़कर विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सभी शाखाओं में सामग्रियों, उत्पादों का प्रायोगिक तौर पर परीक्षण और मूल्यांकन करना।
- II. एशलॉन II के स्तर पर अंशांकन तथा अपनी सक्षमता के क्षेत्रों में उपयुक्त मानकों और निर्देशों का अनुरक्षण करना।
- III. इंजीनियरिंग सामग्रियों के हर प्रकार के विफलता विश्लेषण के साथ-साथ इंजीनियरिंग और सामग्री उत्पादों से संबंधित छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास के लिए परामर्शी सेवाएं।
- IV. विरासत भवनों के ढांचों का मूल्यांकन एवं पुनरुद्धार।
- V. प्रयोगशाला प्रत्यायन की प्रक्रिया में एनएबीएल बोर्ड को सहायता प्रदान करना।
- VI. भारतीय विनिर्देशनों का मानकीकरण करने में भारतीय मानक ब्यूरो को सहायता प्रदान करना।
- VII. 'परीक्षण तथा माप प्रौद्योगिकी' के क्षेत्र में परीक्षण प्रदान करना।
- VIII. इंडियन बॉयलर रेग्यूलेशन अधिनियम, 1950 की 'सेंट्रल ऑथोरिटी फॉर टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन ऑफ वेल्डर्स' की स्कीम के तहत वेल्डरों को प्रमाणित करना।
- IX. राष्ट्रीय परीक्षणशाला को विविध मानकों के अनुसार गुणता अनुपालन से संबंधित विवादित नमूनों की यादृच्छिकता के लिए स्वतंत्र निर्देश प्रयोगशाला के रूप में माना जाता है।
- X. छोटे उद्यमियों और ग्राहकों के बीच गुणता मानक के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कार्यशालाओं और मेलों में चर्चाएं एवं प्रदर्शनियों का आयोजन करना।

8.3 उपलब्ध सुविधाएं:

निम्नलिखित क्षेत्रों में जांच एवं मूल्यांकन सेवाएं:

- रसायन
- माइक्रोबायोलॉजी
- मैकेनिकल

- इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स
- सिविल इंजीनियरिंग
- गैर-विध्वंसकारी परीक्षण
- आर पी पी टी (रबर, प्लास्टिक, पेपर एवं वस्त्र)
- जैविक
- लैम्प एंड फोटोमीट्री

अंशांकन सेवाएं (एशलॉन स्तर-II)

- मेकैनिकल पैरामीटर
- इलेक्ट्रिकल एवं थर्मल पैरामीटर

वर्तमान में कैलिब्रेशन की सुविधाएं पूर्वी क्षेत्रीय केंद्र कोलकाता में मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल क्षेत्रों में और पश्चिमी क्षेत्रीय केंद्र मुंबई में मैकेनिकल क्षेत्र में और राष्ट्रीय परीक्षणशाला के दक्षिणी क्षेत्र में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और थर्मल क्षेत्रों में उपलब्ध हैं।

8.4 राष्ट्रीय परीक्षणशाला की क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं के एनएबीएल एवं बीआईएस प्रत्यायन की स्थिति

एनटीएच क्षेत्र	प्रभाग/प्रयोगशाला का नाम	एनएबीएल का प्रत्यायन मान्य रहने की तारीख	बीआईएस की मान्यता वैध रहने की तारीख
एनटीएच (पूर्वी क्षेत्र), कोलकाता	रसायन प्रयोगशाला	07.11.23	14.06.2024
	लैंप और फोटोमेट्री प्रयोगशाला		
	लाइट मैकेनिकल प्रयोगशाला,		
	इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रयोगशाला		
	सिविल प्रयोगशाला		
	आरपीपीटी प्रयोगशाला		
	एनडीटी प्रयोगशाला, अलीपुर		
	बैक्टीरियोलॉजिकल प्रयोगशाला		

एनटीएच क्षेत्र	प्रभाग/प्रयोगशाला का नाम	एनएबीएल का प्रत्यायन मान्य रहने की तारीख	बीआईएस की मान्यता वैध रहने की तारीख
एनटीएच (पूर्वी क्षेत्र), कोलकाता	मैकेनिकल कैलिब्रेशन प्रयोगशाला	एनएबीएल मान्यता प्रक्रियाधीन है	लागू नहीं
	इलेक्ट्रो तकनीकी कैलिब्रेशन प्रयोगशाला		
एनटीएच (पश्चिमी क्षेत्र), मुंबई	केमिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, एनडीटी, आरपीपीटी प्रयोगशाला	07-06-2023	24-07-2022 नवीनीकरण के लिए आवेदन किया गया है
	मैकेनिकल कैलिब्रेशन प्रयोगशाला	21-11-2021, नवीनीकरण के लिए आवेदन किया	लागू नहीं
	प्रवीणता परीक्षण प्रदाता	16-10-2021, नवीनीकरण के लिए आवेदन किया	लागू नहीं
एनटीएच (दक्षिण क्षेत्र), चेन्नई	रसायन	29.10.2022	28.11.2022 नवीनीकरण के लिए आवेदन किया गया है
	इलेक्ट्रिकल	29.10.2022	
	मैकेनिकल	29.10.2022	
	सिविल	29.10.2022	
	आरपीपीटी	29.10.2022	
	एनडीटी	29.10.2022	
	इलेक्ट्रो टेक्निकल और थर्मल	मान्यता के नवीनीकरण के लिए आवेदन की तैयारी चल रही है।	लागू नहीं
	मैकेनिकल कैलिब्रेशन		लागू नहीं
एनटीएच (उत्तरी क्षेत्र), गाजियाबाद	केमिकल, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, आरपीपीटी, एनडीटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और माइक्रोबायोलॉजी	एनटीएच (उत्तर क्षेत्र) को 06.07.2022 तक मान्यता दी गई थी। एनएबीएल पुनर्मूल्यांकन ऑडिट 11.12.2022 को पूरा हुआ। प्रत्यायन जनवरी 2023 के अंत तक अपेक्षित है।	एनटीएच (उत्तर क्षेत्र) को 26.10.2022 तक मान्यता दी गई थी। बीआईएस, (एलआरएमडी) नवीनीकरण आवेदन 19.12.2022 को अग्रेषित किया गया और प्रक्रियाधीन है।

एनटीएच क्षेत्र	प्रभाग/प्रयोगशाला का नाम	एनएबीएल का प्रत्यायन मान्य रहने की तारीख	बीआईएस की मान्यता वैध रहने की तारीख
एनटीएच (उत्तर पश्चिम क्षेत्र), जयपुर	बॉयोलॉजी	21.08.2023	---
	मैकेनिकल	21.08.2023	31.12.2023
	रसायन	21.08.2023	31.12.2023
	इलेक्ट्रिकल	21.08.2023	31.12.2023
एनटीएच (पूर्वोत्तर क्षेत्र), गुवाहाटी	केमिकल, सिविल, मैकेनिकल	सभी प्रयोगशालाओं की एनएबीएल मान्यता 28-02-2024 तक वैध है	सभी प्रयोगशालाओं की बीआईएस मान्यता 13-12-2024 तक वैध है

राष्ट्रीय परीक्षणशाला निम्नलिखित विशेषज्ञता वाले क्षेत्रों में औद्योगिक गुणता परामर्शदात्री सेवाएं भी प्रदान कर रही है:-

- सिविल निर्माण कार्यों के लिए सुदृढ़ता, प्रयोज्यता तथा स्थायित्व संबंधी परामर्शी सेवा।
- रेडियोग्राफ की व्याख्या और मानकों के संदर्भ में खराबियों की गंभीरता की ग्रेडिंग।
- लघु उद्योग विकास परामर्शी सेवा।

8.5 एमआईएस प्रणाली की वर्तमान स्थिति

- राष्ट्रीय परीक्षणशाला एमआईएस टीम ने राष्ट्रीय परीक्षणशाला (मुख्यालय) कोलकाता में स्थित केंद्रीय डेटा केंद्र में हाई एंड यू टी एम फायरवॉल डिवाइसेस वी एल ए एन कोर स्विच और एल 3-ए एल-2 स्विच स्थापित करके इंटरनेट सुरक्षा पहलुओं को बढ़ाया है
- राष्ट्रीय परीक्षणशाला ने एमआईएस अनुप्रयोगों के निर्बाध संचालन के लिए सभी क्षेत्रों के इंटरनेट बैंडविड्थ को सफलतापूर्वक 6 एमबीपीएस तक बढ़ाया है
- राष्ट्रीय परीक्षणशाला की नई द्विभाषी वेबसाइट पहले से ही विकसित की जा चुकी है और एनआईसी मेघराज क्लाउड में होस्ट की गई है। एस क्यू टी सी सुरक्षा ऑडिट पूरा हो गया है और जी आई जी डब्ल्यू ऑडिट अब प्रगति पर है
- एनटीएच एमआईएस टीम बीआईएस.एलआईएमएस विकास टीम के माध्यम से एमआईएस एप्लिकेशन के संपूर्ण सॉफ्टवेयर को सुधारने के लिए एक परियोजना पर काम कर रही है और "कार्य के दायरे" को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है।
- एनटीएच एमआईएस टीम बीआईएस.एलआईएमएस विकास टीम के माध्यम से एमआईएस एप्लीकेशन का एक नया सॉफ्टवेयर सफलतापूर्वक विकसित किया है और यह प्रोजेक्ट

01.07.2022 को लाइव हो गया है। कोई भी ग्राहक <https://nth.mis.gov.in> लिंक के माध्यम से एनटीएच-एमआईएस तक पहुंच सकता है और टेस्ट अनुरोध उत्पन्न कर सकता है, टैक्स इन्वाइस और टेस्ट/कैलिब्रेशन प्रमाणपत्र ऑनलाइन प्राप्त कर सकता है। परीक्षण/कैलिब्रेशन प्रमाणपत्रों पर डिजिटल हस्ताक्षर प्रक्रियाधीन है।

- वाराणसी आरआरएसएल भवन में एनटीएच के नए उपग्रह केंद्र के साथ वीपीएन संयोजकता सफलतापूर्वक पूरी की गई है।

8.6 सुविधा केन्द्र:

राष्ट्रीय परीक्षणशाला के प्रत्येक क्षेत्र में सूचना एवं सुविधा केन्द्र की स्थापना की गई है जो प्रत्येक क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रमुख के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत ग्राहकों की जरूरतों और हर प्रश्न का समाधान करने के लिए एक सहायता डेस्क के रूप में कार्य करता है। इस केन्द्र में ग्राहक राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय मानक विनिर्देशों के अनुसार सभी परीक्षणों के शुल्क दावों और नमूने के मूल्यांकन की कसौटी के लिए तत्काल संदर्भ प्राप्त कर सकता है। विशेष प्रकार के नमूनों के परीक्षण की सहायता के लिए, केन्द्र संबंधित प्रयोगशाला अध्यक्षाओं और ग्राहकों के बीच सेतु का कार्य करता है। इस केन्द्र के माध्यम से परीक्षण प्रमाणपत्रों को भी दस्ती-डाक से पहुँचाया जाता है। भविष्य में पूरी प्रशासनिक प्रक्रिया को अधिक सहायतायुक्त और ग्राहक हितैशी बनाने और समय अंतराल को कम करने के लिए इस डेस्क से सर्विस रिक्वेस्ट फॉर्म (दक्षिण क्षेत्रएफ) तैयार किया जाएगा। सुविधा केन्द्र में एक वरिष्ठ वैज्ञानिक और प्रत्येक क्षेत्र से सहायक कर्मचारी तैनात किए गए हैं।

8.7 परीक्षण सुविधा का निर्माण

राष्ट्रीय परीक्षणशाला (पूर्वी क्षेत्र)

- पेयजल पर कीटनाशक अवशेषों का परीक्षण
- फुटवियर की पूर्ण परीक्षण सुविधा
- 2.5 एमवीए तक बिजली और वितरण ट्रांसफार्मर का नियमित परीक्षण

राष्ट्रीय परीक्षणशाला (उत्तर पश्चिमी क्षेत्र)

- आईएस 5405 के अनुसार सेनेटरी पैड
- आईएस 17508 के अनुसार वयस्क डायपर
- आईएस 15477 के अनुसार विरूपता परीक्षण

राष्ट्रीय परीक्षणशाला (दक्षिणी क्षेत्र)

- हॉट पैक के लिए हैंडल परीक्षण उपकरण की स्ट्रेंथ
- हॉट पैक के लिए सीपेज परीक्षण उपकरण
- फूटवियर के लिए लचीला इंड्यूरेंस टेस्टर
- हेलमेट के लिए प्रोजेक्शन और सतह घर्षण के लिए परीक्षण
- राष्ट्रीय परीक्षणशाला (उत्तरी क्षेत्र)
- विद्युत प्रयोगशाला में इंसुलेशन प्रतिरोध टेस्टर स्थापित
- एनडीटी प्रयोगशाला में सब-जीरो कूलिंग चैंबर (-60 डिग्री सेल्सियस) स्थापित
- मार्टिंडेल अब्रेशन टेस्टर आरपीपीटी प्रयोगशाला में स्थापित।
- यांत्रिक प्रयोगशाला में स्थापित डिजिटल विकर्स हार्डनेस टेस्टर

राष्ट्रीय परीक्षणशाला (पूर्वोत्तर क्षेत्र)

- पेयजल और पैकेज्ड पेयजल के माइक्रो बायोलॉजिकल मापदंडों के लिए परीक्षण सुविधा
- उर्वरक के लिए परीक्षण सुविधा

8.8 राष्ट्रीय परीक्षणशाला द्वारा चलाई गई गैर-वाणिज्यिक गतिविधियों के ब्यौरे इस प्रकार हैं:

- (क) भारतीय मानक ब्यूरो को विभिन्न खंड समितियों में प्रतिनिधित्व करके भिन्न-भिन्न इंजीनियरिंग और उपभोज्य उत्पादों के विनिर्देशों को बनाने में सहायता दी।
- (ख) राष्ट्रीय परीक्षणशाला के वैज्ञानिक एनएबीएल में प्रमुख विश्लेषक और कोर प्रत्यायन समिति में तकनीकी एवं प्रबंधकीय लेखा-परीक्षा और विश्लेषकों के रूप में प्रतिनिधित्व करते हैं।
- (ग) रेलवे, एसएआईएल, भारतीय मानक ब्यूरो जैसे सरकारी विभागों और स्वायत्त निकायों से संबंधित व्यावसायिकों को परीक्षण और अंशांकन के क्षेत्र में बहुत कम शुल्क पर प्रशिक्षण देना।
- (घ) तृतीय पक्ष निर्देश प्रयोगशाला के रूप में गुणवत्ता आश्वासन के लिए विभिन्न विधि न्यायालयों, कानूनी अभिरक्षक और सतर्कता विभागों की सहायता करना। यद्यपि राष्ट्रीय परीक्षणशाला परीक्षण शुल्क लेती है, परन्तु इस प्रकार के परीक्षण के लिए यह अल्प मूल्य देश के उपभोक्ता हितों के लिए अत्यंत लाभदायक है।

(ड) राष्ट्रीय परीक्षणशाला स्वास्थ्य, पर्यावरण और पारिस्थितिकी विज्ञान, सुरक्षित आवास आदि जैसे क्षेत्रों में समाज कल्याण सेवा करता है। राष्ट्रीय परीक्षणशाला शुल्क स्वीकार करता है परंतु सही मामलों में इसे वाणिज्यिक नहीं माना जा सकता, क्योंकि राष्ट्रीय परीक्षणशाला की मुख्य भूमिका समाज और राष्ट्र को सेवा प्रदान करना है।

8.9 योजनागत कार्यकलाप:

राष्ट्रीय परीक्षणशाला को गुणवत्ता नियंत्रण, सामग्री मूल्यांकन, मानकीकरण और औद्योगिक विकास में सहायता के क्षेत्र में अपनी भूमिका प्रभावी ढंग से निभाने के लिए समर्थ बनाने हेतु इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी योजना स्कीम के तहत लाया गया है। स्कीम में विशेष रूप से लघु उद्योगों के लाभ के लिए परीक्षण सुविधाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण की संकल्पना की गई है। राष्ट्रीय परीक्षणशाला की गतिविधियों की भारत सरकार द्वारा निधियन के प्रावधान के रूप में सहायता की जा रही है।

8.10 भौतिक उपलब्धियां:

क. सीपीडब्ल्यू के तहत एनटीएच-क्षेत्रों में भूमि एवं भवन (प्रमुख निर्माण कार्य)

वित्त वर्ष 2022-23 (दिसंबर 2022 तक) में 'प्रमुख कार्य' शीर्ष के तहत किसी भी एनटीएच क्षेत्र में सीपीडब्ल्यूडी द्वारा कोई नई निर्माण परियोजना नहीं की गई है।

पिंडरा, वाराणसी में नया उपग्रह केंद्र:

केमिकल और आरपीपीटी परीक्षण प्रयोगशालाओं के दायरे के साथ एनटीएच के एक नए उपग्रह परीक्षण केंद्र पिंडरा, वाराणसी में स्थापित किया गया है।

राष्ट्रीय परीक्षणशाला (पूर्वोत्तर क्षेत्र), जयपुर में संसदीय स्थायी समिति का दौरा: संसदीय स्थायी समिति ने 21-23 अगस्त 2022 को अपने जयपुर के विजिट में 22.08.2022 को राष्ट्रीय परीक्षणशाला (पूर्वोत्तर क्षेत्र), जयपुर का दौरा किया।

एनटीएच (पूर्वोत्तर क्षेत्र), गुवाहाटी में 02.12.2022 को पूर्वोत्तर राज्यों में उपभोक्ता संरक्षण पर कार्यशाला में सचिव और अपर सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग का दौरा:

माननीय सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग श्री रोहित कुमार सिंह और अपर सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग श्रीमती निधि खरे ने एनटीएच (पूर्वोत्तर क्षेत्र), गुवाहाटी में 02.12.2022 को पूर्वोत्तर राज्यों में उपभोक्ता संरक्षण पर कार्यशाला में भाग लेने के लिए दौरा किया।

8.10.1. राष्ट्रीय परीक्षणशाला के छह क्षेत्रों (पिछले तीन वर्षों के साथ) पर किए गए व्यय (स्कीम और गैर-स्कीम) इस प्रकार हैं:—

किया गया व्यय (लाख रुपये में) (प्रमुख कार्य परिव्यय सहित)

क्र.सं.	क्षेत्र का नाम	2020-21 (31 मार्च, 2021 तक)			2021-22 (31 मार्च, 2022 तक)			2022-23 (30 नवंबर, 2022 तक)		
		स्कीम + एमडब्ल्यू	गैर- स्कीम	कुल	स्कीम + एमडब्ल्यू	गैर- स्कीम	कुल	स्कीम + एमडब्ल्यू	गैर- स्कीम	कुल
1	पूर्वी क्षेत्र एवं मुख्यालय, कोलकाता	731.33	1449.50	2180.83	630.62	1586.46	2217.08	512.78	1338.65	1851.43
2	पश्चिम क्षेत्र, मुंबई	195.14	488.99	684.13	92.76	503.19	595.95	104.01	421.11	525.12
3	दक्षिण क्षेत्र, चेन्नई	70.77	537.07	607.84	120.66	533.22	653.88	97.44	422.17	519.61
4	उत्तर क्षेत्र, गाजियाबाद	160.80	863.15	1023.95	132.45	879.49	1011.94	111.79	689.65	801.44
5	उत्तर पश्चिम क्षेत्र, जयपुर	107.04	253.52	360.56	92.11	277.67	369.78	69.58	243.82	313.40
6	पूर्वोत्तर क्षेत्र, गुवाहाटी	65.62	219.10	284.72	89.87	231.25	321.12	89.87	158.11	247.98
	कुल	1330.70	3811.34	5142.04	1158.47	4011.28	5169.75	985.47	3273.51	4258.98

9. कार्य-निष्पादन:

9.1 पिछले दो वर्षों सहित वर्ष 2022-23 में अर्जित राजस्व : (लाख रुपए में)

क्रमांक	क्षेत्र का नाम	2020-21	2021-22	2022-23 (दिसंबर 2022 तक)
1	एनटीएच (पूर्वी क्षेत्र), कोलकाता	487.31	492.45	375.15
2	एनटीएच (पश्चिम क्षेत्र), मुंबई	214.17	215.42	194.18
3	एनटीएच (दक्षिण क्षेत्र), चेन्नई	143.62	234.63	211.57
4	एनटीएच (उत्तर क्षेत्र), गाजियाबाद	520.14	498.39	423.02
5	एनटीएच (उत्तर पश्चिम क्षेत्र), जयपुर	155.06	194.27	149.65
6	एनटीएच (पूर्वोत्तर क्षेत्र), गुवाहाटी	45.14	46.65	41.25
	कुल	1565.44	1681.81	1394.82

9.2 परीक्षण किए गए नमूनों की संख्या और क्षेत्रवार अर्जित राजस्व :

क्षेत्र का नाम	2020-21		2021-22		2022 (दिसंबर 2022 तक)	
	परीक्षण किए गए नमूनों की संख्या	अर्जित राजस्व, लाख में	परीक्षण किए गए नमूनों की संख्या	अर्जित राजस्व, लाख में	परीक्षण किए गए नमूनों की संख्या	अर्जित राजस्व, लाख में
एनटीएच (पूर्वी क्षेत्र), कोलकाता	6427	487.31	5950	492.45	3889	375.15
एनटीएच (पश्चिम क्षेत्र), मुंबई	1814	214.17	1678	215.42	1471	194.18
एनटीएच (दक्षिण क्षेत्र), चेन्नई	1305	143.62	1902	234.63	1929	211.57
एनटीएच (उत्तर क्षेत्र), गाजियाबाद	3178	520.14	2691	498.39	2895	423.02
एनटीएच (उत्तर पश्चिम क्षेत्र), जयपुर	1358	155.06	1732	194.27	1325	149.65
एनटीएच (पूर्वोत्तर क्षेत्र), गुवाहाटी	1038	45.14	1104	46.65	926	41.25
कुल	15120	1565.44	15057	1681.81	12435	1394.82

9.3 वर्तमान और पिछले वर्ष के व्यय के संबंध में क्षेत्रवार प्रदर्शन: (लाख रुपये में)

क्षेत्र	2019-20			2020-21			2021-22 (30 नवंबर तक)		
	गैर-स्कीम व्यय	अर्जित राजस्व	गैर-स्कीम व्यय के लिए राजस्व का %	गैर-स्कीम व्यय	अर्जित राजस्व	गैर-स्कीम व्यय के लिए राजस्व का %	गैर-स्कीम व्यय	अर्जित राजस्व	गैर-स्कीम व्यय के लिए राजस्व का %
एनटीएच (पूर्वी क्षेत्र), कोलकाता	1449.50	487.31	33.62	1586.46	492.45	31.04	1338.65	375.15	28.02
एनटीएच (पश्चिम क्षेत्र), मुंबई	488.99	214.17	43.80	503.19	215.42	42.81	421.11	194.18	46.11
एनटीएच (दक्षिण क्षेत्र), चेन्नई	537.07	143.62	26.74	533.22	234.63	44.00	422.17	211.57	50.12
एनटीएच (उत्तर क्षेत्र), गाजियाबाद									
एनटीएच (उत्तर पश्चिम क्षेत्र), जयपुर	253.52	155.06	61.16	277.67	194.27	69.96	243.82	149.65	61.38
एनटीएच (पूर्वोत्तर क्षेत्र) गुवाहाटी	219.10	45.14	20.60	231.25	46.65	20.17	158.11	41.25	26.09
कुल	3811.34	1565.44	41.03 (औसत)	4011.28	1681.81	44.11 (औसत)	3273.51	1394.82	45.51 (औसत)

9.4 राष्ट्रीय परीक्षणशाला द्वारा प्राप्त की गई मान्यता

- ❖ एनटीएच (पूर्वी क्षेत्र), कोलकाता (इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल प्रयोगशाला, अलीपुर) को एमउत्तर क्षेत्रई (नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय) द्वारा सौर अनुप्रयोग के लिए माध्यमिक लीड एसिड बैटरी के परीक्षण के लिए अनुरूपता आकलन निकाय (सीएबी) के रूप में नामित किया गया है।
- ❖ ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिसिएंसी (बीईई) ने एलईडी लैंप और ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैंप के मानक और लेबलिंग कार्यक्रम के तहत एनटीएच (पूर्वी क्षेत्र), कोलकाता (साल्ट लेक की लैंप और फोटोमेट्रिक प्रयोगशाला) को सूचीबद्ध किया।
- ❖ एनटीएच (पूर्वी क्षेत्र), कोलकाता (एनडीटी प्रयोगशाला) को भारतीय बॉयलर विनियम अधिनियम, 1950 के अनुसार एक प्रसिद्ध सामग्री परीक्षण प्रयोगशाला के रूप में मान्यता प्राप्त है, जो 2025 तक वैध है।
- ❖ एनटीएच (पूर्वी क्षेत्र), कोलकाता (एनडीटी प्रयोगशाला) भारतीय बॉयलर विनियम अधिनियम, 1950 के अनुसार हाई प्रेशर वेल्डर के प्रमाणन के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त है, जो 2025 तक वैध है।
- ❖ कन्वेयर बेल्ट, इलेस्टोमेरिक बियरिंग, कन्वेयर बेल्ट के स्पलाइश ज्वाइंट टेस्ट की टेस्टिंग के लिए एनटीएच (पूर्वी क्षेत्र) की दामोदर घाटी कॉरपोरेशन और आरपीपीटी प्रयोगशाला के साथ समझौता ज्ञापन किया गया।

10. कार्य अभिव्यक्ति से समाज को होने वाले लाभ:

राष्ट्रीय परीक्षणशाला (पूर्वी क्षेत्र), कोलकाता :

- रासायनिक प्रयोगशाला ने मोबाइल वाहन का उपयोग करके आस-पास के ग्रामीण क्षेत्रों के पेयजल का परीक्षण किया
- पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले के झिकरा हाई स्कूल में स्कूली छात्रों के बीच गुणवत्तापूर्ण पेयजल के लिए जागरूकता कार्यक्रम
- अनुसंधान और विकास कार्य के लिए आलिया विश्वविद्यालय, कोलकाता के छात्रों द्वारा गंगा नदी के विभिन्न स्थानों से एकत्र किए गए पानी के नमूने का परीक्षण किया गया।
- सिस्टर निवेदिता विश्वविद्यालय, कोलकाता से बी.एस. पोषण छात्रों के लिए खाद्यान्न, प्रजाति खाद्य तेल और माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट पर कार्यशाला।
- एनटीएच (पूर्वी क्षेत्र), कोलकाता ने विभिन्न इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया

राष्ट्रीय परीक्षणशाला (उत्तरी क्षेत्र), गाजियाबाद :

- अक्टूबर 2022 माह में गैलेक्सी नॉर्थ एवेन्यू, गौर सिटी, नोएडा नामक एक सोसायटी को प्रयोगशाला द्वारा अपार्टमेंट ऑडिट के लिए साइट निरीक्षण का कंसलटेंसी कार्य पेश किया गया है।
- आईबीआर (इंडियन बॉयलर रेग्युलेशन) वेल्डर सर्टिफिकेट 10 प्रतिभागियों के लिए चीमा बॉयलर्स लिमिटेड, पंजाब के वेल्डर को जारी किया गया।
- रासायनिक प्रभाग के वैज्ञानिकों ने आगे लाभकारी उपयोग के लिए एसटीपी और ईटीपी साइटों से एकत्र पानी की गुणवत्ता की जांच करने के लिए परीक्षण किया है।
- रासायनिक प्रभाग के वैज्ञानिकों ने अग्निरोधी पेंट का परीक्षण किया है।
- रासायनिक प्रभाग के वैज्ञानिक ने आजादी का अमृत महोत्सव के तहत गांव रसूलपुर धौलपुर मेरठ में लोगों को उपभोक्ता अधिकारों और प्रक्रिया के बारे में जागरूक किया।
- पेंट और संबद्ध उत्पादों और मानक परीक्षण विधियों (सीएचडी 20 और 21) के कच्चे माल की समिति के सदस्य के रूप में, रासायनिक प्रभाग के वैज्ञानिकों ने विभिन्न भागों के लिए आईएस 101 के लिए प्रस्ताव/वर्किंग ड्राफ्ट प्रस्तुत किए और उनकी समीक्षा की।
- स्वच्छ गंगा कार्य योजना के अभियान के तहत अक्टूबर 2022 में रासायनिक प्रभाग के वैज्ञानिकों ने गंगा घाटों की सफाई के लिए गंगा नहर का दौरा किया।

राष्ट्रीय परीक्षणशाला (दक्षिणी क्षेत्र), चेन्नई :

- प्रयोगशाला ने एएआई, सीपीडब्ल्यूडी, विभिन्न पोर्ट ट्रस्ट, सीवीसी, लाइट हाउस और बीआईएस प्रयोगशाला भारत सरकार/संस्थानों द्वारा शुरू की गई प्रतिष्ठित परियोजनाओं को सीमेंट और मिश्रण डिजाइन की सेवाएं प्रदान की हैं।
- विद्युत प्रयोगशाला द्वारा एनआईटी, त्रिची की परियोजना के लिए इसरो, श्रीहरिकोटा, बीआईएस मुंबई, सीपीडब्ल्यूडी के लिए परीक्षण कई केबलों का किए गए।
- केनरा बैंक के लिए नोट छँटाई मशीनों का परीक्षण किया गया
- चेन्नई सी कस्टम्स, चेन्नई एयर कस्टम्स, बंगलोर एयर कस्टम्स और केरल सी कस्टम्स के लिए टैरिफ को अंतिम रूप देने के लिए फाइबर ऑप्टिक केबल पर तकनीकी राय प्रदान की।
- एचएसडी स्टील बार और एचएसडी स्टील बार पर पुल-आउट परीक्षण आईएस 1786 : 2008 के अनुसार विनिर्माण इकाई सरकारी और निजी संगठनों और बीआईएस के लिए आयोजित किया गया।

- कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट, चेन्नई और फिलिप्स एप्लायंसेज लिमिटेड, चेन्नई के लिए एलपीजी गैस स्टोव, घरेलू प्रेशर कुकर, सिलाई मशीन, नॉन-स्टिक कुकवेयर, इंसुलेटेड कंटेनर (हॉट पैक, फ्राई पैन, तवा, कड़ाही, चिली कटर) का परीक्षण।
- बीआईएस चेन्नई, फरीदाबाद और पानीपत के लिए उपयोगिता लाइट परीक्षण किये गये।
- मैसर्स क्वालिटी शटर्स त्रिची के लिए कम्पोजिट ग्रूव चौनल, बीम, चेकर्ड प्लेट, शटर्स के लिए परीक्षण किया गया।
- तिरुपति देवस्थानम, सीपीडबल्यूडी, चेन्नई,आईटीएल-केईसी जेवी, दक्षिणी रेलवे के लिए एलआरपीसी स्ट्रैंड्स का परीक्षण किया गया।
- जॉनसन लिफ्ट्स प्रा. लिमिटेड, चेन्नई के लिए लिफ्ट हेतु लिफ्ट, एलीवेटर और होइस्ट 10 एमएम डाइ के लिए स्टील वायर सस्पेंशनर परीक्षण किये गये।
- सीमेंट निर्माताओं के लिए कैलिब्रेटेड हाइड्रोलिक जैक, लोड सेल और प्रूविंग रिंग।
- बीआईएस की विभिन्न शाखाओं के लिए कई बेल्डिंग इलेक्ट्रोड नमूनों का परीक्षण किया गया।
- एनडीटी लैब एक्स रे रेडियोग्राफी के लिए आयुध वस्त्र निर्माणी, रक्षा मंत्रालय, अवाडी, चेन्नई से प्राप्त हार्ड आर्मर प्लेट के नमूनों का परीक्षण करके बुलेट प्रतिरोधी जैकेट विकास में भाग लेना जारी रखे हुए है।
- वाटर प्रूफिंग मेम्ब्रेन और पीवीसी वाटर स्टॉपर्स के परीक्षण द्वारा कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना को तकनीकी सहायता जारी है।
- तमिलनाडु के सरकारी स्कूलों को मुफ्त शैक्षिक किट के लिए तमिलनाडु टेक्सट बुक स्कूल कॉर्पोरेशन के लिए कई स्कूल बैग, मोजे, ऊनी स्वेटर, रेन कोट आदि का परीक्षण किए गए।
- तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम आंध्र प्रदेश को उनकी निर्माण गतिविधियों के लिए सेवा प्रदान की गई।
- ओसीएफ
- चीनी सहकारी समितियों से कई टाट (गन्नी) बैग प्राप्त हुए।
- केएसआईसी, एनएलसी, बीआईएस, कृषि निदेशालय, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, सीवीसी और चेन्नई सीमा शुल्क आदि जैसे प्रतिष्ठित संगठनों के लिए सेवाएं जारी हैं।
- पेयजल की मोबाइल परीक्षण सुविधाओं के लिए आस-पास के गांवों का दौरा किया।

राष्ट्रीय परीक्षणशाला (पश्चिमी क्षेत्र), मुंबई :

- राष्ट्रीय परीक्षणशाला (पश्चिमी क्षेत्र), मुंबई और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बीच समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप दिया गया है और अनुमोदित किया गया है।
- नेफेड, नासिक और इंदौर से प्राप्त विभिन्न भंडारण स्थितियों में प्याज के विकिरण / गैर-विकिरण का गुणवत्ता मूल्यांकन अध्ययन रासायनिक प्रयोगशाला और एनडीटी प्रयोगशाला में किया गया था।

राष्ट्रीय परीक्षणशाला (उत्तर पश्चिमी क्षेत्र), जयपुर :

- जागृति के बारे में जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए एनटीएच (उत्तर पश्चिमी क्षेत्र), जयपुर की सार्वजनिक टीम 16.10.2022 को सेक्टर-2, विद्याधर नगर, जयपुर के बाजार क्षेत्र में एकत्रित हुई और इसकी उपभोक्ता मामले विभाग, नई दिल्ली द्वारा सराहना की गई।
- राष्ट्रीय परीक्षणशाला (उत्तर पश्चिमी क्षेत्र) जयपुर ने भवन के प्रवेश द्वार पर जागृति का स्टैंडी बैनर प्रदर्शित किया, जहां उपभोक्ता आते हैं और इससे उन्हें ई-दखिल के बारे में जागरूक करने में मदद मिलती है।

राष्ट्रीय परीक्षणशाला (पूर्वोत्तर क्षेत्र), गुवाहाटी :

- उपभोक्ता मामले विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देश के अनुसार, राष्ट्रीय परीक्षणशाला (पूर्वोत्तर क्षेत्र), गुवाहाटी ने '14 मार्च से 20 मार्च 2022' के दौरान "आजादी का अमृत महोत्सव" के आइकोनिक सप्ताह के उत्सव के एक भाग के रूप में डिमोरिया ब्लॉक की सोनापुर गाँव पंचायत के तहत सोनपुर पाथर गाँव में और कामरूप मेट्रो जिला, असम की अजारा गाँव पंचायत के तहत पमोही गाँव में 14.03.2022 को ग्रामीण आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया।
- इस कार्यक्रम में, नेशनल टेस्ट हाउस, गुवाहाटी ने उपभोक्ता अधिकारों, आईएसआई मार्क वाले उत्पादों, सीआरएस मार्क और हॉलमार्क, उपभोक्ता अधिनियम 2019, उत्पाद की गुणवत्ता या आईएसआई मार्क के दुरुपयोग और शुद्ध और सुरक्षित पेयजल के उपयोग के बारे में जागरूकता पैदा करने का प्रयास किया था।

11. राष्ट्रीय परीक्षणशाला के क्षेत्रों में उपकरणों की नई अधिप्राप्ति

राष्ट्रीय परीक्षणशाला (पूर्वी क्षेत्र), कोलकाता :

- ✓ गैस क्रोमैटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोमीटर (जीसी-एमएस)
- ✓ पावर और वितरण ट्रांसफार्मर के नियमित परीक्षण के लिए बूस्टर ट्रांसफार्मर

राष्ट्रीय परीक्षणशाला (दक्षिणी क्षेत्र), चेन्नई :

- ✓ जॉमिनी एंड क्वेंच उपकरण
- ✓ मिग वेल्डिंग मशीन
- ✓ डिफ्यूजिबल हाइड्रोजन उपकरण
- ✓ डबल डिस्क पॉलिशिंग मशीन
- ✓ फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ टेस्ट मशीन
- ✓ कंक्रीट कोर कटिंग एंड ग्रीडिंग मशीन
- ✓ हॉट पैक के लिए हैंडल टेस्ट उपकरण की स्ट्रेंथ
- ✓ हॉट पैक के लिए सीपेज परीक्षण उपकरण
- ✓ CO/CO₂ एनॉलाइजर के साथ गैस स्टोव के लिए दहन परीक्षण
- ✓ प्रेशर कुकर का फैटीग परीक्षण उपकरण
- ✓ 1400 केवी के लिए इम्पल्स वोल्टेज परीक्षण सुविधा
- ✓ ट्रांसफार्मर वाइंडिंग रेसिसटेंस
- ✓ ट्रांसफार्मर अनुपात माप
- ✓ हॉट सेट उपकरण

राष्ट्रीय परीक्षणशाला (पश्चिमी क्षेत्र), मुंबई :

- ✓ स्वचालित डिजिटल फ्लेक्सर स्ट्रेंथ परीक्षण उपकरण
- ✓ तुलनात्मक ट्रेकिंग सूचकांक के लिए उपकरण
- ✓ यूवी डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर
- ✓ ड्राइव नियंत्रित यूटीएम
- ✓ हीट डिफ्लेक्शन टेम्परेचर (एचडीटी)/वीकैट सॉफ्टनिंग पॉइंट
- ✓ डिजिटल इजोड चरपी पेंडुलम
- ✓ कोल्ड चैम्बर
- ✓ टाइल्स की सतह समतलता के निर्धारण के लिए उपकरण
- ✓ 12 सेल एजिंग ओवन
- ✓ उच्च परिशुद्धता डिजिटल मास्टर प्रेशर कम्प्रेटर गेज
- ✓ पंप के साथ वैक्यूम ओवन

राष्ट्रीय परीक्षणशाला (उत्तर पश्चिमी क्षेत्र), जयपुर :

- ✓ जीईएम के माध्यम से माइक्रोबायोलॉजिकल लैब के लिए जैव सुरक्षा कैबिनेट की खरीद और स्थापना 24.02.2022 को की गई।
- ✓ रासायनिक विभाग के लिए केंद्रीय खरीद के माध्यम से प्राप्त परमाणु अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोप 14.02.2022 को स्थापित किया गया
- ✓ आईएस 4984 के अनुसार एचडीपीई पाइप परीक्षण के लिए आरपीपीटी लैब के लिए ऑक्सीडेशन इंडक्शन टाइम टेस्टर खरीदा गया।

एनटीएच (उत्तरी क्षेत्र), गाजियाबाद :

- ✓ प्रभाव परीक्षण सुविधा माइनस 600C तक)
- ✓ आईएस : 14543-2016 के अनुसार पैकेज्ड पेयजल में कीटनाशक अवशेषों का विश्लेषण।
- ✓ डिजिटल विकर्स हार्डनेस परीक्षण मशीन
- ✓ इन्सुलेशन प्रतिरोध परीक्षक, 10 केवी, 40 टी Ω खरीदी गयी
- ✓ जूते के पूरे आउटसोल के लिए रिजीडिटी परीक्षक
- ✓ कागज और संबद्ध उत्पादों के लिए ब्राइटनेस ओपेसिटी एण्ड कलर टेस्ट उपकरण
- ✓ डिजिटल टियरिंग स्ट्रेंथ टेस्टर
- ✓ मार्टिंडेल प्रकार के एब्रेशन रेसिसटेंस टेस्टर
- ✓ शीत इन्सुलेशन परीक्षक
- ✓ रोटरी ड्रम प्रकार एब्रेशन रेसिसटेंस टेस्टर
- ✓ फ्लेक्सिंग टेस्ट उपकरण
- ✓ ऑनसाइट परीक्षण के लिए यूटिलिटी सीकल
- ✓ स्वचालित संपीडन और फ्लेक्सूरल परीक्षण मशीन
- ✓ एनीमोमीटर
- ✓ इन्सुलेशन प्रतिरोध परीक्षक
- ✓ फीलर गौज

राष्ट्रीय परीक्षणशाला (पूर्वोत्तर क्षेत्र), गुवाहाटी :

- ✓ ऑटोमैटिक माइल्ड स्टील सीव शेकर

12 राष्ट्रीय परीक्षणशाला में सर्तकता

राष्ट्रीय परीक्षणशाला (मुख्यालय) का सर्तकता विभाग सीधे राष्ट्रीय परीक्षणशाला के महानिदेशक के नियंत्रण में है जिसमें एक सर्तकता अधिकारी, दो उच्च श्रेणी लिपिक सम्मिलित हैं। राष्ट्रीय परीक्षणशाला के छह क्षेत्रीय शाखाओं के छह अधिकारी सीधे राष्ट्रीय परीक्षणशाला (मुख्यालय) के सर्तकता अधिकारी के नियंत्रणाधीन सहायक सर्तकता अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं और क्षेत्रों के सभी छह सहायक सर्तकता अधिकारी और एनटीएच (मुख्यालय) के सर्तकता अधिकारी उनके सौंपे गये उनके नियमित दायित्वों के अतिरिक्त पार्ट टाइम रूप में सर्तकता संबंधी अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं। 31.12.2022 तक राष्ट्रीय परीक्षणशाला में कोई सर्तकता मामला लम्बित नहीं है।

12.1 स्वच्छ भारत मिशन के समर्थन में एनटीएच क्षेत्रीय कार्यालयों की गतिविधियाँ:

राष्ट्रीय परीक्षणशाला (दक्षिणी क्षेत्र), चेन्नई :

- एनटीएच (दक्षिण क्षेत्र) का स्वच्छता विशेष अभियान 2.0 02.10.2022 को शुरू हुआ। निदेशक एनटीएच (दक्षिण क्षेत्र) ने 02.10.2022 को सुबह 10.30 बजे वैज्ञानिकों और कर्मचारियों को स्वच्छता शपथ दिलाई और उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी और कार्यस्थल पर स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूक किया।
- 02.10.2022 से 31.10.2022 तक, प्रतिदिन स्वच्छता अभियान चलाया गया, सभी प्रयोगशालाओं की सफाई, परीक्षण और माप उपकरण, कॉरिडोर, वॉश रूम, नेम प्लेट, रिसेप्शन, ग्राहक सेवा केंद्र, नमूना कक्ष, कार्यालय परिसर के बाहर, पार्किंग क्षेत्र, बैडमिंटन मुख्य भवन में संग्रहीत अवशेष नमूने और स्क्रेप को वहां एक शेड स्टोर रूम में स्थानांतरित कर दिया गया जिससे कुल 270 वर्गफुट क्षेत्र स्थान खाली हो गया।
- कार्यालय परिसर में 50 की संख्या में पौधे रोपे गए जिससे कार्यालय परिसर का सौंदर्यीकरण हुआ। बेसेंट नगर (पुलिन) बीच की सफाई भी की गई और वहां से प्लास्टिक व अन्य तरह के वेस्ट मटेरियल को हटा दिया गया।
- निबंध लेखन, स्लोगन मेकिंग और विज प्रतियोगिताओं जैसी स्वच्छता प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया और प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार विजेताओं के लिए पुरस्कार वितरित किए गए। कार्यालय के प्रमुख स्थानों पर स्वच्छता विशेष अभियान फ्लेक्स भी प्रदर्शित किए गए। कार्यालय के प्रवेश द्वार पर और सीढ़ियों पर फूल/पौधों के गमले लगाकर कार्यालय का और सौंदर्यीकरण किया गया।

राष्ट्रीय परीक्षणशाला (उत्तर पश्चिमी क्षेत्र), जयपुर :

- 14–20 मार्च, 2022 को प्रतिष्ठित सप्ताह का उत्सव मनाया गया।
- स्वच्छ अभियान का 02 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक विशेष अभियान 2.0 (प्रयोगशालाओं, कार्यालय परिसर की सफाई और पुरानी फाइलों की छंटाई (वीड आउट करना))
- एनटीएच (एन.डब्ल्यू.आर.), जयपुर ने '5एस' प्रणाली को, अर्थात् 'स्वच्छता की जांच सूची' के साथ हमारे दैनिक कार्य में भी सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, शाइन, मानकीकरण और निरंतरता लागू करने के लिए अपनाया है।
- एनटीएच (एन.डब्ल्यू.आर.) के सभी कर्मचारियों द्वारा 06.10.2022 को वीकेआई क्षेत्र, जयपुर में बेहतर पर्यावरण के लिए स्वच्छता और वृक्षारोपण के महत्व के बारे में पड़ोसियों को जागरूक करने के लिए एक रैली आयोजित की गई थी।
- दिनांक 03.10.2022 को विशेष अभियान 2.0 के तहत सभी कर्मचारियों ने स्वच्छता की शपथ ली।

राष्ट्रीय परीक्षणशाला (उत्तरी क्षेत्र), गाजियाबाद :

- राष्ट्रीय परीक्षणशाला (उत्तरी क्षेत्र), गाजियाबाद अपने बड़े परिसर (लगभग 12 एकड़) के कारण अपने गेस्ट हाउस, आवासीय आवास, वाटर पंप हाउस, इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन, जेनरेटर रूम, मुख्य प्रशासनिक भवन, आठ अलग-अलग शाखाओं की प्रयोगशालाओं हाई वोल्टेज बिल्डिंग जिसकी रूफ सीलिंग 20 मीटर से अधिक से ब्लेस्ड है। पूरे परिसर की अच्छी तरह से सफाई, वनस्पति को हटाना और जंगल को साफ करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। इमारत का बड़ा हिस्सा 40 साल पहले बनाया गया था। हालांकि निदेशक, एनटीएच (उत्तर क्षेत्र) के अधीन स्वच्छता टीम ने इसे एक जीवंत, पर्यावरण के अनुकूल और हरित परिसर के रूप में देखने के लिए मौजूदा बुनियादी ढांचे को बनाए रखने और मरम्मत करने के अवसर के रूप में लिया।

एनटीएच (पूर्वी क्षेत्र), कोलकाता :

- परिसर के अंदर और बाहर स्वच्छता अभियान पर विशेष अभियान चलाया गया।
- पुरानी फाइलों की छंटाई
- प्रयोगशालाओं की सफाई
- कार्यालय भवन की पेंटिंग
- वृक्षारोपण

13. लेखापरीक्षा अवलोकन के संबंध में एनटीएच की स्थिति:

एनटीएच के छह क्षेत्रों के साथ पड़े बकाया लेखापरीक्षा पैरा को खाली करने की दिशा में अब तक की गई कार्रवाई पर रिपोर्ट। 31.12.2022 तक संबंधित क्षेत्रों में पड़े बकाया लेखापरीक्षा पैरा को खाली करने के लिए व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रीय परीक्षणशाला के छह क्षेत्रों की समाप्ति में अब तक की गई कार्रवाई के संबंध में एनटीएच (मुख्यालय) में उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार नीचे प्रस्तुत किया गया है:

31.12.2022 तक लेखापरीक्षा पैरा की क्षेत्रवार स्थिति:

क्र.सं.	एनटीएच क्षेत्र	बकाया लेखापरीक्षा पैरा की संख्या	निपटाए गए लेखापरीक्षा पैरा की संख्या	लंबित लेखापरीक्षा पैरा की संख्या
1.	एनटीएच (पूर्वी क्षेत्र), कोलकाता	25	14	11
2.	एनटीएच (पश्चिम क्षेत्र), मुंबई	22	0	22
3.	एनटीएच (दक्षिण क्षेत्र), चेन्नई	04	0	04
4.	एनटीएच (उत्तर क्षेत्र), गाजियाबाद	02	0	02
5.	राष्ट्रीय परीक्षणशाला (उत्तर पश्चिमी क्षेत्र), जयपुर	14	13	01
6.	एनटीएच (पूर्वोत्तर क्षेत्र), गुवाहाटी	01	00	01

रा.प.शा. क्षेत्र के हिन्दी पखवाड़ा एवं हिन्दी कार्यशाला के छायाचित्र



एनटीएच (पूर्वी क्षेत्र), कोलकाता में हिन्दी पखवाड़ा



एनटीएच (उत्तर क्षेत्र) में वार्षिक हिन्दी पत्रिका (संज्ञान) का विमोचन



एनटीएच (पूर्वी क्षेत्र), गाजियाबाद में हिंदी पखवाड़ा



एनटीएच (उत्तर क्षेत्र) में वार्षिक हिंदी पत्रिका (संज्ञान) का विमोचन



एनटीएच (द.क्षे.), चेन्नई में हिंदी पखवाड़ा



एनटीएच (पूर्वी क्षेत्र), गुवाहाटी में हिंदी पखवाड़ा

स्वच्छ भारत मिशन के समर्थन में एनटीएच क्षेत्रीय कार्यालयों की गतिविधियां – क्षेत्रीय अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपने संबंधित क्षेत्रों में स्वच्छ भारत मिशन (पखवाड़े कार्यक्रम) मनाया।



एनटीएच (पूर्वी क्षेत्र), कोलकाता में स्वच्छ भारत पखवाड़ा



एनटीएच (उत्तर क्षेत्र), गाजियाबाद में स्वच्छ भारत पखवाड़ा



एनटीएच (पूर्वी क्षेत्र), गाजियाबाद में हिन्दी पखवाड़ा



एनटीएच (उत्तर क्षेत्र), में वार्षिक हिन्दी पत्रिका (संज्ञान) का विमोचन



एनटीएच (दक्षिण क्षेत्र), चेन्नई में हिन्दी पखवाड़ा



एनटीएच (पूर्वी क्षेत्र) गुवाहाटी में हिन्दी पखवाड़ा

एनटीएच के क्षेत्रीय कार्यालयों में सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन

एनटीएच के सभी क्षेत्रों में 31 अक्टूबर से 06 नवंबर 2022 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया।



एनटीएच (पूर्वी क्षेत्र), कोलकाता में स्वच्छ भारत पखवाड़ा



एनटीएच (उत्तर क्षेत्र), गाजियाबाद में स्वच्छ भारत पखवाड़ा



एनटीएच (पूर्वी क्षेत्र), कोलकाता में सतर्कता जागरूकता का आयोजन



एनटीएच (उत्तर पश्चिम क्षेत्र), जयपुर में सतर्कता जागरूकता का आयोजन



एनटीएच, वाराणसी में सतर्कता जागरूकता का आयोजन



एनटीएच, पूर्वोत्तर क्षेत्र में सतर्कता जागरूकता का आयोजन

एनटीएच के क्षेत्रीय कार्यालयों में योग दिवस का आयोजन

एनटीएच के सभी क्षेत्रों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया।



एनटीएच (पूर्वी क्षेत्र), कोलकाता में हिंदी पखवाड़ा



एनटीएच (पूर्वी क्षेत्र), कोलकाता में हिंदी पखवाड़ा



एनटीएच (दक्षिण क्षेत्र), चेन्नई में योग दिवस आयोजन



एनटीएच, जयपुर में योग दिवस आयोजन



एनटीएच वाराणसी में योग दिवस आयोजन



एनटीएच (पूर्वोत्तर क्षेत्र), गुवाहाटी में योग दिवस आयोजन

एनटीएच के क्षेत्रीय कार्यालयों में आजादी का अमृत महोत्सव @75 भारत के समारोह की तस्वीरें



एनटीएच (उत्तर क्षेत्र) में आजादी का अमृत महोत्सव का उत्सव



एनटीएच (पूर्वी क्षेत्र) में आजादी का अमृत महोत्सव का उत्सव



एनटीएच (पूर्वोत्तर क्षेत्र) में आजादी का अमृत महोत्सव का उत्सव



एनटीएच (उत्तर पश्चिम क्षेत्र) में आजादी का अमृत महोत्सव का उत्सव

एनटीएच के क्षेत्रीय कार्यालयों में स्थापना दिवस समारोह



एनटीएच, (दक्षिण क्षेत्र), चेन्नई में स्थापना दिवस आयोजन



एनटीएच, (उत्तर क्षेत्र), गाजियाबाद में स्थापना दिवस आयोजन

एनटीएच उत्पादों का शुभारंभ:

- **मोबाइल एप्लिकेशन:** एनटीएच ने उपयोगकर्ता संपर्क में सुधार करने, एनटीएच को बढ़ावा देने, अपडेट और सूचनाएं प्रदान करने और ग्राहकों के लिए व्यवसाय को आसान बनाने के लिए अपना मोबाइल एप्लिकेशन पेश किया है। इसमें हमारी सुविधाओं जिसमें यह भी शामिल होगा कि वहां कैसे पहुंचा जाए, के बारे में सभी जानकारी और विवरण शामिल होंगे।
- **ई-ब्रोशर:** वर्तमान और भविष्य के ग्राहकों, विशेष रूप से नए ग्राहकों को एनटीएच के संचालन के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए, एक इलेक्ट्रॉनिक ब्रोशर उपलब्ध कराया जाएगा। अन्य बातों के अलावा, यह विभिन्न प्रयोगशालाओं में सुलभ संसाधनों और एनटीएच की विभिन्न शाखाओं के लिए संपर्क जानकारी प्रदान करता है।
- **परिचयात्मक वीडियो:** संगठन, इसकी परीक्षण सुविधाओं और इसके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के ज्ञान को बढ़ाने के लिए एनटीएच का परिचयात्मक वीडियो जारी किया गया है। यह वाणिज्य और प्रचार को बढ़ावा देने में भी सहायता करता है।



श्री पीयूष गोयल, माननीय मंत्री और साध्वी निरंजन ज्योति, माननीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री, ने 24 दिसंबर, 2022 को एनटीएच परिचयात्मक वीडियो, मोबाइल ऐप और ई-ब्रोशर का उद्घाटन किया



मार्क इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी

उत्पादों की सुरक्षा का आश्वासन है



 मोबाइल एप और शिकायत पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज करें



जनहित में जारी:

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार

कुषि भवन, नई दिल्ली-110001 | www.consumeraffairs.nic.in



@consaff
@jagograhakjago



राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन
1915 या 1800-11-4000
(टोल फ्री)



www.consumerhelpline.gov.in



मार्क गुणवत्ता का प्रतीक

अध्याय-9

बाट तथा माप

विधिक मापविज्ञान (बाट तथा माप) कानून आधुनिक बाजारों में वाणिज्यिक व्यापार का आधार है। इस प्रकार के लेन-देन में माप की यथार्थता सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) नामक कानून को अधिनियमित किया है। उक्त अधिनियम, दो पुराने कानूनों नामतः बाट तथा माप मानक अधिनियम-1976 और बाट तथा माप मानक (प्रवर्तन) अधिनियम, 1985 का समेकित रूप है। विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009, 1 अप्रैल, 2011 से प्रवृत्त हुआ। अधिनियम के बेहतर कार्यान्वयन के लिए नियमों को अधिसूचित किया गया है। अधिनियम तथा नियम विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

9.1 बाट तथा माप

बाट तथा माप मानक अधिनियम, 1976 एवं बाट तथा माप मानक (प्रवर्तन) अधिनियम, 1985 को निरस्त करते हुए, दिनांक 01 अप्रैल, 2011 से विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009, (2010 का 1) लागू किया गया। केंद्र सरकार ने इस अधिनियम के बेहतर कार्यान्वयन के लिए सात नियम बनाए हैं। राज्य सरकारों ने भी अपने स्वयं के विधिक मापविज्ञान (प्रवर्तन) नियम बनाए हैं। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा हेतु विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 के अंतर्गत निम्नलिखित नियमों का सृजन किया गया है:-

- क) विधिक मापविज्ञान (पैकबंद वस्तुएं) नियम, 2011
- ख) विधिक मापविज्ञान (सामान्य) नियम, 2011
- ग) विधिक मापविज्ञान (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 2011
- घ) विधिक मापविज्ञान (राष्ट्रीय मानक) नियम, 2011
- ङ.) विधिक मापविज्ञान (अंकीकरण) नियम, 2011
- च) भारतीय विधिक मापविज्ञान संस्थान नियम, 2011
- छ) विधिक मापविज्ञान (सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केंद्र) नियम, 2013

विभाग ने विधिक मापविज्ञान (सामान्य) नियम, 2011 में अन्तर्राष्ट्रीय विधिक मापविज्ञान संगठन (ओ.आई.एल.एम.) की सिफारिशों के अनुसार बाट तथा माप की तकनीकी विनिर्देशों के नए विनिर्देशनों को पहले ही अपना लिया है। नियमों में, स्वचालित रेलवे-ब्रिजों, नैदानिक थर्मामीटरों, स्वचालित ग्रेवीमैट्रिक फिलिंग उपकरणों, ऊँची क्षमता वाली तोलन मशीनों के परीक्षण के लिए मानक बाट, गतिशील सड़क वाहनों का भार मापन, डिसकंटीनुअस टोटलाइजिंग स्वचालित तोलन उपकरणों, स्प्रिंगमोमैन्टोमीटर (रक्तचाप मापने के उपकरणों) और सीएनजी गैस डिस्पेंसर्स आदि जैसे नए विनिर्देशनों को शामिल किया गया है।

विधिक मापविज्ञान (बाट तथा माप) कानूनों का प्रवर्तन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 के माध्यम से सरकार यह सुनिश्चित करती है कि लेन-देन तथा संरक्षण के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले सभी बाट तथा माप सही और विश्वसनीय हों ताकि प्रयोगकर्ताओं को सही वजन तथा माप की गारंटी मिल सके। यह उपभोक्ता को उस सही मात्रा को प्राप्त करने में सक्षम बनाता है जिसके लिए उन्होंने भुगतान किया है।

भारत में विधिक मापविज्ञान (बाट तथा माप) विनियमन 'पूर्व पैकबंद' रूप में वस्तुओं की बिक्री को भी विनियमित करते हैं। विधिक मापविज्ञान (पैकबंद वस्तुएं) नियम, 2011 की अपेक्षा के अनुसार उपभोक्ताओं के हितों के सुरक्षा उपायों के लिए पैकेजों पर कतिपय बुनियादी जानकारी नामतः विनिर्माता/आयातक/पैककर्ता का नाम, वस्तु का सामान्य अथवा जैनरिक नाम, निवल मात्रा, वह माह/वर्ष जिसमें वस्तु विनिर्मित/पूर्व-पैकबंद/आयात की गई है तथा पैकेज की खुदरा बिक्री, वह देश जहां आयातित उत्पाद मूल रूप में तैयार किया गया था जो वस्तुएं कुछ समय बाद मानव – उपयोग के योग्य नहीं रह जाती उनके संदर्भ में वह तारीख जिससे पहले या जिस तक प्रयोग करना सर्वोत्तम है, कीमत एवं पैकेजों पर ग्राहक सेवा केंद्र के विवरण इत्यादि की घोषणा करना अनिवार्य है। नियमों में आयातकों के लिए आयातित पैकेजों पर भी घरेलू पैकेजों की तर्ज पर ही कुछ बुनियादी घोषणाएं करना भी अपेक्षित है।

विधिक मापविज्ञान प्रभाग को उत्पाद प्रमाणन के लिए प्रमाणन निकायों के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड से आईएसओ:आईईसी 17065:2012 मान्यता प्राप्त है। एलएम प्रभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया गया है।

9.2 क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशालाएं

- (i) केंद्र सरकार ने अहमदाबाद, बेंगलोर, भुवनेश्वर, फरीदाबाद और गुवाहाटी में पांच क्षेत्रीय संदर्भ मानक प्रयोगशालाएं (आरआरएसएल) स्थापित की हैं। ये आरआरएसएल

विधिक मापविज्ञान के राष्ट्रीय मानकों के मूल्यों के वाणिज्यिक स्तर तक प्रसार में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। वाराणसी, (उत्तर प्रदेश) और नागपुर, (महाराष्ट्र) में दो और प्रयोगशालाएँ स्थापित की जा रही हैं। प्रयोगशालाएँ राज्यों के विधिक मानकों का सत्यापन, तोलन और मापन उपकरणों का अंशाकन, तोलन और मापन उपकरणोंका मॉडल अनुमोदन परीक्षण, बाट तथा माप संबंधी प्रशिक्षण एवं सेमिनारों हेतु उपयुक्त यथार्थता के लिए निर्देशित मानकों को बनाए रखती हैं। प्रत्येक प्रयोगशाला, क्षेत्र के उद्योगों को अंशाकन सेवाएँ प्रदान करती हैं। रिपोर्ट अनुलग्नक में दी गई है।

- (ii) क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशालाएँ अहमदाबाद, बँगलोर, भुवनेश्वर, फरीदाबाद और गुवाहाटी एनएबीएल द्वारा मान्यता प्राप्त हैं।
- (iii) आरआरएसएल, वाराणसी का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 23.12.2021 को किया गया था।

9.3 भारतीय विधिक मापविज्ञान संस्थान (आई.आई.एल.एम.), रांची

विधिक मापविज्ञान (बाट तथा माप) के प्रवर्तन अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए, संस्थान चार माह की अवधि का एक बुनियादी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चला रहा है। संस्थान, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत गठित राज्य आयोगों, जिला मंचों के गैर-न्यायिक सदस्यों के लिए उपभोक्ता संरक्षण पर प्रशिक्षण सेमिनार आयोजित करता है। इसके अलावा, संस्थान, विधिक मापविज्ञान के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति पर प्रवर्तन अधिकारियों के ज्ञान को अद्यतन बनाने के लिए विशिष्ट विषयों पर अल्पकालिक कार्यशालाएँ और सेमिनार भी आयोजित करता है। यह संस्थान प्रतिवर्ष औसतन 200 कार्मिकों को प्रशिक्षण देता है।

9.4 वर्ष 2017-20 के दौरान

वर्ष 2017 से 2020 के दौरान, छत्रक (अम्ब्रेला) स्कीम 'विधिक मापविज्ञान विनियमन एवं प्रवर्तन का सुदृढीकरण' के तहत निम्नलिखित संघटकों के साथ "विधिक मापविज्ञान और गुणत्ता आश्वासन" नामक उप-स्कीम कार्यान्वित की गई।

- (i) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विधिक मापविज्ञान अवसंरचना का सुदृढीकरण।
- (ii) क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशालाएँ और भारतीय विधिक मापविज्ञान संस्थान का सुदृढीकरण।
- (iii) समय प्रसार

उक्त उप-स्कीम के तहत विधिक मापविज्ञान विभाग को इसके सुदृढीकरण के लिए 261 करोड़ रुपये आबंटित किए गए। वर्ष 2020-21 के दौरान 5.15 करोड़ रुपये का अनुदान रिलीज किया गया।

9.5 समय प्रसार:

भारत में, सात आधार इकाइयों में से एक, समय प्रसार को केवल एक स्तर पर बनाए रखा जा रहा है जो कि राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, नई दिल्ली में है। 2016 में मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा गठित विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर सचिवों के समूह ने यह अनुशंसा की है कि, 'वर्तमान में, भारतीय मानक समय (आईएसटी) को सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) और 'इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आईएसपी) द्वारा अनिवार्य रूप से नहीं अपनाया जा रहा है। विभिन्न प्रणालियों में समय की एकरूपता न होना, कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा साइबर अपराध की जांच में समस्याएं पैदा करती है। इसलिए, देश के भीतर सभी नेटवर्क और कंप्यूटर को राष्ट्रीय घड़ी के साथ जोड़ना, विशेष रूप से रणनीतिक क्षेत्र और राष्ट्रीय सुरक्षा में वास्तविक समय के अनुप्रयोगों के लिए बहुत आवश्यक है।

सटीक समय प्रसार के साथ-साथ सटीक समय सामंजस्य का सभी सामाजिक, औद्योगिक, सामरिक और कई अन्य क्षेत्रों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है जैसे पावर ग्रिड विफलताओं की निगरानी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, बैंकिंग प्रणाली, सड़क और रेलवे में स्वचालित सिग्नलिंग, मौसम पूर्वानुमान, आपदा प्रबंधन, पृथ्वी के अंदर प्राकृतिक संसाधनों की खोज के लिए मजबूत, विश्वसनीय और सटीक समय प्रणाली की आवश्यकता होती है।

डी.एस.आई.आर. के अनुरोध पर, इस विभाग ने राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला (एन.पी.एल) के सहयोग से अहमदाबाद, बंगलुरु, भुवनेश्वर, फरीदाबाद और गुवाहाटी में स्थित विधिक मापविज्ञान (एल.एम.) की पांच प्रयोगशालाओं के माध्यम से भारतीय मानक समय का प्रसार करने का निर्णय लिया है, और इसके लिए 100 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है। भारतीय मानक समय के प्रसार हेतु स्वचालित घड़ियों की स्थापना की परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए सी.एस.आई.आर.-एन.पी.एल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

इस समझौता ज्ञापन के तहत, एन.पी.एल. द्वारा समय को सुनिश्चित करने के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की खरीद की जाएगी और वे विधिक मापविज्ञान कर्मियों को उपकरण संचालन संबंधी प्रशिक्षण सहित उसकी स्थापना और कमीशनिंग के लिए जिम्मेदार होंगे। एन.पी.एल., विधिक मापविज्ञान की देख-रेख करेगा और अपेक्षित तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। समझौता ज्ञापन में आर.आर.एस.एल., बंगलुरु में एक आपदा रिकवरी सेंटर (डीआरसी) स्थापित करने की भी परिकल्पना की गयी है। आर.आर.एस.एल. द्वारा संचालित प्रयोगशाला

को स्थान और तकनीकी जनशक्ति प्रदान की जाएगी और इस परियोजना को इस विभाग द्वारा वित्तपोषित किया जाएगा।

भारतीय मानक समय के कार्यान्वयन और प्रसार से, समय प्रसार में होने वाली त्रुटि को मिली सेकेंड से कम करके केवल कुछ माइक्रो सेकेंड तक कर दिया जाएगा। सटीक समय प्रसार राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा और साइबर सुरक्षा में वृद्धि करेगा।

9.6 आईएसओ : 9001 प्रमाणन

विधिक मापविज्ञान प्रभाग, सभी क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशालाएं एवं भारतीय विधिक मापविज्ञान संस्थान, रांची आईएसओ : 9001 प्रमाणित संगठन/प्रयोगशालाएँ हैं।

9.7 अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग

उपभोक्ता मामले विभाग का विधिक मापविज्ञान प्रभाग, अन्तर्राष्ट्रीय विधिक मापविज्ञान संगठन (ओआई.एल.एम.) की सिफारिशों के अनुसार कार्य करता है। भारत अन्तर्राष्ट्रीय विधिक मापविज्ञान संगठन (ओ.आई.एल.एम.) का सदस्य देश है। निदेशक (विधिक मापविज्ञान), ओ.आई.एल.एम. की अंतर्राष्ट्रीय विधिक मापविज्ञान समिति (सी.आई.एम.एल.) और अन्य तकनीकी समितियों के सदस्य हैं।

9.8 विधिक मापविज्ञान द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए ऑनलाइन पोर्टल

अनुपालन के बोझ को कम करने, व्यवसाय को सुविधाजनक बनाने और व्यवसाय करने में आसानी के लिए, इस विभाग द्वारा उद्योगों को विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 के तहत जारी की जाने वाली सभी चार सेवाओं/प्रमाणपत्रों को ऑनलाइन किया जाता है। पहले ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन स्वीकार और संसाधित किए जाते थे। अब केवल ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करने का निर्णय लिया गया है, जिससे समय काफी कम हो गया है।

उदाहरण के लिए कंपनियों के निदेशकों के नामांकन की पूरी प्रक्रिया, बाट और माप के आयातक का पंजीकरण और पैकेज्ड वस्तुओं के निर्माता/पैकर/आयातक का पंजीकरण पहले डाक द्वारा आवेदन भेजने और प्रमाण पत्र प्राप्त करने में लगभग 25-30 दिन लगते थे, आवेदकों द्वारा प्रमाण पत्र प्राप्त करने में लगाने वाले समय को घटाकर 3 दिन कर दिया गया है। इसी तरह बाट और माप के मॉडल की स्वीकृति, आवेदन जमा करने/मॉडल के परीक्षण/प्रमाण पत्र प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया को पहले के लगभग 6 से 9 महीने से घटाकर 3 से 4 महीने कर दिया गया है।

9.9 क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशाला, वाराणसी की स्थापना

- (i) बाट तथा माप की सटीकता बनाए रखने के लिए और राष्ट्रीय नमूना से वाणिज्य में व्यापार में उपयोग किए जाने वाले वजन और माप के लिए ट्रेसबिलिटी श्रृंखला को पूरा करने के लिए, अहमदाबाद, बैंगलोर, भुवनेश्वर, फरीदाबाद और गुवाहाटी में पांच क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं।
- (ii) ये प्रयोगशालाएं राज्यों के कानूनी मानकों का सत्यापन प्रदान करने और बाटों और मापों को जांचने के लिए उपयुक्त सटीकता के निर्देश मानकों को बनाए रखती हैं।
- (iii) ये प्रयोगशालाएँ विनिर्माण/आयात से पहले अनुमोदन के लिए बाटों और मापों के मॉडलों का परीक्षण करती हैं।
- (iv) उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड आदि के पूर्वी भाग के अविकसित क्षेत्रों को बेहतर विधिक मापविज्ञान सुविधाएं प्रदान करने के लिए और इस हिस्से में औद्योगिक विकास के लिए वाराणसी में एक नई क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशाला का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 23.12.2021 को किया गया है।

9.10 उद्योगों और उपभोक्ताओं के हित में इन नियमों में निम्नलिखित संशोधन किए गए: व्यापार करने में आसानी के लिए और अनुपालन बोझ को कम करने के लिए और साथ ही उपभोक्ताओं के हित में विधिक मापविज्ञान नियमों में निम्नानुसार संशोधन किया गया है:

- (i) विधिक मापविज्ञान (पैकबंद वस्तुएं) नियम, 2011 में संशोधन (14.07.2022 को) किया गया था ताकि इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद उद्योगों को एक वर्ष की अवधि के लिए क्यूआर कोड के माध्यम से डिजिटल रूप में कुछ अनिवार्य घोषणाओं यदि पैकेज में घोषित नहीं किया गया हो, की घोषणा करने की अनुमति दी जा सके। यह अनुमति क्यूआर कोड के माध्यम से अनिवार्य घोषणा की घोषणा करने के लिए इस डिजिटल युग में प्रौद्योगिकी के अधिक उपयोग को सक्षम करने के लिए है, जिसे घोषणाओं को देखने के लिए स्कैन किया जा सकता है।
- (ii) विधिक मापविज्ञान (पैकबंद वस्तुएं) नियम, 2011 को 22.08.2022 को संशोधित किया गया था, जिसमें गारमेंट या होजरी उद्योग को इन वस्तुओं को लूज या खुले में बेचने पर, कमोडिटी के सामान्य/जेनेरिक नाम, की घोषणा करने शुद्ध मात्रा, यूनिट बिक्री मूल्य की घोषणा करने निर्माण का महीना और वर्ष और कन्ज्यूमर केयर का नाम और पता से छूट

दी गई थी। यह परिधान/होजरी उद्योग के अनुपालन बोझ को कम करेगा और इस क्षेत्र में व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देगा।

हालांकि, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए वे विनिर्माता/विपणक/ब्रांड मालिक/मूल देश के साथ आयातक का नाम और पता कन्ज्यूमर केयर ईमेल आईडी और फोन नंबर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचानने योग्य आकार संकेतकों और अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) के साथ प्रदर्शित करना जारी रखेंगे। ये संशोधन 1 जनवरी, 2023 से प्रभावी होंगे। ।

- (iii) विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 49 कंपनियों को अपने किसी भी निदेशक को कंपनी के व्यवसाय के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में नामित करने की अनुमति देती है। विभिन्न उद्योगों से उस व्यक्ति को नामांकित करने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया था, जिसके पास वास्तव में प्रतिष्ठान या शाखा का अधिकार और जिम्मेदारी है। अनुपालन के बोझ को कम करने के लिए, विधिक मापविज्ञान (सामान्य) नियम, 2011 में संशोधन किया गया है, जिससे कंपनियों को विभिन्न प्रतिष्ठानों या शाखाओं या किसी भी प्रतिष्ठान या शाखा में विभिन्न इकाइयों को एक ऐसे अधिकारी को नामित करने की अनुमति मिलती है, जिसके पास प्रतिष्ठानों या शाखाओं या विभिन्न इकाइयों की गतिविधियाँ के नियोजन, निर्देशन और नियंत्रण के लिए अधिकार और जिम्मेदारी है।

9.10.1 क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशाला, अहमदाबाद का कार्य निष्पादन (पिछले 5 वर्षों के दौरान)

विवरण	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 दिसंबर, 2022 तक
सत्यापित मानकों की संख्या	87	110	26	144	109
लाभान्वित उद्योगों की संख्या	674	125	60		46
जारी किए गए प्रमाणपत्रों की संख्या (अंशांकन + जीएटीसी सत्यापन)	1123	252	59	1388 (88 + 1300)	8645 (72 + 8573)
स्वीकृत मॉडलों की संख्या	63	13	1	113	63
आयोजित संगोष्ठी की संख्या	2	—	—	16	18
एकत्रित राजस्व – लाख में	59.19	16.26	3.09	59.52	35.21


9.10.2 क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशाला, बंगलौर

पिछले 5 वर्षों के दौरान आरआरएसएल, बंगलौर की उपलब्धियां

उपलब्धियाँ	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 दिसंबर, 2022 तक
सत्यापित विधिक मानकों की संख्या	126	79	54	62	66
जारी किए गए प्रमाणपत्रों की संख्या	7698	1309	1343	1518	977
कैलिब्रेट किए गए उपकरणों की संख्या	5609	6872	6505	6784	5805
लाभान्वित उद्योगों की संख्या	672	567	537	628	445
अनुमोदन के लिए परीक्षण किए गए मॉडलों की संख्या	97	188	105	323	93
संग्रहीत परीक्षण शुल्क	7872497	8796785	9747846	15391170	8097562
आयोजित सेमिनारों की संख्या	04	03	04	06	08


9.10.3 वर्ष 2018-19 से 31 दिसंबर 2022 तक क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशाला, भुवनेश्वर की कार्यनिष्पादन रिपोर्ट

विवरण	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
सत्यापित मानकों की संख्या	66	45	28	35	54
लाभान्वित उद्योगों की संख्या	220	250	220	310	180
जारी किए गए प्रमाणपत्रों की संख्या	632	757	241	310	302
परीक्षण किए गए मॉडल की संख्या	82	141	281	235	151
आयोजित संगोष्ठी की संख्या	01	01	02	02	08
कुल एकत्रित राजस्व – लाख में	24.80	40.20	92.46	84.27	52.50




9.10.4 क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशाला, फरीदाबाद का कार्यनिष्पादन

विवरण	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (31.12.2022)
सत्यापित कानूनी मानकों की संख्या	108	19	86	111	87
जारी किए गए अंशाकन प्रमाणपत्रों की संख्या	151	278	67	55	203
उद्योगों की संख्या	358	377	315	327	326
फायदा	466	472	374	383	413
प्रमाणपत्रों की संख्या	207	175	221	217	123
जारी किए गए	01	02	01	14	09
परीक्षण किए गए मॉडलों की संख्या	38.88	37.18	62.69	64.15	36.65



9.10.5 क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशाला, गुवाहाटी का कार्यनिष्पादन (पिछले 5 वर्षों के दौरान दिसंबर, 2022 तक)

विवरण	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (दिसंबर 2022 तक)
सत्यापित विधिक मानकों की संख्या	21	5	5	16	13
जारी किए गए प्रमाणपत्रों की संख्या	40	25	23	33	20
लाभान्वित उद्योगों की संख्या	15	9	12	14	3
स्वीकृत मॉडलों की संख्या	3	5	8	8	—
संगोष्ठी/प्रशिक्षण/जागरूकता कार्यक्रम की संख्या	2	—	—	6	1
अर्जित राजस्व (लाख में)	2.19	1.98	3.11	3.35	1.44




9.10.6 क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशाला, नागपुर का प्रदर्शन दिसंबर, 2022 तक)

विवरण	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (दिसंबर 2022 तक)
सत्यापित मानकों की संख्या	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
लाभान्वित उद्योगों की संख्या	शून्य	05	11	25	27
जारी किए गए प्रमाणपत्रों की संख्या	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
स्वीकृत मॉडलों की संख्या	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
आयोजित संगोष्ठी की संख्या	शून्य	01	02	12	11
राजस्व एकत्र (लाख में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

टिप्पणी: क्षेत्रीय संदर्भ मानक प्रयोगशाला (आरआरएसएल), नागपुर निर्माणाधीन/स्थापना के अधीन है और सीपीडब्ल्यूडी द्वारा विकसित की जा रही है।

9.10.7 क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशाला, वाराणसी का कार्यनिष्पादन (पिछले 5 वर्षों के दौरान)

विवरण	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (दिसंबर 2022 तक)
सत्यापित मानकों की संख्या	0	0	0	0	8
लाभान्वित उद्योगों की संख्या	46	60	51	37	46
कैलिब्रेट किए गए उपकरणों की संख्या	0	0	0	0	62
जारी किए गए प्रमाणपत्रों की संख्या	38	54	48	37	27
स्वीकृत मॉडलों की संख्या	48	62	76	55	40
आयोजित संगोष्ठी की संख्या	0	0	0	5	10
राजस्व एकत्र (लाख में)	11.6	14.02	15.12	15.37	13.25



आरआरएसएल वाराणसी



आजादी का अमृत महोत्सव के तहत कुछ झलकियां, गतिविधियां



गाजापुर गांव में ग्रामीण आउटरीच



स्वतंत्रता दिवस समारोह



एससीपीडीएम 2.0 के तहत गतिविधियां



राष्ट्रीय एकता दिवस

आरआरएसएल भुवनेश्वर द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की तस्वीरें



Village Outreach Programme organized by RRSL Bhubaneswar



Village Outreach Programme organized by RRSL Bhubaneswar



Demonstration of Person weighing Machine during Village Outreach Program by RRSL Bhubaneswar



Demonstration of Person weighing Machine during Village Outreach Program by RRSL Bhubaneswar





Awareness on ban of one time use plastic during Special Campaign 2.0 by RRSL Bhubaneswar



Donation of Person weighing Machine to B. C. High school, Ertal, Bhadrak - Odisha by RRSL Bhubaneswar



Pledging on Constitution Day - 26/11/2022



Tree Plantation on Constitution Day at RRSL Bhubaneswar



Vigilance Awareness Week at RRSL Bhubaneswar



Tree Plantation on Constitution Day at RRSL Bhubaneswar



कार्यालय के कर्मचारियों के साथ स्वच्छता की शपथ ली गई



(पहले)



(बाद)

बिजली बचाने के लिए प्रयोगशाला में लाइट फिटिंग को एलईडी लाइट से बदल दिया गया।

एक कदम ऊर्जा की ओर संरक्षण



(पहले)



(बाद)

अभियान के दौरान प्रयोगशाला के आसपास की समुचित सफाई की गई।

मुंगेशपुर, उत्तर पश्चिम दिल्ली में ग्रामीण संपर्क कार्यक्रम

आरआरएसएल फरीदाबाद

उत्तर पश्चिम दिल्ली के मुंगेशपुर गांव में विलेज आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किया गया।



राज्य सरकार के आईएमओ का प्रशिक्षण

उत्तरी क्षेत्र की राज्य सरकारों के एलएमओ को आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण प्रदान किया गया।



विशेष अभियान 2.0 : 2 अक्टूबर 2022 से 31 अक्टूबर तक

विशेष अभियान 2.0 दिनांक 02.10.2022 से 31.10.2022 तक मनाया गया। अभियान के पहले और बाद के फोटो संलग्न हैं:

(क) परिसर के अंदर हेज की सफाई और ट्रिमिंग, इसे भी दिखने के लिए।



(पहले)



(बाद)

(ख) इसे बेहतर बनाने के लिए कैंपस के मुख्य पार्क में ड्राइव पर प्लांट लगाए।



(पहले)



(बाद)

31 अक्टूबर, 2022 को "राष्ट्रीय एकता दिवस या नेशनल यूनिटी डे" का उत्सव कार्यालय के समस्त अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा एकता की शपथ के साथ



आरआरएसएल, अहमदाबाद

उप सचिव श्री संजय कुमार प्रसाद ने 26 अक्टूबर 2022 को आरआरएसएल, अहमदाबाद का दौरा किया और प्रयोगशाला का निरीक्षण किया



मुख्य लेखा नियंत्रक, श्री ध्रुव कुमार सिंह ने आंतरिक ऑडिट की निगरानी के लिए 18 अक्टूबर 2022 को आरआरएसएल, अहमदाबाद का दौरा किया।



स्थानीय जनता को स्वच्छता के बारे में जागरूक किया गया है और 22 अक्टूबर 2022 को स्वच्छता सप्ताह का आयोजन किया गया था।



“भारतीय संदर्भ सामग्री” विषय पर सम्मेलन आयोजित किया गया है, जिसे विशेषज्ञ प्रो. (डॉ.) नाहर सिंह, वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला द्वारा संबोधित किया जा रहा है।

75
आज़ादी का
अमृत महोत्सव

जागो
ग्राहक
जागो



सोना खरीदने से पहले ये तीन निशान अवश्य देखें:



शुद्धता की गारंटी के लिए हमेशा हॉलमार्क को चुनें

हॉलमार्क ही क्यों?

- यह सोने में बहुमूल्य धातु की आनुपातिक सामग्री का सटीक निर्धारण और रिकॉर्डिंग है।
- यह सोने की शुद्धता की आधिकारिक गारंटी है।

ध्यान रखें

- हॉलमार्क तुरंत नहीं किया जाता है। सोने की शुद्धता की जांच करने में समय लगता है।
- कभी भी रसीद लिए बिना खरीददारी न करें।



जनहित में जारी:
उपभोक्ता मामले विभाग
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक विभाग, भारत सरकार, पुणे भवन, नई दिल्ली-110001
www.consumeraffairs.nic.in



@consaff
@jagograhakjago



राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन
1915 या 1800-11-4000
(दैनिक 24 घंटे)



www.consumerhelpline.gov.in

मार्क गुणवत्ता का प्रतीक

अध्याय-10

मूल्य निगरानी प्रभाग (पीएमडी)

मूल्य निगरानी प्रभाग केंद्रीय क्षेत्र की दो योजनाओं नामतः मूल्य निगरानी प्रकोष्ठ (पीएमसी) और मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) के कार्यान्वयन की देखरेख करता है। मूल्य निगरानी प्रकोष्ठ के तहत यह विभाग 22 आवश्यक वस्तुओं के दैनिक खुदरा और थोक मूल्यों को 461 मूल्य रिपोर्टिंग केंद्रों से मोबाइल ऐप अर्थात् मूल्य निगरानी प्रणाली (पीएमएस) के माध्यम से एकत्र करता है। ये दैनिक कीमतें मूल्य वृद्धि को कम करने, बाजार में हस्तक्षेप, आयात-निर्यात शुल्कों को प्रतिबंधित करने और मौद्रिक नीति को कैलिब्रेट करने के लिए निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण इनपुट का प्रदान करती है। जबकि मूल्य स्थिरीकरण कोष के तहत, सरकार कृषि-बागवानी वस्तुओं जैसे प्याज, आलू और दालों के बफर का निर्माण करती है जिनकी कीमतें उतार-चढ़ाव के प्रति संवेदनशील हैं और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए करती हैं। बफर स्टॉक का निर्माण न केवल प्रभावी बाजार हस्तक्षेप को सुनिश्चित करने और ट्रेजेक्टरी से बाहर जाने के रूप में कीमतों को सुधारने में सक्षम बनाता है, बल्कि सट्टा गतिविधियों पर भी अंकुश लगाता है। इसके अलावा, इन वस्तुओं को हार्वेस्टिंग के समय किसानों/किसान संघों से खरीदा जाता है जो किसान के आर्थिक भाग्य में वृद्धि करता है।

10.1 मूल्य निगरानी कक्ष

मूल्य निगरानी प्रभाग की स्थापना 1998 में चयनित खाद्य पदार्थों की कीमतों के साथ-साथ उनकी उपलब्धता को प्रभावित करने वाली संरचनात्मक और अन्य बाधाओं पर कड़ी निगरानी रखने के लिए की गई थी। बाजार की उपलब्धता में सुधार के लिए समय पर हस्तक्षेप सुनिश्चित करने और इस तरह कीमतों को कम करने के लिए ये जानकारी महत्वपूर्ण हैं। प्रारंभ में, पीएमडी को देश के 18 केंद्रों में 14 आवश्यक खाद्य पदार्थों की कीमतों की निगरानी करने का काम सौंपा गया था। लगभग 25 वर्षों की अवधि में, पीएमडी द्वारा निगरानी की जाने वाली वस्तुओं का दायरा 22 हो गया है और रिपोर्टिंग केंद्रों की संख्या बढ़कर 461 हो गई है। पीएमडी

द्वारा निगरानी की जा रही 22 वस्तुओं में पांच वस्तु समूह, जैसे **अनाज** (चावल और गेहूँ), **दालें** (चना, अरहर, उड़द, मूंग, मसूर), **खाद्य तेल** (मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, वनस्पति, सोया तेल, सूरजमुखी का तेल, ताड़ का तेल), **सब्जियां** (आलू, प्याज, टमाटर), और **अन्य सामान** (आटा, चीनी) गुड़, दूध, चाय और नमक) शामिल हैं। देश भर में 461 मूल्य रिपोर्टिंग केंद्रों (वर्षवार) की सूची **अनुलग्नक-I** में है।

10.1.1 461 केंद्रों से संकलित जानकारी के आधार पर 22 आवश्यक खाद्य पदार्थों के खुदरा और थोक मूल्य प्रतिदिन शाम 5.00 बजे तक जारी किए जाते हैं। मूल्य डेटा को विभाग की वेब साइट <http://fcamin.nic.in> पर देखा जा सकता है जिसे नियमित रूप से अपडेट किया जाता है। रिपोर्ट में शामिल हैं :-

- एक महीने पहले और एक वर्ष पहले की मौजूदा कीमतों की तुलना में 22 आवश्यक खाद्य पदार्थों की दैनिक अखिल भारतीय खुदरा और थोक औसत कीमतें।
- एक सप्ताह के दौरान में 22 आवश्यक खाद्य पदार्थों के अखिल भारतीय औसत खुदरा और थोक मूल्य।

10.1.2 पीएमएस मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से मूल्य डेटा का संग्रह:

विभाग ने मूल्य रिपोर्टिंग के लिए एक मोबाइल ऐप तैयार किया है, जो 1 जनवरी, 2021 से चालू हो गया। ऐप में तीन बाजारों से एकत्रित खुदरा कीमतों के औसत की गणना करने के लिए अन्तर्निहित विशेषताएं हैं और उस स्थान को जियो-टैग भी किया गया है जहां से कीमतें एकत्र और अपलोड की जाती हैं। मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से आसानी से डाउनलोड के लिए उपलब्ध है। मोबाइल ऐप के माध्यम से मूल्य डेटा की रिपोर्ट करने वाले केंद्रों की संख्या में वृद्धि के साथ मूल्य डेटा की सत्यता में सुधार होता है।

10.1.3 बाजार आसूचना इनपुट और पूर्वानुमानित मूल्य पूर्वानुमान:

विभाग ने बाजार आसूचना एजेंसी के साथ साप्ताहिक संवाद स्थापित किया है जिसमें कृषि विभाग, नेफेड, एनसीसीएफ भी भाग लेते हैं। साप्ताहिक प्रस्तुति एग्रीवॉच में फसल के आकार, मूल्य परिदृश्य और अनुमानों, प्याज, आलू और टमाटर जैसी दालों और सब्जियों के संबंध में आयात और समग्र उपलब्धता की स्थिति के बाजार अनुमान शामिल हैं। बातचीत के माध्यम से प्राप्त जानकारी को आवश्यक वस्तुओं की कीमतों की समीक्षा करने के लिए अंतर-मंत्रालयी समिति की साप्ताहिक बैठक में उचित रूप से शामिल किया जाता है।

10.1.4 मूल्य रिपोर्टिंग केंद्रों का विस्तार और क्षमता निर्माण:

वर्तमान में, पूरे भारत में 450 मूल्य रिपोर्टिंग केंद्र हैं। इस विभाग ने 2022–23 के दौरान देश के प्रत्येक जिले में मूल्य रिपोर्टिंग केंद्र बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसका मूल उद्देश्य मूल्य संग्रह में राज्यों/संघ शासित प्रदेशों का भौगोलिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है। इसके अलावा, राज्य नोडल अधिकारियों के साथ सितंबर, 2022 में पहला राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन आयोजित किया गया है ताकि मूल्य संग्रह के तरीकों की संवेदनशील बनाया जा सके और मूल्य संग्रह तंत्र में सुधार के लिए उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त की जा सके, इसके अलावा इस विभाग द्वारा 2022–23 की तीसरी तिमाही और मूल्य रिपोर्टिंग में सटीकता सुनिश्चित करने के लिए मोबाइल ऐप से मूल्य पद्धति से संबंधित राज्य अधिकारी को संवेदनशील बनाने के लिए में 9 राज्य सम्मेलन आयोजित किए गए हैं।

10.2 मूल्य स्थिरीकरण कोष (पी०एस०एफ०)

10.2.1 उपभोक्ताओं के हित की रक्षा के लिए प्याज, आलू और दालों जैसी महत्वपूर्ण कृषि-बागवानी वस्तुओं के मूल्यों में उतार-चढ़ाव से निपटने के लिए 500 करोड़ रु. की कायिक निधि से मूल्य स्थिरीकरण कोष की स्थापना की गई थी। इन वस्तुओं की खरीद कृषकों/कृषक संस्थाओं से उपज के समय की जाती है और इन वस्तुओं की कमी के मौसम में इनकी कीमतों को कम करने के लिए नियमित रिलीज के लिए इन्हें भंडारित किया जाता है। सरकार द्वारा बाजार में किया गया इस प्रकार का हस्तक्षेप केवल यथोचित बाजार संदेश देने में सहयोग ही नहीं करेगा अपितु सट्टेबाजी/जमाखोरी जैसी गतिविधियों को भी रोकेगा। सबसे पहले, कोष का प्रयोग केवल प्याज और आलू जैसी शीघ्र नष्ट हो जाने वाली कृषि-बागवानी वस्तुओं, जिनकी कीमतों में अत्यधिक उतार-चढ़ाव आते हैं, के मामले में बाजार हस्तक्षेप के लिए किया जाना था। बाद में दालों को भी इसमें शामिल कर लिया गया। मूल्य स्थिरीकरण कोष का प्रयोग, इस प्रकार के बाजार हस्तक्षेपों के संचालनों के लिए केन्द्रीय एजेंसियों, राज्य/संघ राज्य सरकारों/एजेंसियों को कार्यशीलपूँजी का ब्याज मुक्त अग्रिम प्रदान करने के लिए किया जाता है। किसानों/थोक मंडियों से घरेलू अधिप्रापण के अतिरिक्त, मूल्य स्थिरीकरण कोष के तहत आयात भी किए जा सकते हैं।

10.2.2. बजट प्रावधान और विचार-विमर्श

पी०एस०एफ० के तहत, वर्ष 2014–15 से 2022–23 तक, कॉर्पस से 27,489.13 करोड़ रुपये का बजट आबंटन किया जा चुका है। इस निधि का अधिकाधिक उपयोग दालों और

प्याज के गतिशील बफर के सृजन के लिए किया गया। पी०एस०एफ० के तहत निधियों के वित्त वर्ष-वार आबंटन इस प्रकार है:- वर्ष 2022-23 (आरई) में रुपये 0.01 करोड़; वर्ष 2021-22 के दौरान 2,030.83 करोड़ रुपये; वर्ष 2020-21 के दौरान 11,135.30 करोड़ रुपये; वर्ष 2019-20 के दौरान 1713 करोड़ रुपये; वर्ष 2018-19 के दौरान 1500 करोड़ रुपये; वर्ष 2017-18 के दौरान 3500 करोड़ रुपये; वर्ष 2016-17 के दौरान 6900 करोड़ रुपये और वर्ष 2015-16 के दौरान 660 करोड़ रुपये और वर्ष 2014-15 के दौरान 50 करोड़ रुपये। सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार मूल्य स्थिरीकरण कोष स्कीम, दिनांक 1 अप्रैल, 2016 से उपभोक्ता मामले विभाग को हस्तांतरित कर दी गई थी। मूल्य स्थिरीकरण संचालनों का निर्णय, केन्द्र में उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव की अध्यक्षता में गठित मूल्य स्थिरीकरण कोष प्रबंधन समिति (पी०एस०एफ०एम०सी०), जिसे स्कीम के हस्तांतरण के बाद पुनर्गठित किया गया था, द्वारा किया जाता है। कायिक निधि का प्रबंधन, स्माल फार्मर्स एग्रीबिजनेस कॉन्सोरटियम (एस०एफ०ए०सी०) द्वारा किया जाता है। मूल्य स्थिरीकरण कोष से अधिशेष निवेश के लिए, वित्त सलाहकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की अध्यक्षता में एक उप-समिति भी गठित की गई है। पुनर्गठित पी०एस०एम०एफ०सी० की अब तक 57 बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में मूल्य स्थिरीकरण संचालनों का प्रबंधन राज्य स्तरीय पी०एस०एफ०एम०सी० द्वारा किया जाता है और उन्हें राज्य स्तरीय कायिक निधि से संचालित किया जाता है। मूल्य स्थिरीकरण कोष से केन्द्रीय एजेंसियों और राज्य स्तरीय कार्पस, दोनों के लिए ब्याज मुक्त अग्रिम दिया जा सकता है। राज्य स्तरीय कार्पस का सृजन भारत सरकार और राज्य के बीच परस्पर भागीदारी के तरीके के अनुसार 50:50 के अनुपात में किया जाता है जो पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में 75:25 है। सरकार द्वारा दिनांक 9 दिसंबर, 2015 को दालों के 1.5 लाख टन के बफर स्टॉक को सृजित करने की मंजूरी दी गई। तत्पश्चात्, अपेक्षित चर्चा के उपरांत, यह सिफारिश की गई कि प्रभावी बाजार हस्तक्षेप के लिए दालों के लगभग 20 लाख टन से अधिक के बफर स्टॉक की आवश्यकता होगी। इसे सरकार द्वारा दिनांक 12.09.2016 को अनुमोदित कर दिया गया। रबी विपणन मौसम 2017-18 तक, सरकार ने घरेलू अधिप्राप्ति और आयातों, दोनों, के माध्यम से कुल 20.50 लाख मीट्रिक टन बफर का सृजन किया है जिसमें से नियमित निपटान किया गया।

10.2.3 बफर का अनुकूलन

अनुवर्ती वर्षों में रखे जाने वाले बफर के समुचित आकार के लिए सिफारिश करने और सरकार द्वारा वार्षिक रूप से रखे जाने वाले दालों के बफर स्टॉक के स्तर की पुनरीक्षा करने के लिए सरकार ने प्रोफेसर रमेश चंद, सदस्य, नीति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 27 अक्टूबर, 2017 को एक समिति का गठन किया।

10.2.4 बफर स्टॉक का निपटान

सरकार के निर्णय के अनुसार, राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को बफर स्टॉक से दालों की पेशकश की जा रही है। दालों का आबंटन/रिलीज केंद्रीय एजेंसियों, सरकारी निकायों एवं उसकी शाखाओं/एजेंसियों को भी किया जा रहा है और उन्हें खुले बाजार में भी बेचा जा रहा है। दिनांक 10 नवंबर, 2017 को सरकार ने यह निर्णय लिया था कि पोषाहार घटक अथवा खाद्य/कैटरिंग/आतिथ्य सेवाओं संबंधी स्कीमों का संचालन करने वाले सभी मंत्रालय/विभाग, पी.एस.एफ. स्कीम के तहत सृजित केंद्रीय बफर से दालों का उपयोग करेंगे। उसके तहत मीड-डे मील (एमडीएम) स्कीम और समेकित बाल विकास सेवा स्कीम के लिए बफर से दालों की आपूर्ति की गई।

10.2.5 मूल्य स्थिरीकरण कोष की महत्वपूर्ण गतिविधियों एवं उपलब्धियों में निम्नलिखित शामिल हैं:—

- उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा मूल्य स्थिरीकरण कोष (पी.एस.एफ.) स्कीम कार्यान्वित की जा रही है और सभी पणधारियों को भारी लाभ देने के लिए दालों के मूल्यों को स्थिर करने के उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायता की है। दालों के बफर स्टॉक के सृजन उपभोक्ताओं के लिए दालों की कीमतें कम करने में सहायता मिली है और किसानों को भी लाभकारी मूल्य प्राप्त हुआ है।
- चरण-I (2016-2018) के दौरान एफ.सी.आई., नेफेड तथा एस.एफ.ए.सी. द्वारा 16.71 लाख टन की घरेलू अधिप्राप्ति करके तथा एम.एम.टी.सी. और एल.टी.सी. द्वारा 3.79 लाख टन आयात करके दालों के 20.50 लाख टन तक के बफर स्टॉक का सृजन किया गया। बफर के सृजन के लिए, खरीफ विपणन मौसम (केएमएस) 2015-16 और 2016-17 के साथ-साथ रबी विपणन मौसम (आरएमएस) 2016-17 और 2017-18 के दौरान किसानों और किसान संगठनों से खरीद की गई। आयात केवल 2015-16 और 2016-17 के दौरान ही किए गए। इस स्टॉक का निपटान किया जा चुका है।
- बाद में, सरकार ने यह निर्णय लिया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद कृषि और किसान कल्याण विभाग के पी.एस.एस के तहत की जाएगी और खरीद के मामले में, यदि पी.एस.एफ के तहत अधिप्राप्ति की जानी अपेक्षित न हो समुचित बफर स्टॉक के सृजन की अपेक्षाओं को पीएसएस के माध्यम से पूरा किया जाएगा। चूंकि

रबी-17 से खरीद पीएसएस के एमएसपी प्रचालन के तहत की गई थी, इसलिए कृषि और किसान कल्याण विभाग (डीएसीएफडब्ल्यू) के तहत खरीदी गई दालें, बफर आवश्यकता को पूरा करने की सीमा तक पीएसएफ को उपलब्ध करवाई गई हैं। इससे मूल्य को स्थिर बनाने वाले प्रयासों की दिशा में पीएसएस स्टॉक का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित हुआ है क्योंकि पीएसएफ से अंशाकित रिलीज की जाती है। इस प्रकार, पीएसएस के बीच तालमेल की स्थिति प्राप्त हो गई है जिससे किसानों को लाभकारी मूल्य मिलना सुनिश्चित हुआ है और उपभोक्ताओं के हित में उनके मूल्य का प्रबंधन करने के लिए आपूर्ति पक्ष की ओर हस्तक्षेप किया जाता है।

- चरण 2 के दौरान, पीएसएफ बफर स्टॉक के पुनर्निर्माण के लिए पीएसएफ स्टॉक से लगभग 39.36 लाख मीट्रिक टन दालों का अंतरित/पुनःपूर्ति की गई है। इसके अलावा, पीएसएफ के तहत 3.37 एलएमटी दालों की खरीद की गई है और आयातित दालों से लगभग 2.05 एलएमटी की खरीद की गई है। दूसरे चरण में लगभग 33.78 एलएमटी दालों का निपटान किया गया और पीएसएफ बफर में 11 एलएमटी दाल उपलब्ध है। वर्ष के दौरान, पीएसएफ, डीए एंड एफडब्ल्यू से पीएसएफ, उपभोक्ता मामले विभाग को 4.85 एलएमटी दालें अंतरित की गईं, पीएसएफ के तहत 0.13 एलएमटी दालें खरीदी गईं, आयातित दालों में से 1.04 एलएमटी दालें खरीद गईं और 10.01.2023 के अनुसार 4.64 एलएमटी दालों का निपटान कर दिया गया।
- राज्य स्तरीय मूल्य स्थिरीकरण कोष के सृजन के लिए आंध्र प्रदेश (50 करोड़ रुपये), तेलंगाना (9.15 करोड़ रुपये), पश्चिम बंगाल (2.50 करोड़ रुपये) और ओडिशा (25 करोड़ रुपये) तमिलनाडु (2.50 करोड़ रुपये) और असम (75 करोड़ रुपये) को सहायता भी प्रदान की गई।

अनुलग्नक-I

461 रिपोर्टिंग केंद्रों का वर्ष-वार ब्यौरा

वर्ष	मौजूदा केंद्रों की कुल संख्या	जोड़े गए/ हटाए गए रिपोर्टिंग केंद्रों की संख्या	जोड़े गये रिपोर्टिंग केंद्रों के नाम	जोड़ने/ हटाने के बाद केंद्रों की कुल संख्या
1998	18	शून्य	अगरतला, अहमदाबाद, आइजोल, बैंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पटना, शिलांग, शिमला और तिरुवनंतपुरम	18
1999	18	शून्य	शून्य	18
2000	18	शून्य	शून्य	18
2001	18	शून्य	शून्य	18
2002	18	शून्य	शून्य	18
2003	18	शून्य	शून्य	18
2004	18	शून्य	शून्य	18
2005	18	शून्य	शून्य	18
2006	18	9	अमृतसर, चंडीगढ़, देहरादून, जम्मू, कोहिमा, लुधियाना, रायपुर, रांची और श्रीनगर	27
2007	27	शून्य	शून्य	27
2008	27	शून्य	शून्य	27
2009	27	शून्य	शून्य	27
2010	27	23	कानपुर, डिंडीगुल, राजकोट, विजयवाड़ा, आगरा, भटिंडा, भागलपुर, कटक, धारवाड़, दीमापुर, हिसार, इंदौर, इटानगर, जोधपुर, करनाल, कोटा, मंडी, नागपुर, संबलपुर, सिलीगुड़ी, थिरुचिरापल्ली, वाराणसी और एर्नाकुलम	50
2011	50	1 (हटाया गया)	कोहिमा	49

2012	49	6	पोर्ट ब्लेयर, पुडुचेरी, पनजी, ग्वालियर, जबलपुर और कोझिकोड	55
2013	55	2	राउरकेला और विशाखापत्तनम	57
2014	57	7	गुडगांव, पंचकुला, कोयम्बटूर, तिरुनेलवेली, रीवा, सागर और पूर्णिया	64
2015	64	21	त्रिशूर, वायनाड, पलक्कड, हल्द्वानी, धर्मशाला, मैसूर, मैंगलोर, सूरत, भुज, करीमानगर, वारंगल, अदिलाबाद, सूर्यापेट, जादचेरला, रुद्रपुर, हरिद्वार, झांसी, मेरठ, इलाहाबाद, गोरखपुर और सोलन	85
2016	85	15	पुणे, नासिक, कुरनूल, तिरुपति, दुर्ग, अंबिकापुर, बिलासपुर, जगदलपुर, उदयपुर, पुरुलिया, खड़गपुर, रामपुरहाट, मालदा, रायगंज और गंगटोक	100
2017	100	1	इंफाल	101
2018	101	8	दरभंगा, तुरा, गया, मुजफ्फरपुर, जोवाई, बालासोर, जयपुर और बेरहामपुर	109
2019	109	5	कुड्डालोर, धर्मपुरी, वेल्लोर, रामनाथपुरम और मायाबंदर	114
2020	114	8	पुंछ, होशंगाबाद, उज्जैन, झाबुआ, शहडोल, उना, बारीपदा और बलांगीर	122
2021	122	57	गुमला, साहिबगंज, बोकारो, लोहरदगा, सिमडेगा, बैंगलोर (ईस्ट रेंज), बेलगावी, कालाबुरागी, तुमकुरु, बेल्लारी, धावानगेरे, शिवमोग्गा, विजयपुर, बिलासपुर—हिमाचल प्रदेश, सहारनपुर, बरेली, अयोध्या, मुरादाबाद, अलीगढ़, मिर्जापुर, मोरेना, भरतपुर, अजमेर, बीकानेर, सारण, मुंगेर, सहरसा, मधुबनी, रोहतास, मोतिहारी, समस्तीपुर, कटिहार, अररिया, नवादा, खगड़िया, मानगांव, सेलम्बा, बोडेली, वाघई, वापी, धनबाद, जमशेदपुर, कुपवाड़ा, दंतेवाड़ा, चंबा, हमीरपुर, आजमगढ़, बांदा, गोंडा, कासरगोड, कोट्टायम, पाठामथिट्टा, गिरिडिह, धरणी, सोहरा, मैरांग, माहे	179
2022	179	1 (हटाया गया)	माही	178

2022	178	272	<p>कोहिमा, त्युएनसांग, जम्मलामाडुगु, लातूर, तिनसुकिया, बारपेटा, अलापुझा, कोल्लम, दमन, सिलवासा, लुंगलेई, कोलासिब, ममित, कार निकोबार, अकलुज, सिरमौर, कुल्लू, नामसाई, पाषीघाट, तवांग, बांका, अरवल, दाउनगर औरंगाबाद, बेगूसराय, भोजपुर आरा, बक्सर, गोपालगंज, जमुई, जहानाबाद, कैमूर, किशनगंज, लखीसराय, मेधेपुरा, नवादा, शेखपुरा, शिवहर, सीतामढी, सीवान, सुपौल, वैशाली, पश्चिम चंपारण, दीव, किन्नौर, नोंगपोह, अर्नी यवतमाल, चंद्रपुर, कराड सतारा, अहमदनगर, खुल्ताबाद, चंपाही, सेरचिप, सियाहा, मोकोचुंग, चुमुकेडिमा, मोन, पेरेन, फेक, त्सेमिन्यु, वोखा, जुन्हेबोटो, बरनाल, अमेठी, बाराबंकी, भदोही, चंदौली, फरुखाबाद, गाजीपुर, जौनपुर, प्रतापगढ़, संभल, संतकबीरनगर, शाहजहाँपुर, सीतापुर, सुल्तानपुर, उन्नाव, धुबरी, गोलपारा, गोलाघाटा, मंगलदई, मुशालपुर, उदलगुरी, मडगांव, लाहौल और स्पीति, सरायकेला, पश्चिमी सिंहभूम, खलीहरियात, होषियारपुर, अंबेडकरनगर, अमरोहा, बागपत, बिजनौर, बदायूं, एटा, फतेहपुर, गाजियाबाद, हरदोई, जालौन, कौशांबी, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, टांडा रामपुर, फरीदकोट, मनसा, श्री मुक्तसर साहिब, धर्मानगर, बहराइच, बस्ती, इटावा, मुजफ्फरनगर, धमतरी, राज नंदगांव, बिलिमोरा, इदर, झालोद, सोंगाश, डाल्टनगंज, देवघर, रामगढ़, पाकुड़, विलियमनगर, किफिरे, लोंगलेंग, निउलैंड, शमाटोर, धर्मावरम, प्रकाशम, इडुक्की, कन्नूर, मालापुरम, चित्रकूट, हमीरपुर, लौंगतलई, बेलोनिया, टीआर-उदयपुर, देवरिया, हापुड़, अनूपपुर, भिंड, धर, हरदा, कटनी, खंडवा, मंडला, राजगढ़, सीधी, बूंदी, राजसमंद, बजाली, होजई, जोरहाट, नोंगस्टोइन, ग्यालशिंग, नामची, सोरेंग, खम्मम, मेडचल, निजामाबाद, संगारेड्डी, कोरिया, बीदर, रामानगरा, कोप्पल, यादगीर, चिक्कमंगलूर, मांड्या,</p>	461
------	-----	-----	--	-----

		<p>कोलार, हावेरी, चामराजंगर, रायचूर, बागलकोट, महोबा, ललितपुर, रायबरेली, हाथरस, कानपुर देहात, बुलंदशहर, हनुमानगढ़, बारां, ढोलपुर, जैसलमेर, चूरू, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, झूंगरपुर, बाड़मेर, बांसवाड़ा, करौली, सीकर, भीलवाड़ा, सिरोही, झालावाड़, नागौर, अलवर, पाली, जालौर, टोंक, झुंझुंह, श्री गंगानगर, शाजापुर, उमरिया, देवास, आगर मालवा, श्योपुर, रायसेन, नरसिंहपुर, करगोन, सिंगरौली, बुरहानपुर, नीमच, छतरपुर, परतुर-जालना, कंकावली, इस्लामपुर, गौतम बुद्धनगर, छिंदवाड़ा, गोंदिया, जलगांव, बोंगाईगांव, मोरीगांव, सोनरी, तामुलपुर, चंदेल, जिरीबम, कांगपोकपी, सेनापति, तामेगलॉग, थौबल, उखरूल, सीहोर, उडुपी, चिक्काबल्लापुर, चित्रदुर्ग, कोडागु, गदग, उत्तर कन्नड़, बंगलौर ग्रामीण, हसन, विजयनगर, सवाई माधोपुर, अकोला, सोनितपुर, तेजपुर, विश्वनाथ, छरियाली, डिब्रूगढ़, माजुली, करीमगंज, शिवसागर, सैतुअल, ख्वाजावल, एच.एन. हठियाल, महाराजगंज, औरैया, मंगन, सोनपुर, पुरी, नयागढ़, जगतसिंहपुर, ढेंकानल, नबरंगपुर, नुआपाड़ा, मल्कानगिरी, कंधमाल, क्यॉंझर, गजपति, रायगडा, बौदगढ़, अंगुल, डेरा बस्सी, संगरूर</p>	
कुल - 461			

अनुलग्नक-II

22 आवश्यक वस्तुओं की खुदरा कीमतें

22 आवश्यक खाद्य पदार्थों के अखिल भारतीय मासिक औसत खुदरा मूल्य
जनवरी- दिसम्बर, 2022 (रुपये प्रति किग्रा)

चावल												
केन्द्र	जनवरी-22	फरवरी-22	मार्च-22	अप्रैल-22	मई-22	जून-22	जुलाई-22	अगस्त-22	सितंबर-22	अक्तूबर-22	नवंबर-22	दिसंबर-22
दिल्ली	31.39	31.86	31.19	31.67	32	32.1	32.32	32	32	32.48	33.47	33.32
मुंबई	34.94	36.43	36.97	35.23	34.42	34.3	34.06	34.06	34	34.61	34	32.87
कोलकाता	39.23	39.29	40.74	41.86	41.31	40.7	40.74	41.44	42.04	38.88	40.13	40.07
चेन्नई	57.04	57.04	57	54.23	52	53.53	55.58	58	58.07	59	59.13	61
अखिल भारतीय औसत	35.43	35.82	36.12	35.92	36.03	36.28	36.59	37.43	38.07	38.1	37.97	38.04

गेहूं												
केन्द्र	जनवरी-22	फरवरी-22	मार्च-22	अप्रैल-22	मई-22	जून-22	जुलाई-22	अगस्त-22	सितंबर-22	अक्तूबर-22	नवंबर-22	दिसंबर-22
दिल्ली	उ.न.	उ.न.	23.33	25	25	22.86	24	24.52	25	25.39	26.8	28
मुंबई	36.84	35.71	34.61	35.17	36.35	40.37	40.29	39.84	41.93	43.61	44.41	46.39
कोलकाता	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
चेन्नई	36.59	37.39	36.74	36.5	37.6	37.67	38.39	37.29	39.17	39.13	42.33	40.81
अखिल भारतीय औसत	28	28.4	28.67	28.93	29.35	29.72	29.88	30.56	30.84	30.83	31.38	31.95

आटा (गेहूं)												
केन्द्र	जनवरी-22	फरवरी-22	मार्च-22	अप्रैल-22	मई-22	जून-22	जुलाई-22	अगस्त-22	सितंबर-22	अक्तूबर-22	नवंबर-22	दिसंबर-22
दिल्ली	25.45	25.79	27.13	26.3	27.13	27.6	28.13	29.29	30	30	32.17	32.71
मुंबई	41.13	45.18	48.77	49.87	53	60.4	59.29	52.97	52.27	52	52	52.39
कोलकाता	27	27	29.03	29.03	29	29	30.32	34.52	34.61	35	34.83	36.56
चेन्नई	34.48	34.36	34	34	36.07	35	34.71	34.03	35.67	38.48	39.8	39.58
अखिल भारतीय औसत	31.3	31.71	32.02	32.38	32.97	33.67	33.88	35.08	35.91	36.06	36.64	36.96

चना दाल												
केन्द्र	जनवरी-22	फरवरी-22	मार्च-22	अप्रैल-22	मई-22	जून- 22	जुलाई-22	अगस्त-22	सितंबर-22	अक्तूबर-22	नवंबर-22	दिसंबर-22
दिल्ली	71.45	73.11	72.45	72.47	70.52	69.73	69.97	70.48	71.4	71.81	71.23	71.94
मुंबई	81.9	76.07	73.35	76.27	79.84	80.37	78.13	78.06	82.93	88.71	89.31	89.32
कोलकाता	74.48	74.14	73.39	74.62	72	71.1	72.81	74.64	74.32	73.85	71.52	71.89
चेन्नई	74	77.14	73.39	72.9	71.73	67.17	69.32	71.74	73.27	66.52	66	71.35
अखिल भारतीय औसत	74.56	74.58	74.55	74.29	74.07	73.61	73.3	73.29	73.41	73.21	73.57	72.86

तूर/अरहर दाल												
केन्द्र	जनवरी-22	फरवरी-22	मार्च-22	अप्रैल-22	मई-22	जून- 22	जुलाई-22	अगस्त-22	सितंबर-22	अक्तूबर-22	नवंबर-22	दिसंबर-22
दिल्ली	100.71	103.04	105.03	102.67	102.97	105.37	103.3	115.13	115.5	114.61	118.07	118.52
मुंबई	99.58	105.68	105.32	106.9	105.55	110.4	115.6	119	124.13	123.77	123.03	122.9
कोलकाता	103.39	104	104	103.9	101.65	100.4	106.8	121.36	118.18	121.85	122	116.41
चेन्नई	105	105.36	104	101.43	95.5	97.77	99.84	116.06	119.47	106.16	112.83	121.74
अखिल भारतीय औसत	102.04	102.69	103.26	102.98	102.79	102.56	103.7	108.68	111.32	111.73	112.74	111.96

उड़ग दाल												
केन्द्र	जनवरी-22	फरवरी-22	मार्च-22	अप्रैल-22	मई-22	जून- 22	जुलाई-22	अगस्त-22	सितंबर-22	अक्तूबर-22	नवंबर-22	दिसंबर-22
दिल्ली	119.68	119.5	114.13	109.5	114.58	118.73	115.8	124.48	125.73	126.81	123.67	119.06
मुंबई	111.65	113.11	109.61	115.93	117.58	117.9	119.3	121.97	122.87	128.19	129.1	130.35
कोलकाता	101.9	98.43	95	95.14	96.73	95.73	100.3	106.84	107.71	106.42	105.48	104.96
चेन्नई	112.59	111.04	104.35	101.7	100.87	102.33	104	119.87	124.2	112.39	118.63	121.97
अखिल भारतीय औसत	105.91	106.08	105.2	104.72	104.75	104.14	104.4	107.05	108.19	108.5	108.66	107.85

मूंग दाल												
केन्द्र	जनवरी-22	फरवरी-22	मार्च-22	अप्रैल-22	मई-22	जून- 22	जुलाई-22	अगस्त-22	सितंबर-22	अक्तूबर-22	नवंबर-22	दिसंबर-22
दिल्ली	102.45	102.14	103.55	103.1	105.03	99.9	99.61	97.16	99.4	102.71	101.57	102.87
मुंबई	109.71	107.07	106.19	111.13	115.84	119.7	120.4	120.55	119.9	119.94	119	120.65
कोलकाता	103.16	103.71	104.06	106.41	101.96	99.27	101.8	106.64	106.71	105.27	107.48	105.11
चेन्नई	107	105.71	104.74	104	101.8	100.63	96.77	102.55	104.13	100.97	105.2	108.97
अखिल भारतीय औसत	101.55	101.9	102.29	102.67	102.63	102.14	101.7	101.93	102.75	103.28	103.69	103.38

मसूर दाल												
केन्द्र	जनवरी-22	फरवरी-22	मार्च-22	अप्रैल-22	मई-22	जून- 22	जुलाई-22	अगस्त-22	सितंबर-22	अक्तूबर-22	नवंबर-22	दिसंबर-22
दिल्ली	96.71	99.29	99.16	93.63	96.87	95.63	92.06	92.39	93	93.13	91.17	91.87
मुंबई	96.35	96.32	94.23	99.23	101.58	101.9	101.7	104	99.5	100.06	101.79	104.16
कोलकाता	103.52	104.25	102.52	103.14	102.23	100.33	101.1	102.2	101.54	100.65	101.74	100.37
चेन्नई	94.22	95	91.97	88.33	90.23	92.43	91.52	96.19	92.4	88.65	94.27	93.23
अखिल भारतीय औसत	96.71	97.24	97.36	96.28	96.58	96.37	96.2	96.84	96.55	95.59	95.76	94.95

मूंगफली का तेल (पैकबंद)												
केन्द्र	जनवरी-22	फरवरी-22	मार्च-22	अप्रैल-22	मई-22	जून- 22	जुलाई-22	अगस्त-22	सितंबर-22	अक्तूबर-22	नवंबर-22	दिसंबर-22
दिल्ली	190.06	194	203.39	205.6	215.61	208.27	205.9	204.87	204.4	205.35	210.87	210
मुंबई	176.13	185.79	189.52	188.7	186.74	191.57	196.8	196.84	196.37	193.81	188	189.58
कोलकाता	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
चेन्नई	160.19	161.25	175.06	180.7	186.87	188.87	186.4	187	202.13	189.71	192.8	184.87
अखिल भारतीय औसत	179.83	179.44	185.47	188.56	191.82	191.85	191.1	190.41	191.3	191.58	192.14	190.66

सरसों का तेल (पैकबंद)

केन्द्र	जनवरी-22	फरवरी-22	मार्च-22	अप्रैल-22	मई-22	जून- 22	जुलाई-22	अगस्त-22	सितंबर-22	अक्तूबर-22	नवंबर-22	दिसंबर-22
दिल्ली	192.84	200.54	201.61	195.63	197.77	184.33	182.3	183.52	179.73	177.26	185.1	183.81
मुंबई	197.48	202.14	193.84	194.27	199.35	196.47	188.3	183.81	179.53	182.84	188.48	184.16
कोलकाता	180.03	184.39	189.45	182.41	182.58	175	168.5	165.6	162	158.15	167.65	164.96
चेन्नई	188.37	185	185.48	193.47	201.97	191.07	188.7	188.94	191	178.81	180.5	177.81
अखिल भारतीय औसत	185.12	189.24	191.6	189.18	189.41	186.48	183	180.89	177.55	174.48	176.38	175.51

वनस्पति (पैकबंद)

केन्द्र	जनवरी-22	फरवरी-22	मार्च-22	अप्रैल-22	मई-22	जून- 22	जुलाई-22	अगस्त-22	सितंबर-22	अक्तूबर-22	नवंबर-22	दिसंबर-22
दिल्ली	147.35	155.61	183.39	185.73	190.58	188.93	175.8	164.19	155.3	147.19	145.73	144.58
मुंबई	153.74	154.96	168	180.1	189.9	197.93	195.8	192	185.47	178.13	176.31	168.58
कोलकाता	132.06	142.18	166.97	170.72	176.42	173.17	161.7	152	142.71	138.12	138.91	136.22
चेन्नई	140.52	145.14	154.39	166.4	171.63	173.9	156.8	141.81	135.13	138.39	124.53	119.65
अखिल भारतीय औसत	137.53	140.82	151.6	157.34	163.96	164.97	159.1	153.26	150.24	146.34	145.14	141.14

सोया ऑयल (पैकबंद)

केन्द्र	जनवरी-22	फरवरी-22	मार्च-22	अप्रैल-22	मई-22	जून- 22	जुलाई-22	अगस्त-22	सितंबर-22	अक्तूबर-22	नवंबर-22	दिसंबर-22
दिल्ली	153.35	158.39	179.81	184.23	196.03	181.67	162.5	160.94	154.13	157.94	167.83	163.71
मुंबई	157.32	159.07	165.32	169.1	182.23	189.93	176.7	172.35	165.03	173.23	182.72	168.94
कोलकाता	141.45	145.18	170.39	171.52	182.23	175	158.9	147.12	145.43	144.54	154.87	149.48
चेन्नई	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
अखिल भारतीय औसत	147.58	148.09	160.05	165.66	171.37	169.7	163.9	159.02	155.34	152.7	156.64	155.31

सूरजमुखी का तेल (पैकबंद)

केन्द्र	जनवरी-22	फरवरी-22	मार्च-22	अप्रैल-22	मई-22	जून-22	जुलाई-22	अगस्त-22	सितंबर-22	अक्तूबर-22	नवंबर-22	दिसंबर-22
दिल्ली	181.13	181.43	189.58	198.97	215.94	218.47	208.6	206.94	206.33	190.84	194.43	198.06
मुंबई	148.13	156.61	183.84	188.47	196.35	199.5	187.6	182.16	169.2	172.16	183.76	172.87
कोलकाता	160.94	157.07	175.61	182.86	203.08	204.57	199.3	195.48	188.29	178.58	180.17	173.48
चेन्नई	135.44	136.61	179	185.93	191.6	191.6	176.8	172.61	159.3	155.97	160.4	155.39
अखिल भारतीय औसत	161.52	161.7	175.92	183.38	189.12	188.98	184.9	182.24	178.76	175.7	177.65	175.86

पॉम ऑयल (पैकबंद)

केन्द्र	जनवरी-22	फरवरी-22	मार्च-22	अप्रैल-22	मई-22	जून-22	जुलाई-22	अगस्त-22	सितंबर-22	अक्तूबर-22	नवंबर-22	दिसंबर-22
दिल्ली	131.35	139.79	165.65	167.33	175	162.57	145.1	143.32	127.93	117.74	120.87	113.74
मुंबई	122.35	132.68	151.65	155.93	158.55	158.1	151.4	149.42	131.53	123.29	124.31	112
कोलकाता	128.06	132.79	154.87	157.66	171.54	160.5	146.5	142.32	125.68	111.73	114.22	108.19
चेन्नई	118.74	124.04	151.71	147.4	157.13	153.3	127.1	121.68	102.9	98.35	104.43	99.19
अखिल भारतीय औसत	128.14	131.44	146.34	149.9	155.37	151.84	142.1	137.99	129.96	123.28	122.54	120.33

आलू

केन्द्र	जनवरी-22	फरवरी-22	मार्च-22	अप्रैल-22	मई-22	जून-22	जुलाई-22	अगस्त-22	सितंबर-22	अक्तूबर-22	नवंबर-22	दिसंबर-22
दिल्ली	13.81	15	16.13	17.2	19.74	23.8	26.77	27.35	28.13	30.32	31.5	26.26
मुंबई	23.26	22.68	21.32	24.47	26.68	29.9	35.9	38.06	34.5	33.74	33.55	33.97
कोलकाता	18.58	17.64	20.61	21.72	28.08	27.9	29.55	28.92	28.32	28	23.43	18.59
चेन्नई	27.59	23.14	22.81	26.07	33.27	35.23	35.94	35.74	36.37	34.35	36.8	37.42
अखिल भारतीय औसत	21.48	20.35	20.57	20.88	22.73	24.99	26.48	27.41	27.85	28.47	28.82	25.96

प्याज												
केन्द्र	जनवरी-22	फरवरी-22	मार्च-22	अप्रैल-22	मई-22	जून- 22	जुलाई-22	अगस्त-22	सितंबर-22	अक्तूबर-22	नवंबर-22	दिसंबर-22
दिल्ली	30.9	36.14	35.29	27.93	24.65	26.37	27.87	27.03	26.83	28.52	33.17	28.84
मुंबई	33.84	34.86	29.68	21.67	19.26	21.9	23.87	26.29	24.47	29.87	36.76	30.74
कोलकाता	43.58	45.43	36.87	23.9	25.65	24.57	28.16	29	29	34.96	39.7	34.22
चेन्नई	31.37	32.61	21.97	19.1	22.07	25.8	26.74	26.13	25.6	27.97	36.03	28.87
अखिल भारतीय औसत	34.56	35.16	32.1	25.78	23.44	23.98	25.36	25.55	25.83	27.8	30.9	27.57

टमाटर												
केन्द्र	जनवरी-22	फरवरी-22	मार्च-22	अप्रैल-22	मई-22	जून- 22	जुलाई-22	अगस्त-22	सितंबर-22	अक्तूबर-22	नवंबर-22	दिसंबर-22
दिल्ली	30.48	29.04	27	29.43	32.87	46.87	41.77	36.06	47.77	57.94	35.73	27.58
मुंबई	34.06	34.86	30.42	33.37	58.06	72.77	37.55	28.42	27.07	40.55	26.83	19.97
कोलकाता	41	27.64	22.52	21.07	64.73	74.73	46.65	44.68	56.71	66.96	44.26	31.19
चेन्नई	34.56	16.82	11.94	23.57	66.43	49.37	17.94	17.42	38.7	36.35	21.2	21.77
अखिल भारतीय औसत	35.4	26.63	23.36	26.73	43.16	52.03	39.44	34.09	41.21	46.25	38.39	29.58

चीनी												
केन्द्र	जनवरी-22	फरवरी-22	मार्च-22	अप्रैल-22	मई-22	जून- 22	जुलाई-22	अगस्त-22	सितंबर-22	अक्तूबर-22	नवंबर-22	दिसंबर-22
दिल्ली	39.94	40.18	41	41.03	40.48	40.13	41.13	41	41	41.06	41.27	41
मुंबई	42.13	41.86	41.97	42.57	42.06	41.53	40.97	41.9	42	42	42	42.68
कोलकाता	42.61	42	42.03	42.72	43.04	43.93	43	43.56	44	44	44	43.37
चेन्नई	40.93	40.46	39.68	39	41.77	41.93	40.39	40.71	40.8	40	40.23	39.84
अखिल भारतीय औसत	41.43	41.14	41.07	41.1	41.44	41.67	41.64	41.91	42.44	42.51	42.61	42.2

गुड़												
केन्द्र	जनवरी-22	फरवरी-22	मार्च-22	अप्रैल-22	मई-22	जून- 22	जुलाई-22	अगस्त-22	सितंबर-22	अक्तूबर-22	नवंबर-22	दिसंबर-22
दिल्ली	50.19	53.18	53.9	51.17	52.94	53.43	57.13	57.32	57.93	56.61	54.63	43.58
मुंबई	66.16	68.5	68.77	67.03	64.45	64.5	64.68	67.81	68.33	69.19	69.72	69.81
कोलकाता	51.16	53.43	53.39	53.72	55.27	58.87	60.77	63.36	61.29	63	58.17	53.78
चेन्नई	58.89	55.64	53.65	54	55	57.33	52.03	52.9	62.77	59.97	62.43	63.23
अखिल भारतीय औसत	48.38	48.39	48	47.97	48.28	48.44	48.59	49.45	50.66	50.98	51.11	49.32

दूध @												
केन्द्र	जनवरी-22	फरवरी-22	मार्च-22	अप्रैल-22	मई-22	जून- 22	जुलाई-22	अगस्त-22	सितंबर-22	अक्तूबर-22	नवंबर-22	दिसंबर-22
दिल्ली	48	48	49.58	50	50	50	50	50.94	52	52	52	52
मुंबई	49.16	50.11	50.1	50.03	50.13	50	49.94	50.58	53.63	54	54	56.19
कोलकाता	46	46	47.87	48	47.96	48	48	48.84	49.96	50	50	50
चेन्नई	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
अखिल भारतीय औसत	50.13	50.27	50.6	51.11	51.46	51.89	52.11	52.4	53.6	54.42	55	55.45

खुली चाय												
केन्द्र	जनवरी-22	फरवरी-22	मार्च-22	अप्रैल-22	मई-22	जून- 22	जुलाई-22	अगस्त-22	सितंबर-22	अक्तूबर-22	नवंबर-22	दिसंबर-22
दिल्ली	241.29	233.11	229.9	224.57	225.39	226.37	231.9	232.13	223.17	225.77	228.43	226.94
मुंबई	334.81	330	325.03	319.03	315.81	315	313.9	314.03	314.83	314.84	315	311.68
कोलकाता	230	230	230.48	243.48	252.5	253	253	252.88	252.89	253	253.3	262.59
चेन्नई	288.07	288	288	288	289.67	290	294.6	303	303	303	303	303
अखिल भारतीय औसत	287.44	287.09	286.38	284.6	284.81	284.21	282.2	281.75	281.19	282.05	280.21	276.57

नमक पैक (आयोडाइज्ड)												
केन्द्र	जनवरी- 22	फरवरी- 22	मार्च- 22	अप्रैल- 22	मई- 22	जून- 22	जुलाई- 22	अगस्त- 22	सितंबर- 22	अक्तूबर- 22	नवंबर- 22	दिसंबर- 22
दिल्ली	22.06	22.68	23	22.83	23.52	24	24	24.19	25.33	26	25.73	25.58
मुंबई	22.29	23.11	23.1	23.9	24.81	25	25	25	25.63	26	26	26
कोलकाता	17.06	18	18.13	18	17.92	18	18.55	18.96	19.32	20	20	20
चेन्नई	19	19	19	19	19	19	20.68	21	22	22.84	24.1	25
अखिल भारतीय औसत	18.71	18.84	19.05	19.15	19.47	19.65	19.91	20.09	20.82	21.36	21.53	21.53

एन आर – रिपोर्ट नहीं की गई

आखिर आपके जीवनभर की बचत का सवाल है!



निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम आपका पैसा,
आपके पास सुविधा और सुरक्षा हमारा विश्वास।
छोटे जमाकर्ताओं को सुरक्षा प्रदान करना।
जमा बीमा कवर को 1 लाख से बढ़ाकर
5 लाख करने का आश्वासन।
बैंक के अधिस्थगन के तहत आने से 90 दिनों
के भीतर स्वाताधारकों तक सुरक्षा और पहुंच।
जमाकर्ता को भुगतान करने में विफल होने पर भी
जमा बीमा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध।



श्री नरेंद्र मोदी
प्रधानमंत्री, भारत सरकार



कनटिख में जारी :
उपभोक्ता मामले विभाग
उपभोक्ता मामले, डाटा और इलेक्ट्रॉनिक विवरण मंत्रालय
आरए 2/2/2007, कृषि भवन, जई दिल्ली - 110001
www.consumeraffairs.nic.in

राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन
1915 और 1800-11-4000
(टोल फ्री)



**निक्षेप बीमा और
प्रत्यय गारंटी निगम**
अधिक जानकारी के लिए: www.dicgc.org.in पर जाएं

Since 1961



BILL

Iten	Qty.	Ant
Paneer Tikka	1	410.00
Shahi Paneer	1	130.00
Sub Total		540.00
Vat @ x.xx		74.25
Service TAX @ x.xx		34.45
SERVICE CHARGE @10%		54.00
GROSS AMOUNT		703.00

BILL

Iten	Qty.	Ant
Paneer Tikka	1	410.00
Shahi Paneer	1	130.00
Sub Total		540.00
Vat @ x.xx		74.25
Service TAX @ x.xx		34.45
SERVICE CHARGE*		
GROSS AMOUNT		

* Service Charge is voluntary.

प्रिय उपभोक्ताओं

होटल/रेस्तरां द्वारा लिया जाने वाला सर्विस चार्ज स्वैच्छिक है।

सर्विस चार्ज एक टिप है। सेवा से संतुष्टि के आधार पर, यह निर्णय आपको लेना चाहिए कि इसका कितना भुगतान करना है अथवा नहीं करना है।

यदि कोई होटल/रेस्तरां आपको पूर्व निर्धारित सर्विस चार्ज का भुगतान करने के लिए बाध्य करता है या कहता है कि आपका प्रवेश, भुगतान करने की आपकी सहमति पर निर्भर करता है तो निवारण के लिए आप उपभोक्ता मंच में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

किसी भी मार्गदर्शन के लिए, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन से सम्पर्क करें



जागो ग्राहक जागो



उपभोक्ताओं हेतु
उपभोक्ता
सीबीईन एप



उपभोक्ता मामले विभाग
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली-110 001
www.consumeraffairs.nic.in
@consaff | @agcgrahakjago



राष्ट्रीय
उपभोक्ता
हेल्पलाइन
1800-11-4000
या 1915
(टोल फ्री)

ऑनलाइन शिकायतें : www.consumerhelpline.gov.in

अध्याय-11

आवश्यक वस्तु विनियम तथा प्रवर्तन

यह विभाग अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित अधिनियमों को भी प्रशासित कर रहा है:-

- क. आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955
 - ख. चोर-बाजारी निवारण एवं आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 (पीबीएम अधिनियम, 1980)
2. भारत के संविधान का उद्देश्य अपने सभी नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय उपलब्ध कराना है। इसे प्राप्त करने के लिए, सरकार के लिए तंत्र और सिद्धांतों के संगत उपबंधों में निम्नलिखित शामिल हैं:-
- i. अनुच्छेद 38:- "राज्य सरकार ऐसी सामाजिक व्यवस्था करेगा, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करे, भरसक प्रभावी रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। राज्य, विशिष्टतया, आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेंगे और न केवल व्यक्तियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले अपितु विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों के समूहों के बीच भी प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता समाप्त करने का प्रयास करेगा।"
 - ii. अनुच्छेद 39:- "राज्य अपनी नीति का, विशिष्टतया, इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से (क) पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो; (ग) आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन-साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो।"

iii. अनुच्छेद 46:— “राज्य, जनता के दुर्बल वर्गों के, विशिष्टतया, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उसकी संरक्षा करेगा”

3. भारत के लोगों द्वारा अंगीकार की गई भारत के संविधान की प्रस्तावना, अन्य बातों के साथ-साथ, इसके सभी नागरिकों के लिए : सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करती है। इसके अतिरिक्त, अनुच्छेद 19(1) और अनुच्छेद 21 में निम्नलिखित व्यवस्था की गई है:

अनुच्छेद 19(1)(छ):— सभी नागरिकों को कोई वृत्ति अथवा किसी उपजीविका, व्यापार अथवा कारोबार करने का अधिकार प्राप्त होगा।

अनुच्छेद 21:— किसी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार को छोड़कर, वंचित नहीं किया जाएगा।

4. आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 को संविधान की अनुसूची IX में रखा गया है। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, इस अधिनियम के अंतर्गत, लोकहित, लोक व्यवस्था, सदाचार और नैतिकता हेतु उक्त उल्लिखित मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने का अधिकार राज्य के पास है। यह अधिनियम लोकहित के संरक्षण के लिए लोकव्यवस्था तथा आर्थिक रूप से वंचित वर्गों जैसे अंत्योदय अन्न योजना परिवारों तथा सरकारी स्कीमों के ऐसे अन्य लाभार्थियों के प्राणों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत जारी किए गए आदेशों का उल्लंघन, सी.आर.पी.सी. के अध्याधीन, एक दंडनीय अपराध है।

5. उपर्युक्त उल्लिखित संवैधानिक उद्देश्यों को प्राप्त करने की जिम्मेदारी केंद्र और राज्य, दोनों सरकारों की है जिसमें देश के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों/लोगों को सभी आवश्यक वस्तुओं की उचित कीमतों पर पर्याप्त उपलब्धता को सुनिश्चित करना शामिल है। इस राष्ट्रीय उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, केंद्र सरकार द्वारा मानव-जाति के रूप में आम जनता के लिए आवश्यक वस्तुओं के मूल्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण तथा व्यापार और वाणिज्य को संवैधानिक रूप से सुनिश्चित किया जाएगा। इस प्रयोजन को पूरा करने के लिए, सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची के अनुच्छेद 246, प्रविष्टि सं. 33 के तहत संसद ने 1 अप्रैल, 1955 को भारत के माननीय राष्ट्रपति की सहमति से आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 पारित किया था। इस अधिनियम के तहत, केंद्र सरकार की शक्तियां, व्यापक रूप से, राज्य सरकारों को दिनांक 09.06.1978 के आदेश और 'खाद्य पदार्थों के अतिरिक्त' के लिए आदेश दिनांक 30.11.1974 द्वारा प्रत्यायोजित की गई है।

6. आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 सरकार को, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को बनाए रखने अथवा उसमें वृद्धि करने के लिए तथा उचित मूल्यों पर उनके समान वितरण और उनकी उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों, उत्पादन, आपूर्ति, वितरण आदि को विनियमित करने के लिए सशक्त बनाता है। अधिनियम के तहत अधिकांश शक्तियां केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को इस निर्देश के साथ प्रत्यायोजित की गई हैं कि वे अपनी इन शक्तियों का प्रयोग करेंगे। अधिनियम के तहत, केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्पादन, वितरण मूल्य आदि को विनियमित करने के लिए केंद्रीय आदेश जारी किए हैं और वस्तुओं को आवश्यक वस्तुएं घोषित किया है। वर्तमान में, कृषकों, आम जनता और गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के हितों का संरक्षण करने के लिए केवल सात आवश्यक वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत रखा गया है। आम जनता को आबंटित की जाने वाली आवश्यक वस्तुओं की उचित दरों पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत विभिन्न विनियामक आदेश जारी करने, नीतियां और तंत्र बनाने के लिए केंद्र सरकार की शक्तियों का प्रयोग किया जा रहा है। निम्नलिखित आवश्यक वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम में अधिसूचित किया गया है (उत्पाद के संबंध में नियंत्रण आदेश जारी करने के लिए व्यापार नियमों के आबंटन के अनुसार अधिकृत केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों के नामों के साथ)।

क्र.सं.	वस्तु	प्रशासनिक विभाग/मंत्रालय
1	औषधि	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
2	उर्वरक, चाहे अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित	डीएसीएफडब्ल्यू
3	'खाद्य पदार्थ'* जिसमें खाद्य तिलहन और तेल शामिल हैं	डीएसीएफडब्ल्यू, एमओएफपीआई, डीएफपीडी, डीओसीए
4	हैंक यार्न पूरी तरह से कपास से बना है	वस्त्र मंत्रालय
5	पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
6	कच्चा जूट और जूट का कपड़ा	वस्त्र मंत्रालय
7	(i) खाद्य फसलों, फलों और सब्जियों के बीज	} डीएसीएफडब्ल्यू
	(ii) पशुओं के चारे के बीज	
	(iii) जूट के बीज और	
	(iv) कपास का बीज	

7. मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार, केंद्र सरकार ने दिनांक 29 सितंबर, 2016 को आदेश सा.का.नि. 929 (अ) जारी किया और सभी सुसंगत आदेशों को मिला दिया गया तथा यह अनुमति दी गई कि कोई भी व्यापारी स्वतंत्र रूप से किसी भी मात्रा में गेहूं, गेहूं उत्पादों (नामत: मैदा, रावा, सूजी, आटा, परिणामी आटा और भूसी), धान, चावल, मोटे अनाज, गुड़, हाइड्रोजेनेटेड वनस्पति तेल अथवा वनस्पति, प्याज, खाद्य तिलहन, खाद्य तेल, दालें तथा चीनी और आलू खरीद सकता है स्टॉक कर सकता है, बेच सकता है, परिवहन कर सकता है, वितरण कर सकता है, बेच सकता है, खरीद कर सकता है, प्रयोग कर सकता है या उपभोग कर सकता है और इसलिए, इस अधिनियम के तहत जारी किसी आदेश के तहत उसे परमिट अथवा लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी।

8. इस विभाग ने हाल ही में संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एवं लाइफ स्टॉक कॉन्ट्रेक्ट फार्मिंग एंड सर्विसेस (प्रमोशन एंड फेसिलिटेशन) एक्ट के तहत पंजीकृत अनुबंध कृषि के खरीददार को दिनांक 06.08.2019 के केन्द्रीय आदेश द्वारा खरीदे गये स्टॉक सीमा की गुणवत्ता के स्तर में छूट प्रदान की है। यह कृषि एवं कृषि प्रसंस्करण उद्योग में विनिवेश को बढ़ावा देकर किसान के आय को दोगुना करने के उद्देश्य को हासिल करने में मदद करेगा।

9. दिनांक 16.12.2019 के केन्द्रीय आदेश द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत स्टॉक सीमा से विनिर्दिष्ट उत्पाद के स्टॉक (इस आदेश के उद्देश्य के लिए केन्द्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट) पर छूट भी प्रदान की गई है, जिनमें व्युत्पन्न व्यापार अनुमत्य प्रत्यायित भंडागारण में रखे गये और विनिमय मंचों पर डिलीवरी के लिए भंडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण के साथ पंजीकृत है और यह छूट तब तक लागू होगा जब तक यह उपलब्ध है।

10. आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत लाइसेंसों की वार्षिक/आवधिक नवीकरण की आवश्यकता के बारे में चिंताओं को कम करने और व्यापार करने में आसानी के साथ-साथ 'मेक इन इंडिया' पर जोर देते हुए सभी संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को उनके अनुरूप संशोधन करने की सलाह दी गई थी। आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत संबंधित केन्द्रीय आदेश, जो यदि आवश्यक हो तो लाइसेंसों के नवीकरण को जारी लाइसेंस को जारी होने की तिथि से लगभग पांच वर्षों की अवधि अर्थात् आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जारी लाइसेंस की वैधता था आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जारी आदेश लगभग पांच वर्षों के लिए है। सभी संबंधित प्रशासनिक विभागों ने लाइसेंस की वैधता को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक आदेश जारी किए हैं।

11. वायदा व्यापार, कालाबाजारी, जमाखोरी और आवश्यक खाद्य वस्तुओं की कार्टेलिंग की निगरानी के लिए, 2016 में सचिव (उ.मा.) की अध्यक्षता में ईडी, आयकर विभाग, एनसीआर राज्यों की पुलिस, सीमा शुल्क आदि के प्रतिनिधियों के साथ कार्टेलाइजेशन पर एक समूह गठित किया गया था। इसकी बैठक अनिवार्यताओं के आधार पर होती है, कीमतों में संभावित हेरफेर के संबंध में बाजार परिदृश्य की समीक्षा करती है और राज्यों और अन्य एजेंसियों को असामान्य मूल्य वृद्धि की चपेट में आने वाली चुनिंदा आवश्यक खाद्य वस्तुओं में जमाखोरी, कार्टेलिंग और सट्टा व्यापार की जांच के लिए आवश्यक कार्रवाई के बारे में सलाह देती है। आवश्यकता के आधार पर समूह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य से परामर्श भी करता है। 2016 से अब तक इस समूह की 21 बैठकें हो चुकी हैं।

12. व्यापक लोक हित में उचित कीमतों पर आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना सरकार का प्रमुख दायित्व है। इनमें से जिन तरीकों से राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को इन उद्देश्यों की प्राप्ति हो सकती है, उनमें आवश्यक खाद्य उत्पादों के व्यापारियों/डीलरों के साथ नियमित बैठकें आयोजित कर उनसे (व्यापारियों/डीलरों से) इन उत्पादों की कीमत और उपलब्धता पर फीडबैक लेना और जमाखोरी, सट्टेबाजी व्यापार, मुनाफाखोरी, कार्टेलिंग जैसे अनुचित एवं अवैध व्यापार प्रथाओं से स्वयं को दूर रहने के लिए उनसे आग्रह करना शामिल है। इस संबंध में सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों राज्य और जिला स्तरों पर आवश्यक वस्तुओं के हितधारकों के साथ नियमित बैठकें आयोजित करने का अनुरोध किया गया है।

13. चोर-बाजारी निवारण एवं आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 का अनुपूरक है। इसका कार्यान्वयन राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के जरिए आवश्यक वस्तुओं आदि की जमाखोरी और चोरबाजारी जैसी गैर-कानूनी और अनैतिक व्यापार पद्धतियों के निवारण के लिए अधिनियम के तहत छह माह के निवारक नजरबंदी का आदेश देते हुए किया जा रहा है। यह अधिनियम केंद्र और राज्य सरकारों को ऐसे व्यक्तियों को नजरबंद करने में सशक्त बनाता है जिनकी गतिविधियां सामान्य रूप में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लक्षित समूहों सहित समुदाय के लिए आवश्यक वस्तुओं के अनुरक्षण के प्रति हानिकारक पाई जाती है।

14. इन अधिनियमों के उपबंधों को लागू करने के लिए, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए अग्र-सक्रिय होना पड़ेगा और उपभोक्ता मामले विभाग को नियमित रूप से सूचित करना होगा। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों

से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार (दिनांक 16.01.2023 तक प्राप्त हुई रिपोर्टों के अनुसार) वर्ष 2022 के दौरान, 107294 छापे मारे गए, 25963 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, 12055 व्यक्तियों पर अभियोग चलाया गया और 1600 व्यक्तियों को दोषसिद्ध पाया गया और 16372.28/- लाख रुपये की वस्तुओं को जब्त किया गया, चोर-बाजारी निवारण एवं आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, के तहत 130 व्यक्तियों के विरुद्ध नजरबंदी आदेश जारी किए गए।

15. तमिलनाडु में, आवश्यक वस्तुओं के व्यापार में कदाचारों की जांच करने और आवश्यक वस्तुओं के व्यापार और आपूर्ति में चोर बाजारी, जमाखोरी और मुनाफाखोरी बर्दाश्त न करना सुनिश्चित करने और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अधिसूचित किसी आदेश के उल्लंघन को रोकने के लिए के लिए, एक पृथक पुलिस विंग नामतः नागरिक आपूर्ति अपराध अन्वेषण विभाग की स्थापना की गई है ताकि सरकारी स्कीमों के लाभ लक्षित लाभार्थियों तक पहुँच सके। ऐसी संस्था किन्हीं अन्य राज्यों में मौजूद नहीं है। राज्यों से, आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत आवश्यक वस्तुओं की निगरानी के तमिलनाडु मॉडल को अंगीकृत करने का अनुरोध किया गया है।

16. अधिकारी जिनसे संपर्क किया जाए:- दोनों अधिनियमों – आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और चोर-बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम 1980 के तहत सक्षम प्राधिकारी- (i) आर्थिक सलाहकार/संयुक्त सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001, (ii) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों में अधिनियमों के तहत कार्रवाई करने के लिए, राज्यों के खाद्य, नागरिक आपूर्ति/उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रधान सचिव/संयुक्त सचिव (iii) संबंधित क्षेत्र के पुलिस कमिश्नर/आई.जी., पुलिस और (iv) संबंधित जिले के जिला मजिस्ट्रेट/जिला क्लेक्टर हैं। इन प्राधिकारियों के अतिरिक्त, इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकार, राज्य में जितने चाहे उतने अधिकारियों को शक्तियां प्रदान कर सकती है। नागरिकों/नागरिकों के समूहों/संघों आदि द्वारा जमाखोरों, चोर-बाजारियों, मुनाफाखोरों आदि, जिनकी गतिविधियां आम जनता और बी.पी.एल. परिवारों को आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त और उचित दरों पर उपलब्धता के संबंध में सरकार की स्कीमों के लाभों से वंचित कर सकती हैं, के विरुद्ध सरकारी आदेशों के उल्लंघन के संबंध में की जाने वाली शिकायतें लिखित में अथवा ई-मेल द्वारा किसी भी प्राधिकारी को की जा सकती हैं। इन दोनों अधिनियमों का कार्यान्वयन, आम जनता की जागरूकता और राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की पुलिस की अग्र-सक्रियता और संबंधित विभागों नामतरु नागरिक आपूर्ति, उर्वरक/कृषि, स्वास्थ्य आदि पर निर्भर करता है।

NATIONAL CONSUMER HELPLINE

 TOLL FREE - 1915 NUMBER

-  सप्ताह के सातों दिन सहायता उपलब्ध
-  12 भाषाओं में शिकायत दर्ज करने की सुविधा
-  दर्ज की गई शिकायत को ट्रैक करने की सुविधा
-  8800001915 पर SMS से "Call back request" की सुविधा





छोटे जमाकर्ताओं के लिए अधिक सुरक्षा जमा बीमा कवर अब

5 लाख रुपए तक प्रति जमाकर्ता है

- खाताधारकों को कोई प्रीमियम देने की आवश्यकता नहीं
- अगर बैंक विफल हो तो भी जमा बीमा की सीमा तक आपकी जमा राशि आपको वापस कर दी जाएगी
- आपके नामांकित व्यक्ति भुगतान के हकदार हैं
- अंतरिम भुगतान के लिए 90 दिनों की स्पष्ट समय सीमा

यदि कोई बैंक प्रतिबंध या अविस्थगन के अधीन होने के कारण अपने जमाकर्ताओं के प्रति अपने दायित्वों को पूरा करने में अस्वाइं रूप से असमर्थ है तब भी जमाकर्ताओं को अपनी जमा राशि (जमा बीमा की सीमा तक) सुलभता एवं समयबद्ध तरीके से निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम से अंतरिम भुगतान के माध्यम से उपलब्ध।



जनहित में जारी :

उपभोक्ता मामले विभाग

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001
www.consumeraffairs.nic.in



राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन
1915 या 1800-11-4000
(टोल फ्री)



निक्षेप बीमा एवं प्रत्यय गारंटी निगम

अधिक जानकारी के लिए <https://dicgc.org.in> पर जाएं

अध्याय-12

बजट एवं वित्तीय पुनरीक्षा

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) के एकीकृत वित्त प्रभाग के प्रमुख, अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार है।

12.1 कार्य

- यह सुनिश्चित करना कि मंत्रालय द्वारा बजट तैयार करने के लिए निर्धारित समय सीमा का अनुपालन किया जा रहा है और बजट वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुरूप तैयार किया जाता है।
- वित्त मंत्रालय को भेजने से पूर्व सारे बजट प्रस्तावों की बारीकी से जांच करना।
- यह सुनिश्चित करना कि विभागीय लेखों का रख-रखाव सामान्य वित्तीय नियमों (जी.एफ.आर.) के अनुसरण में अपेक्षाओं के अनुरूप किया जाए। विशेष रूप से यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मंत्रालय द्वारा न केवल उसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित किए जाने वाले अनुदानों अथवा विनियोजनों में से किए गए व्यय के लेखों का रख-रखाव किया जा रहा है अपितु इसके द्वारा अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा किए गए व्यय के आंकड़े भी प्राप्त किए जाएं ताकि मंत्रालय के पास अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले व्यय की प्रगति की माह-दर-माह तस्वीर हो;
- आवश्यक नियंत्रण रजिस्टर रखकर स्वीकृत अनुदानों की तुलना में अनुदानों में से किए गए खर्च की प्रगति की निगरानी और पुनरीक्षा करना तथा जहां व्यय की प्रगति सामान्य न हो, वहां नियंत्रण प्राधिकारियों को समय रहते चेतावनी देना;
- बजट अनुमानों की वास्तविक तैयारी करने, बुक डेबिटों पर नजर रखने और प्रत्याशित बचतों को समय पर वापिस करने में सुविधा के लिए सामान्य वित्तीय नियमों के तहत

अपेक्षित, देनदारियों और प्रतिबद्धताओं के रजिस्टर का उचित रख-रखाव सुनिश्चित करना;

- अनुदानों के लिए अनुपूरक मांगों हेतु प्रस्तावों की जांच करना;
- प्रत्यायोजित शक्तियों के क्षेत्र में आने वाले सभी मामलों के संबंध में प्रशासनिक मंत्रालय को सलाह देना। इसमें मंत्रालय को कार्यालय अध्यक्ष की हैसियत से प्राप्त शक्तियों के अलावा सभी शक्तियां शामिल हैं। आंतरिक वित्त प्रभाग द्वारा अनिवार्य रूप से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा जारी की गई स्वीकृति में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया जाए कि यह आंतरिक वित्त प्रभाग के परामर्श से जारी किया गया है;
- अपेक्षित दृढ़ता के साथ स्कीमों/परियोजनाओं का उच्च गुणवत्ता मूल्यांकन और मूल्यांकन सुनिश्चित करना;
- अधीनस्थ प्राधिकारियों को शक्तियों के पुनः प्रत्यायोजन के प्रस्तावों की जांच करना;
- स्वयं को स्कीमों के साथ व्यापक रूप से सम्बद्ध रखना और और महत्वपूर्ण व्यय के प्रस्तावों के साथ उनके आरम्भिक स्तर से जुड़े रहना;
- परियोजनाओं और अन्य सतत स्कीमों के मामले में स्वयं को प्रगति/निष्पादन के मूल्यांकन से जोड़े रखना और यह देखना कि बजट तैयार करते समय ऐसे मूल्यांकन अध्ययनों को दृष्टिगत रखा जाता है;
- विभाग और इसके प्रशासनिक नियन्त्रण में आने वाले संगठनों के अधिकारियों के विदेश प्रतिनियुक्ति प्रस्तावों की जांच करना।
- वित्त समिति और भारतीय मानक ब्यूरो की कार्यकारी समिति में केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करना।
- नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा रिपोर्टों और लेखों के पुनर्विनियोजन के संबंध में त्वरित कार्रवाई करना।
- सहमति अथवा सलाह के लिए वित्त मंत्रालय को भेजे जाने के लिए अपेक्षित, व्यय के सभी प्रस्तावों की जांच करना।
- वित्त मंत्रालय द्वारा वांछित निर्धारित विवरणों, रिपोर्टों और विवरणियों को नियमित रूप से और निर्धारित समय पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करना।

12.2 लेखा परीक्षा पर्वेक्षणों का सार

(कैग की बकाया लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई टिप्पणी)

उपभोक्ता मामले विभाग से संबंधित लेखा परीक्षा पर्वेक्षणों के संबंध में एटीएन की स्थिति (31.03.2022 के अनुसार)।

मंत्रालय/विभाग का नाम	2019 की सीएजी रिपोर्ट	2020 की सीएजी रिपोर्ट	2021 की सीएजी रिपोर्ट	कुल (1+2+3)
	1	2	3	4
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग)	सी एंड एजी रिपोर्ट पर कोई कृत कार्रवाई टिप्पणी लंबित नहीं है।			

12.3 उपभोक्ता मामले विभाग के सम्बन्ध में वित्त वर्ष 2018-19 से 2022-23 (31 दिसम्बर, 2022 तक अनन्तिम) के बजट अनुमानों, संशोधित अनुमानों और वास्तविक व्यय को दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	मांग संख्या	बजट अनुमान			संशोधित अनुमान			वास्तविक		
		स्कीम	गैर-स्कीम	कुल	स्कीम	गैर-स्कीम	कुल	स्कीम	गैर-स्कीम	कुल
2018-2019	15	1690.17	114.35	1804.52	1690.17	109.20	1799.37	1679.08	108.54	1787.62
2019-2020	14	2176.00	115.82	2291.82	1950.00	119.50	2069.50	1827.00	115.37	1942.37
2020-2021	14	2195.00	366.00	2561.00	11941.65	357.26	12298.91	11273.17	115.70	11388.87
2021-2022	14	2870.50	367.10	3237.60	2348.25	368.89	2717.14	2127.20	135.49	2262.69
2022-2023	14	1599.00	163.38	1762.38	98.34	158.21	256.55	63.32	125.89	189.21*

* प्रधान लेखा कार्यालय द्वारा यथासंशुचित अनन्तिम व्यय 31 दिसंबर, 2022 तक का है और इसमें अन्य मंत्रालयों/विभागों के पक्ष में प्राधिकृत की गई 5.84 करोड़ रुपये की राशि शामिल है।

12.4 उपभोक्ता मामले विभाग स्कीमों के ब्यौरे

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	2021-22				2022-23		
	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय	संशोधित अनुमान के संदर्भ में %	बजट अनुमान	31.12.22* तक व्यय	बजट अनुमान के संदर्भ में %
उपभोक्ता जागरूकता (प्रचार)	44.50	23.00	23.00	100.00	25.00	13.22	52.88
कानफोनेट	26.00	32.00	32.00	100.00	27.00	20.00	74.07
आईसीजीआरएस (उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ)	9.50	6.81	6.55	96.18	7.00	2.94	42.00
उपभोक्ता मंचों का सुदृढ़ीकरण	8.00	2.79	2.79	100.00	6.00	1.17	19.50
उपभोक्ता हेल्पलाइन	0.50	0.40	0.40	100.00	0.00	0.00	0.00
मूल्य निगरानी ढांचे का सुदृढ़ीकरण	2.00	1.50	1.44	96.00	1.50	1.38	92.00
बाट एवं माप	55.00	18.15	17.79	98.02	17.00	14.17	83.35
राष्ट्रीय परीक्षणशाला	23.50	13.50	12.40	91.85	14.75	10.44	70.78
भारतीय मानक ब्यूरो	1.50	0.10	0.00	0.00	0.75	0.00	0.00
मूल्य स्थिरीकरण कोष	2700.00	2250.00	2030.83	90.26	1500.00	0.00	0.00
कुल	2870.50	2348.25	2127.20	90.59	1599.00	63.32	3.96

12.5 उपभोक्ता मामले विभाग के लिए सेंट्रल नोडल एजेंसी (सीएनए) और सेंट्रल नोडल बैंक की नियुक्ति।

- * उपभोक्ता मामले विभाग ने उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा संचालित केंद्रीय क्षेत्र स्कीम के संबंध में संशोधित फंड प्रवाह के संबंध में व्यय विभाग के दिनांक 09.03.2022 की निर्देश संख्या 1(18) पीएफएमएस/एफसीडी/2021 के अनुपालन में केंद्रीय नोडल एजेंसी के रूप में भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) को नियुक्त किया है।
- * कोटक महिंद्रा बैंक को, एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक को व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा संचालित सभी केंद्रीय क्षेत्र की स्कीमों के लिए केंद्रीय नोडल बैंक के रूप में नियुक्त किया गया है।




उपभोक्ता मामले विभाग
DEPARTMENT OF
CONSUMER AFFAIRS

सत्यमेव जयते



75
Azadi Ka
Amrit Mahotsav

इलायची के आड़ में तंबाकू का प्रचार करना निषेध है।



@consumeradvocacy @consumeraffairs_goi @jagograhaakjago @nch1915

जागरूक उपभोक्ता ही
सशक्त उपभोक्ता है

जागो
ग्राहक
जागो



स्वयं को अनुचित व्यापार प्रवृत्तियों से बचाने के लिए अपने अधिकारों को जानें

- सुरक्षा का अधिकार
- सूचित किए जाने का अधिकार
- चयन का अधिकार
- सुनवाई का अधिकार
- प्रतितोष पाने का अधिकार
- उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार

किसी भी मार्गदर्शन के लिए, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन से सम्पर्क करें



उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग
भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली-110 001
www.consumeraffairs.nic.in

ऑनलाइन सिकायतें :
www.consumerhelpline.gov.in

@consaff
@jagograhakjago



अध्याय-13

हिन्दी का प्रगामी प्रयोग

13. राजभाषा अधिनियम तथा उसके तहत बनाए गए नियमों का अनुपालन

इस विभाग का हिन्दी प्रभाग आर्थिक सलाहकार एवं अध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वयन समिति के पर्यवेक्षण में कार्यरत है, जिनकी सहायता के लिए वर्तमान में एक सहायक निदेशक (राजभाषा), तीन वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी एवं दो आशुलिपिक हैं। हिन्दी अनुभाग, विभाग के सभी अनुवाद कार्यों को संपन्न करता है और विभाग में तथा इसके साथ-साथ सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों एवं उनके क्षेत्रीय संगठनों में भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। वर्ष के दौरान की गई महत्वपूर्ण गतिविधियां निम्न प्रकार हैं:-

1. वर्ष के दौरान राजभाषा अधिनियम, 1963 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के उपबंधों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई की गई।
2. राजभाषा अधिनियम, 1963 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का समुचित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विभाग में जांच बिन्दुओं की स्थापना की गई है और इन जांच बिन्दुओं को विभाग में परिचालित किया गया एवं इन जांच बिन्दुओं के प्रभावी अनुपालन के लिए कारगर कदम उठाए गए।

13.1 पुनरीक्षा

1. राजभाषा विभाग द्वारा संघ की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए जारी किए गए वर्ष 2022-23 के वार्षिक कार्यक्रम पर जारी किए गए आदेशों को विभाग तथा इसके सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में अनुपालन के लिए परिचालित किया गया। इस संबंध में हुई प्रगति पर तिमाही रिपोर्टों के जरिए निगरानी रखी गई और राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में उन पर समीक्षात्मक/आलोचनात्मक चर्चा की गई।

2. वर्ष के दौरान विभाग तथा उसके सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा नीति को लागू करने में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए विभाग में गठित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की गईं। इन बैठकों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। रा.भा.का.स की अंतिम बैठक 29.12.2022 को आयोजित की गई थी।
3. राजभाषा विभाग के अनुदेशों के अनुसार, मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति का पुनर्गठन 28.06.2021 को किया गया है और जैसा कि खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने सूचित किया है, इस समिति की बैठक दिनांक 23.02.2023 को आयोजित की जाएगी।

13.2 प्रोत्साहन योजनाएं

1. वर्ष के दौरान विभाग में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को हिन्दी में टिप्पण तथा मसौदा लिखने के लिए राजभाषा विभाग द्वारा जारी नकद पुरस्कार योजना जारी रखी गई।
2. विभाग के कर्मचारियों को अंग्रेजी के अलावा हिन्दी में टाइपिंग का कार्य करने के लिए विशेष प्रोत्साहन भत्ता भी दिया जाता रहा।
3. विभाग में 14.09.2022 से 28.09.2022 तक हिन्दी पखवाड़े का आयोजन किया गया। इस पखवाड़े के दौरान विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को अपना सरकारी कामकाज हिन्दी में करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।

13.3 अन्य गतिविधियां

1. हिन्दी में टिप्पण/आलेखन (नोटिंग/ड्राफ्टिंग) का अभ्यास कराने, कम्प्यूटर पर हिन्दी में कार्य करने और तिमाही रिपोर्ट भरने की जानकारी देने के लिए विभाग में समय-समय पर कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं।
2. विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों से रुचिकर पुस्तकों की जानकारी मांगी गई और पुस्तकालय को वे पुस्तकें खरीदने के लिए कहा गया। विभाग के पुस्तकालय द्वारा हिन्दी समाचार-पत्र, पत्रिकाएं तथा जरनल नियमित रूप से खरीदे गए।
3. विभाग में ही नहीं, वरन् इसके सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों में भी सरकारी कामकाज में हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयत्न किए गए।

13.4 राष्ट्रीय परीक्षण शाला, मुख्यालय और पूर्वी क्षेत्र में आयोजित की गई राजभाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार से संबंधित कार्यक्रम।

वर्ष 2022 के दौरान राष्ट्रीय परीक्षण शाला, (मुख्यालय और पूर्वी क्षेत्र) कोलकाता में हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए विभिन्न कार्यक्रमों और क्रियाकलापों का आयोजन किया गया।

- * हिंदी शिक्षण योजना द्वारा संचालित विभिन्न हिंदी प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में पात्र कार्मिकों को नामांकित किया गया।
- * प्रत्येक तिमाही में कार्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति (ओएलआईसी) की नियमित आधार पर बैठकें आयोजित की गईं। इन बैठकों में लिए गए निर्णयों को प्रभावी ढंग से लागू किया गया।
- * प्रत्येक तिमाही में नियमानुसार हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इन हिन्दी कार्यशालाओं में लगभग सभी वर्ग के अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया और उन्हें अपने कार्यालय का काम हिन्दी में करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।
- * राजभाषा विभाग, भारत सरकार द्वारा इस स्कीम के अनुसार प्रारंभ की गई नकद प्रोत्साहन स्कीम को कार्यालय में नकद प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान करने के लिए कार्यान्वित किया गया और हिन्दी में अपना कार्य करने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया गया।
- * कार्यालय में मुख्य द्वार पर लगे सफेद बोर्ड पर अंग्रेजी शब्द का हिन्दी पर्याय शब्द लिखा गया। यह अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने कार्यालय का काम हिन्दी में करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किया गया।
- * हिन्दी में विभागीय पत्रिका "वातायन" का सफलतापूर्वक प्रकाशन किया गया। अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपने लेखों, कविताओं, कहानियों, चुटकुलों आदि का योगदान दिया, जबकि कर्मचारियों के बच्चों ने समसामायिक मुद्दों पर अपने चित्र, पेंटिंग, कविता आदि का योगदान दिया। पत्रिका एनटीएच द्वारा दी जाने वाली विभिन्न सेवाओं की जानकारी भी देती है।
- * कार्यालय में 14 से 29 सितंबर, 2022 के दौरान हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया। हिन्दी पखवाड़े के दौरान हिन्दी की विभिन्न प्रतियोगिताएं जैसे कि वाद-विवाद, निबंध लेखन, टिप्पण, प्रारूपण, स्लोगन लेखन, पोस्टर बनाना, आशुभाषण, राजभाषा और सामान्य ज्ञान पर प्रश्नोत्तरी, कविता पाठ आयोजित किए गए जिसमें भारी संख्या में अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया। कार्यालय के सभागार में आयोजित मुख्य समारोह में विजेता प्रतिभागियों को नकद पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया।
- * विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सामाजिक मुद्दों, साहित्य आदि के विभिन्न संबंधित विषयों पर हिन्दी में पुस्तकें खरीदी गईं और इच्छुक कर्मचारियों को उपलब्ध कराई गईं।

उपभोक्ता शिकायत कैसे दर्ज कराएं



चरण-वार मार्गदर्शन

1. कोई भी उत्पाद खरीदते समय, हमेशा जांच लें कि पैकेट पर ग्राहक सेवा केंद्र का नंबर उल्लिखित है या नहीं और क्या वह नंबर कार्यशील है।
याद रखें, उत्पाद संबंधी किसी समस्या के लिए निर्माता/पैकर/आयातक के पास शिकायत दर्ज करने के लिए यह महत्वपूर्ण है।

2. उत्पाद संबंधी किसी भी समस्या के मामले में, निर्माता/पैकर/आयातक के ग्राहक सेवा केंद्र से संपर्क करें और उनके पास अपनी शिकायत दर्ज कराएं।
उपभोक्ता सेवा केंद्र से संपर्क करने की तारीख और उपभोक्ता सेवा केंद्र द्वारा प्रदान की गई संदर्भ संख्या नोट करें। समस्या के समाधान के लिए अपेक्षित समय के बारे में उपभोक्ता सेवा केंद्र से पूछें।

3. यदि निर्माता/पैकर/आयातक द्वारा उचित समय के भीतर समस्या का समाधान नहीं किया जाता, तो राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) नंबर 1800114000 या 14404 पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं।
शिकायत www.consumerhelpline.gov.in पर भी दर्ज कराई जा सकती है। शिकायत के पंजीकरण की तारीख और एनसीएच द्वारा प्रदान की गई संदर्भ संख्या नोट करें।

4. यदि शिकायत का समाधान नहीं किया जाता है, तो उपयुक्त उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (या उपभोक्ता आयोग) में शिकायत दर्ज करें।
आप अपनी सुविधा के अनुसार स्वयं या अपने एजेंट अथवा अपने वकील के माध्यम से जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कर सकते हैं।



प्रभावित में जारी:

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक बितरण विभाग, भारत सरकार

कृषि भवन, नई दिल्ली-110001 | www.consumeraffairs.nic.in



@consaff

@jagograhakjago



राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन
1915 या 1800-11-4000
(दोसरे पक्ष)



www.consumerhelpline.gov.in



www.consumerhelpline.gov.in



मार्क गुणवत्ता का प्रतीक

अध्याय-14

नागरिक केन्द्रित ई-गवर्नेंस पहल

14.1 विधिक मापविज्ञान द्वारा प्रदत्त सेवाओं के लिए ऑनलाइन पोर्टल:-

अनुपालन के बोझ को कम करने, व्यवसाय को सुगम बनाने और व्यापार करने में आसानी के लिए, इस विभाग द्वारा उद्योगों को विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 के तहत जारी की जाने वाली चारों सेवाओं/प्रमाणपत्रों को ऑनलाइन किया जाता है। पहले ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन स्वीकार किए जाते थे और उन्हें संसाधित किया जाता था। अब केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार करने का निर्णय लिया गया है, जिससे समय काफी कम हो गया है।

उदाहरण के लिए आवेदकों द्वारा, कंपनियों के निदेशकों के नामांकन की पूरी प्रक्रिया, बाट और माप के आयातक का पंजीकरण और पैकबंद वस्तुओं के निर्माता/पैकर/आयातक का पंजीकरण पहले डाक द्वारा आवेदन भेजने और प्रमाण पत्र प्राप्त करने में लगभग 25-30 दिन लगते थे जिसे घटाकर 3 दिन कर दिया गया है। इसी तरह बाट और माप के मॉडल की स्वीकृति, आवेदन जमा करने/मॉडल के परीक्षण/प्रमाण पत्र प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया को पहले के लगभग 6 से 9 महीने से घटाकर 3 से 4 महीने कर दिया गया है।

2. मूल्य निगरानी:-

पीएमडी को देश के 18 केंद्रों में 14 आवश्यक खाद्य पदार्थों की कीमतों की निगरानी करने का काम सौंपा गया था। लगभग 25 वर्षों की अवधि में, पीएमडी द्वारा निगरानी की जाने वाली वस्तुओं का दायरा 22 हो गया है और रिपोर्टिंग केंद्रों की संख्या बढ़कर 461 हो गई है। पीएमडी द्वारा निगरानी की जा रही 22 वस्तुओं में पांच आइटम समूह शामिल हैं, अर्थात् अनाज (चावल और गेहूं), दालें (चना, अरहर, उड़द, मूंग, मसूर), खाद्य तेल (मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, वनस्पति, सोया तेल, सूरजमुखी का तेल, पॉम तेल), सब्जियां (आलू, प्याज, टमाटर), और अन्य सामान (आटा, चीनी) गुड़, दूध, चाय और नमक)।

3. भारतीय मानक ब्यूरो:—

- भारत सरकार के डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण के अनुरूप, बीआईएस अपनी क्रियाकलापों को डिजिटल बनाने के लिए ठोस प्रयास कर रहा है। इस प्रयास के एक भाग के रूप में, निम्नलिखित पहलें की गई हैं:
- मानकीकरण क्रियाकलाप से संबंधित सभी प्रक्रियाओं का प्रबंधन करने के लिए बीआईएस में एक मानक पोर्टल संचालन में है। इस पोर्टल को 'अपने मानक को जानें', 'नए मानक', 'संशोधित मानक', 'मानकों की समीक्षा' आदि जैसी नई विशेषताओं को जोड़ने के लिए बढ़ाया गया था। अपने मानकों को जाने सभी डाटा और दस्तावेजों तक पहुंच प्राप्त करने का वन-स्टॉप समाधान प्रदान करता है। खोज बॉक्स में भारतीय मानक (आईएस) संख्या या एक कीवर्ड (जैसे उत्पाद का नाम) दर्ज करके मानक खोजा जा सकता है। उपयोगकर्ता न केवल आईएस के पीडीएफ, संशोधन, राजपत्र अधिसूचना, परीक्षण और निरीक्षण की योजना जैसे मानक से संबंधित बुनियादी दस्तावेजों तक पहुंच सकता है बल्कि लाइसेंस की सूची, संबंधित आईएस के लिए प्रयोगशालाओं के परीक्षण की सूची, इको-मार्क के विवरण के साथ समिति का वर्गीकरण विवरण और संरचना जैसे विवरण भी प्राप्त कर सकता है। उपयोगकर्ता इस फीचर को ऐप के जरिए भी एक्सेस कर सकते हैं।
- पोर्टल में भारतीय मानकों की समीक्षा के लिए नई सुविधा विकसित की गई, जो हितधारकों को समीक्षा विवरण लॉग करने और समीक्षा के लिए टेम्पलेट भरने के लिए एक इंटरफेस प्रदान करती है। इसमें संबंधित समिति के सदस्यों को उनकी टिप्पणियों के लिए समीक्षा दस्तावेज प्रसारित करने का भी प्रावधान है। विचार-विमर्श पूरा होने के बाद, इंटरफेस समीक्षा के परिणामस्वरूप लिए गए निर्णय को लॉग करने का प्रावधान भी प्रदान करता है। इंटरफेस समीक्षा प्रक्रिया के जीवनचक्र को ट्रैक करता है और चल रहे कार्यों और लक्ष्यों की कुशल ट्रैकिंग और निगरानी के लिए कई रिपोर्ट भी तैयार करता है। इसके अलावा, मानकों से संबंधित डेटा को विभिन्न पोर्टलों जैसे मानकऑनलाइन, प्रयोगशाला सूचना प्रबंधन प्रणाली, बीआईएस-केयर ऐप, प्रयास और परख पोर्टल आदि से साझा करने के लिए एपीआई विकसित किए गए थे।
- मार्च 2022 में एक आम उपभोक्ता को अपने बिना हॉलमार्क वाले सोने के आभूषणों की शुद्धता की जांच बीआईएस से मान्यता प्राप्त एसेइंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर्स (एएचसी) में

कराने का प्रावधान शुरू किया गया था। इसके तहत एएचसी प्राथमिकता के आधार पर आम उपभोक्ताओं सोने के आभूषणों की शुद्धता की जांच करेगा और उपभोक्ता को जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराएगा। उपभोक्ता को जारी की गई परीक्षण रिपोर्ट उपभोक्ता को उनके आभूषणों की शुद्धता के बारे में आश्वस्त करेगी।

- 31 मार्च 2022 से पहले, सोने के नमूने ऑफलाइन मोड में एकत्र किए जा रहे थे। अब 01 अप्रैल 2022 से बीआईएस रिपोर्ट ऐप में सॉफ्टवेयर जोड़ा गया है और अब फील्ड में सभी निगरानी ऑनलाइन की जा रही है। इसने निगरानी गतिविधि को कागज रहित और आसान बना दिया है। इसमें दुकान पर ही हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन (एचयूआईडी) का उपयोग करके सोने की कई वस्तुओं की जांच और सत्यापन करने का भी प्रावधान है।
- 16 नवंबर 2022 को रेफरल और एसेडिंग लैब मॉड्यूल को लाइव किया गया, यह हॉलमार्किंग सर्विलांस गतिविधियों के ऑनलाइन वर्कफ्लो को शुरू से अंत तक पूरा करता है, जैसे कि फील्ड में एकत्र किए जा रहे नमूनों को प्रयोगशालाओं में भेजा जाता है और ऑनलाइन मोड में प्रविष्टियां की जाती हैं, उसके बाद आरएएल परीक्षण और देखे गए मान दर्ज किए जाते हैं। इसके बाद परीक्षण रिपोर्ट तैयार की जाती है और आवश्यक कार्रवाई के लिए स्वचालित रूप से बीओ और हॉलमार्किंग अधिकारियों (एचएमओ) को भेजी जाती है।
- अनुरूपता मूल्यांकन पोर्टल घरेलू निर्माताओं को उनके उत्पादों पर मानक चिह्न (आईएसआई) के उपयोग के लिए लाइसेंस प्रदान करने, ऐसे लाइसेंसों के नवीनीकरण, शुल्क के भुगतान के साथ लाइसेंस के दायरे में शामिल करने और सरल ऑनलाइन माध्यमों से भुगतान जमा करने के लिए आवेदन करने में सक्षम बनाता है। बीआईएस इन अनुरोधों को संसाधित कर सकता है और अपने फैसले को ऑनलाइन भेज सकता है, और हमारे हितधारकों द्वारा किए गए आवेदनों की रीयल टाइम ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान कर सकता है। उन्नत डैशबोर्ड हितधारकों को हर क्षेत्र में जानकारी प्राप्त करने में सक्षम बनाता है: प्रमाणन के तहत मानक, उत्पाद नियमावली, सक्रिय लाइसेंसधारी, नए आवेदन दिए गए नए लाइसेंस निलंबन के तहत लाइसेंस आदि। पोर्टल को स्वचालित नवीनीकरण, आस्थगन और समाप्ति मानक रिपोर्ट, मोबाइल ऐप आधारित निगरानी मॉड्यूल, डिजीटल लॉट निरीक्षण इत्यादि जैसी सुविधाओं के साथ बढ़ाया गया है और इसे निरंतर आधार पर अपग्रेड किया जा रहा है।

- बीआईएस नेशनल सिंगल विंडोज सिस्टम (एनएसडब्ल्यूएस) पोर्टल पर भी शामिल हो गया है और अपनी हॉलमार्किंग स्कीमों को एकीकृत किया है, ज्वैलर्स के पंजीकरण के साथ-साथ हॉलमार्किंग केंद्रों की मान्यता दोनों जो उपयोगकर्ताओं को बीआईएस अनुमोदन के साथ एक स्थान पर एक ही बार में विभिन्न मंजूरी और अनुमोदन के लिए सिंगल विंडो के माध्यम से आवेदन करने की सुविधा प्रदान करती है।
- बीआईएस वेबसाइट (www.bis.gov.in) का नया रूप एक आधुनिक, गतिशील और उपयोगकर्ता के अनुकूल डिजाइन के साथ लॉन्च किया गया था। बीआईएस वेबसाइट का नया रूप 'सतत विकास पर मानक', 'हितधारकों को शामिल करना – मानक मंथन', 'बीआईएस केयर ऐप', 'गुणवत्ता नियंत्रण पर उत्पाद विशिष्ट कैप्सूल पाठ्यक्रम', 'शैक्षणिक संस्थानों में मानक क्लब', 'हितधारक जुड़ाव में गहनता', 'उभरते क्षेत्रों में मानक', 'बीआईएस के साथ इंटरनशिप', 'अपना मानक जानें', 'तकनीकी और पेशेवर संस्थानों के साथ साझेदारी', 'गुणवत्ता अनुपालन संस्कृति बनाना', 'उपयोगकर्ता के अनुकूल मानक सूची', 'जीआईएस', आदि पर केंद्रित है।
- बीआईएस केयर ऐप हितधारकों को अनिवार्य पंजीकरण योजना (सीआरएस) के तहत आईएसआई चिह्न, पंजीकृत ज्वेलर्स और चिह्नित इलेक्ट्रॉनिक सामानों की प्रामाणिकता को सत्यापित करने की सुविधा प्रदान करता है, साथ ही उनकी शिकायतें जमा करने की सुविधा भी देता है। ऐप को आईफोन और आईपैड के लिए भी रोल आउट किया गया था जिसमें एंड्रॉइड ऐप में उपलब्ध सभी सुविधाएं थीं।
- जिस उद्देश्य के लिए पोर्टल विकसित किया गया था, उसके सार को सही मायने में दर्शाने के लिए उपभोक्ता जुड़ाव पोर्टल का नाम बदलकर मानक संवर्धन पोर्टल कर दिया गया। इसे अगले स्तर पर ले जाते हुए, बीआईएस द्वारा की जा रही गतिविधियों के मानक प्रचार के संपूर्ण बुफे को पूरा करने के लिए सुविधाओं का एक व्यापक सेट पेश किया गया। गतिविधियों की मुख्य विशेषताएं प्रदर्शित करने के लिए, एक फोटो गैलरी जिसे मानक मंच नाम दिया गया था, को भी पोर्टल में शामिल किया गया था। पोर्टल को मानक क्लबों को पंजीकृत करने, उनके भू-स्थान निर्देशांक, संरक्षक प्रशिक्षण स्थिति, साइन-बोर्ड की स्थापना की स्थिति, सदस्य विवरण और पूर्व छात्रों के विवरण पर अभिग्रहण करने के लिए सुविधाओं के साथ आगे बढ़ाया गया था। रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक व्यापक प्रणाली भी शामिल की गई थी।

- देश भर में युवा स्वयंसेवकों द्वारा गुणवत्ता कनेक्ट अभियान को सुविधाजनक बनाने के लिए, स्वयंसेवकों के लिए उनके द्वारा आयोजित बातचीत के विवरण को अभिग्रहित करने के लिए एक गुणवत्ता कनेक्ट मोबाइल ऐप विकसित किया गया था। ऐप ने उन लोगों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने की सुविधा भी प्रदान की जिनके साथ बातचीत हुई थी। इसके अलावा, स्वयंसेवकों का एक केंद्रीकृत पूल बनाने के लिए, स्वयंसेवकों के पंजीकरण के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली शुरू की गई थी।
- बीआईएस की प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन योजना के वर्कप्लो को स्वचालित करने के लिए एक पोर्टल विकसित किया गया है, अर्थात् आवेदक द्वारा आवेदन जमा करने से लेकर उन्हें लाइसेंस प्रदान करने तक। इसके अलावा, यह पोर्टल संभावित लेखा परीक्षकों को खुद को बीआईएस के साथ सूचीबद्ध करने की सुविधा प्रदान करता है।
- राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बीआईएस आउटरीच और सेवाओं में सुधार के लिए, सभी गतिविधियों की वास्तविक समय की निगरानी के लिए बिजनेस इंटेलिजेंस सिस्टम विकसित किया गया है। इसके भाग के रूप में, सभी बीआईएस शाखा कार्यालयों और अधिकारियों के समग्र प्रदर्शन प्राप्त करने और तदनुसार उनकी समीक्षा करने के लिए उत्पाद प्रमाणन स्कीम में दक्षता सूचकांक लागू किया गया है।

4. संप्रतीक और नाम:—

- संप्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग की रोकथाम) अधिनियम, 1950 के तहत पंजीकरण के लिए प्राप्त नामों, संप्रतीकों और संदर्भों की जांच के लिए रजिस्ट्रारों, समितियों के उप रजिस्ट्रारों, संगठनों, राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के पेटेंट से संदर्भ प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया गया है।
- केन्द्र सरकार द्वारा नाम/प्रतीक या आपत्तियों पर अनापत्ति प्रमाणपत्र संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के रजिस्ट्रारों को ऑनलाइन भेजी जाती है।



हर कॉन्ट्रैक्ट की
छोटी-छोटी
शर्तें भी पढ़ें...



धोखे और पछतावे से बचें !



उपभोक्ता मामले विभाग
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली -110001
www.consumeraffairs.nic.in

@consaff | @jagograhakjago

ऑनलाईन शिकायतें : www.consumerhelpline.gov.in



अध्याय-15

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग/भूतपूर्व सैनिक अधिकारियों की संख्या

15.1 स्थापना

विभिन्न ग्रेडों तथा सेवाओं में सीधी भर्ती और पदोन्नति में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के बारे में कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों का पालन किया गया। उपभोक्ता मामले विभाग तथा इसके सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में नियुक्त अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों तथा भूतपूर्व सैनिकों/ई.एस.एम. की श्रेणी से संबंधित कार्मिकों की संख्या नीचे दी गई है:-

15.2 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग/भूतपूर्व सैनिक/महिला अधिकारियों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण (31.12.2022)

31.12.2022 के अनुसार, कर्मचारियों की संख्या के स्थिति के निमित्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ईएक्सएम उम्मीदवारों की स्थिति।

समूह संख्या	स्वीकृत पद	तैनात कर्मचारियों की कुल संख्या	कॉलम 3 में से निम्नलिखित से संबंधित कर्मचारियों की संख्या								
			अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	दिव्यांग			भूतपूर्व सैनिक	तैनात महिला कर्मचारियों की संख्या	आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के व्यक्ति
						वीएच	एचएच	ओएच			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
समूह क	185	139	17	10	25	-	-	4	5	21	-
समूह ख राजपत्रित	174	113	19	4	18	-	-	2	-	24	-
समूह ख, अराजपत्रित	243	155	25	7	47	-	-	4	-	44	3
समूह ग	594	299	53	27	65	-	1	1	-	38	5
कुल	1196	706	114	48	155	-	1	11	5	127	8

वीएच - दृष्टि बाधित, एचएच - श्रवण दिव्यांग, ओएच - अस्थि दिव्यांग, ईएक्सएम - भूतपूर्व सैनिक, ईडब्ल्यूएस - आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के व्यक्ति

नोट: संकलन में उपभोक्ता मामले विभाग और इस विभाग के निम्नलिखित संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों से संबंधित सूचना शामिल हैं:-

- राष्ट्रीय परीक्षणशाला – कोलकाता
- राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, नई दिल्ली
- विधिक मापविज्ञान संस्थान, रांची
- क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशालाएं – (अहमदाबाद, बंगलौर, भुवनेश्वर, फरीदाबाद, गुवाहाटी, नागपुर, वाराणसी)

15.3 राष्ट्रीय परीक्षणशाला (एन.टी.एच.) में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी तथा दिव्यांग कर्मचारियों के लाभार्थ स्कीमें।

दिनांक 31.12.2022 की स्थिति के अनुसार, कुल स्वीकृत पदों की संख्या के सापेक्ष अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों/भूतपूर्व सैनिकों के पदों की स्थिति नीचे दी गई है:-

समूह संख्या	स्वीकृत पद	तैनात कर्मचारियों की कुल संख्या	कॉलम 3 में से निम्नलिखित से संबंधित कर्मचारियों की संख्या								
			अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	दिव्यांग			भूतपूर्व सैनिक	तैनात महिला कर्मचारियों की संख्या	आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के व्यक्ति
						वीएच	एचएच	ओएच			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
समूह क	96	67	10	05	14	शून्य	शून्य	01	02	09	0
समूह ख राजपत्रित	105	73	13	04	16	शून्य	शून्य	01	शून्य	15	
समूह ख, अराजपत्रित	148	83	19	06	26	शून्य	शून्य	03	शून्य	24	3
समूह ग	366	147	30	08	31	शून्य	शून्य	01	शून्य	23	2
कुल	715	370	72	23	87	शून्य	शून्य	06	02	71	05

वीएच - दृष्टि बाधित, एचएच - श्रवण दिव्यांग, ओएच - अस्थि दिव्यांग, ईएक्सएम - भूतपूर्व सैनिक, ईडब्ल्यूएस - आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के व्यक्ति दिव्यांग

भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस)

15.4 भारत सरकार में सिविल पदों और सेवाओं में सीधी भर्ती में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण।

भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार, सीधी भर्ती में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के व्यक्ति (ईडब्ल्यूएस) को 10% आरक्षण प्रदान किया जा रहा है।

कम्पनियों को आमंत्रण...
संतुष्ट ग्राहक से ही
ब्रांड बने, साख बढ़े!

हमारे बढ़ रहे
कन्वर्जेंस कार्यक्रम
से जुड़ जायें
ग्राहक की शिकायतें
जल्दी से निपटायें

ग्राहक है
तो व्यापार है!

जागो
ग्राहक
जागो



सम्पर्क करें : www.consumerhelpline.gov.in



उपभोक्ता मामले विभाग
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली - 110001
www.consumeraffairs.nic.in

@consaff | @jagograhakjago



ग्राहक अपने अधिकार जानें

Consumer



अधिकार है

सुरक्षा का

अधिकार है

शिक्षा का

अधिकार है

निवारण का

अधिकार है

चयन का

अधिकार है

शिकायत का

अधिकार है

सुनने का

किसी भी मार्गदर्शन के लिए, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन से सम्पर्क करें



उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली-110 001
www.consumeraffairs.nic.in

ऑनलाईन शिकायतें :
www.consumerhelpline.gov.in

@consaff
@jagograhakjago



अध्याय-16

दिव्यांगजनों के लाभार्थ स्कीमें

16.1 राष्ट्रीय परीक्षण शाला में दिव्यांगजनों के लाभार्थ स्कीमें:—

“दिव्यांगजनों के लाभ के लिए गतिविधियों” के संबंध में, यह उल्लेख किया जाता है कि राष्ट्रीय परीक्षण शाला के सभी मौजूदा क्षेत्रों ने दिव्यांगजनों के लिए सभी आवश्यकताओं को निम्नानुसार सफलतापूर्वक लागू किया है और उनका अनुपालन किया गया है:

- ❖ सुलभ पहुंच और प्रवेश द्वार पर रैंप
- ❖ प्रवेश द्वार के पास रिजर्व पार्किंग
- ❖ प्रवेश के लिए सुगम मार्ग
- ❖ सुगम कॉरिडोर
- ❖ पेय जल प्रावधान
- ❖ सुलभ स्वागत कक्ष
- ❖ ब्रेल वाले लिफ्ट
- ❖ सीढ़ी के साथ मजबूत रेलिंग

प्रचार

विकलांग व्यक्तियों के लाभ के लिए क्रियाकलाप— विभाग में निर्मित सभी वीडियो उपशीर्षक के साथ तैयार किए गए हैं।

भारतीय मानक ब्यूरो

16.2 भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) में दिव्यांगजनों के लिए स्कीमें

- 1) भारत सरकार के निर्देशानुसार दिव्यांगजनों को समूह क, ख और ग पदों के तहत सीधी भर्ती में 4% आरक्षण प्रदान किया जा रहा है।
- 2) भारतीय मानक ब्यूरो सामान्य कर्मचारियों के लिए अनुमेय 8 अवकाश के साथ 12 आकस्मिक अवकाश भी प्रदान करता है।
- 3) इसके अलावा, दिव्यांगजनों को अन्य कर्मचारियों के लिए निर्धारित दरों से दोगुनी दरों पर परिवहन भत्ता दिया जा रहा है।

16.3 कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न

16.3.1 उपभोक्ता मामले विभाग

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न के निवारण संबंधी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों को लागू करने के उद्देश्य से उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा 03.08.1998 को एक शिकायत समिति का गठन किया गया था। महिलाओं के यौन उत्पीड़न के संबंध में उपभोक्ता मामले विभाग में आंतरिक शिकायत समिति का पुनर्गठन इस विभाग के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से 1 जनवरी, 2023 को किया गया जो कि निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम	पदनाम
1	श्रीमती निधि खरे, अपर सचिव	अध्यक्ष
2	सुश्री कल्याणी राज, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन (एआईडब्ल्यूसी) की प्रतिनिधि	सदस्य
3	श्रीमती जयश्री नारायणन, अवर सचिव	सदस्य
4	श्री सतिंदर कुमार, उप निदेशक	सदस्य
5	श्रीमती जयलक्ष्मी कन्नन, अवर सचिव	सदस्य सचिव

2. शिकायत समिति, महिला प्रकोष्ठ के रूप में भी कार्य करती है जो व्यापक तौर पर निम्नलिखित क्षेत्रों को कवर करती है:

- क) विभाग की महिला कर्मचारियों के लिए काम करने के वातावरण में सुधार करने की कार्रवाई करना तथा समन्वय स्थापित करना।
- ख) महिला कर्मचारियों से प्राप्त शिकायतों को सुनना तथा उन पर शीघ्र कार्रवाई करना।
- ग) महिला कर्मचारियों के कल्याण से संबंधित अन्य सामान्य क्षेत्र।

16.3.2 भारतीय मानक ब्यूरो

कार्यालय पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुसरण में, फरवरी 1998 में भारतीय मानक ब्यूरो में एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया था, जिसे दिनांक 09 जनवरी, 2018 के कार्यालय ज्ञापन संख्या स्थापना-III/आईसीसी/76 : 01/2018 के तहत पुनर्गठित किया गया है। बीआईएस, मुख्यालय, नई दिल्ली में गठित आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) की संरचना में पीठासीन अधिकारी के रूप में एक वरिष्ठ स्तर की महिला कर्मचारी के साथ-साथ बीआईएस – मुख्यालय के तीन अन्य सदस्य और अखिल भारतीय लोकतांत्रिक महिला संघ (एआईडीडब्ल्यू), नई दिल्ली के सदस्यों में से एक शामिल है। बीआईएस के क्षेत्रीय कार्यालय अलग आईसीसी समिति का गठन करते हैं।

आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी-मुख्यालय) ने 08 मार्च 2022 को बीआईएस, मुख्यालय – नई दिल्ली में बीआईएस, मुख्यालय – नई दिल्ली और एनसीआर, अर्थात् फरीदाबाद, गाजियाबाद केंद्रीय प्रयोगशाला, एनआईटीएस, नोएडा में बीआईएस कार्यालयों में तैनात सभी कर्मचारियों की भागीदारी के साथ "अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस" मनाया।

इस अवसर पर विभिन्न सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं जैसे कविता, इलोक्यूशन-ऑन-द-स्पॉट, वेस्ट आउट ऑफ वेस्ट-मॉडल और क्विज प्रतियोगिताएं हुईं। प्रतियोगिताओं के विजेताओं को डीजी-बीआईएस द्वारा पुरस्कार वितरित किए गए। इसके अलावा, ब्यूरो द्वारा दो भाषणों का आयोजन किया गया था, एक "आयुर्वेद और योग के माध्यम से स्वस्थ जीवन शैली और कल्याण" और दूसरा "गतिरहित जीवन शैली, इसके जोखिम और उपचार पर चर्चा"।

16.3.3 विधिक मापविज्ञान

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन-उत्पीड़न के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

16.3.4 राष्ट्रीय परीक्षण शाला (एनटीएच)

राष्ट्रीय परीक्षण शाला (मुख्यालय), कोलकाता के साथ-साथ एनटीएच के सभी छः क्षेत्रीय कार्यालयों में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया है और वे मामले को पूरी सावधानी के साथ देख रहे हैं और इसको रोकने के लिए सभी संबंधित कार्रवाई कर रहे हैं। 1 जनवरी, 2022 से 31 दिसंबर, 2022 तक एनटीएच (मुख्यालय) और इसकी शाखाओं में यौन उत्पीड़न का कोई मामला नहीं देखा गया है।



अपने
उपभोक्ता
अधिकारों के प्रति
जागरूक रहें

MRP ही
अधिकतम मूल्य है,
GST का भुगतान
अलग से न करें।

अध्याय-17

भारत का आजादी का अमृत महोत्सव @75 और अन्य पहल

17.1 आजादी का अमृत महोत्सव

उपभोक्ता मामले विभाग ने आजादी का अमृत महोत्सव के एक हिस्से के रूप में प्रगतिशील भारत के 75 वर्ष तथा इसके लोगों, संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास को मनाने और स्मरणोत्सव के लिए 14 से 20 मार्च, 2022 तक "उपभोक्ता सशक्तीकरण सप्ताह" का आयोजन किया। इस महोत्सव का आयोजन 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के अवसर पर किया गया।

2. महोत्सव के शुभारम्भ के दिन, विभाग के अधीन संगठनों नामतः, भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस), भारतीय विधिक मापविज्ञान संस्थान (आईआईएलएम) रांची, राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ मर्यादित (एनसीसीएफ), राष्ट्रीय परीक्षण शाला (एनटीएच) और क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशालाओं (आरआरएसएल) की क्षेत्रीय इकाइयों ने 23 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 90 गांवों में उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए। विभाग द्वारा यह अपनी तरह की पहली पहल थी। इन कार्यक्रमों में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की मुख्य विशेषताओं, भारतीय मानक चिह्न, हॉलमार्क, सीआरएस चिह्न, पूर्व-पैकबंद वस्तुओं पर दर्शाए जाने वाले विवरण, उचित बाट और माप के उपयोग और उपभोक्ता शिकायतों के दर्ज करने के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) के उपयोग के बारे में जागरूकता सृजित की गई। इन कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। इन कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने भाग लिया। कुछ मामलों में, स्थानीय प्रशासन के सदस्य और अन्य प्रभाव डालने वाले व्यक्ति (इंपलूएंसर) भी कार्यक्रमों में शामिल हुए। बहुत-से मामलों में इन कार्यक्रमों को स्थानीय मीडिया ने कवरेज प्रदान की। उपभोक्ता अधिकारों और विभाग द्वारा की गई पहलों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए माई-गॉव (MyGov) पर एक माह की अवधि की प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया था।

3. विभाग ने 15 मार्च, 2022 को 'विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस' मनाया। इसके लिए नई दिल्ली में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इसका विषय 'फेयर डिजीटल फाइनेंस' था। इस कार्यक्रम में माननीय केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, वस्त्र तथा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, श्री पीयूष गोयल ने भाग लिया। श्री अश्विनी कुमार चौबे, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्रीय सुश्री साध्वी निरंजन ज्योति, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा ग्रामीण विकास राज्य मंत्रीय राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (एनसीडीआरसी) के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री आर.के. अग्रवाल इंफोसिस के गैर-कार्यकारी अध्यक्ष श्री नंदन नीलेकणि और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया। श्री रोहित कुमार सिंह, सचिव; सुश्री निधि खरे, अपर सचिव; श्री जी श्रीनिवास, अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार और विभाग और इसके संगठनों के अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए।

4. कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में, श्री पीयूष गोयल जी, माननीय केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, वस्त्र तथा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने उल्लेख किया कि उपभोक्ताओं की हितों की रक्षा और उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों एवं सेवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए कानूनों का प्रभावी प्रवर्तन आवश्यक है, लेकिन कानूनी प्रावधानों का उपयोग छोटे व्यवसायी और व्यापारी को परेशान करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने विधिक मापविज्ञान अधिनियम के कुछ प्रावधानों का डिक्रिमनलाइजेशन करने की आवश्यकता के मुद्दे को भी उठाया तथा उपभोक्ताओं के हितों और अधिकारों की रक्षा के लिए विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा की गई पहल की सराहना की, किंतु उन्होंने सभी हितधारकों से भी डिक्रिमनलाइजेशन के मुद्दे पर विचार-विमर्श करने का आग्रह किया। श्री पीयूष गोयल जी ने भ्रामक विज्ञापनों के विरुद्ध उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा की जा रही कार्रवाई के उदाहरण साझा किए। उन्होंने उल्लेख किया कि विश्व की नंबर 1 होने का दावा करने वाली एक टूथपेस्ट कंपनी के विरुद्ध कार्रवाई की गई। इसी तरह की कार्रवाई एक अन्य कंपनी के विरुद्ध की गई, जिसने बिना समय गंवाए अपना स्टॉक बेचने का दावा किया था। श्री गोयल जी ने भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा किए जा रहे गुणवत्ता मानकीकरण कार्य के बारे में भी बात की और उल्लेख किया कि हॉलमार्किंग ने उपभोक्ताओं को गुणवत्ता, शुद्धता और पारदर्शिता का अधिकार प्रदान किया है, जो काफी समय से नहीं मिल पा रहा था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के "सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास" के संदेश पर को आगे बढ़ाते हुए, उन्होंने सभी राज्य सरकारों, उद्योग संघों और अन्य हितधारकों से आग्रह किया कि उन्होंने सभी राज्य सरकारों, उद्योग संघों

और अन्य हितधारकों से आग्रह किया कि वे उपभोक्ता संरक्षण के लिए हानिकारक और मौजूदा कानून को दरकिनार करने की कोशिश करने वाली अनुचित व्यवसाय प्रथाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए वास्तविक व्यापार अवसरों की अनुमति के बीच संतुलन लाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें। उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि व्यवसाय को ऐसे नए नीतिगत निर्णयों का समर्थन करना चाहिए जिनका उद्देश्य उपभोक्ता संरक्षण को आगे बढ़ाना है और उनसे अनुरोध किया कि वे व्यवसाय के साथ-साथ उपभोक्ता संरक्षण के लिए समग्र परिवेश बनाने के लिए सरकार के साथ रचनात्मक रूप से काम करें। इसके अतिरिक्त उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उपभोक्ताओं को अधिक जागरूक होने की जरूरत है, उन्हें गुणवत्ता वाले उत्पादों की मांग करनी चाहिए और इस तरह उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद और सेवाएं प्रदान करने में भारत को विश्व में अग्रणी बनाने का प्रयास करना चाहिए। उपभोक्ता शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करने में सक्षम बनाने वाले और प्राधिकरणों को सभी मामलों में वर्चुअल सुनवाई की सुविधा के लिए प्रेरित करने वाले ई-दाखिल पोर्टल की प्रगति की सराहना करते हुए, उन्होंने विभिन्न राज्य और जिला उपभोक्ता आयोगों में रिक्त पदों की संख्या और उच्चतम न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़ने पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सभी राज्य सरकारों से रिक्त पदों को शीघ्र भरने का आग्रह किया।

5. कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री नंदन नीलेकणी जी ने परिवर्तनशील डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ परिवर्तन की आवश्यकता पर बल दिया और इस बात पर प्रकाश डाला कि बढ़ते जटिल डिजिटल प्रोटोकॉल के साथ, अधिक जटिल उपभोक्ता निवारण विधियों के लिए तैयार रहना होगा, जिसके लिए सरकार की ओर से एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इस संबंध में, उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ध्यान में रखते हुए उपभोक्ता विवाद निवारण तंत्र को फिर से डिजाइन करने और ऑनलाइन विवाद समाधान तंत्र को बहुभाषी प्रारूप में उपलब्ध कराने के लिए स्पीच टू स्पीच, स्पीच टू टेक्स्ट और टेक्स्ट टू स्पीच ओपन प्लेटफॉर्म के उपयोग की आवश्यकता को उजागर किया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि, आज के डिजिटल लेन-देनों में एकाधिक पक्ष शामिल होते हैं और इसलिए ऐसे विवादों के समाधान के लिए एकाधिक पक्षों की आवश्यकता होती है। अभूतपूर्व गति से डिजिटल वित्त के आकार और गति में वृद्धि के साथ, भारत को उपभोक्ता निवारण के एक नए युग की शुरुआत करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक भारतीय को सरल उपभोक्ता निवारण तक पहुंच प्राप्त हो।

6. माननीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा ग्रामीण विकास राज्य मंत्री, सुश्री साध्वी निरंजन ज्योति जी ने अपने मुख्य भाषण में रेखांकित किया कि डिजिटल तकनीक

और नए बिजनेस मॉडल, वित्तीय सेवाओं के साथ गरीब और वंचित परिवारों तक पहुंचने की हमारी क्षमता को पूरी तरह से परिवर्तित कर रहे हैं। सरकार ने हमेशा अधिक से अधिक वित्तीय समावेशन लाने का प्रयास किया है और यह विभिन्न कोविड राहत कार्यक्रमों के प्राप्तकर्ताओं के लिए यूपीआई के माध्यम से लेनदेन में वृद्धि से भली-भांति परिलक्षित होता है। उन्होंने आग्रह किया कि उपभोक्ताओं के लिए डिजिटल वित्त को और अधिक सुदृढ़, सुरक्षित एवं संरक्षित बनाने के लिए संयुक्त प्रयास किए जाने चाहिए।

7. माननीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री, श्री अश्विनी कुमार चौबे जी ने अपने मुख्य भाषण में उपभोक्ता संरक्षण और सशक्तिकरण पर केंद्रित अभिनव नियामक दृष्टिकोण और डिजिटल वित्तीय सेवाओं और उत्पादों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने देखा कि डिजिटल वित्त उपभोक्ताओं को अधिक सुलभ और सस्ती सेवाएं प्रदान करता है और महामारी के दौरान व्यापार को सुचारू रखता है, हालांकि, इसके परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं के समक्ष ऐसे नए जोखिम भी उत्पन्न होते हैं, जिनमें वित्तीय समावेशन में किए गए लाभ को कम करते हुए उपभोक्ताओं के विश्वास पर प्रतिकूल प्रभाव डालने, वित्तीय बाजारों को अस्थिर करने, तथा डिजिटल वित्तीय सेवाओं के उपयोग और प्रयोग को हतोत्साहित करने की क्षमता होती है। इसलिए, कार्यनीतिक विनियमन और समयोचित हस्तक्षेप करना महत्वपूर्ण है जो डिजिटल वित्त के विस्तार परिदृश्य में बेहतर उपभोक्ता संरक्षण को दर्शाता है।

8. माननीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा ग्रामीण विकास राज्य मंत्री, सुश्री साध्वी निरंजन ज्योति जी तथा माननीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री, श्री अश्विनी कुमार चौबे जी ने विभाग द्वारा "आजादी का अमृत महोत्सव" के तहत अपने उत्सव के एक भाग के रूप में बनाई गई वर्चुअल प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस वर्चुअल प्रदर्शनी में उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण और प्रचार के लिए तीन वैज्ञानिक संगठनों – भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस), राष्ट्रीय परीक्षणशाला (एनटीएच) और क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशाला (आरआरएसएल) द्वारा किए जा रहे विकास और कार्यों का प्रदर्शन किया गया।

9. अध्यक्ष एनसीडीआरसी, माननीय न्यायमूर्ति, श्री आर के अग्रवाल ने अपने मुख्य भाषण में प्रौद्योगिकीय उन्नति में हुए आमूल-चूल परिवर्तन को उजागर किया, जो डिजिटलीकरण के वैश्विक युग में पूरे विश्व में हो रहे हैं। उन्होंने इस तथ्य पर बल दिया कि डिजिटल वित्तीय सेवाएं उत्पादकता, पहुंच, वित्तीय समावेशन के साथ-साथ, न केवल व्यक्तियों और कॉर्पोरेट्स

के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए, दक्षता बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन बन गई हैं। अध्यक्ष, एनसीडीआरसी ने सभी उपभोक्ताओं के लिए सर्वोत्तम जोखिम प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय नियामकों, दूरसंचार ऑपरेटरों और केंद्रीय भुगतान प्रणाली प्राधिकरण की आवश्यकता को उजागर करते हुए अपना मुख्य भाषण समाप्त किया।

10. माननीय मंत्रिगण ने विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2022 के अवसर पर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली द्वारा उपभोक्ता मामले विभाग के सहयोग से आयोजित निबंध प्रतियोगिता तथा फिक्की की अर्थव्यवस्था को नष्ट करने वाली तस्करी और जालसाजी गतिविधियों के विरुद्ध समिति (कैस्केड) द्वारा उपभोक्ता मामले विभाग के सहयोग से आयोजित इंटर स्कूल ऑनलाइन पेंटिंग प्रतियोगिता के विजेताओं को भी शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उपभोक्ता कानूनों पर 4 पुस्तकों का लोकार्पण भी किया गया।

11. "फेयर डिजिटल फाइनेंस" पर एक पैनल चर्चा आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता श्री अनुराग जैन, सचिव, उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग ने की। इसके बाद, उपभोक्ता आयोगों में देरी के मुद्दे का समाधान करने के तरीके पर चर्चा करने के लिए एक तकनीकी सत्र आयोजित किया गया। इस सत्र की अध्यक्षता सुश्री निधि खरे, अपर सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग ने की। तदोपरांत, बाधामुक्त और त्वरित शिकायत निवारण तंत्र के रूप में ई-फाइलिंग में आगे की राह के तरीके पर चर्चा करने के लिए एक तकनीकी सत्र आयोजित किया गया। इस सत्र की अध्यक्षता नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भोपाल के कुलपति प्रोफेसर (डॉ.) वी विजयकुमार ने की। इस अवसर पर अंतिम तकनीकी सत्र में उपभोक्ता शिकायतों के निवारण में मुकदमेबाजी से पहले के उपाय के रूप में मध्यस्थता को लोकप्रिय बनाने के तरीके पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस सत्र की अध्यक्षता श्री सुधीर कृष्णास्वामी, कुलपति, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बेंगलोर ने की। इन सत्रों में विविध क्षेत्रों – राज्य और जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, एनपीसीआई, एसबीआई, राज्य सरकारों, निजी क्षेत्र, सिविल सोसायटी, शिक्षाविद और उद्योग निकायों के वक्ताओं ने भाग लिया।

12. उपभोक्ता मामले विभाग ने इन्वेस्ट इंडिया के सहयोग से 16 और 17 मार्च, 2022 को ई-कॉमर्स और डिजिटल उपभोक्ता पर 2-दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया। उपभोक्ता संरक्षण और व्यापार की सुगमता के लिए सरकार के प्रयासों के अनुरूप भारत में ई-कॉमर्स के 8 प्रमुख क्षेत्रों से प्रमुख प्लेयरों को एक साथ लाते हुए, इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (आईएमएआई) के सहयोग से बहुत-सी पैनल चर्चाएं आयोजित की गईं। ये चर्चाएँ सौंदर्य, स्वास्थ्य और आरोग्य; खाद्य खुदरा और एफएमसीजीय मनोरंजन और शिक्षा; और

ऑनलाइन भुगतान सहित ई-कॉमर्स के विभिन्न क्षेत्रों पर केंद्रित थीं। इस कार्यक्रम में उपभोक्ता मामले विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वित्तीय सेवा विभाग और यूआईडीएआई के सरकारी अधिकारी एक साथ उपस्थित रहे। हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेटमेड्स, रिलायंस रिटेल, आईटीसी लिमिटेड, मैरिको, बिग बास्केट, स्विगी, हंगामा, नेटफिलक्स, अनएकेडमी, डिज्नी, पेटीएम, वीजा, अमेज़ॅन इत्यादि जैसे उद्योग-जगत के अग्रणी संगठनों के साथ-साथ प्रमुख उपभोक्ता अधिकार और उपभोक्ता सहायता निकायों ने भारत में बढ़ते ई-कॉमर्स बाजार और उपभोक्ता संरक्षण के महत्व पर अपने विचार साझा किए।

13. श्री रोहित कुमार सिंह, सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग ने बड़ी संख्या में नए इंटरनेट उपभोक्ताओं के प्रवेश के साथ उपभोक्ता जागरूकता और बाजार की बदलती प्रकृति के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने डिजिटल उपभोक्ता को सही जानकारी के साथ सक्षम बनाने के महत्व का भी उल्लेख किया। सुश्री निधि खरे, अपर सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग ने भारत में ई-कॉमर्स के विकास के बारे में बात की और उपभोक्ता संरक्षण के लिए स्व-नियामक तंत्र की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। सुश्री श्रुति चंद्रा, वरिष्ठ सहायक उपाध्यक्ष, इन्वेस्ट इंडिया ने ई-कॉमर्स बाजार की अपार विकास क्षमता और कैसे डिजिटल इंडिया के नए युग ने ग्रामीण और शहरी भारत के बीच अंतर को तेजी से कम किया है, के बारे में बात की। उन्होंने आधुनिक उपभोक्ता के लिए डिजिटल बाजारों की अखंडता और निष्पक्षता में विश्वास के महत्व को भी बताया।


14. भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस), भारतीय विधिक मापविज्ञान संस्थान (आईआईएलएम) रांची, राष्ट्रीय परीक्षण शाला (एनटीएच) और क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशालाओं (आरआरएसएल) की क्षेत्रीय इकाइयों ने सप्ताह के दौरान विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया। उदाहरण के लिए, इन संगठनों की प्रयोगशालाओं में छात्रों और आम जनता का दौरा आयोजित किया गया ताकि उन्हें उपलब्ध परीक्षण सुविधाओं से अवगत कराया जा सके और कुछ परीक्षणों का प्रदर्शन किया जा सके। विभिन्न स्थानों पर काउंटर स्थापित किए गए और उपभोक्ता अधिकारों के बारे में जागरूकता सृजित करने के लिए पम्फलेट वितरित किए गए। विभिन्न स्थानों पर जल परीक्षण का प्रदर्शन किया गया। आम जनता, सरकारी निकायों, उद्योग-जगत और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें आयोजित की गईं ताकि हितधारकों की एक विस्तृत श्रृंखला को उन मुद्दों से अवगत कराया जा सके जो उपभोक्ताओं से संबंधित हैं। उपभोक्ता जागरूकता के सृजन के लिए नुक्कड़ नाटक और सफाई अभियान का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने भाग लिया। कुछ मामलों में, स्थानीय प्रशासन के सदस्य और अन्य प्रभाव डालने वाले व्यक्ति (इंप्लुएंसर) भी कार्यक्रमों में शामिल हुए। कई मामलों में, कार्यक्रमों को स्थानीय मीडिया द्वारा कवरेज दिया गया।

स्वर्ण आभूषणों पर हॉलमार्क हुआ अनिवार्य

उपभोक्ताओं को मिलेगी सोने
की शुद्धता की गारंटी



सोना हॉलमार्किंग वाला है या नहीं



जनहित में जारी:

उपभोक्ता मामले विभाग

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक मितरण मंत्रालय, भारत सरकार
कृषि भवन, नई दिल्ली-110001 | www.consumeraffairs.nic.in



@consaff
@jagograhakjago




राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन
1915 या 1800-11-4000
(दोसरे फ्री)



www.consumerhelpline.gov.in



मार्क गुणवत्ता का प्रतीक



यदि आप एक उपभोक्ता
के रूप में गलत हो गए हैं...

उपभोक्ता फोरम में
निवारण की मांग करें

जिला स्तर

₹ 20 लाख तक

राज्य स्तर

₹ 20 लाख से
अधिक और
₹ 1 करोड़ तक

राष्ट्रीय स्तर

₹ 1 करोड़ से
अधिक तक

अपने क्षेत्र में उपभोक्ता फोरम
का पता लगाएं...

www.ncdrc.nic.in



जनहित में जारी:

उपभोक्ता मामले विभाग

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय,
भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001
www.consumeraffairs.nic.in



@consaff
@jagograhakjago



राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन
या 1800-11-4000
(टोल फ्री)



1800114000
or
NCH



UMANG

www.consumerhelpline.gov.in

मार्क गुणवत्ता का प्रतीक

अध्याय-18

पूर्वोत्तर राज्यों में की गई पहल

18.1 जागरूकता कार्यक्रम

एनसीएच के नए हेल्पलाइन नंबर 1915 और ई-दाखिल के प्रचार के लिए लैपटॉप ब्रांडिंग, मग ब्रांडिंग, मौसम रिपोर्ट/समाचार रिपोर्ट कैप्शन, डीडी न्यूज और डीडी किसान पर एनिमेटेड बग लोगो प्रविष्टि के माध्यम से एक मीडिया अभियान चलाया गया/चलाया जा रहा है। दूरदर्शन के स्वराज एंड जर्नी ऑफ इंडिया कार्यक्रम के दौरान वीडियो स्पॉट चलाए गए हैं और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की विशेषताओं, बीआईएस मानकों, अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी), एक्सपाइरी की तारीख, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) आदि के बारे में उपभोक्ताओं को शिक्षित करने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में दूरदर्शन के विभिन्न क्षेत्रीय चैनलों पर वीडियो स्पॉट चलाए जा रहे हैं।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की विशेषताओं, एनसीएच के नए हेल्पलाइन नंबर 1915, ई-दाखिल, बीआईएस मानकों, अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी), एक्सपाइरी की तारीख आदि की विशेषताओं के बारे में उपभोक्ताओं को शिक्षित करने के लिए दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों के माध्यम से पूर्वोत्तर क्षेत्र में वीडियो स्पॉट चलाए जा रहे हैं।

18.2 विधिक मापविज्ञान

क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशाला, गुवाहाटी द्वारा 1 मई, 2009 से नये परिसर में कार्य आरम्भ कर दिया गया है और विधिक मापविज्ञान के क्षेत्र में पूर्वोत्तर राज्यों को सेवाएं उपलब्ध करा रही है। विभाग द्वारा भी पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों को सहायता अनुदान/उपकरण प्रदान किए गए हैं।

18.3 मूल्य निगरानी प्रभाग (पीएमडी)

मूल्य निगरानी प्रभाग (पी.एम.डी.) द्वारा 22 आवश्यक वस्तुओं अर्थात् चावल, गेहूं, आटा, चना दाल, अरहर दाल, मूंग दाल, उड़द दाल, मसूर दाल, चाय, चीनी, नमक, वनस्पति, मूंगफली

का तेल, सरसों का तेल, दूध, सोया तेल, पॉम ऑयल, सूरजमुखी का तेल, गुड़, आलू, प्याज और टमाटर की खुदरा और थोक कीमतों की निगरानी की जाती है जिसके लिए पूर्वोत्तर के 78 केंद्रों अर्थात् ईटानगर, नामसाई, पासीघाट, तवांग, गुवाहाटी, बारपेटा, तिनसुकिया, धुबरी, गोलपारा, गोलाघाट, मंगलदाई, मुशालपुर, उदलगुरी, बजाली, होजई, जोरहाट, बोंगाईगांव, मोरीगांव, सोनारी, तमुलपुर, शिवसागर, बिश्वनाथ चराली, डिब्रूगढ़, करीमगंज, माजुली, सोनितपुर तेजपुर, इम्फाल, चंदेल, जिरिबाम, कांगपोकपी, सेनापति, तामेंगलोंग, थौबल, उखरूल, शिलांग, तुरा, जोवाई, सोहरा, मैरांग, नोंगपोह, खलीहरियात, विलियमनगर, नोंगस्टोइन, आइजोल, लुंगलेई, कोलासिब, ममित, चम्फाई, सेरछिप, सियाहा, लॉगत्लाई, हनथियाल, ख्वाजावल, सैतुअल, कोहिमा, दीमापुर, त्युएनसांग, मोकोचुंग, चुमुकेडिमा, मोन, पेरेन, फेक, त्सेमिन्यु, वोखा, जुन्हेबोटो, किफिरे, लोंगलेंग, न्यूलैंड, शामटोर, गंगटोक, ग्यालशिंग, नामची, सोरेंग, मंगन, अगरतला, धर्मनगर, बेलोनिया, उदयपुर सहित 461 केंद्रों से आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं।

मूल्य निगरानी सेल (पीएमसी) द्वारा राज्यों में मूल्य निगरानी तंत्र के सुदृढीकरण की स्कीम को कार्यान्वित किया जा रहा है। पूर्वोत्तर राज्यों में मूल्य निगरानी तंत्र को सुदृढ बनाने के लिए पी.एम.सी. द्वारा, अपनी मूल्य निगरानी तंत्र के सुदृढीकरण की स्कीम के तहत, वर्ष 2022-23 के दौरान, असम, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश की राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान की गई और त्रिपुरा से प्राप्त प्रस्ताव को प्रोसेस किया जा रहा है।

मूल्य स्थिरीकरण कोश निधि से ब्याज रहित अग्रिम केन्द्रीय एजेंसियों एवं राज्य स्तरीय कायिक निधि दोनों के लिए किये जा सकते हैं। राज्य स्तरीय कायिक निधि का निर्माण भारत सरकार एवं राज्य के बीच 50:50 के अनुपात में साझेदारी पैटर्न के साथ किया जाता है, जो कि पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में 75:25 है।

असम के राज्य स्तरीय मूल्य स्थिरीकरण कोष के लिए 200 करोड़ रुपये की परिक्रामी निधि के सृजन के लिए दिसंबर, 2019 में असम सरकार को समतुल्य अंशदान के रूप में केन्द्रीय अंशदान के रूप में 75 करोड़ रुपये की प्रथम किस्त रिलीज की गई। राज्य सरकार ने यह सूचित किया है कि प्याज और मसूर दाल के मामले में निधि का उपयोग बाजार हस्तक्षेपनीय गतिविधियों के लिए किया जाएगा।

नागालैंड राज्य में राज्य स्तरीय मूल्य स्थिरीकरण कोष स्थापित करने के लिए भारत सरकार द्वारा सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है।

18.4 उपभोक्ता संरक्षण

पूर्वोत्तर राज्यों के साथ कार्यशाला



उपभोक्ता मामले विभाग ने पूर्वोत्तर राज्यों में उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए असम सरकार के सहयोग से एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला की अध्यक्षता उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव श्री रोहित कुमार सिंह ने की। कार्यशाला के दौरान, उपभोक्ता आयोगों में लंबित मामलों को कम करने, अवसंरचना को सुदृढ़ करने, उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए मध्यस्थता का उपयोग, बाधामुक्त उपभोक्ता शिकायत निवारण आदि के लिए ई-फाइलिंग का उपयोग आदि पर पैनल चर्चा की गई। कार्यशाला में उपभोक्ता मामले विभाग और पूर्वोत्तर राज्यों के उपभोक्ता आयोगों के अध्यक्षों/सदस्यों ने भाग लिया। एनसीडीआरसी के 4 सदस्यों ने भी इस कार्यशाला में भाग लिया।



18.5 पूर्वोत्तर क्षेत्र में एनटीएच, गुवाहाटी के कार्यकलाप

गुवाहाटी स्थित राष्ट्रीय परीक्षण शाला के पूर्वोत्तर क्षेत्र कार्यालय में संचालित की जा रही परियोजनाओं और योजनाओं पर एक रिपोर्ट नीचे प्रस्तुत की गई है:

18.5.1 वर्तमान में, एनटीएच (पूर्वोत्तर क्षेत्र), गुवाहाटी ग्राहकों को निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करता है:

- I. विभिन्न इंजीनियरिंग सामग्रियों जैसे सिविल और केमिकल (निर्माण सामग्री, पेवर ब्लॉक, कोयला, एडमिक्सचर इत्यादि), मैकेनिकल (टीएमटी, स्ट्रक्चरल स्टील, एल्यूमिनियम सेक्शन इत्यादि) का परीक्षण और गुणवत्ता मूल्यांकन,
- II. सीमेंट, जल, सामान्य रसायन, स्टील आदि के लिए परीक्षण पद्धतियों में प्रशिक्षण प्रदान करना।
- III. सिरेमिक सामग्री आदि की प्रयोगशाला सेट-अप गुणवत्ता के क्षेत्र में परामर्शी सेवाएं प्रदान करना।
- IV. एनटीएच (पूर्वोत्तर क्षेत्र), गुवाहाटी में मौजूदा सुविधाओं के आधार पर विभिन्न गैर सरकारी संगठनों और अन्य संगठनों द्वारा शुरू किए गए परियोजना कार्य में भाग लेना।

18.5.2 समग्र रूप से उपभोक्ताओं की सेवा: उद्योगों के “कृषि—आधारित” और “खनिज—आधारित” दोनों क्षेत्रों में, एनटीएच (पूर्वोत्तर क्षेत्र), गुवाहाटी द्वारा क्षेत्र के बढ़ते औद्योगीकरण के अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की गुंजाइश है।

18.5.3 एनटीएच (पूर्वोत्तर क्षेत्र), गुवाहाटी के कार्य और वर्तमान परिदृश्य:

1. एनटीएच (पूर्वोत्तर क्षेत्र), गुवाहाटी पूर्वोत्तर क्षेत्र के ग्राहकों को परीक्षण शुल्क में 50% छूट की पेशकश कर रहा है ताकि पूर्वोत्तर क्षेत्र के आम लोग सस्ती दरों पर एनटीएच की सेवा का लाभ उठा सकें और भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल का समर्थन कर सकें।
2. सीआईआई, एफआई पूर्वोत्तर क्षेत्र आदि द्वारा आयोजित औद्योगिक कार्यक्रमों में भाग लेकर एनटीएच में उपलब्ध सुविधाओं के बारे में लोगों में जागरूकता का प्रसार किया जाएगा। एनटीएच (पूर्वोत्तर क्षेत्र), गुवाहाटी द्वारा समय-समय पर सरकारी संगठनों और स्कूलों सहित समाज के विभिन्न वर्गों में पेयजल की उपयुक्तता के बारे में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। नमूने एकत्र किए जाते हैं और मोबाइल परीक्षण वैन द्वारा ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में मौके पर ही विश्लेषण किया जाता है।
3. वित्त वर्ष 2022–23 तक केबल और कंडक्टर के साथ विद्युत परीक्षण सुविधाओं का निर्माण शुरू करना और उसके बाद जून 2023 तक ट्रांसफार्मर परीक्षण (100 केवीए) और स्विच गियर परीक्षण सुविधाएं सृजित करना।
4. बीआईएस, गुवाहाटी के साथ मिलकर मैनुफैक्चरिंग एसोसिएशन के लिए प्रशिक्षण और हैंड्स-ऑन डेमो का आयोजन किया गया है।
5. एनटीएच, गुवाहाटी द्वारा जून 2023 तक रिबाउंड हैमर परीक्षण के लिए परीक्षण सुविधाएं सृजित की जाएंगी।
6. एनटीएच गुवाहाटी में पहले से ही कीटनाशक अवशेषों और खनिज तेल को छोड़कर, पोर्टेबल पेयजल की परीक्षण सुविधाएं स्थापित हैं। इसे वित्त वर्ष 22–23 में विकसित किया जाएगा।
7. एनटीएच गुवाहाटी, कामरूप जिले के गांवों और स्कूलों के लिए, हर महीने जल का निःशुल्क मोबाइल परीक्षण करेगा।
8. ग्राहकों को परीक्षण क्षेत्रों में उनकी मांगों की समझ प्रदान करने के लिए त्रैमासिक आधार पर ग्राहक बैठक में आमंत्रित किया जाएगा।
9. त्रिपुरा के भूमि बंदरगाह में निर्माण सामग्री के परीक्षण के लिए एक सेटेलाइट शाखा खोलने की योजना है।



जागो
ग्राहक
जागो

उपभोक्तागण : अधिकतम खुदरा
मूल्य से अधिक भुगतान नहीं करें

अधिकतम खुदरा मूल्य से
अधिक दाम वसूल करना दंडनीय है



कानून में जारी
उपभोक्ता मामले विभाग

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक विभाग, नया दिल्ली
एन.ए. रोड, दिल्ली-110001 | www.consumeraffairs.gov.in



@consaff
@jaagograhakjago



राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन
1915 या 1800-11-4000
(दोनों श्रेणी)



www.consumerhelpline.gov.in



मार्क गुणवत्ता का प्रतीक

जागो ग्राहक जागो

- चुनने का अधिकार
- सुरक्षा का अधिकार
- सुने जाने का अधिकार
- सूचना पाने का अधिकार
- उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार
- निवारण चाहने का अधिकार



सत्यमेव जयते

भारत सरकार
उपभोक्ता मामले विभाग
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सावर्जनिक
वितरण मंत्रालय
कृषि भवन, नई दिल्ली-110001
वेबसाइट: www.consumeraffairs.nic.in